राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 20

मंगलवार;

18 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: राम, राम सा।

अनेक माननीय सदस्य: राम, राम।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवीशंकर भूतड़ा।

अजमेर जिले में खादी ग्रामोद्योग प्रोत्साहन हेतु निर्धारित/प्राप्त लक्ष्य

299. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अजमेर में खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

(2) विगत चार वर्षों में कितने आवेदकों द्वारा ऋण हेतु आवेदन किया गया और कितनों को ऋण दिलाने हेतु सरकार द्वारा किन-किन बैंकों को सिफारिश भेजी गई? कितने लोग ऋण प्राप्त कर अपना उद्योग स्थापित कर चुके हैं?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न बैंकों को ऋण देने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो अजमेर जिले की कौन-कौनसी बैंकों ने लक्ष्य पूरा नहीं किया? सरकार द्वारा इस हेतु क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह) : (1) जिला अजमेर में खादी के प्रोत्साहन हेतु ब्याज आर्थिक सहायता योजना एवं ग्रामोद्योग के प्रोत्साहन हेतु ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं पुष्कर प्रशिक्षण केन्द्र में बेरोजगार युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं।

(डा. दिगम्बर सिंह)

(2) विगत चार वर्षों में जिला अजमेर में ऋण हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों तथा बैंकों से ऋण दिलाने हेतु की गई सिफारिश, ऋण स्वीकृति एवं स्थापित उद्योगों का विवरण प्रपत्र 'अ' में प्रस्तुत है।

(3) जी हां। अजमेर जिले में वर्ष 2007-08 के लिये 6 बैंकों को कुल 60 इकाइयों को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध जनवरी, 2008 तक 46 इकाइयों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया एवं शेष प्रक्रियाधीन हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड एक में जो जवाब दिया गया है कि जिला अजमेर में खादी के प्रोत्साहन हेतु ब्याज, आर्थिक सहायता योजना एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं पुष्कर प्रशिक्षण केन्द्र में बेरोजगारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछले चार सालों में इन संस्थाओं से कितने लोग प्रशिक्षण लेकर के लाभान्वित हुए?

दूसरा, खण्ड संख्या दो, जो परिपत्र संख्या 'ए' में दिया हुआ है उसमें लिखा है कि 2004 और 2005 में 98 प्राप्त हुए, 96 भेजे और 48 को ऋण मिला। सैकण्ड में, 2005 और 2006 में 99 थे और 97 भेजे और 72 को ऋण मिला और 2006 और 2007 में 105 प्राप्त हुए, 102 भेजे और 63 को प्राप्त हुए और 2007 और 2008 में 94 कुल थे, 92 को भेजा और 46 को ऋण प्राप्त हुआ। जो यह संख्या सामने आयी है उसमें 2005-06 को छोड़ दें तो यह 50 प्रतिशत का भी आंकड़ा नहीं है। तो ऐसे कौन से कारण रहे कि हमने जो आवेदन इतने आये और इतने को भेजा भी है बैंकों को लेकिन उसके बाद भी 50 प्रतिशत का आंकड़ा भी नहीं छू पाये?

नम्बर तीन जो दिया है, 2007-08 में कि 6 बैंकों से 60 इकाइयों को ऋण देने हेतु तो लक्ष्य निर्धारित किया और उसके विरुद्ध 46 इकाइयों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया । जब कि यही बात 2007-08 में जो पीछे परिपत्र 'ए' दिया हुआ है उसमें कह रहे हैं कि 94 प्राप्त हुए हैं और 92 को बैंकों को भेजा है। जब आप लक्ष्य यह बता रहे हैं कि 60 इकाइयों का लक्ष्य देने का था तो फिर यह 92 क्यों भेजे और 46 को ही यह लोन मिला है तो इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय अपनी स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है, फिर आप एक साथ जवाब दे देना, प्लीज मंत्री महोदय।

यह जो आपने संख्या बतायी है कि कुल प्रशिक्षणार्थी, हम प्रशिक्षण देते हैं व्यवसाय के लिए पुष्कर प्रशिक्षण केन्द्र से तो एक तो यह बता दें आप इसके साथ ही कि अभी तक इन चार सालों में हमने कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया और क्या हमारा विभाग भी यह मानिटरिंग कर रहा है कि जितने लोगों को हमने प्रशिक्षण दिया है उन्होंने स्वयं का व्यवसाय सृजन किया है और सरकार की ओर से उसको क्या सहायता दी गयी? स्वयं का व्यवसाय हेतु हमने प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण हमारा व्यर्थ न जाए इसको मानिटरिंग करने के लिए, क्योंकि हमारा, सरकार का पैसा और है, समय भी लगता है तो क्या उस व्यक्ति ने प्रशिक्षण लेने के उपरान्त अपना व्यवसाय शुरू किया क्या? उसमें क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें आने पर सरकार ने उसको क्या सहयोग किया और जो नहीं हैं इच्छुक प्रशिक्षण लेने के उपरान्त भी तो उनको क्या प्रोत्साहन हमारी सरकार ने किया या हम अपनी तरफ से क्या उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, जो मूल प्रश्नकर्ता हैं, आपने सही कहा कि वर्ष 2004-05 में कुल आवेदन 98 प्राप्त हुए, उनमें से 96 को हमने बैंक में भेजा और 48 उसमें से ऐसे थे जिन्होंने उद्योग स्थापित किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्षवार टारगेट डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है और जो टारगेट है वो 2004-05 में 44 था, उसके अगेंस्ट 48 लोगों को उसमें उद्योग स्थापित करने का बैंकों ने ऋण उपलब्ध कराये और 2005-06 में यह लक्ष्य था 60, उसके अगेंस्ट में 72 को यह प्राप्ति हुआ, 2006-07 में यह लक्ष्य था 60 और उसके अगेंस्ट में 63 को यह रोजगार उपलब्ध हुआ और 2007-08 में भी लक्ष्य 60 था उसके अगेंस्ट 31 जनवरी, 2008 तक 46 लोग उसका लाभ ले चुके हैं बाकी अभी प्रक्रिया में हैं, मैं समझता हूं इस बार टारगेट 100 परसेंट से ज्यादा हम एचीव करेंगे।

पुष्कर में जो प्रशिक्षण केन्द्र हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें प्रशिक्षण जो अभी तक हुए हैं गत तीन वर्षों में, वर्ष 2005-06 में 35 लोग प्रशिक्षित हुए, 2006-07 में 163 लोग प्रशिक्षित हुए और वर्ष 2007-08 में 762 लोग, इस तरह से अब तक 960 लोग इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

(डा. दिगम्बर सिंह)

इसमें निवेदन है कि जो भी बैंक्स हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी दो संस्थाएं हैं के.वी.आई.सी. और के.वी.आई.बी., इसमें हमारी जो खादी की संस्थाएं हैं के.वी.आई.सी. के अन्तर्गत 58 हैं और के.वी.आई.बी. जो हमारी स्टेट की बाडी है उसमें 75 हैं और बैंक जो ऋण स्वीकृत करती हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वायबिलिटी को देखकर ही ऋण स्वीकृत करती हैं।

लक्ष्य का, जो अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो पूछा कि लक्ष्य निर्धारण कैसे होता है, यह लक्ष्य निर्धारण जो हमारी केन्द्र की बाडी है के.वी.आई.सी. उसके द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि केन्द्र की बाडी के अनुसार हमारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं, आपने बताया कि 960 कुछ लोगों को प्रशिक्षण हमने दिया है और हमने जिन लोगों को लाभान्वित किया है उनकी संख्या बहुत कम है। तो मेरा यह प्रश्न है कि जो बाकी के बचे हुए लोग हैं, राज्य सरकार किन्हीं योजनाओं के माध्यम से क्या उनको भी प्रेरित कर सकती है, क्या अपना यूनिट स्थापित करने के लिए, अपना उद्योग स्थापना के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन हम उनको दे सकते हैं क्या?

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): एक मिनट, मंत्री महोदय।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): खादी में इतना क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): एक सैकण्ड। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रशिक्षण के बारे में बताया है, वास्तव में क्योंकि सरकार की मंशा बिलकुल ठीक है कि लोगों को, बेरोजगारों को ऋण मिले लेकिन जो प्रशिक्षण मिला है 960, खादी ग्राम उद्योगों को ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खादी में ऐसा क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी ने कहा है खादी में ऐसा क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विशेष बात कही है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खादी एक वस्त्र नहीं है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने खादी पहनी क्या कभी?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खादी एक दस्तकार का, एक गांव में रहने वाले गरीब इन्सान का रोजी-रोटी का अस्त्र नहीं है। आप खादी नहीं पहनते हो, हो सकता है आपका नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप खादी का मखौल नहीं उड़ाओ ... (व्यवधान) ये खादी आंदोलन से ही देश आजाद हुआ है...(व्यवधान) यह महात्मा गांधी के ऊपर ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): महात्मा गांधी कात रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): महात्मा गांधी के प्रति भी आपका भाव प्रदर्शित करता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खादी के बारे में उद्योग मंत्रीजी के ऐसे विचार ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा ये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको दिक्कत है तो आप सप्लीमेंट्री पूछिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बिना परमिशन के बोल रहे हैं कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये फिर आप प्रश्न पूछ लीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: क्या कह दिया? ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, खादी के विरोध की बात नहीं है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

डा. **दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): आप सुनते तो हो नहीं आप केवल हल्ला मचाना चाहते हो तो मचाओ ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। बैठिये आप। कुछ भी अंकित नहीं होगा। मैं आपको-आपने आप परमिशन दूंगा सप्लीमेंट्री की।

डॉ. **दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में फिर नहीं। माननीय सदस्य, बीच में नहीं इनको जवाब देने दीजिये। ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

डा. **दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य खादी के लिए कुछ बोले। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

डा. दिगम्बर सिंह (खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री): सुनिये आप। रोजाना अपने आपको राजेश खन्ना से कम नहीं समझते टेरीकोट के कपड़े पहनकर आते हैं और खादी की बात करते हैं ...(व्यवधान) चश्मा लगा कर टेरीकोट के सूट पहन कर यहां आकर बैठते हैं और खादी की बात करते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री): क्या बात करते हो? छोड़ो आप। आपने ...(व्यवधान) गांधीजी के नाम पर इस देश को लूटा है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): ×××

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: छोड़ो माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो सरकार का और मंत्री महोदय का आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि जो लक्ष्य रखे थे अजमेर जिले के निश्चित रूप से उससे ज्यादा लक्ष्य प्राप्त किये लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो आवेदन आ रहे हैं वो आपने जो लक्ष्य रखें हैं उससे ज्यादा आवेदन आ रहे हैं तो क्या सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया वो भी

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

960 लोगों ने प्राप्त किया इसको बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास कर रही है या नहीं कर रही है? आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, आपने ज्यादा लोगों को दिया भी है लेकिन इस लक्ष्य को बढ़ाने के लिए भी माननीय मंत्री महोदय कोई आश्वासन देंगे?

डा. दिगम्बर सिंह (खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कह रहे थे, पुष्कर में जो हमारा प्रशिक्षण केन्द्र है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में आपस में बातचीत नहीं। माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री): उसमें अब तक 960 लोगों को प्रशिक्षण दिया था 960 में से 154 लोग अपना धंधा शुरू कर चुके हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर.ई.जी.पी. से पूरी व्यवस्था है प्रशिक्षण प्राप्त जो हमारे युवक हैं उनको लोन की व्यवस्था में हमारा विभाग भी पूरी मदद करता है और उसमें मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि टारगेट चाहे हमारा कम रहा हो अगर ज्यादा लोग हों तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम अपने अधिकारियों के जरिये और बैंकों से सम्पर्क करके और ज्यादा ऐसे बेरोजगार युवकों को ऋण की व्यवस्था कराने का प्रयास पूरा करेंगे, इतना ही कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री अशोक बैरवा।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): मेरा है नम्बर-2

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): हाजिर हूं वैसे 301 और इससे पहले 300

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप। प्रश्न संख्या 300 श्री प्रमोद जैन 'भाया'।

राज्य में विदेशी महिला पर्यटकों द्वारा दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जांच

300. **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2004 से जनवरी, 2008 तक विदेशी महिला पर्यटकों से बलात्कार, छेड़छाड़, लूटपाट, बदसलूकी एवं आपराधिक किस्म की कितनी घटनाएं दर्ज हुईं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(2) उक्त घटनाओं में से किस-किस प्रकरण में अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान माह जनवरी, 2008 तक प्रस्तुत नहीं हो सके? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विदेशी पर्यटकों से आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए वर्ष 2004 से वर्ष 2007 तक कितने जांच आयोग या अधिकारी नियुक्त किये गये व जांच अधिकारियों से कितनी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं उन पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदनों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : उपाध्यक्ष महोदय, (1) राज्य में वर्ष 2008 तक विदेशी महिला पर्यटकों से 5 बलात्कार, 27 छेड़छाड़, 4 लूटपाट, 42 बदसलूकी एवं आपराधिक किस्म की घटनाएं घटित हुई हैं। जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जिन घटनाओं में माह जनवरी, 2008 तक अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं हो सके उनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) वर्णित अवधि में काई जांच आयोग या प्रशासनिक जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयजी ने जो जवाब दिया उसमें क्रम संख्या-1 में बताया कि 2004 से जनवरी, 2008 तक विदेशी महिला पर्यटकों के साथ 5 बलात्कार, 27 छेड़छाड़, 4 लूटपाट और 42 बदसलूकी के मुकदमे दर्ज हुए हैं। विदेशी महिला पर्यटकों के साथ राज्य में बलात्कार एवं आपराधिक घटनाएं लगातर घटित होने एवं बढ़ने से प्रदेश ही नहीं देश के गौरवशाली इतिहास में बदनुमा दाग ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या है?

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): हुकम प्रश्न ही पूछ रहा हूं मैं। (व्यवधान)

ये घटनाएं किन कारणों से बढ़ीं विभाग एवं शासन ने इसके कारणों के विश्लेषण, मंथन एवं रोकथाम हेतु क्या कदम उठाये, जानकारी दें।

नम्बर-2 आप द्वारा जवाब में अदमपता एफआर लगाना बताया है जिससे छेड़छाड़, बलात्कार जैसे गम्भीर अपराध में यह विभाग की नाकामयाबी है या पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत, कृपया सदन को स्पष्ट करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि बलात्कार के पाँच प्रकरण दर्ज हुए हैं उनमें से इसका जब तक आपको जवाब दिया तब तक चार चालान हुए थे अब पांचवां भी जो पुष्कर का है वो भी चालान हो गया है। पांचों में से पांचों चालान। राजस्थान में विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाली तीन घटनाओं में जिस प्रकार से 18 दिन में जोधपुर वाले प्रकरण में सज़ा दिलायी आजीवन कारावास, अलवर वाली घटना में मोहंती को हमने तीन महीने में सात साल की सज़ा दिलायी मतलब यह है कि आज राजस्थान का जो है, सारे देश में इस बारे में जूडिशियरी बार-बार वर्णन करती है कि इतने कम समय में इस प्रकार के अपराध का चालान भी किया और चालान के साथ-साथ सज़ा भी हुई है। इसी प्रकार एक तीसरा प्रकरण आपका जयपुर वाला ही है। उस जयपुर वाले मुकदमे में भी सात वर्ष की सज़ा कारावास की दी। यह तीनों ही फैसले 18 दिन से लेकर चार महीने की अवधि में हुए, चारों में से चारों में चालान किया, जो विशेष प्रकार का जिनको हम कह सकते हैं धोखाधड़ी के जो सात प्रकरण हैं इसमें से जिसमें मैंने 42 में से धोखा धड़ी भी लिखा है, मैं सोचता हूं कि पुलिस ने विशेषकर के विदेशी महिलाओं के साथ घटनाओं को बहुत सीरियसली लिया, बहुत चिन्तापूर्ण उसकी तफ्तीश की और उसमें रिजल्ट तक पहुंचने का प्रयास किया। इन सात प्रकरणों में भी दो में चालान हो गया, एक में चूंकि आपसी रजामंदी कुछ सामान खरीदने का यह जो अम्बा माता, उदयपुर में प्रकरण विदेशी पर्यटक को नकली माल देकर धोखाधड़ी करने का, आपस में ही उनके कम्प्रोमाइज होकर के यह केस खतम हो गया।

तो धोखाधड़ी के जो प्रकरण हैं वह मैंने बताये अभी लम्बित चल रहे हैं। कुछ ऐसे अदम बकुआ जिनको हमने कहा है वह सिविल नेचर के होने के कारण से पैण्डिंग चल रहे हैं। मतलब हमने कोशिश की है कि राजस्थान जो पर्यटक की दृष्टि से अपना एक विशेष स्थान रखता है, उसमें जितनी भी तत्परता से कार्यवाही हो सकती है, वह की है। छेड़छाड़ की 27 घटनाएं हुईं, 22 में चालान हुआ है, पांच में केवल एफ.आर. दी है। इसी तरह से आपने देखा लूट की घटनाएं चार हुईं, हमने इसमें से एक में चालान, तीन में निश्चित रूप से एफ.आर. गयी है क्योंकि मुलजिम को हम ट्रेस आउट नहीं कर पाये। धोखाधड़ी में मैंने जैसे आपको बताया चोरी की प्रकरण में भी क्योंकि चोरी के प्रकरण में ढूंढ पाना और चोरी का परसेंटज केवल हमारे यहां नहीं, सम्पूर्ण देश में 27 प्रतिशत है जिसमें मोबाइल चोरी है और छोटे-मोटे सामान की चोरी है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चोरी दर्ज कराने के बाद, वह यहां से चले जाने के बाद बाकी जो एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ती है वह भी सम्भव नहीं होती है और उसके कारण से कई बार जिस रिजल्ट तक हमको पहुंचना चाहिए हम नहीं पंहुचते हैं ।

मैं यह कह सकता हूं विशेषकर विदेशी पर्यटकों के साथ जो घटना हुई, पुलिस ने बहुत ही ईमानदारी से, पूरी मेहनत से कार्यवाही की। किसी के भी मन में किसी प्रकार का कोई बेइमानीपूर्ण कृत्य नहीं था। इसमें जो सफलता का बिंदु है थोड़ा कम है क्योंकि वह यहां से चले जाने के बाद उस केस को ठीक ढंग से उसकी एविडेंस और बाकी चीजें नहीं मिल पाती हैं तो उसके कारण से उसमें जरूर जो परसेंटेज है वह कम है लेकिन जो घटनाएं मिलीं और उन्होंने एविडेंस दी, यहां तक कि जो पुष्कर की घटना हुई, उस घटना में भी पहले उसने लिखाया, बाद में उसने स्वयं ने कह दिया कि मेरी रजामंदी के साथ हुआ और यह जितनी घटनाएं बलात्कार की हुई यह सब किसी न किसी होटल में हुई हैं जहां वह निरन्तर आते हैं, ठहरते हैं फिर भी पुलिस ने उसमें सैंट परसेंट चालान किया।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि देश में इसका परसेंटेज 27 परसेंट है जब कि राजस्थान का जो परसेंटेज है, कुल घटनाएं हुई हैं घटित 76 के करीबन और इसमें से 34 में एफ.आर. लगाई है तो यह तो पचास परसेंट से भी ज्यादा हो रहा है, इसका क्या कारण है? या तो आप पुलिस के अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं ऐसा जवाब देकर, कृपया सदन को अवगत कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: आ गया सप्लीमेंट्री।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 27 परसेंट तो मैंने कहा कि चोरी का जो चालानी परसेंटेज है वह 27 है, मैंने उस दृष्टि से आपका जब चालानी परसेंटेज आप निकालोगे तो राजस्थान का इसके बाद भी लगभग पचास परसेंट चालानी परसेंट आ रहा है । केवल मैंने यह कहा कि चोरी के प्रकरण हैं विशेषकर मोबाइल चोरी हो गया और कोई सामान चोरी हो गया और उसके बाद उसका यहां से छोड़कर चले जाने के बाद रिपोर्ट तो दर्ज हो जाती है उसके बाद जो एविवेंस कलेक्ट करनी पड़ती है, कई बार वह एविडेंस कलेक्ट नहीं होती हैं उसके कारण से वह पैण्डिंग छूट जाते हैं।

तो, मैं सोचता हूं कि विदेशी पर्यटकों के साथ जो गम्भीर घटनाएं हुईं उसको हमने उतना ही गम्भीरता से लेकर के कार्यवाही करने का प्रयास किया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और राजस्थान जो शायद पहला हिन्दुस्तान का राज्य है जिसने इतने कम समय में इस प्रकार के गम्भीर अपराध में आजीवन कारावास से लेकर सात वर्ष तक की सज़ा दिलाने में सफल हुआ है1

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय उपाध्यक्षजी, गृह मंत्री जी यह भी जरा बता दें क्या यह विदेशी पर्यटकों के साथ हुई आपराधिक घटनाओं में हम राष्ट्रीय औसत से तो कम हैं ना?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप थोड़ा, मैंने उनको पुकार लिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इस समय मेरे पास कोई देश के अन्य राज्यों का आंकड़ा नहीं है कि कम हैं या ज्यादा है। मैं एकदम आपको परफैक्ट उत्तर तो नहीं दे सकता हूं पर जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हमने तुरन्त और जितनी हमने कहा सात दिन में चालान पेश होगा, सात दिन में चालान पेश हो रहा है। कई बार तो अड़तालीस घंटे में ही चालान पेश कर दिया और 18 दिन में तो जोधपुर वाला केस है उसमें तो आजीवन कारावास तक की सज़ा भी हो गयी तो गम्भीर अपराधों को हमने गम्भीरता से लिया और पूरा करने का प्रयास किया।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें मुलजिम सज़ा पाने के बाद पैरोल पर छूटे और पैरोल पर छूटने के बाद पुन: लौटकर नहीं आये?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी साथ ही दिलवा दें जवाब। आपने जो प्रश्न के खण्ड तीन का उत्तर दिया है मैं उसकी ओर आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपने कहा कि हमने किसी जांच अधिकारी को अपाइन्ट नहीं किया, मैं इजरायली पर्यटक स्पिल नीक का जो माउण्ट आबू का मर्डर हुआ था, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। उसकी हत्या की सूचना देने में जो डिले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ था आपने स्वयं ने इस सदन में घोषणा की थी कि आप वरिष्ठ अधिकारी से उस मामले की जांच करवायेंगे।

दूसरा, माउंट आबू की पुलिस की नाकामी से जो विदेशी पर्यटकों के मामले में बदनामी हो रही है, इस साल से पहले भी जो लूट की घटना हुई या 292 का जो अपराध कारित हुआ उसमें अदम पता एफ.आर. दी और इस साल भी इजरायली पर्यटक का जो मर्डर हुआ और फ्रांसिसी कपल के साथ जो लूट हुई, दोनों ही मामलों में सवा महीना बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस कोई

(श्री संयम लोढ़ा)

कार्यवाही नहीं कर पाई है। तो आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं माउंट आबू के सन्दर्भ में? क्या वहां की पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पैरोल जम्प किया, मोहंती के लड़के ने पैरोल जम्प किया, हम जो भी कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं वह कानूनी कार्यवाही की। उसके पिता अपनी जमानत पर उसको ले गये। उस पिता को फिर से यहां आकर सरेण्डर होना पड़ा। यद्यपि, मुलजिम हम अभी तक नहीं पकड़ पाये यह बात सच है।

इसी तरह से इजरायली के बारे में कहा जिस कारण से सूचना देने में डिले हुआ उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मेरी कार्यवाही चल रही है। मैं भी संतुष्ट हूं कि इतनी बड़ी घटना और पुलिस का इतना बड़ा बल होते हुए भी हम राइट टाइम पर राइट टेलीफोन नम्बर नहीं ढूंढ पाये हैं, इसमें कहीं न कहीं लेकुना रहा है, उसकी ओर मैंने जैसा पहले कहा रेवदर की घटना, इसमें भी लगभग हम करीब हैं, अगर भगवान ने चाहा तो सत्र समाप्ति होने के पहले, पहले इजरायली जो अपराध हुआ है उसकी सफलता तक भी शायद हम लोग पहुंच जायेंगे, अभी हमको इतना विश्वास है।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमांड के तीन महीने पहले जो घटना हुई नकली सोने के सम्बन्ध में उस सम्बन्ध में मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी क्या उस पर कुछ कार्यवाही हुई क्या, जो नकली सोना धोखाधड़ी छह लाख का जो था उसके सम्बन्ध में आपसे मैंने निवेदन भी किया था तो उसमें कोई कार्यवाही हुई क्या?

श्री उपाध्यक्ष: इससे संबंधित नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 74-75 केसेज 2004 से आज तक आपने दर्ज किये लेकिन उनमें से 34 केसेज में आपने अदम पता में एफ.आर. लगाई तो जहां तक इन्वेस्टीगेशन में मुलजिमान के खिलाफ चालान पेश करने का सवाल है वह प्रतिशत आपका राजस्थान में बहुत नीचा है। दूसरा लगातार पर्यटकों की जो आवक बढ़ रही है राजस्थान में जिसमें कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़ सभी जगह शामिल है, हर स्थान पर इन विदेशी पर्यटकों के साथ कुछ मनचले लोग शैतानी करने के लिए जगह-जगह पर शिकायत है, आप अपने स्तर पर जो जो भी पर्यटक स्थल हैं, क्या इस

(श्री हरिमोहन शर्मा)

प्रकार इन विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करने की सोच रखते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट हर प्रश्न के जवाब में, बलात्कार के पांच प्रकरण, पांचों में चालान हुए, छेड़छाड़ के 27 प्रकरण हुए, 22 में चालान हुए, लूट के चार प्रकरण हुए एक में चालान हुआ तीन में एफ.आर. गयी, धोखाधड़ी में सात में से तीन में चालान हुआ एक पैण्डिंग है, तीन में जो हैं वह एफ.आर. है। केवल चोरी का ही ऐसा प्रकरण है जो 34 प्रकरण दर्ज हुए उसमें से 24 प्रकरण में एफ.आर. गयी है, केवल छह प्रकरण में हम चालान कर सके जो मैंने पहले भी आपको बताया था।

इसी तरह से पायजन की तरह से कोई चीज खिलाकर हमारी जो जी.आर.पी. पुलिस ने अजमेर में जो घटना हुई उसमें एक महिला को खिलाने के बाद उसे पकड़ा और उसका चालान किया और उसको जुर्माना भी हो गया तो केवल चोरी के ऐसे प्रकरण मैंने बताये जो एफ.आर. गयी है, अधिकांश वह चोरी के प्रकरण में गयी उसके कारण से मैं और आप सभी इस बारे में चिन्तित हैं कि राजस्थान पर्यटन का आकर्षण का केन्द्र बन रहा है, इसमें जितना इसको और सख्त किया जा सकता है, जितना उनके लिए और कुछ व्यवस्था की जा सकती है, विभाग बराबर प्रयत्न कर रहा है। ओर भी कुछ तो पर्यटन विभाग ने भी की है, कुछ हम भी अपनी और से करेंगे ताकि लोगों को आने में किसी प्रकार का कोई भय न रहे।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात। जवाब आ गया। श्री अशोक बैरवा खण्डार।

मानसरोवर बांध एवं कुशालीपुरा नाले (खण्डार) का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य

301. **श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांध मानसरोवर (खण्डार) के उन्नयन एवं कुशालीपुरा नाले के डायवर्जन के कार्यों हेतु किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति कब जारी की गयी? उक्त स्वीकृति एवं कार्य आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक बैरवा)

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों से कार्य, कितनी राशि के कब-कब पूर्ण करा दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्य में कुशालीपुरा नाले के डायवर्जन का क्या-क्या कार्य कितनी राशि का बकाया है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कुशालीपुरा नाले के डायवर्जन कार्य हेतु वन विभाग, राजस्थान सरकार एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो संबंधित कार्य की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त कुशालीपुरा नाले के डायवर्जन कार्य हेतु आवश्यक बजट प्राप्त कर औपचारिकता पूर्ण करा कर कार्य के कार्य आदेश जारी करा दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा कर इसका लाभ ग्रामीणों को दिया जावेगा? संबंधित कार्य आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) बांध मानसरोवर (खण्डार) के अपग्रेडेशन एवं कुशालीपुरा नाले के डायवर्जन के कार्यों हेतु एम आई डब्ल्यू योजना मद में 161.00 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 19.11.2001 को जारी की गयी। स्वीकृति आदेश एवं कार्यादेश की प्रति प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्य में मानसरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य राशि रुपये 8109998.00 का दिनांक 17.05.2003 को एवं पुरानी स्ल्यूस की रिपेयर का कार्य राशि रुपये 348599.00 का दिनांक 07.08.2002 को पूर्ण करा दिये गये हैं।

(3) उक्त स्वीकृत कार्य में कुशालीपुरा नाले के डायवर्जन के कार्य राशि रुपये 8653852.00 (मूल अनुमान के अनुसार) के बकाया हैं। इस कार्य में वन भूमि प्रभावित होती है। उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन की कार्यवाही प्रगति पर है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आज सदन में स्पष्ट असत्य बोला है। प्रश्न संख्या चार था कि क्या भारत सरकार से कोई एन.ओ.सी. आयी है? इन्होंने जवाब दिया है जी, नहीं। जबकि भारत सरकार से दो बार स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। मेरे तीन-चार सवाल हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से।

बांध मानसरोवर हेतु वर्ष 2001 में 161 लाख रुपये का प्रावधान था डेम के अपग्रेडेशन का और डायवर्जन कुशालीपुरा नाले का जिसके लिये इन्होंने 81 लाख रुपये अपग्रेडेशन पर खर्च किये। खर्चा करने के छह साल बाद तक भी उस अपग्रेडेशन का कोई लाभ उस बांध से नहीं मिला है। तो क्या आप उसको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में मानेंगे? और इस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को करने के लिये कौन-कौन अधिकारी या आपका विभाग दोषी है? इसके लिये बतायें।

दूसरा कार्य माह 8/2002 में पूर्ण हो गया और कुशालीपुरा के नाले का डायवर्जन नहीं हुआ जिसके लिये कितनी राशि का प्रावधान 2001 में था और अब इस कार्य को करने हेतु सिंचाई विभाग को कितने बजट की आवश्यकता है? क्या इस राशि की जो डिमांड बढ़ी है बजट की दो वर्षों में इसको आप जान-बूझकर राजनैतिक द्वेषता से रोक रहे हैं? इसके रोकने से जो बजट में खर्चा बढ़ रहा है इसके लिये विभाग को तो हानि होगी ही, राजस्थान सरकार को और हमारे जैसे लोगों का पैसा जो राजस्थान को मिलता है उसका कितना लोस हो रहा है? तीसरा ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तीसरा, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): कौन बोल रहा है?

तीसरा, कुशालीपुरा नाले के डायवर्जन हेतु 86 लाख रुपये मूल अनुमान के बकाया हैं और इसमें पैंडिंग कार्य हैं जिसमें वन विभाग की भूमि प्रस्तावित थी। जिसको लेने के बाद ही डायवर्जन कार्य होना था। जिसके लिये भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.11.2005 को सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गयी थी कि फोरेस्ट की 1.99 हैक्टेयर भूमि को प्रत्यावर्तन करने के लिये स्वीकृति दी है। जिसमें 7 सैद्धांतिक स्वीकृतियां थीं। स्वीकृति संख्या-6 में एक मीटर गहराई से ज्यादा नहीं करने की बाध्यता थी जिसके लिए एक्स.ईएन., इर्रिगेशन, सवाईमाधोपुर ने कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की और फिर पुन: उसके लिये प्रयास किये गये और भारत

(श्री अशोक बैरवा)

सरकार के वन पर्यावरण मंत्री माननीय नमोनारायणजी मीणा, हमारे सब कार्यकर्ताओं को क्षेत्रीय ग्रामीणों की मांग पर पुनः माह मार्च, 2007 में इसकी भारत सरकार द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गयी जो आपने मना की है। जिसमें विशेष रूप से उल्लेख करते हुए यह कहा कि स्वीकृति संख्या-6 में संशोधन निम्न प्रकार पढ़ा जावे। जिन स्थानों पर फीडर कैनाल की एक मीटर की गहराई ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक ही है प्रश्न ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सवाल हो गया ना। यह तो मैं ही बता दूंगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): एक ही हो रहा है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह एक ही है प्रश्न ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): एक मीटर गहराई खोदने की आवश्यकता है वहां पर ढाई-ढाई सौ मीटर की दूरी पर कारीडोर, मतलब रास्ते बनाये जायेंगे। उसको इतनी सी छूट देने के बाद में उसमें स्वीकृति दे दी पुनः मार्च, 2007 में। इस पर माननीय मंत्री महोदय, विभाग के एक्स.ईएन. द्वारा री-एस्टीमेट भी भेज दिया आपको। पहली स्वीकृति को 27 माह हो गये। दूसरी को एक वर्ष हो गया। क्या यह कार्य जान-बूझकर राजनैतिक द्वेषता से आप रोक रहे हैं? और इसके बदले में माननीय मंत्री महोदय, एक बात और बताऊंगा कि वन विभाग की 1.99 हैक्टेयर भूमि के बदले स्वीकृति मिलने के बाद में जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 1.10.2002 को राजस्व भूमि भैरूंपुरा में 3.99 हैक्टेयर भूमि अलाट कर दी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आपने और विभाग ने भी, वन विभाग ने भी, वन विभाग को अंडर टेकिंग दे दी कि हम इसका खर्चा वहन कर लेंगे जो री-प्लांटेशन का है। फिर आपने यह असत्य जवाब दिया है कि स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई और इतनी कार्यवाही होने के बाद में इस सदन को गुमराह करने के साथ में क्या मेरे साथ और वहां के 27 गांव के ग्रामीणों के साथ आप द्वेषता रखना चाहते हैं? उनके साथ अन्याय करना चाहते हैं? कृपया बतायें।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी आपकी बात। पीछे एक बार वह मीणा साहब और पूछना चाहते हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मूल प्रश्नकर्ता को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2001 में यह स्वीकृति जारी हुई

(श्री सांवर लाल)

है। निश्चित रूप से बांध रेजिंग का काम पूरा हो गया। उसके बाद फोरेस्ट विभाग की वजह से यह काम रोक दिया गया डायवर्जन नाले का। मैं भी प्रभारी मंत्री वहां का रहा हूं तो मैंने खुद ने वहां बांध का निरीक्षण किया है। वहां पर पाल के ऊपर जिस तरह से जूली फ्लावर के पेड़-पौधे थे, मैंने कहा यह तो मामला बड़ा गड़बड़ है। उसी टाइम जब मेरे सामने यह बात गयी कि यह डायवर्जन नाले का काम फोरेस्ट की वजह से नहीं हो रहा है तो मैंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्य को करवाने के लिये टेक-अप किया। अब यह क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन है जिसको आप एन.ओ.सी. कहते हो, हम यह कहते हैं कुछ शर्तों के साथ उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी है तो जब शर्तें पूरी हो जायेंगी, उन्होंने कहा कि यह सब पूर्ति करने के बाद में आप फोरेस्ट डिपार्टमेंट से पेश करोगे तब हम आपको एन.ओ.सी. देंगे। तो अभी प्रक्रिया के अन्दर मामला है आप जो कह रहे हो।

दो-तीन बातें आपने पूछी। अब बजट के लिये जहां तक सवाल है तो यहां फोरेस्ट ने कुछ बातें हमको दी हैं। उसके बाद में 161 लाख की जगह 348 लाख रुपये वह देने पड़ेंगे। उसमें फोरेस्ट को भी देने पड़ेंगे जो आपने बताया। 100-100 मीटर के, जहां पर भी डायवर्जन नाला एक मीटर से ज्यादा खुदेगा तो वहां जानवरों के आने-जाने में उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो तो रास्ता बनेगा, पुलिया बनेगी, यह सारी चीज होंगी। इसके बाद में अभी हमारा 348 का जो एस्टीमेट है वह प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमने भेजा है और हमारे अधिकारियों को कहा कि इसका टेंडर लगाइये। डायवर्जन नाला बहुत उपयोगी है। इस बांध में जायेगा तो लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। अब राजनैतिक तो कोई बात मेरे सामने आयी नहीं है और न ही आपने कभी अप्रोच किया और हमने मना किया हो। मैं तो व्यक्तिगत खुद गया हूं बांध के ऊपर। इसलिये आपकी इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूं। बाकी मैं आपको यह जरूर विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि इसको हमने प्रायोरिटी पर लिया है और अभी भी मैंने अधिकारियों को कह रखा है कि यह स्वीकृति प्लानिंग डिपार्टमैंट से आ जायेगी और नहीं भी आती है तो आप एक बार टेण्डर लगा दीजिये। टेण्डर के बाद में स्वीकृति आने के बाद सारी फार्मेलिटीज करके हम काम पूरा करा देंगे। इसलिये सरकार को चिन्ता है और आपके क्षेत्र की हो, चाहे कोई भी हो, जनता तो सब तरह की रहती है। वहां पर सारी पार्टियों के लोग रहते हैं तो कुशालीपुरा के लिये पहली प्राथमिकता से इर्रिगेशन डिपार्टमैंट ने काम किया

(श्री सांवर लाल)

और आपका यह जो काम अटका हुआ है इसको भी मैं करवाने के लिये वचनबद्ध हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मीणा साहब।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो अपेक्षित सूचनाएं मांगी थीं इसको क्लीयर करने के लिये वह क्या-क्या थीं? क्या इसके लिये स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग आवश्यक होती है? ऐसा है तो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग कब हुई? और उसमें अपेक्षित सूचनाओं को क्लीयर करके भिजवा दिया क्या? और ऐसे सवाईमाधोपुर के कितने पैंडिंग मामले हैं जो अभी तक बोर्ड में पड़े हुए हैं?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली चिट्ठी है 14.11.2005 और यह चिट्ठी भेजी है हमारे उप वन संरक्षक को। इसमें लिखा है- अत: राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार सवाईमाधोपुर में कुशालीपुरा नाले के निर्माण हेतु 1.99 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करती है नम्बर वन। राज्य के वन विभाग के पक्ष में 1.99 हैक्टेयर वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण के लिये त्वरित कार्यवाही की जायेगी। नम्बर दो, याचक वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि के समतुल्य अर्थात् 1.99 हैक्टेयर गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि जमा करेगा।

नम्बर तीन, राज्य सरकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन संरक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। नम्बर चार, याचक विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन के अंतर्गत निर्धारित राशि संबंधित कोष में जमा कराकर बाद में राज्य सरकार इस राशि की क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबंध एवं योजना संस्थागत को हस्तांतरित करेगी। नम्बर पांच, क्षतिपूरक वृक्षारोपण जिस पर किया जायेगा उसे इस पत्र के जारी होने के 6 माह के भीतर संरक्षित वन, आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जायेगा। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने उल्लेख किया है कि फीडर के एक मीटर से अधिक उत्खनन से वन्य जीवों का आवागमन बाधित हो सकता है। अत: याचक विभाग यह प्रमाणित करेगा कि किसी भी

(श्री सांवर लाल)

स्थान से एक मीटर से अधिक उत्खनन नहीं किया जायेगा। समस्त अभिकल्पों के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की पूर्व स्वीकृति ली जायेगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि नाले के निर्माण से वन्य जीवों को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर): मंत्रीजी, आप यह मुख्य वन संरक्षक क्या है, क्या बता रहे हो, इसकी कभी मीटिंग होती ही नहीं, आपको डी.एफ.ओ. जवाब भेज देता है, उसके बाद यहां स्टेट की बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए। मैं तो यह पूछना चाह रहा हूं कि स्टेट वाइल्ड लाइफ की आपकी मीटिंग कब हुई है? फोरेस्ट विभाग इसको लेकर के पड़ा रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं, फोरेस्ट विभाग बिना एन.ओ.सी. के फोरेस्ट में गेस्ट हाउस बना लेता है, रेस्ट हाउस बना लेता है, एनीकट बना लेता है और दूसरी स्कीमों को चाहे इरिगेशन की जाये, चाहे किसी और विभाग की जाये, एनीकट का कोई निर्माण वह बिलकुल नहीं करने देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह परमिशन लेकर के निर्माण कराते हैं वन विभाग वाले वन क्षेत्र में?

श्री उपाध्यक्ष: यह तो वही बता सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो पत्र है, यह है 6.03.2007 जिन स्थानों पर फीडर कैनाल को एक मीटर से अधिक गहरी खुदाई की आवश्यकता है वहां पर जंगली जानवरों के आवागमन हेतु 250 मीटर पर रास्ते बनाये जायेंगे। माननीय सदस्य का सवाल यह है कि वन विभाग खुद की जमीन पर खुद तो एनीकट भी बना लेता है, रास्ते भी बना लेता है, जानवरों के पीने के लिए और व्यवस्था भी कर लेता है परन्तु दूसरा डिपार्टमैंट जब काम करता है तो यह बाधा है और यह भारत सरकार के अंतर्गत आता है। वन विभाग में कई पैंडिंग हैं, अभी कई मामले पैंडिंग हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने परमेश चंद्र की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है तो वह लाइजनिंग करके इनका डिस्बर्शमेंट जल्दी हो इस बात की कार्यवाही राज्य सरकार कर सकती है। कई पेयजल योजनाओं में भी विलम्ब इसकी वजह से हुआ है। सड़कें भी रूकी हैं। अभी-अभी एक सवाल आया था कि यह जो रास्ता है अलवर, थानागाजी के आसपास का, वह बंद हो रहा है, वह भी एक चिंता का विषय है। वन विभाग के निश्चित रूप से कुछ प्रतिबंध हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या?

श्री भरत सिंह (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): जस्ट ए मिनिट भरत सिंह जी, वन विभाग सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ऊपर है क्या? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ऊपर है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दे दिया तो कैसे उन्होंने वहां रेस्ट हाउस बना लिये? कैसे सामुदायिक भवन बना लिये? कैसे बड़े-बड़े एनीकट बना दिये? वह ऐशो-आराम करें वन विभाग के अधिकारी और हमारा एक ट्रक, व्हिकल सरिस्का से होकर के नहीं निकलेगा, यह नहीं चल सकता है। पहले से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले की सड़क है। जो सरिस्का में होकर के वहां जाने नहीं दे रहे हैं। भृतहरि के दर्शन आप कर नहीं सकते, घूमकर आयेंगे तो 50 किलोमीटर का चक्कर है। थानागाजी मुख्यालय पर आज की तारीख में पहुंच नहीं सकते हैं और जब सी.सी. ने रिकमंड कर दिया मामले को तो जब सी.सी. का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर देता तब तक राजस्थान सरकार का वन विभाग इसमें दखल क्यों डाल रहा है?

श्री भरत सिंह (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, एक बात निकलकर के सामने आयी है कि वन विभाग अगर अपने क्षेत्र में कोई काम करता है तो वह करा लेता है। मैं सिंचाई मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि वन विभाग कोई काम करा सकता है तो क्यों नहीं सिंचाई विभाग अपने पैसे को वन विभाग को हस्तांतरित कर दे और टेक्निकली गाइड लाइन दे दे, वह कर लेंगे पूरा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं करेंगे। क्यों करेंगे?

श्री भरत सिंह (दीगोद): जब वन विभाग कर सकता है, जब एनीकट निर्माण कर सकता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अपने विभाग में कर सकता है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): जब वन विभाग अपना काम करवा सकता है। एनीकट का निर्माण करवा सकता है तो वन विभाग से करवा लीजिये। हमें तो आम खाने हैं, गुठलियां गिनने से मतलब थोड़े ही है? आप करवा लीजिये उनसे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उसमें उनका खुद का काम ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बिलकुल ठीक है, अब जवाब देने दो ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें चाहे सड़क का काम सैंक्शन हो पी.डब्ल्यू.डी. का, चाहे सिंचाई विभाग का हो, अपार्ट फ्रोम दी फोरेस्ट विभाग, वह किसी दूसरे का काम नहीं करने देते हैं।

श्री उपाध्यक्षः आज हमारे वन मंत्रीजी हैं ही नहीं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, सवाईमाधोपुर ने जो सवाल किया है यह फोरेस्ट विभाग और भारत सरकार से संबंधित है। अब हम तो जो भी फोरेस्ट की अड़चनें आती हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जल्दी से जल्दी हो, हमारा प्रयास है कि मुख्य मंत्रीजी ने जो कमेटी बनायी है, दीगोद से जो माननीय सदस्य, पधारते हैं इन्होंने कहा है कि आप पैसा दे दो, तो हम तो कई बार कोशिश करते हैं कि आप बना दीजिये पर वन विभाग इसके लिए भी तैयार नहीं होता है, इसलिए यह सवाल आ रहा है। अगर वह चाहें तो हम हमारी एजेंसी से करा लेंगें तो हमने कई जगह प्रस्ताव पहले भी दिये हैं कई कामों के, इसलिए ऐसा भी मुझे नहीं लगता कि वह करा सकने में सक्षम हैं, कराने के लिए मना करते हैं।

श्री उपाध्यक्षः नैकस्ट क्वेश्चन।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, बात तो कहने दो, यह बहुत बड़ा अन्याय है हमारे साथ में ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वन विभाग इर्रिगेशन परपज के लिए बना ही नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, बिराजें। आ गयी बात सारी। नैकस्ट क्वेश्चन।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप माननीय मंत्री महोदय जो फर्मा रहे हैं, आप तो अपनी तरफ से पैसे देने को तैयार हैं ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। आप तो पहले यह बतायें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं।

श्री उपाध्यक्षः कोई डिसकशन नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री ही है, मेरे तीनों सवालों का जवाब नहीं आया है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वन विभाग सिंचाई के उद्देश्य के लिए किसी भी योजना को बना ही नहीं सकता।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मेरे सवालों का जवाब नहीं आया है। उपाध्यक्ष महोदय, नैकस्ट कैसे पुकार लिया आपने? मैं संतुष्ट ही नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आ गया है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): नहीं, जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी है अब बात ...(व्यवधान) आपने कहा है कि असत्य है और उन्होंने कहा कि बिलकुल गलत है, कोई असत्य नहीं है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप पूरा तो सुनिये, फोरेस्ट डिपार्टमेंट का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या सप्लीमैंट्री प्रश्न है?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मेरी बात तो पूरी सुन लें आप, मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं आप ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, कहिये बतायें आप ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पहले आप तो मंत्री महोदय से यह पूछें ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जो आपका सवाल था, चारों के जवाब मैंने दे दिये, एक बार और बताऊं समझ में नहीं आया हो तो?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): समझ में नहीं, आपने असत्य बयान किया है। फोरेस्ट की एन.ओ.सी. मिल गयी ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैंने जो बयान किया है बिलकुल सही किया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): 14.11.2005 के अंदर, आपको एन.ओ.सी. मिली है। मना किया है, जब कि एनओसी आपके पास है उपाध्यक्ष महोदय, मैं टेबल कर देता हूं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कर दो ना टेबल ...(व्यवधान) जवाब तो यही है मेरे पास।

श्री उपाध्यक्ष: आप संतुष्ट नहीं हैं?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आपको फैक्स मिला, आपको एन.ओ.सी. मिली हुई है और आप मना कर रहे हैं ...(व्यवधान) आपके विभाग में, एक

(श्री अशोक बैरवा)

साल से कार्यवाही कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आपके जिला कलक्टर ने उसके बदले में भूमि प्रत्यारोपित कर दी।

श्री उपाध्यक्ष: आप गलत समझते हो तो नियमों के अनुसार इसको चैलेंज करके, आयें माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): इस बात से साबित होता है कि आपने मेरी चंबल पेयजल परियोजना जो 240 करोड़ रुपये की थी, उसको राजनीतिक दृष्टि से कैंसिल किया है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका जवाब डिटेल में दिया जा चुका है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के 27 गांवों को सिंचाई का पानी मिलेगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार दिया है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उस क्षेत्र के 27 गांवों को पेयजल का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): और इस पानी के भरने से दोनों का पानी मिलेगा ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पानी रोक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मुझे संतुष्ट करें तो कर दें ना टेबल ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप इससे संतुष्ट नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये आप माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पहले 30 कामों के ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब सुनें आप ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इससे कोई लेना-देना नहीं है, मैं वहां पर लगातार दो साल तक गया हूं, नाले तक गया हूं, सूचना करके जाता हूं, कभी भी आकर के अपने एरिये की कोई समस्या नहीं बतायी ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें, जवाब आ चुका है...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: अब इस पर कोई बात नहीं, बिराजें आप ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य बिराजें ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम):×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आ चुका है, आप अन्य नियमों से आयें माननीय सदस्य, जवाब आ चुका है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जब मैं यह कह रहा हूं कि टेंडर इनवाइट कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, इसके बाद तो कुछ रहता नहीं है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पहले काम शुरू होकर के बांध में पानी पहुंचेगा ...(व्यवधान) इसके अलावा और क्या चाहते हो आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

(श्री अशोक बैरवा, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष: शुरू हो जायेगा, काम शुरू हो जायेगा, कह दिया। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

(श्री अशोक बैरवा, माननीय सदस्य द्वारा धरना समाप्त)

बीकानेर जिले में निर्मित नारी निकेतन/किशोरी अपचारी गृह भवनों का उपयोग

302. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में नारी निकेतन भवन का निर्माण 141.34 लाख रुपये व किशोरी अपचारी गृह भवन का निर्माण 22.66 लाख रुपये की लागत से करवाया गया था? यदि हां, तो इनमें किस-किस संवर्ग के, कितने-कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं तथा निर्माण से वर्तमान तक इनमें कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये जा रहे वेतन का माहवार/कर्मचारी नाम व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि इनमें से कौन-कौन नियमित/संविदा पर कार्यरत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उस हेतु प्रतिवर्ष बजट स्वीकृत किया जाता है? यदि हां, तो कितनी राशि का तथा उसका क्या उपयोग किया जा रहा है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भवनों में बिजली व पानी का कनेक्शन भी है? यदि हां, तो कब से? प्रतिमाह इन बिलों का अलग-अलग भुगतान किन के द्वारा किया जाता है? माहवार भुगतान की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि करोड़ों की लागत से बने इस नारी निकेतन भवन में दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक नारी निकेतन केन्द्र शुरू नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार दायित्व निर्धारित कर दोषियों को विरूद्ध कार्यवाही करते हुए नारी निकेतन केन्द्र शुरू करने हेतु कोई समय सीमा तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक व नहीं, तो क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जी हां। नारी निकेतन व अपचारी बालिका गृह में संवर्गवार प्रारम्भ से वर्तमान तक स्वीकृत, रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के विवरण की सूचना परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

कार्यरत नियमित संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आहरण से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वर्ष 2004-05 से अब तक इन कार्यालयों हेतु वर्षवार बजट आबंटन तथा व्यय से सम्बन्धित वर्षवार सूचना परिशिष्ट 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) नारी निकेतन भवन में बिजली का कनेक्शन 16.10.2006 से व पानी का कनेक्शन 30.4.2007 से है। इनके बिलों के भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'द' सदन की मेज पर रख दिया गया है। भुगतान अधीक्षक, नारी निकेतन द्वारा किया जाता है। अपचारी बालिका गृह बीमारी में पानी व बिजली की व्यवस्था नारी निकेतन से की जाती है।

(4) नारी निकेतन केन्द्र, बीकानेर जनवरी, 2007 से संचालित किया जा रहा है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अनेक वर्ष पहले बने हुए इस नारी निकेतन और किशोरी अपचारी गृह के निर्माण से लेकर आज दिन तक कितनी महिलाएं इस नारी निकेतन में निवास कर रही हैं और कितनी किशोरी बालिका गृह में बालिका निवास कर रही हैं? आपने इसमें जो बताया कि 16.10.2006 के बाद बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन यहां पर करवा दिया गया और व्यय का भी आपने इसमें ब्यौरा दे दिया और कर्मचारियों की भी आपने इसमें जानकारी उपलब्ध करवा दी, इन सब के लिए तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप परिशिष्ट 'क' अवलोकन करें तो इसके साथ-साथ स्पष्ट होता है कि जितने भी पैसे स्वीकृत किए गए उनमें महज एक पार्वती देवी केयर टेकर का पद और दो अन्य केयर टेकर के पद के अलावा सभी पद रिक्त हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह पद रिक्त जो हैं ये सारे पद रिक्त रहने के क्या कारण हैं और जो परिशिष्ट 'ब' पर आपने बजट और उसके व्यय की सूची

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)
उपलब्ध करवाई है, बिना वस्त्र और भोजन आदि के व्यय के किस प्रकार से बालिका गृह और नारी निकेतन के अंदर महिलाओं और बालिकाओं को निवास करके अपना खान-पान कर रही हैं, यह स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर नारी निकेतन में कोई भी महिला नहीं है। (व्यवधान) हां, कोई भी महिला नहीं है क्योंकि यह महिलाएं कहीं से जबर्दस्ती नहीं लाई जाती है। यह महिलाएं संकट ग्रस्त हो जाती हैं या कोर्ट भेजती है या स्वयं आकर यह प्रार्थना करती हैं कि मैं असुरक्षित हूं या समाज सेवी संस्थाएं लाकर उसका संकट बताते हुए वहां रखकर जाती हैं तब है। अभी तक जो महिलाएं इसमें आई थीं उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दिनांक 1.2.2008 को जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के आदेश से एक महिला को प्रवेश दिया गया था तथा एक अपचारी बालिका गृह, बीकानेर में उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के आदेश से उसमें एडमिशन दिया था तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा के आदेश से एक को दिया था और बीकानेर में भी एक बालिका को बाल कल्याण समिति के आदेश से प्रवेश दिया था। इन सबको जब न्यायालय का आदेश हो गया कि यहां से इनको छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़ दिया। एक बालिका को समझा-बुझाकर उनके परिवार वालों को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया गया। इसलिए यह कहना कि एक भी नहीं है, बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं माननीय सदस्य, कि एक भी क्यों नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे नारी सदन और महिला सदन का उपयोग माताओं और बहनों के लिए न हो क्योंकि वह परिवारों के अंदर ठीक प्रकार से रहे उनके परिवार ठीक चलें कोई भी महिला और बालिका संकट में न रहे, ऐसा मेरा आग्रह है। मैं समझता हूं कि राजस्थान का वातावरण इस प्रकार का बना है कोई भी माता और बहन को इस प्रकार के संकट से नहीं गुजरना पड़े ताकि उनको महिला सदन में आश्रय लेना पड़े।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में जो बताया, एक तो इसमें किए गए बजट प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि विभाग की इस नारी निकेतन और अपचारी बालिका गृह को चलाने की सोच नहीं है। कांट्रेक्ट के बेसिस पर बहुत से कर्मचारियों को लगाकर उनका दूसरी जगह उपयोग किया जाकर इस बजट का जो दुरुपयोग किया जा रहा है वह साफ-साफ इनके द्वारा दी गई सूचना से

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

दृष्टिगोचर होता है। एक ए.एन.एम. के पद पर नियुक्ति देकर उसकी प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है, यह इस बात को इंगित करता है कि इन सदनों को चलाने के पीछे विभाग की और राज की कोई मंशा नहीं है और इसमें जो पैसा निवेश किया गया करोड़ों रुपया गरीब जनता का, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और संविदा पर जिन कर्मचारियों को लगाया गया है उनका दुरुपयोग कहीं और लगाकर किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो इस बारे में आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आप भाषण देने लग गए, आप जनरल में... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): इसके साथ-साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन महिलाओं को और बालिकाओं को यहां पर रखा गया क्या उनके भोजन पर एक समय का पैसा भी व्यय नहीं किया गया? यदि किया गया है तो इनकी राशि उसके अंदर दर्ज क्यों नहीं होती है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा भी है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (): मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसके साथ ही जवाब दे दीजिए आप तो बहुत सक्षम और पुराने मंत्री हैं, एक सवाल मैं भी पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष: बीकानेर से सम्बन्धित है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, इसी से साहब, इतना तो मैं भी जानता हूं, इसी सवाल पर पूछूंगा बाकी पूरे राजस्थान का नहीं। मैं तो यह पूछूंगा कि यह तो आपने बता दिया कि इसमें कितनी महिलाएं विभिन्न न्यायालयों के आदेश से इस निकेतन में आई, कलक्टर के आदेश से, कोर्ट के आदेश से, इसमें से क्या कुछ कोई भागी भी हैं क्या और कोई भाग गई तो उनको तलाश किया गया और कब से भागी हुई हैं, कहां है, क्या है, कुछ पता लगा, यह भी बताएं आप कृपया।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप क्यों चिंतित हैं इस बारे में, कोई आपके यहां से भागी हुई है क्या? आप क्यों चिंतित हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने पूछा है...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): प्रश्न से सम्बन्धित विषय नहीं है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : ... (व्यवधान) पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और इसके नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाकर अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पहले ही कहा है कि हम इस प्रकार माताओं और बहनों को संकट न हो और यह बीकानेर के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत कम महिलाएं या बालिकाएं इन नारी निकेतनों या बालिका गृहों का आश्रय लेती है, इन्होंने कहा कि यह तो बहुत दुरुपयोग हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि दुरुपयोग कहां हो रहा है, क्योंकि एक भी वहां नहीं रह रही है तो किसके लिए रखते, जब उनको संविदा पर रखते हैं, लगाते हैं और जब वहां कोई काम नहीं होता तो उनसे विभाग अन्यत्र काम ले लेता है इसलिए इसमें जरूरी है क्या कि उनको वहां रखा जाए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): इस संविदा पर व्यय कहां हो रहा है, क्या जिला बीकानेर की महिलाएं कहीं भी नारी निकेतनों में राज्य में कहीं और नहीं है क्या, यह भी बता दीजिए।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : आप सुनिए, मैं बताता हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): यहां की नारी निकेतनों की महिलाएं दूसरी जगहों पर हैं और आप यहां पर प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को नारी निकेतन से कोई लेना-देना नहीं है। माननीय मंत्रीजी गड़े हुए धन को ढूंढवा रहे हैं और पुलिस से सांठगांठ कर रहे हैं, यह अख़बार है, भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): यहां की महिलाएं दूसरे नारी निकेतनों में हैं और आप यहां के नारी निकेतन को चलाना नहीं चाह रहे हैं और यह जो व्यय किया जा रहा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): आज की खास खबर, तीन भाजपाइयों ने लगाई सोने पर नजर, दिशा द्वार। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, नेक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : पहले जवाब ले लो।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): राजस्थान पत्रिका, पुलिस कार्यवाही से सनसनी, कवाई के सोने के मामले में भाजपा नेताओं की गाड़ी में बैठे हुए दिलावर के भाई ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अख़बार की खबर यहां पढ़ रहे हैं, आप सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल का दुरुपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, नैक्स्ट प्रश्न।

बीकानेर जिले की पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री का पुनर्संचालन

303. डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर स्थित पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री एक लम्बे अर्से से बंद है? यदि हां, तो क्यों व इसे कब तक पुनः प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

(2) बीकानेर सम्भागीय मुख्यालय पर लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों एवं इससे सम्बन्धित सामग्री का परीक्षण कहां किया जा रहा है?

(3) क्या पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री लम्बे समय से बंद रखने के लिए सरकार किसी का उतरदायित्व निश्चित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) जी हां। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर में पदस्थापित जन विश्लेषक का स्थानांतरण मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक के पद पर होने तथा विभाग में अन्य जन विश्लेषक उपलब्ध नहीं होने के कारण जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर अस्थाई रूप से बंद है। विभाग में जन विश्लेषकों की नियुक्ति की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित जन विश्लेषक उपलब्ध होने पर प्रयोगशाला पुनः प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(2) बीकानेर सम्भाग में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों एवं इनसे सम्बन्धित सामग्री का परीक्षण राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर में किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। विभाग में जन विश्लेषक उपलब्ध न होने के कारण प्रयोगशाला बंद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित जन विश्लेषक उपलब्ध होने पर प्रयोगशाला प्रारम्भ कर दी जावेगी।

श्री उपाध्यक्षः बैठिए, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया, माननीय सदस्य ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह सोना कहां से आ गया माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्षः बैठिए माननीय सदस्य, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। अब आपको दे देंगे, आप शंका दूर कर लेना उनसे मिलकर।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): शंका तो दूर है ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है कि बहुत बड़ा बजट घोटाला हो रहा है। जिस सुविधा के लिए भवन निर्माण किया गया उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, फिर शंका रही कहां हमको? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आप बैठिए माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): प्रश्न से सम्बन्धित है, उनका नारी निकेतन से मतलब ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः बैठिए आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पिन पाइटेंड क्वेश्चन है। (व्यवधान) वहां असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): राजस्थान पत्रिका, भास्कर, सभी अखबारों में लिखा हुआ है कि मंत्रीजी के कारनामे क्या हैं, यह आज की ताजा खबर है आज की।

श्री उपाध्यक्षः बैठिए माननीय सदस्य।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): आज की ताजा खबर है।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): राजस्थान में महिलाएं सब सुखी हैं, नारी निकेतन में क्यों जाएंगी? राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी महिला हैं और सब महिलाएं सुखी हैं इसलिए नारी निकेतन में क्यों जाएंगी?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अगर इतनी सुखी हैं तो फिर वे भाग क्यों रही हैं, और जगहों से भाग क्यों रही हैं? जयपुर से भाग गईं।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): वे सुखी हैं तो क्यों भाग रही हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): 8 सिविल लाइन्स में थोड़े ही ले जा रहे हैं उनको।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): किसी भी तरह महिलाएं असंतुष्ट नहीं हैं इसलिए नारी निकेतन में महिलाएं नहीं जाएंगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रश्नकर्ता खड़े हैं। माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया कि जन विश्लेषक के स्थानान्तरण से संभागीय स्तर की लेबोरेट्री बंद हो गई। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जन विश्लेषक आप कब तक लगा देंगे? आपके पास कुल कितनी लेबोरेट्री हैं और उसमें राजस्थान में कुल कितने जन विश्लेषक काम कर रहे हैं? क्या ये जन विश्लेषक देकर आप संभागीय स्तर की इस महत्वपूर्ण लेबोरेट्री को चालू रखने का विचार रखते हैं? यदि रखते हैं तो कब तक? आर.पी.एस.सी. पता नहीं कब सलेक्ट करके भेजेगी तब तक क्या वो लेबोरेट्री बंद रहेगी? खाद्य पदार्थों के नमूने, घी, तेल और दूध खाद्य सामग्री जितनी भी है उनके नमूने यदि जयपुर में लाकर भेजे जाते हैं तो वे वैसे ही खाद्य सामग्री, आज जैसे कोई छैने का पदार्थ है, सवेरे से शाम तक वह खट्टा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जयपुर में आकर उनकी जांच हो, क्या आप इस लेबोरेट्री को तत्काल शुरू करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य शायद भूल गये कि यह 31.7.2000 से बंद है। आपके कार्यकाल में अधिकारी का स्थानान्तरण हुआ, प्रमोशन हुआ। कुल 14 पद हैं, 14 में से 9 वैकेंट हैं। हमने अनुशंषा वित्त विभाग की सहमति लेकर आर.पी.एस.सी. को भेजी। आर.पी.एस.सी. ने तीन बार आक्षेप लगाये। उनको वापस क्लीयर करके 7.1.2008 को कम्पलीट करके भेज दिया। इसमें लगभग डेढ़ साल का पीरियड लगा है, 5 की स्वीकृति ले ली हैं, पांचों पद इसी वर्ष में सलेक्ट कर लिए जाएंगे क्योंकि इसमें डेली वेजेज या कांट्रेक्ट पर नहीं ले सकते। आर.पी.एस.सी. से चयनित होकर ही होगा। कहीं से दूसरी जगह से भी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पद तो 9 वैकेंट हैं, किसी भी प्रयोगशाला से अगर ये जन विश्लेषक भेजेंगे, सहायक तो हम फिर भी ले रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह से लेकर करेंगे तो वो एक न एक लेबोरेट्री बंद होगी। मैं शीघ्र कार्यवाही करने का विश्वास दिलाता हूं बीकानेर को इस प्रकार का नुकसान कभी नहीं होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि बीकानेर की जो पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री है उस हैल्थ लेबोरेट्री में जो भी पद खाली हैं, वहां कई-कई जगह पर ज्यादा आदमी भी लगे हुए हैं। तो मैंने यही पूछा था कि आपके यहां जन विश्लेषक राजस्थान में कहां-कहां ज्यादा हैं उनको जयपुर से अथवा अन्य डिवीनल हैडक्वार्टर में जहां ज्यादा हैं वहां से उनको भेजकर इसको आप कब तक शुरू कर देंगे, आप निश्चित अवधि बताएं। आपने 2000 का वक्त बताया था उस वक्त में यह लेबोरेट्री काम कर रही थी, लेकिन अब धीरे-धीरे अभी इन चार वर्षों में बिलकुल ताला लग गया है। ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थों के नमूने आज जयपुर आ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आप इसको कब शुरू कर देंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक विश्लेषक के अलावा जयपुर में दो पद हैं उसके अलावा सब जगह एक-एक हैं कुल 14 पद हैं उसमें से 9 वैकेंट हैं और वो वैकेंसी 2000 से चली आ रही है। एक प्रमोट हो गया और वह भी रिटायर हो गया। आपने तो कभी भेजा नहीं, हमने आर.पी.एस.सी. को रिकमंडेशन भिजवा दी। अब ये 5 विश्लेषक हैं जो भी आने हैं, उसमें कैमेस्ट्री एम.एससी. होना आवश्यक है, एक केन्द्र का एग्जाम है उसको पास करना आवश्यक है, उन्हीं को सलेक्ट करके भेजेंगे। तो आर.पी.एस.सी. मेरे ख्याल से 5 या 4 महीने का टाइम लगाती है ..(व्यवधान) तो फिर भी सलेक्शन हो जाएगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोतर तथा अतारांकित प्रनोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री हरिमोहन शर्मा एवं 24 अन्य सदस्यों की ओर से राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार में व्यापक हितों को ध्यान में नहीं रखकर राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से तहसील उदयपुरवाटी में पाले एवं शीतलहर से नष्ट हुई फसल की गिरदावरी कर्मचारियों द्वारा घर बैठे करने से गुढा में 16 मार्च, 2008 को किसानों द्वारा किये गये प्रदर्शन के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव हाल ही में घटित घटना से संबंधित नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्यों को इस पर कई बार बोलने का मौका मिला है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री सी.डी. देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर की ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में।
2. श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की ओर से डाबला (सीकर) से सिंघाना (झुंझुनू) मेगा हाईवे के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
3. श्री केसरदेव बाबर, सदस्य की ओर से सीकर जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में।
4. श्री रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से सिंचाई विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त पटवारियों को प्राथमिकता के आधार पर पटवारी के पद पर नियुक्ति देने के संबंध में।
5. श्री बीरू सिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बसाई गई कॉलोनियों को लीजडीड जारी करने के संबंध में।
6. श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से जिला पाली के कुछ बांधों की भराव क्षमता बढ़ाने के संबंध में।
7. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, सदस्य की ओर से स्टेट मिडल बोर्ड का मुख्यालय भीलवाड़ा में स्थापित कराने के संबंध में।
8. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से जिला बूंदी की ग्राम पंचायत ठीकरदा की खसरा नं. 811/1024 की 203 बीघा भूमि चरागाह से हटाकर सिवायचक दर्ज करने के संबंध में।
9. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से महुवा के ग्राम जगदीशपुरा में 33/11 के.वी.जी.एस.एस. की स्थापना करवाने के संबंध में।
10. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से नवलगढ़ शहर में होली की गेर के समय पुलिस एवं प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था करने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

11. डा. सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से उपखण्ड भादरा में नया सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) न्यायालय सृजित करने के संबंध में।

12. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से तहसील झालरापाटन के ग्राम कोटड़ाघट्टा की विधवा महिला श्रीमती अल्लादी बाई को आबंटित भूमि की खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही करने के संबंध में।

चूंकि, आज सदन में विधायी कार्य अधिक है और उसमें समय लगना स्वाभाविक है, अतः माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ा हुआ माना जा रहा है।

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय श्री अशोक नागपाल, गंगानगर जिले में केरोसिन एवं उचित मूल्य के गेहूं के वितरण में हो रही अनियमितताओं के संबंध में।

स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा

राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की प्रचार सामग्री में राजनैतिक दृष्टिकोण

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पढ़े हुए मान लिये हैं।

श्री अमराराम (धोद): आपने कहा कि हाल ही की घटना नहीं है। यह 16 तारीख की घटना है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन के सारे विपक्षी सदस्यों ने रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत जो राजस्थान सरकार ने जिला स्तर पर होर्डिंग्स लगाने का किया है ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कई बार बात उठा चुके हैं। (व्यवधान) बार-बार कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उसमें माननीय प्रधान मंत्रीजी का होर्डिंग नहीं लगा। किस बात की रोजगार गारण्टी है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको पूरा मौका मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये सातवीं बार उठा रहे हैं। सातवीं बार बोल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री सांवर लाल (जल ससांधन मंत्री):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

एक माननीय सदस्य:×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ×××

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये पहले। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये पहले। मेरा आपसे निवेदन है कि आसन से एक बार व्यवस्था दी जा चुकी है और आसन की व्यवस्था को चैलेंज नहीं किया जा सकता है इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये नहीं तो मैं हाउस का बिजनैस लूंगा। (व्यवधान) मैं बिजनैस शुरू कर रहा हूं। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान) श्री अशोक नागपाल। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

माननीय सदस्य, इस पर व्यवस्था दी जा चुकी। आपको भी गिरदावरी के बारे में बहुत बार बोलने का मौका मिल गया। उस सम्बन्ध में जो भी बहस हुई, बजट के ऊपर वाद-विवाद के अन्दर 10 बार इन्होंने कर दिया और फिर... (व्यवधान) इसलिए व्यवस्था देने के बाद में अब व्यवस्था नहीं बदली जा सकती।

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): 000

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, व्यवस्था दी जा चुकी है। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी, आप ठहरिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): 000

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये आप। कोई अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये। माननीय सदस्य, बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, आ गई बात। आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): 000

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, बैठिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप। आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: किस सिलसिले में? बैठिये, बैठिये।

तहसील उदयपुरवाटी में पाले एवं शीतलहर से नष्ट हुई फसल की गिरदावरी घर बैठे किये जाने बाबत

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी है, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। आपने कहा कि

(श्री अमराराम)

हाल की घटना नहीं है। मैं समझता हूं कि यह 16 तारीख की घटना है और इससे कोई नजदीक की घटना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अकाल पर है, अकाल राहत के समय भी आपने यह बात उठाई है। फिर आप बार-बार.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 16 तारीख को हुई है बात। उपाध्यक्ष महोदय, 16 तारीख को पिछले 15 दिन से गुढा, उदयपुरवाटी के किसान जिनकी 50 से लेकर के 100 प्रतिशत तक फसल नष्ट हुई, वहां के पटवारियों द्वारा घर बैठकर के गिरदावरी करने के विरोध में जब 5 हजार लोगों ने गुढा थाने के खिलाफ 16 तारीख को प्रदर्शन किया। जिस तहसीलदार ने जान-बूझकर के संवेदनहीनता से किसानों की बात नहीं सुनी, जिला प्रशासन को मजबूर होकर 16 तारीख को पुन: गिरदावरी के आदेश देने पड़े हैं। लेकिन वही तहसीलदार अगर उसी तहसील में रहेगा, उनके अंडर में अगर गिरदावरी होगी तो.....

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था बदल दी क्या? आपने व्यवस्था दी है उसके खिलाफ बोल रहे हैं ये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था बदल दी है क्या? इनको बोलने का अवसर दिया है क्या आपने? इस पर पहले कितनी बार चर्चा हो चुकी है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अमराराम (धोद): .... पाँच हजार किसानों ने 15 दिन तक प्रदर्शन किया है। (व्यवधान) घर बैठे हुए गिरदावरी की है इसकी पुन: गिरदावरी कराई जाए। उस तहसीलदार ने कहा कि ऐसे ही गिरदावरी होगी फिर जिला प्रशासन ने इंटरवीन करके जिला कलक्टर ने पुन: उसकी गिरदावरी की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसा तहसीलदार अगर उसी तहसील में रहेगा तो पटवारी उनके अण्डर में गिरदावरी करेंगे तो तहसीलदार वही करेगा इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे तहसीलदार को तुरन्त वहां से हटाया जाये और अगर गिरदावरी सही नहीं होती है तो ऐसे तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही की जाये क्योंकि 15 दिन तक किसान पुन: मांग करते रहे...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, गिरदावरी के बारे में आपने बहुत कुछ कह दिया था और अकाल राहत पर चर्चा के समय भी गिरदावरी ठीक नहीं हो रही है, गिरदावरी ठीक नहीं हो रही है...

श्री अमराराम (धोद): नहीं उपाध्यक्ष महोदय, दुबारा प्रशासन ने मान लिया, जिला कलक्टर झुंझुनूं ने मान लिया, दुबारा आदेश दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इस बात को बार-बार आप कह रहे हो, कोई आप स्पेसिफिक शिकायत करना, गृह मंत्रीजी उसको देखेंगे।

श्री अमराराम (धोद): शिकायत के लिए तो मैंने कहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5,000 किसान कोई अपनी मर्जी से नहीं आते। उसके खेत जल गये और उसको 10 प्रतिशत खराबा दिखाया है, 100 प्रतिशत नुकसान हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा तो मैं समझता हूं, संवेदनहीनता नहीं हो सकती और वही तहसीलदार वहां रहे, मैं समझता हूं, यह सरकार की संवेदनहीनता है। आप आदेश दें या नहीं दें, सरकार उस तहसीलदार को वहां से जब तक गिरदावरी होती है, हटा दे।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात आ गई है माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह आसन की अवहेलना हो रही है बार-बार। यह हमको देखने में बहुत शर्म आती है। या तो आप व्यवस्था दे दें बोलने की।

श्री उपाध्यक्ष: आ गई आपकी बात माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): ...और उससे अलग गिरदावरी आती है तो उस पर एक्शन करें और अगर वही गिरदावरी आती है तो उसी तहसीलदार को रखें, मेरे को कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अशोक नागपाल। (व्यवधान)

(अध्यक्षपीठ द्वारा हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश दिये गये)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह बात आ गई है। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आपने सूचना कर दी। माननीय सदस्य, बैठिये। बैठिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। आप बैठिये। आपने सूचना कर दी। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कोई लिखित में आदेश है क्या कि अभी गिरदावरी मत करो आप। माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन, एक मिनट का समय चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उसके बाद मुझे समय दीजिएगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने गिरदावरी से सम्बन्धित चिंता प्रकट की है। मैं पूरे हाउस को आश्वस्त करता हूं कि राजस्थान में जहां कहीं भी गिरदावरी होती है, वह नियमों में और प्रक्रिया के तहत होती है। उसकी 25 प्रतिशत आर.आई. जांच करता है, पटवारी करता है, तहसीलदार और उपखण्ड अधिकारी और कलक्टर इसकी जांच करता है और आपने जिस तहसीलदार के बारे में संशय प्रकट किया है, आप निश्चित मानिये, परन्तु धोद के माननीय सदस्य के कहने से गिरदावरी नहीं होगी। वास्तव में सच्ची गिरदावरी के लिए कलक्टर से भी बात करनी होगी, मैं बात करके, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, कलक्टर ने दुबारा होने के लिए आदेश दे दिये हैं। आदेश दे दिये हैं लेकिन वही तहसीलदार रहेगा, कलक्टर ने दुबारा उसी तहसीलदार से गिरदावरी के लिए आदेश दिया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): हां, दे दिया है, आप मेरी बात सुनो। तहसीलदार को आप हटाना चाहते हैं, वह हटेगा थोड़े ही। बात यह है कि गिरदावरी सही होगी, नियम और प्रक्रिया के अधीन होगी और इसमें आपको आश्वस्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) यह आप किस तरह से बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान) पूरे राजस्थान में गिरदावरी हो रही है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आपके कहने से पूरे राजस्थान में गिरदावरी नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने तहसीलदार के दुबारा गिरदावरी करने पर संशय प्रकट किया है, एस.डी.एम. और वहां के उपखण्ड अधिकारी को राज्य सरकार से आदेश देंगे ताकि इनकी मॉनिटरिंग करके गिरदावरी सही करे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। कोई अंकित नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) हां, कहिये, आपका क्या पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है?

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बार-बार इन्टरफियर कर रहे हैं। किसने परमिशन दी आपको? आप बैठिये पहले। (व्यवधान) आप बैठिये पहले। माननीय सदस्य, आपका क्या पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है? (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये-बैठिये।

सूचना

बीकानेर शहर में अशुद्ध पेयजल के कारण बीमारों की बढ़ती संख्या

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, गत दिनों बीकानेर शहर में जो अशुद्ध पेयजल के कारण बीमारी बढ़ी, उसमें संख्या दिनों-

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

दिन बढ़ती जा रही है। मेरा निवेदन है कि इलाज की जो व्यवस्था वहां पर की जा रही है प्रशासन द्वारा, वह उपयुक्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज भी बीमारों की संख्या बढ़ रही है, उनको वहां पर ही तात्कालिक उपचार देकर छुट्टी दी जा रही है। उनके भर्ती होने की और इलाज की माकूल व्यवस्था नहीं है और हमारे प्रभारी मंत्रीजी जो पी.एच.ई.डी. मंत्री भी हैं, वे इसके बारे में अपनी ओर से जानकारी करें कि यह संख्या क्यों लगातार बढ़ रही है और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनका माकूल इलाज हो, इनके बारे में आप ध्यान दें और इसके बारे में कुछ जानकारी आप करके थोड़ा बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक नागपाल।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतनी ही सूचना देना चाहता हूं कि सिर्फ अख़बार में समाचार प्रसारित होने से विचलित नहीं हों। हमारी कैम्प टीम उसी दिन पहुंच गई थी, कैम्प आज भी लगा हुआ है। कल के दिन एक भी बीमार कैम्प में आया नहीं है, पी.एच.सी. में आया नहीं है, पी.बी.एम. में गया नहीं है। भर्ती होने की विभिन्न संख्या मेरे पास पड़ी है, मैं आपको सारी बता दूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, कुल कितने रोगी आये और कितनों का इलाज किया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक नागपाल। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है।

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय

श्रीगंगानगर जिले में उचित मूल्य की दुकान पर केरोसीन वितरण के सम्बन्ध में

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान श्रीगंगानगर जिले में केरोसीन की उचित मूल्य की दुकान के सम्बन्ध में दिलाना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में हर उपखण्ड मुख्यालय पर अलग-अलग नियम बनाकर केरोसीन का वितरण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उपखण्ड कार्यालय,

(श्री अशोक नागपाल)
सूरतगढ़, उपखण्ड कार्यालय, अनूपगढ़, इन दोनों की विस्तृत जांच करवाकर स्वयं ही पता करवायें कि वहां पर किन-किन नियमों के तहत केरोसीन वितरित किया जा रहा है। अनूपगढ़ शहरी क्षेत्र में एक राशनकार्ड पर पाँच लीटर और ग्रामीण क्षेत्र में मात्र दो लीटर केरोसीन वितरित किया जा रहा है जब कि केरोसीन की वास्तव में शहरी क्षेत्र की बजाय ग्रामीण क्षेत्र में अधिक आवश्यकता रहती है। अपने अलग नियम बनाकर इस तरह से वितरण किया जा रहा है। काफी जगह राशनकार्ड कम है लेकिन उनके केरोसीन का जो नियमित कोटा हैं, वह उन राशनकार्डों पर अधिक दिया हुआ है और जहां राशनकार्ड अधिक है, वहां पर केरोसीन का कोटा कम दिया हुआ है, क्योंकि यह जो रोस्टर प्रणाली है उपखण्ड कार्यालय पर ही बनती है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो भ्रमणशील इकाइयां हैं जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं उनको भी रोस्टर प्रणाली में शामिल किया हुआ है जब कि उन्हें रोस्टर प्रणाली में शामिल नहीं करके केवल उन्हीं जगहों पर भेजा जाता है जहां पर या तो लाइसेंस निलम्बित चल रहे हैं या ऐसी जगह जहां पर केरोसीन उपलब्ध नहीं है उनको वहीं भेजा जाता है लेकिन उनको भी रोस्टर प्रणाली में सम्मिलित किया हुआ है। मैंने अभी 12 तारीख को सूरतगढ़ उपखण्ड कार्यालय से पूरी तहसील की सूची मंगवाई लेकिन मुझे वह सूची जो उपलब्ध करवाई गई वह भी बिलकुल गलत है और 13 तारीख को किसी और द्वारा जो सूची मांगी गई उसमें और 12 तारीख की सूची में भी भिन्नता है। मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की अनियमितता के संबंध में जो भी अधिकारी-कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब यह बात समाचार पत्रों में छपी थी उसी समय हमने जिला कलक्टर को निर्देश दिये थे कि इस संबंध में कार्यवाही करें। जिला कलक्टर ने विस्तृत रिपोर्ट भी भेज दी है और जिला कलक्टर ने एक एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई है। वैसे मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अप्रैल, 2005 से अब तक 42717 किलोलीटर केरोसीन प्रतिमाह हमको मिलता है और जनसंख्या के अनुपात में राज्य में वितरित किया जाता है। गंगानगर जिले में 1512

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किलोलीटर प्रतिमाह देते हैं, उसमें बांटने की व्यवस्था यह है कि जिनके पास में दो गैस सिलैण्डर हैं उनको किसी प्रकार का केरोसीन नहीं दिया जाता है, जिसके पास में सिंगल, एस.बी.सी. गैसधारी हैं उनको दो लीटर प्रतिमाह दिया जाता है और शेष उपभोक्ता जो बचते हैं उनको समानुपातिक आधार पर वितरित किया जाता है। इस संबंध में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई होगी तो निश्चित रूप से जांच करके कार्यवाही की जायेगी।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही तहसील में, एक ही विधान सभा क्षेत्र में...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बाकायदा मैंने उसके सारे मंगवा लिये हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब बता देना, बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): समानुपातिक आधार बता दिया, उसमें कोई गड़बड़ी करेंगे तो सज़ा करेंगे। उसमें जिस प्रकार की वितरण व्यवस्था है उसमें भी कोई गड़बड़ होगी तो ठीक कर देंगे।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): रिपोर्ट आ गई तो क्या कार्यवाही की मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: अब यह बीच में नहीं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): रिपोर्ट आ गई तो कार्यवाही क्या की?

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान। जिला अलवर में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने से हो रही परेशानी के संबंध में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एफआईआर दर्ज करा दी उसके खिलाफ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): केरोसीन की कालाबाजारी है माननीय मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। आप बैठिये, बीच में, माननीय सदस्य, बैठिये आप।

अलवर जिले में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे

(श्री जुबेर खान)

अलवर में, न सिर्फ अलवर में, पूरे राज्य में ही हो रहा है औद्योगिकीकरण, लेकिन अलवर में, उपाध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी, चौपानकी, खुशखेड़ा, शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड़ और एमआईए, अलवर, यह इण्डस्ट्रियल एरिया दिल्ली के नजदीक होने की वजह से काफी उद्योग वहां आने लगे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन उद्योगों पर काश्तकारों की जमीन अवाप्ति की गई है रीको द्वारा, और फिर उद्योगपतियों को यह जमीनें दी गई हैं उद्योग लगाने के लिए और वहां पर जितने भी उद्योग, यह हमारा अनुभव है कि जितने भी उद्योग लगाये जा रहे हैं उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे किसान की आज, मैं उदाहरण के लिए, जिसका आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को शिलान्यास करने जाना था लेकिन क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्रीजी साहिब सिंह वर्माजी की एक्सीडेंट में डेथ होने के कारण वह नहीं गईं, उस टाइम उद्योग मंत्री नरपत सिंहजी राजवीजी गये थे, होण्डा एक बहुत बड़ा यूनिट लगा रही है जिसमें 455 एकड़ जमीन तो रीको ने किसानों की अवाप्त करके होण्डा के लिए दी है और 155 एकड़ जमीन जो उसकी सहयोगी यूनिट लगेंगी उनके लिए दी है। आप इससे लगा लीजिये, एक ही जगह कम से कम 600 एकड़ के करीब जमीन, फिर मुख्य मंत्रीजी और भी कई जगह उदघाटन करके आईं, जेगुआर, सेरेमिक्स, ओरिएन्टल क्राफ्ट लिमिटेड और वहां आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने खूब कहा है, जोर-शोर से कहा है कि यह उद्योग लगने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, खुशहाली आयेगी।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारे उद्योग जो लग रहे हैं इनका सब का कार्पोरेट आफिस दिल्ली या गुड़गांव है। हमें यहां के जो टैक्स मिलने चाहिए, रिटर्न जो जमा करते हैं वह भी वहां से करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को कोई न कोई कदम, अब उद्योग मंत्री दिगम्बर सिंहजी हैं, सिमको के लिए आप लोग इसलिए मांग करते रहे कि वहां स्थानीय लोग बहुत रोजगार में लगे हुए थे और बेरोजगार हो गये, अब यह उद्योग लग रहे हैं, अगर इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जायेगा तो आप इसको क्या उचित समझते हैं? कोई न कोई सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि उन उद्योगों में अगर और लोगों को भी नहीं, जिन लोगों की जमीन अवाप्त की गई है, जिन लोगों की जमीन चली

(श्री जुबेर खान)

गई, आज आपको भी मालूम है कि बहुत से परिवार ऐसे हैं कि पैसे का सदुपयोग करेंगे, बहुत से ऊट-पटांग खर्च करके बर्बाद हो जायेंगे, इसलिए आप ऐसी कोई व्यवस्था करें कि जो भी उद्योग लगाये, स्थानीय लोगों को रोजगार दे, डाइरेक्टली दे, इनडाइरेक्टली दे, उनकी गाड़ियां लगाये और मैं तो आपको कहूंगा, आप पड़ौस के हरियाणा राज्य की तरह क्यों नहीं करते, जिन लोगों की जमीन ली गई है उनके लिए तीस साल तक के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है कि तीस साल तक उनके परिवार को यहां रोजगार मिलेगा। यह जरूरी नहीं है कि आप दफ्तर में ही बैठाइये, बहुत सी ऐसी एन्सीलरीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और भी बहुत से काम हैं जो स्थानीय लोगों को दिये जाने चाहिए। मैं तो अंत में आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों में भारी आक्रोश है और उद्योग तभी पनपेंगे जब स्थानीय लोगों में और उद्योगपतियों में समन्वय होगा, समावेश होगा। इसलिए ऐसा कोई रास्ता निकालें, वहां पर आज क्या हालत बेरोजगारी की है, आज कहीं पर नौकरी के लिए, पुलिस की भर्ती होगी, एक पोस्ट के अगेंस्ट में सौ लोग पहुंच जायेंगे स्टेडियम में, आर्मी का आप देख लीजिये, बहरोड़, मुण्डावर, बानसूर के कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है इसकी व्यवस्था माननीय उद्योग मंत्रीजी, आप किसी भी तरह से उद्योगपतियों से बात करके, जन प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से करके कोई न कोई व्यवस्था इसकी हो जानी चाहिए, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि आज औद्योगिक विकास राजस्थान में एक बहुत अच्छी प्रगति पर है और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कि इन विगत चार वर्षों में जो राजस्थान में एक वातावरण तैयार किया गया, राजस्थान में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट किया गया और राजस्थान के ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान से बाहर के भी उद्योगपति आज बहुत ज्यादा प्रेरित हुए राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए और जिसकी मिसाल अभी हमने रिसर्जेंट राजस्थान में देखी, एक लाख बासठ हजार करोड़ के एम.ओ.यू. साइन हुए और मुझे खुशी है कि इतनी जल्दी, हमने तीन यूनिट भिवाड़ी में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनका शुभारम्भ किया था, भूमि पूजन किया था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को कि अलवर जिले में गत चार वर्षों में स्थापित

(डा. दिगम्बर सिंह)

आद्योगिक इकाइयों में कुल 53427 लोगों को रोजगार मिला है। 53427 लोगों को, जिसमें अलवर जिले के 11766 हैं, राजस्थान राज्य के अन्य जिलों में से 8455 हैं। यह बात निश्चित है और इस बात से मैं आपकी बात से सहमत भी हूं कि अलवर जिले के जो लोग इन उद्योगों में लगे हैं उनका प्रतिशत 23 प्रतिशत है, मैं भी मानता हूं कि कम है परंतु यह जो भी उद्योग अभी भिवाड़ी में आ रहे हैं, इनमें सबमें टेक्नीकल हैण्ड्स की आवश्यकता ज्यादा है और इसीलिए हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सरकार ने इतने पालिटेक्नीक कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, आई.टी.आई. के कालेज अलवर में ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में पी.पी.पी मॉडल पर दिये हैं, गवर्नमैंट सेक्टर में भी दिये हैं और इनमें जो हमारे बच्चे, एक्सपर्ट्स निकलेंगे, टेक्नीकल हैण्ड्स निकलेंगे, निश्चित रूप से मैं आपको यह सदन में, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के जो टेक्नीकल हैण्ड्स निकलेंगे, प्रायोरिटी इन उद्योगों में उनके लिए रहेगी, हालांकि उद्योगपति इसके लिए बाध्य नहीं होते परंतु मैं यह मानता हूं कि राजस्थान में आपने कहा कि इतनी जमीन दी, इतनी यह, यह बात सही है, आज हरियाणा में मारूति उद्योग को जो जमीन दी थी मेरे ख्याल से इससे सस्ती जमीन आज तक किसी गवर्नमैंट ने किसी उद्योग के लिए नहीं दी होगी, उस समय बड़ा जबरदस्त लोगों ने विरोध किया परंतु आज उस मारूति के कारण से हरियाणा गवर्नमैंट को इतना रेवेन्यू मिलता है, इसकी कल्पना हमारी कल्पना से भी बाहर है। आज हरियाणा इतना छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद भी उसका टैक्स रेवेन्यू राजस्थान के कम्पेरिजन में काफी है।

केवल इसलिए वहां पर ऐसे-ऐसे उद्योग स्थापित हुए, अब राजस्थान में उद्योग आने लगे हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान में रेवेन्यू जनरेट होगी। परंतु इसके साथ-साथ एक और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने हर भाषण में कहा, हर जगह जहां भी उद्योग के बारे में शिलान्यास के लिए गई तो वहां कहा और मैं भी उद्योगपतियों के बीच में एक ही बात कहता हूं उनको सोशल कारपोरेट, सोशल रेस्पांसिबिलिटीज में उनको शेयर करना चाहिए, जिस एरिया में भी वह अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं उस एरिया का डवलपमैंट, उस एरिया के बच्चों को रोजगार में शामिल करना, यह उनकी प्राइमरी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हालांकि, हम उनको कानूनन रूप से उनको नहीं बाँध सकते परंतु एक सामाजिक रूप से जिम्मेदारी

(डा. दिगम्बर सिंह)

उनके ऊपर निश्चित रूप से होनी चाहिए और इसके लिए मैं और मेरा विभाग पूरी तरह से हम प्रयत्न कर रहे हैं और इसके निश्चित रूप से सार्थक नतीजे आएंगे, आपके मार्फत से मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं। आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि यह विषय केवल आपसे संबंधित नहीं है और अलवर ज़िले से ही नहीं बल्कि दूर करने के लिए पूरे राजस्थान से संबंधित है। बेरोजगारी बहुत है, उस बेरोजगारी को इस औद्योगिक विकास के साथ हम कोशिश कर रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी यही सपना है कि जितने ज्यादा उद्योग आएंगे, निश्चित रूप से हमारे बेरोज़गारों को रोजगार मिलेगा। हमारे अभी रोजगार मेले हैं, आपके ज़िले में पाँच रोजगार मेले लगे हैं और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमारे राजस्थान का औद्योगिक विकास जो है जिस तरह से चल रहा है मुझे लगता है काफी अच्छे रिजल्ट्स इसमें सामने आएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राकेश मेघवाल।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अच्छी बात है, मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा ने जो एक नया मॉडल निकाला है 30 साल की रोजगार की गारंटी का, आप उसे मंगवा लीजिए। अगर कर सकते हैं, अगर अपन भी उसका कुछ लाभ ले सकते हैं तो अपने को उसका लाभ लेना चाहिए।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अगर इस तरह का है तो उस मॉडल को हम मंगवा कर देखेंगे, परीक्षण करेंगे और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से अपने राजस्थान में भी उसको लागू करेंगे। जिससे उन लोगों को, जिन लोगों की जमीन गई है उनको सीधा-सीधा इसका लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: उप-खण्ड स्तर पर, माननीय सदस्य अब इस पर डिबेट नहीं होगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में तो एक एकड़ में 20 लाख रुपए दिया जाता है लेकिन वहां हर 30 हजार रुपए एकड़ का उसको तीस साल तक दिया जाता है, यह है और किसान गरीब आदमी है जैसा किया जा सकता है तो अपना कुछ जाता नहीं है, जमीन है, उद्योगपति अपने आप देगा। इसलिए कृपा करके राजस्थान के हित में, गरीब

(श्री रामनारायण मीणा)
के हित में और आप तो गांव-गरीब की भाषा बोलते हो तो कृपा करके इसको जल्दी से जल्दी मंगा कर देख लें। छह महीने बाद तो फिर आप भी देख नहीं पाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो लास्ट की लाइन तो आपने वहीं 'मुगेरी लाल के सपने' वाली कर दी। आप सोच-सोच के खुश हो लो परंतु राजस्थान के अंदर जो विकास चल रहा है, राजस्थान के अंदर चाहे औद्योगिक विकास की बात कर लीजिए, चाहे और किसी क्षेत्र में बात कर लीजिए, जनता आपको खाक पर बैठने नहीं देगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): किसान की बात करना चाहता हूं। मैं किसान हितैषी की बात कर रहा हूं...

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): जो आपने काम किए हैं पिछले पाँच साल में उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी सदन में कहा था कि बिजली और पानी जैसे मुद्दे पर बहस हो रही हो सदन में और प्रतिपक्ष के मात्र सात सदस्य बैठे थे, सुनो सात में अब आप सीधा-सीधा ...(व्यवधान) तो सात में से छह जाट बैठे हैं तो आपको लेना-देना ही नहीं था और एक श्रीमान् ...(व्यवधान)....

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): धीरे-धीरे खिसक गए लास्ट में तीन ही बचे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सरकार के ऊपर तो विश्वास ही नहीं रहा है ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सात में से धीरे-धीरे खिसक कर लास्ट में तीन से ज्यादा ...(व्यवधान) हमने कहा चार तो रुको लेकिन एक चला गया तीन ही बचे।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): एक श्रीमान् इसलिए बैठे थे ...(व्यवधान) हम लोगों को किसान की पीड़ा है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सरकार ...(व्यवधान) हो गई और परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अब माननीय सदस्य, मेरा समय है, आपका समय समाप्त हो गया है, आप बैठ जाइए प्लीज। मीणाजी, आप बैठ जाइए। बहुत चर्चा हो गई है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ...(व्यवधान) हॉस्पिटल में गोलियां भी बी.पी.एल. को दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अब आपका कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाइए। यह जनरल बहस नहीं हो रही है माननीय सदस्य, आपका भी कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री उपाध्यक्ष: उपखण्ड स्तर पर पांच हजार की आबादी वाले गांवों में, माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा आपका यह, आप अपने विषय पर बोलें माननीय सदस्य।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में उपदेश मत दीजिए। कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपने, उपखण्ड स्तर पर पांच हजार की आबादी वाले गांवों में बाबा साहेब अम्बेडकर व अन्य महापुरुषों की मूर्तियां लगाने के संबंध में। माननीय सदस्य, बैठिए। कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर खड़े हो गये आप, कोई अंकित नहीं हो रहा है आपका। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आप समय बर्बाद मत कीजिए। किसी का अंकित नहीं होगा। बैठिए माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठिए। माननीय सदस्य, आप अपने विषय पर आ जाइए।

उपखण्ड स्तर पर पांच हजार की आबादी वाले गाँवों में बाबा साहेब अम्बेडकर व अन्य महापुरुषों की मूर्तियां लगाने के संबंध में

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): विषय क्या है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोला ही नहीं है। अब यह बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बोल दिया है, आपने सुना नहीं होगा। उप-खण्ड स्तर पर पाँच हजार की आबादी वाले गाँवों में बाबा साहेब अम्बेडकर व अन्य महापुरुषों की मूर्तियां लगाने के संबंध में। आपका ध्यान कही दूसरी तरफ चल रहा था, इस पर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए था।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): नहीं, मेरा ध्यान इधर ही था लेकिन वापिस इन लोगों ने नहीं सुना, इसलिए मैंने आपको वापस निवेदन किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की यशस्वी माननीय वसुंधराजी राजे के राज में पहली बार साठ साल के इतिहास में अम्बेडकर पीठ की स्थापना की गई है और उसका कार्य भी जोर-शोर से चल रहा है और 67 बीघा जमीन देकर एक इतिहास में नया काम किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब की जो ज़िले स्तर पर मूर्ति लगाई जाए वह एम.पी. कोटे से लगाई जाए और मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे तहसील स्तर पर हो, चाहे उप तहसील स्तर पर हो, चाहे उप खण्ड स्तर पर हो, हमारा जो क्षेत्रीय विधायक कोष निधि का पैसा मिलता है, अभी हर विभाग में पैसा पूरा मिल रहा है, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, राज्य सरकार ने बहुत बजट दिया है इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप एम.एल.ए. कोटे से नाली बना देते थे, सड़क बना देते थे जब सरकार ने यह सब सड़क, नाली बनाने का काम और यह बस स्टैण्ड और समाज कल्याण भवन बना दिये तो अब विधायक कोष से एक नया इतिहास में नया काम करने के लिए हमको क्षेत्रीय विधायक कोष निधि में जो छूट दी जाए अम्बेडकर पार्क और अम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का यह क्षेत्रीय विधायक कोष निधि में, संविधान में इसको शामिल कर संशोधन कर शामिल किया जाए। जिससे पक्ष ही नहीं, यह प्रतिपक्ष वाले भी लगाएंगे क्योंकि सामने चुनाव हैं और जो राष्ट्र का निर्माता है, उनकी जगह-जगह मूर्तियां लगानी चाहिए। आपने जयपुर में लगवा दी और कई जगह ज़िले में भी लग गई लेकिन मूर्ति जो आजकल क्या है कि अष्टधातु

(श्री राकेश मेघवाल)

की बनती है और अष्टधातु मूर्ति चार-पाँच लाख रुपए से कम नहीं आती है उपाध्यक्ष महोदय, और फिर क्या लगाते हैं? लोग चंदा करके छोटी सी लगा देते हैं या आधी लगाते हैं। मैंने जब परबतसर में 1994 में लगाई माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय सात लाख रुपए की थी, हम लोगों ने तो चलो चंदा करके लगा दी लेकिन आम अगर विधान सभा क्षेत्र में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां चंदा नहीं मिलता है और चंदा करके लगाई नहीं जा सकती। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जिला मुख्यालय पर आप यह अम्बेडकर पार्क और उसमें मूर्ति लगाने का एम.पी. कोटा से दिया जाए और तहसील स्तर पर, उप तहसील स्तर पर, उप-खण्ड स्तर पर और अगर विधायक कोई बड़ा गांव है चाहे पाँच हजार की आबादी हो, चाहे साठ हजार की आबादी हो, वहां भी अगर लगाना चाहे तो क्षेत्रीय विकास निधि से देने की कृपा करें।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटक राजस्थान में बहुत आ रहे हैं और राजस्थान देश में पहला राज्य है जो पर्यटन को बढावा दे रहा है और राजस्थान की मुख्य मंत्री जी ने पर्यटन को बहुत बढावा दिया है । इसी परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कोई भी सर्किल है, हमारे मेगा हाई वे हनुमानगढ़ से लेकर परबतसर और किशनगढ़ तक 56 ऐसे सर्किल हैं जहां पर खाली पड़े हैं । वहां भी अगर अंबेडकर सर्किल, वीर तेजाजी सर्किल, रामाबाई जी सर्किल, वीर शिरोमणि मीराबाई जी का सर्किल, विवेकानंद सर्किल, डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सर्किल, भीम राव अंबेडकर सर्किल, दीनदयाल उपाध्याय सर्किल और अंछी बाई का सर्किल, जो भी महापुरुष और देवी देवता हैं उनका अगर कोई इच्छा से वहां दान दाता सर्किल का अगर नामांकरण करे, मूर्ति लगाये तो उसकी परमिशन नहीं मिलती है । विधायक कोष से भी इसमें व्यवस्था करें कि इनमें विधायक भी दे सकता है और विधायक नहीं दे तो यह छूट दे दे कि आम जन सहयोग से वह सर्किल का नामांकरण करें और नामांकरण के लिये मैंने पाँच बार जिला कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है लेकिन उसकी परमिशन नहीं दी । अंबेडकर सर्किल की परमिशन देने में कहां दिक्कत आ रही है । वहां मेगा हाई वे वाले बोर्ड लगाते हम लोग मूर्ति लगा देते और सर्किल बना हुआ है । वहीं वीर शिरोमणि मीरा बाई जी का सर्किल बना हुआ है खाली परमिशन दे दे इतनी ही इसमें व्यवस्था करनी थी। इस तरह के जितने राजस्थान में और देश में महा पुरुष हैं, बडी बडी सडके बनती हैं, अच्छे अच्छे सर्किल बनते हैं तो वह उनके नाम

(श्री राकेश मेघवाल)

से जाने जायें यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन था । संसदीय कार्य मंत्री माननीय राठौड़ साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा पहले हमने बात करी थी तो आपने कहा था कि कल बजट में घोषणा कर देंगे । किन्हीं कारणों से यह भूल हो गई होगी। मैं यह चाहूंगा कि आप हमें आश्वासन दे दें और 14 अप्रैल को जब माननीय मुख्य मंत्रीजी अंबेडकर पीठ का उद्घाटन करें उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी बीकानेर और जयपुर में जहां दोनों तरफ उद्‌घाटन करेंगी तो वहां घोषणा भी करने का आप आश्वासन दें और आप सदन को आश्वस्त कर दें कि मैंने जो मांग रखी है चाहे सर्किल हो, चाहे मूर्ति का हो, चाहे पार्क का हो इसमें विधायक कोटे से पैसा दे सके । हमारे पास पैसा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की है 20 प्रतिशत जनजाति के मोहल्लों में देना है तो वह मोहल्लों में दें चाहें यहां दें, कही भी दे सकते हैं । विधायक को खुली छूट दे दीजिए कि जो अच्छे काम है, अच्छे कामों में किसी तरह की गड़बड़ भी नहीं होती है क्योंकि मूर्ति अष्टधातु की बनती है उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार भी नहीं होता है । अम्बेडकर पार्क बनेगा तो उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ भी नहीं होती है । 100 रुपये का काम 100 रुपये के बराबर होगा और 80 लाख का काम 80 लाख के बराबर होगा, इसमें आप अनुमति दें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद और माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी आश्वासन दें।

(समय : 13.02 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः माननीय श्री अर्जुन लालजी मीणा ।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार हर बात पर जवाब देती है यह अम्बेडकरजी का मामला है और सरकार चुप बैठी है ।

श्री सभापतिः विराजिए आप ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने अम्बेडकरजी की मूर्ति की स्थापना और जो विभिन्न सर्किल है उनको महापुरुषों के नाम से नामांकरण करने के लिये सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित किया है । इन सारी भावनाओं को समावेश करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करके इनका सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश करेंगे । हमारे सबकी और आपकी भी मान्यता है कि यह महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिये बहुत कुछ किया है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
इनकी स्मृति हमेशा के लिये रहे, आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले तो निश्चित तौर पर इन्हीं भावनाओं के अनुरूप मुख्य मंत्रीजी से बात करके इसका सर्वमान्य हल निकालेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, तीन साल से शिवरंज नगर पालिका ने अम्बेडकर सर्किल नेशनल हाईवे पर बनाने का प्रस्ताव भेजा हुआ है उसकी तो तीन साल से आपकी सरकार ने स्वीकृति दी नहीं । मैंने एम.एल.ए. लैड में प्रस्ताव भेजा हुआ है कि हम अम्बेडकरजी की प्रतिमा लगाना चाहते हैं उसकी स्वीकृति दी नहीं और अब आप यहां कह रहे हो कि हम घोषणा करेंगे।

श्री सभापति: विराजें आप, यह कोई प्रश्न नहीं है अभी । अर्जुनलाल जी मीणा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): करो ना घोषणा, उनकी तो आप स्वीकृति दे नहीं रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, माननीय विधायक इतनी बार मुझ से मिलते हैं कभी इन्होंने आज तक इसका जिक्र नहीं किया और कोई भी प्रस्ताव इनका लम्बित नहीं है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपसे क्यों मिलें, आपकी सरकार को भेजा हुआ है अधिकारी ने । आपकी सरकार को भेजा हुआ है अधिकारी ने ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इस सदन में हर कोई बात बिना किसी तथ्य के बोलने की इनकी आदत बन गई है । ना कोई प्रस्ताव है, ना कभी चर्चा की है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर हम बिना तथ्य से कह रहे हैं तो आपकी सरकार है पता करो जोधपुर संभागीय आयुक्त के यहां तीन साल से फाइल पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तीन साल से फाइल पड़ी हुई है और स्वीकृति नहीं दे रहे हो ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए । अर्जुनलालजी मीणा । जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खनन पट्टाधारियों में जनजाति सदस्यों को प्राथमिकता देने के संबंध में ।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, एक मिनट, संसदीय कार्य मंत्रीजी हमेशा सदन में गलत घोषणा करते हैं, आश्वासन देते हैं। इन्होंने कहा था...

श्री सभापति: गलत घोषणा करते हैं तो आप नियम में आइए, उनको नोटिस दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सड़क की डिमांड पर चर्चा हुई उस समय कहा कि मुख्य मंत्री जी मिसिंग लिंक की घोषणा करेंगी । वह आपकी मिसिंग लिंक की घोषणा का क्या हुआ? आपने कहा था ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विपक्ष के माननीय नेता हमारे यहां सारी प्रक्रियाएं हैं और सदन नियमों से चलता है । इन्होंने कोई गलत आश्वासन दिया है या ... (व्यवधान) नियम बने हुए हैं ।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): .. (व्यवधान) आपकी बात को मुख्य मंत्रीजी कोई तवज्जोह नहीं देती हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रीजी बैठे हैं इनको पूछो कि एम.एल.ए. लैड में अम्बेडकर प्रतिमा लगाने की एक भी मामले में इजाजत दी है क्या आपने बताइए आपने दी हो तो ।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा प्रस्ताव डेढ़ साल से पड़ा हुआ है इजाजत नहीं दे रहे हो आप।

श्री सभापति: विराजिए आप, अशोकजी विराजिए आप ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मिसिंग लिंक की नहीं, हर बात को मिस करने के आदि हो गये हैं जनबूझ कर । मिसिंग लिंक क्या, हर बात को ही मिस करना है अपन को तो। कहना क्या है और मिस कर देना ।

श्री सभापति: आप विराजे। आज कार्य की अधिकता है 295 को पढ़ा हुआ समझा गया है, प्लीज ।

जनजाति उप योजना क्षेत्र में खनन पट्टाधारियों में जनजाति सदस्यों को प्राथमिकता देने के संबंध में

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनजाति उप योजना क्षेत्र उदयपुर संभाग से आप भी आते हैं । वहां खनन पट्टा आबंटन में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने के संबंध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सभापति महोदय, आप भी उसी संभाग से आते हैं आपको मालूम है कि उदयपुर संभाग में उदयपुर जिले में सलूम्बर, ऋषभदेव, बाबरमाल और

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

डूंगरपुर जिले में सुराता, बोरामाली, रोहणवाडा क्षेत्र, बांसवाड़ा के तलवाड़ा, त्रिपुरा सुंदरी में ग्रीन मार्बल, ग्रेनाइट, पिंक और व्हाइट की खदाने हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा दक्षिणी राजस्थान में जो जनजाति आई है वह अधिकतर इन खनन क्षेत्र में मजदूरी करके अपना पेट का पालन पोषण करते हैं। उनकी आजीविका का और रोजगार का एक मात्र साधन खनन है । सभापति महोदय, पिछली सरकार में जब अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री थे उस समय आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का संता बनाम आंघ्र का एक आदेश आया था । उसको दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में पहली बार हिन्दुस्तान के किसी भी स्टेट ने माइन्स आबंटन पर कोई बैन नहीं लगाया था । राजस्थान पहला ऐसा स्टेट था जहां पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने ट्राइबल क्षेत्र में खनन पट्टाधारियों पर बैन लगा दिया, खनन आबंटन पर बैन लगा दिया और हस्तांतरण पर बैन लगा दिया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको दिखवा कर पहली बार राजस्थान में जितने भी माइन्स आबंटन में और हस्तांतरण पर बैन लगा हुआ था उस पर से रोक हटा दी है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की इस घोषणा का उदयपुर संभाग के जनजाति क्षेत्र के सभी भाई स्वागत करते हैं। इस माइन्स अलॉटमैंट से काफी लोगों को रोजगार मिलेगा । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जो नये खनन पट्टे आबंटन करेंगे उसमें क्या सरकार स्थानीय निवासियों को और जनजाति बंधुओं को प्राथमिकता तय करेगी? दूसरा, मेरा निवेदन है कि खनन करने वाले जनजाति सदस्यों को सरकार की तरफ से ऋण की क्या व्यवस्था होगी? उनके लिये कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे? यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है ।

श्री सभापति: विराजे। हां, बोलो आप ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है उसमें दक्षिणी राजस्थान के तीन-चार जिले प्रभावित होते हैं और कई सारे ट्राइब्स के लोगों ने खनन पट्टे आबंटन करने के लिये आवेदन कर रखे हैं और लंबे समय से आबंटन लंबित है। सब की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जब सरकार ने खनन पर जो रोक थी वह हटा दी है तो कम से कम आप वहां के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दें।

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जवाब दे रहे हैं साहब।

श्री सभापति: अच्छा सॉरी। हां, दे रहे हैं ? दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, समता वर्सेज स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश 11.7.1957 को एक फैसला जारी हुआ था और उस फैसले के अनुरूप राजस्थान सरकार ने 18.12.2002 को ट्राइबल क्षेत्र में प्रधान और अप्रधान नवीन खनन पट्टों और उनके नवीनीकरण पर रोक लगाई थी। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने विकास आयुक्त और सचिवों की अध्यक्षता में एक कमेटी का फोरमेशन किया 31.1.2001 को, और मंत्रिमण्डलीय सब कमेटी बनी और मंत्रिमण्डलीय सब कमेटी ने समता वर्सेज स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश में यह अपनी राय भी दी कि यह समता मैनेजमेंट है राजस्थान पर लागू नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने 11.7.1997 के पश्चात् झारखण्ड प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश और उड़ीसा प्रदेश के राज्यों ने, जो यह समता जजमैंट का आदेश था कि हमारे इन प्रदेशों में यह आदेश लागू नहीं है। हमने श्री फली एस नरिमन, पी.चिदम्बरम, डा. अभिषेक मनु सिंघवी, श्रीमती मालीनी चिदम्बरम, लेखराज मेहता ऐसे अधिवक्ताओं की राय ली। हमने एडवोकेट जनरल से भी राय ली। राय के बाद में हमने इस पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ था उस प्रतिबंध को मंत्रिमण्डल के द्वारा इसको हटाने का हमने निर्णय लिया, यह 5 फरवरी, 2008 को निर्णय लेने के बाद में ट्राइबल क्षेत्र के अंदर नवीन आवेदन करने की व्यवस्था की गई। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है इसके अंदर हमने सबसे पहले जिन खानों के अंदर 50 प्रतिशत नियोजन है, वहां ट्राइबल क्षेत्र के रहने वाले लोगों का, रखने का हम प्रावधान करने जा रहे हैं । सभापति महोदय, इसके साथ में जो लीज होल्डर, जो माइंस होल्डर जो आवेदन करता है जिनकी लीज ग्रांट की जाएगी उनको इस बात के लिए, विभाग के द्वारा कि हर उस लीज में काम करने वाले अकुशल श्रमिक हैं इनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराएंगे और उनका बीमा भी लीज होल्डर्स के द्वारा करवाएंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ में अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर से राशि जमा करानी होगी जो रॉयल्टी और स्थिर भाटा के अतिरिक्त होगी और उसके साथ में मार्बल नीति, 2002 जिसमें

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)
10 प्रतिशत डेलीनेशन, प्लाट पर आरक्षण की व्यवस्था है इसके साथ में ग्रेनाइट 2002 में, इसमें भी 10 प्रतिशत डेलीनेशन प्रावधान है और एम.एन.सी.आर. 1986 में एक ही तिथि को खनिज चेजा पत्थर पर जैसे गौण खनिजों और एक ही दिन में प्राप्त जो आवेदन आयेंगे उन आवेदन पत्रों पर ट्राइबल क्षेत्र के लोगों ने जिन्होंने आवेदन किया है उनको हम प्राथमिकता देंगे।

इसके साथ में, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आर.एफ.सी. के द्वारा जो ट्राइबल जाति के खनन पट्टेधारियों को ऋण लेने के लिए विकास और मशीनरी खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है और ऋण पर जो ब्याज है माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 प्रतिशत है अनुदान देने की भी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से ट्राइबल लोगों के उत्थान के लिए, उनके डवलपमैंट के लिए, उनको वहां पर लीज के लिए और लीज इसमें पहले प्रतिबंध था उसके पहले भी कई ट्राइबल क्षेत्र के लोगों ने लीज ले रखी है और यह नई व्यवस्था, बीमा की व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था इनके नियोजन की व्यवस्था भी हमने की है।

श्री सभापति: बिराजें।

सदन की पटल पर रखे जाने वाले पत्रादि

आउटपुट बजट 2006-07 एवं आउटकम बजट 2007-08

श्री घनश्याम जी तिवाडी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आउटपुट बजट वर्ष 2006-07 एवं आउटकम बजट वर्ष 2007-08 को सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउटपुट बजट वर्ष 2006-07 एवं आउटकम बजट वर्ष 2007-08 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मीनारायणजी दवे, खनिज मंत्री राजस्थान स्टेट माईन्स एएड मिनरल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. का 60वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत

(श्री लक्ष्मीनारायण दबे)

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 60वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: विधायी कार्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सभापति महोदय, एक गम्भीर सूचना सदन को देना चाहता हूं।

श्री सभापति: क्या हुआ?

सूचना

रोटेदा गांव (जिला बूंदी) में औरतों को पीटने की घटना

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एक मिनिट। बूंदी जिले में कापरेन थाने में रोटेदा गांव है वहां रात को 11 बजे 15 तारीख को औरतों को बिना किसी अधिकार के पीटा। (व्यवधान) मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्रीजी जिस थानेदार की शिकायत हो, नेता कोई भी उसको पावर में लगाने वाला (व्यवधान) इस तरीके से मारपीट करना, रैगरों के मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में, गरीबों में, शिडयूल्ड कॉस्ट में, ऐसे मामले हुए और आपको भी पता है माननीय गृह मंत्रीजी, फिर पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना और मेडिकल आया उन लोगों का....(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उनको मारा-पीटा गया है? यह रोजाना का काम हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब यह, आपलिकर भी अपनी बात कह सकते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मिल लिया। (व्यवधान) उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं, गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं मिला हूं। ऐसे आदमियों के खिलाफ, आपकी छवि पर विपरीत असर पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप गृह मंत्री, गरीबों के हितैषी...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें, हो गई आपकी बात। (व्यवधान) सरकार तक पहुंच गई है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से चाहूंगा कि...(व्यवधान) आपको जानकारी है तो कुछ बतायें।

श्री सभापति: गवर्नमैंट चाहेगी तो दे देगी जवाब। (व्यवधान) और नहीं तो अपने हिसाब से एक्शन लेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सभापति महोदय, यह सवाल नहीं है (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिए आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आदमियों के साथ ज्यादती हो पुलिस के द्वारा और सदन चल रहा हो उस हालत में, दारू के ठेकेदारों को लेकर कोई थानेदार...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इससे गम्भीर बात और क्या होगी।

श्री सभापति: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सदन में विषय की जानकारी लिये बिना किसी भी विषय पर कोई बात या टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं । केवल कोई हाउस का उपयोग, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ यहां मुझे दबाव में लेकर निर्णय कराये तो मैं कभी नहीं करने वाला हूं। मैं विषय की पुख्ता जानकारी लेने के बाद अगर कमी रही होगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही होगी उसमें कोई दो राय नहीं है। पर यहां सदन का उपयोग करके कोई कार्यवाही करना चाहे तो किसी भी कीमत पर नहीं...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें। बस हो गया। (व्यवधान) Matter ends now.

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कर लीजिए, आप जानकारी कर लीजिए, जानकारी करने के बाद...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मीणा साहब, matter ends. You should not rock the House unnecessarily.

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इनफोरमेशन की बहस थोड़े ही होती है कोई।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मुकदमे दर्ज नहीं करें...(व्यवधान)

श्री सभापति: यूं तो सारे राजस्थान में....(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इनफोरमेशन की बहस नहीं होती है जो शुरू कर दी इन्होंने? (व्यवधान)

श्री सभापतिः इस तरह हाउस में नौ अलाउ। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापतिः कोई अंकित नहीं करें आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, में आपसे निवेदन करता हूं कि आपको...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): गृह मंत्रीजी ने क्या कहा सदन के बारे में? आपने...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप अपनी सीट पर पधारें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सीट पर पधारें, अपनी सीट पर। (व्यवधान) आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, सीट से तो बोलें आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अपने यहां दण्ड का प्रावधान है, जो सीट पर से नहीं बोलता उसका दण्ड का प्रावधान है माननीय।

श्री सभापतिः बिराजिए। फरमायें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं बहुमत के कारण नहीं, मैं तो खास रहा हूं आपका। आपका खास समर्थक रहा हूं, यह तो कांग्रेस वालों ने आपकी हालत खराब की है। (व्यवधान) बाकी मैं तो आपके साथ खड़ा रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप किसके खास हैं कोई जानता ही नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई नहीं जानता ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): कोई नहीं जानता।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी ने अभी एक चेतावनी दी माननीय सदस्य को कि सदन का उपयोग करके....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दुरुपयोग करके...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): अगर यहां बात उठाकर आप लाभ उठाना चाहते हैं, इसका मतलब है यहां हम बोले नहीं आपके खिलाफ (व्यवधान) कोई बात यहां नहीं उठा सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नियमों में प्रावधान है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): हर एम एल ए को विशेषाधिकार है, अपनी कांस्टीट्यूएंसी के मामले में यहां बोल सकता है। जनहित की कोई बात बोल सकता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने तो खूब व्यवस्था दी है। (व्यवधान) आपने तो आसन पर बैठकर व्यवस्था दी है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अपना यह सदन व्यवस्था और नियमों से चलता है कोई प्रस्ताव आता है किसी व्यक्ति के खिलाफ या आरोप या मतलब केवल कल्पना...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): इसमें किसी मंत्री का सवाल क्या है वाहे...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): केवल काल्पनिक ... (व्यवधान) यहां पर चर्चा नहीं होती। (व्यवधान) यहां तथ्यों के आधार पर चर्चा होती है। यदि वे तथ्य रखेंगे तो जवाब देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप अन्वांटेड बात क्यों कर रहे हो? अन्वांटेड बात आप क्यों बोल रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अन्वांटेड कहां कर रहा हूं?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): मैं तो माननीय गृह मंत्रीजी से बात कर रहा हूं। वे आपसे ज्यादा काबिल हैं। आपसे ज्यादा काबिल हैं। (व्यवधान) आपका यह धमकी देना माननीय सदस्य को कि आप सदन का उपयोग करके मुझे दबाव डालना चाहते हैं तो मैं नहीं करुंगा।

श्री सभापति: नहीं, यह नहीं है। आपका आशय यह है कि इस तरीके से तो नहीं कहा जा सकता है unless he has inquired into the matter. Unless he inquires.

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): सभापति महोदय, आशय तब निकालें, पहले वरबेटम पढ़ो, आप उसको।

श्री सभापति: Unless the Hon'ble Home Minister has inquired into the matter, how can he give any reply? Unless he knows everything.

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): पहले आप पढ़ो। (व्यवधान) वरबेटम पढ़ो उसकी आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी आपने कहा है तो He will inquire into the matter and give his reply.

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): वह तो है, अधिकार इनको है, लेकिन बोलने से पहले सोचना चाहिए। इस अगस्ट हाउस के अन्दर आप बोल

(श्री रामनारायण चौधरी)

रहे हैं। यह मर्यादाओं का प्रश्न है, आपके लिये, हमारे लिये और सदन के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैंने पूरी मर्यादा से अपनी बात कही है। अगर कोई चाहे तो इसमें से, जो प्रोसीडिंग में शब्द लिखे हैं, वह निकाल कर देख लें। मैंने कहा, मैं विषय की पुख्ता जानकारी के बिना किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं हूं। पूरी जानकारी लूंगा और उसमें कोई कमी रही हो तो निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा। लेकिन कोई यह सोचकर के इस हाउस में उठाकर मुझे तुरन्त किसी निर्णय के लिये बाध्य करेगा तो मैं ऐसे बाध्य नहीं होऊंगा, यह था। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं बिना डाकूमैंट के बात नहीं करता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह काहे पर डिबेट हो रही है? (व्यवधान) यह काहे पर डिबेट हो रही है?

श्री सभापतिः नहीं, नो, नो. Please be seated.

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आपको पता है, इस हाउस की कीमत क्या है? इस हाउस की क्या कीमत है, वह आपको पता है। आप तो विद्वान आदमी हैं।

श्री सभापतिः माननीय, आप पुराने सदस्य हैं। आप सब बात जानते हैं और आपने बात रख दी है। और न तो पर्ची के माध्यम से था, न किसी बात पर था। (व्यवधान) आपने ऐसे ही खड़े होकर यह बात उठा दी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह सवाल नहीं है। (व्यवधान) मेरे पास जो सूचना है, वह अखबारी सूचना नहीं है। आप कहें तो मैं इसको टेबल कर दूं। (व्यवधान) आप आदेश दें तो मैं इसको टेबल कर दूं।

श्री सभापतिः मैं आपकी सूचना को, आपके ज्ञान को चेलेंज नहीं कर रहा हूं। आप मंत्रीजी से बात कर लेना। उसमें क्या दिक्कत है?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं तो एक ही बात निवेदन कर दूं, आप कहें तो इसको टेबल कर दूं सदन के अन्दर।

श्री सभापतिः अभी तो आपने कहा है, अभी मंत्रीजी जाएंगे, वहां के अधिकारियों से, जिनसे भी पूछना होगा पूछेंगे, उसके बाद तो कोई बात होगी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं इसको टेबल कर दूं? मैं इसको टेबल कर दूं, आपका आदेश हो तो? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्य यह है, सभापति महोदय दुर्भाग्य यह है कि पहले तो सदन में प्रतिपक्ष के नेता माननीय रामनारायणजी चौधरी साहब थे, फिर वे उप नेता थे। जो इस सदन का किस प्रकार नियमों का और किस प्रकार ज्ञान देना चाहते हैं, वह दे रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वह क्लास आप पढ़ाएंगे, वकील साहब, आप क्लास पढ़ाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसलिये यह जो है ना, आप कोई प्रस्ताव लाइये, कोई लिखित में दें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह तरीका आपको शोभा देता होगा। मैं तो यही बात पूछ रहा हूं, सभापति महोदय, आप कहो तो इसको टेबल कर दूं। गृह मंत्रीजी देख लें।

श्री सभापति: उससे क्या, आप टेबल क्यों करते हैं? उन्हीं को दे देना ना। टेबल करने का कोई सवाल है अभी?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): गृह मंत्रीजी को दे दें आप।

परिनियत संकल्प

सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनूं) अध्यादेश, 2008

एमिटी विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर अध्यादेश, 2008

निम्स विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर अध्यादेश, 2008

सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2008

जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2008

श्री सभापति: विधायी कार्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने यहां व्यवस्था है, आपके पास सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, आप सर्वाधिकार सम्पन्न हैं। आप अपने यहां नियमों में रिलेक्स करके, क्योंकि यह जो पाँच बिल आज विश्वविद्यालय से सम्बन्धित आ रहे हैं, इसमें सभी के प्रस्ताव एक जैसे हैं और जनमत जानने के लिये और जो भी हैं। एक उस पर बोल लें उस पर जवाब दे दें और उसका जो भी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

परिणाम आये तो वह सभी पर लागू हो जाए जिससे बार-बार यह एक्सरसाइज नहीं हो। इसलिये मैं इन सब को, जो अलग अमेंडमैंट हैं, वह अलग से ले लें और जो छठा, वह जो है, उसके लिये अलग से कह दें।

श्री सभापतिः एक ही में सब जगह।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक ही में सब बोल लें, यह बात है।

श्री सभापतिः एक ही पर सब बोल लें, यह तो हो सकता है। This can be done.

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आपने चार साल शासन किया। (व्यवधान) आपको चार साल की परम्पराओं का तो कोई ख्याल नहीं है। जो आदमी जैसे ही बोलते हैं, वैसे ही बोलेंगे। तो क्यों आप आजादी देते हैं? चार साल में आपने क्या किया और अब आप 8 महीने के लिये नई-नई बातें उठा रहे हो। यह बात आपने पहले कभी उठाई है क्या, जो आप उठा रहे हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह मैं आपकी भावना के अनुरूप ही उठा रहा हूं। यह मेरी आप सब लोगों से बात हो गई।

श्री सभापतिः आपको ज्यादा देर तक नहीं विराजना पड़े, एक-दो नहीं बजें रात को।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भावनाओं से, क्योंकि बार-बार वही बोलना पड़ेगा, उठक-बैठक करनी पड़ेगी तो आपकी उठक-बैठक नहीं हो, इसलिये किया है।

श्री सभापतिः विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। जयपुर...

इस प्रकार की व्यवस्था दी जा रही है कि एक ही पर, यह सारे विधेयक हो जाएंगे क्योंकि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अमेंडमैंट दिये हैं और सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये कुछ भी कहा है तो एक ही बार बोल दें, विषय एक जैसा ही है, पांचों जो हमारे विधेयक आये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): थर्ड रीडिंग पर भी बोलने का अधिकार है माननीय सदस्य को... (व्यवधान) थर्ड रीडिंग में भी बोलने का माननीय सदस्यों का सुरक्षित रहेगा।

श्री सभापति: हां, वह ठीक है। वह सुरक्षित है, उसमें तो कोई बात नहीं है। यह इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है।

माननीय श्री रामनारायणजी मीणा साहब। जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, आज...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सारे परिनियत संकल्प एक ही साथ हो जाएं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, साहब, नहीं होंगे, परिनियत तो नहीं हो सकता है। हो ही नहीं सकता है। व्यवस्था कैसे हो सकती है कानून के खिलाफ, नियमों के खिलाफ।

श्री सभापति: आप प्रारम्भ करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह परिनियत संकल्प तो अलग-अलग हैं ना। एक साथ तो आ ही नहीं सकते हैं। नहीं, मैं कन्फर्म कर लूं पहले, बोलने के पहले। इसलिये मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सभापति: आप फरमायें तो सही पहले, प्रारम्भ करें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ठीक है, तो मैं जयपुर वाला बोल रहा हूं एक तो। (व्यवधान) सभापति महोदय, राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश संख्या 7/2007, आपके ध्यान में है। यह पूरे हिन्दुस्तान की जनता जानती है, आज फर्जी डिग्रियों का प्रचलन बढ़ रहा है। डोनेशन का प्रचलन बढ़ रहा है, बे-इमानियां बढ़ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में और इसलिये...

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप रखो तो सही।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह स्टाफ ने कह दिया और आप बस कानून के जानने वाले हो गये। मैंने पहले भी रख रखा है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

'यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 को प्रख्यापित जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-7) को अस्वीकार करता है'।

उसका कारण तो मैं बता रहा हूं, सभापति महोदय। राज्य सरकार ने जो अध्यादेश संख्या 7/2007 पेश किया है, सभापति महोदय, मैं आपसे

(श्री रामनारायण मीणा)

निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, शिक्षा मंत्रीजी, फर्जी डिग्रियों का मामला है। आपके शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां की जा रही हैं, उसमें भी अनेक फर्जी डिग्रियां मिल रही हैं। और यह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि सरकार चाहती इसको लाने के बजाय अपने संसाधन को सुदृढ़ करे। आपके टेक्निकल कॉलेजेज, दूसरे कॉलेजेज में अध्यापक नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है। हर ग्राम पंचायत में सैकण्डरी स्कूल हो, आप अपना श्रेय ले लें, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं यह नहीं कहता कि आप प्रधान मंत्री का फोटो छापें। मैं यह नहीं कहता कि इस बारे में आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी न करें। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इतना मैं जरुर कहना चाहता हूं कि जिस तरह का यह एक तरीका चल रहा है, आज राजस्थान में बिहार की तरह की जो हालत हो गई है, आज आप देख लीजिये बिना रसीद के, इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है, प्रतिबंध नहीं किया गया, डोनेशन फीस के मामले में जो शिकायतें हैं उसको रोकने का, आपने अध्यादेश रखा है। क्या जरुरत पड़ी थी एक महीने पहले विधान सभा थी, चार महीने बाद फिर विधान सभा का सत्र आ रहा था, कोई बीच के सत्र में अध्यादेश जारी करने की? मैं आरोप नहीं लगाता लेकिन वास्तविकता अर्ज करना चाहता हूं, सभापति महोदय, सरकार के मन में कहीं न कहीं कोई भ्रांति थी। मैं मेलाफाइड इंटेंशन की बात इसलिये नहीं कहना चाहता कि आसन इस बात को शायद उचित नहीं समझे लेकिन सरकार के मन में ऐसा क्या था? इसलिये मेरा आपसे अनुरोध करना है कि आज गरीबी बढ़ रही है। माननीय सभापति महोदय, आज इतनी गरीबी बढ़ रही है, बी.पी.एल. परिवारों की संख्या बढ़ रही है। वह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में तो बी.पी.एल. परिवारों की संख्या का गलत आकलन हुआ तो वहां की मुख्य मंत्री ने सारी लिस्ट खत्म कर दी और राजस्थान में दूसरों के ऊपर हम डाल रहे हैं। लेकिन बी.पी.एल. परिवार, आज गांव में ठीक है, आपका नरेगा योजना, नेशनल एश्योर्ड एम्पलायमैंट, इसके बावजूद भी आप चार्ज में 20 रुपये दे रहे हैं। क्या होगा इस खर्चे से....

श्री सभापति: यह अभी अपनी तो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बिलकुल, जयपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: अभी यूनिवर्सिटी, राज्यपाल महोदय, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में बोलें। आप कहां नरेगा वगैरह करने लग गये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सभापति महोदय, मैं जो अर्ज कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नोहर में नरेगा का काम करवाना है, वह है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप इसका उद्देश्य देख लीजिये। आपने जो नोटिफिकेशन दिया है, सरकार ने उसका उद्देश्य दिया है, मैं उस पर तो बोलूंगा, सभापति महोदय।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आर्डिनेंस है यह।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप जवाब दे दीजिये। मैं आर्डिनेंस के खिलाफ बोल रहा हूं। ऐसा आर्डिनेंस राजस्थान के लिये नुकसानदायक होगा, शिक्षा क्षेत्र के लिये नुकसानदायक होगा और गरीब विरोधी आर्डिनेंस है, मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं।

सरकारी स्कूलों में आप फीस कम लेते हो इसमें आप उसको पूरी छूट दे रहे हो कि डोनेशन लें। कहीं आपने रोका नहीं और फर्जी डिग्रियों के आधार पर आपके यहां नौकरी मिल रही है। क्या फर्जी डिग्रियां नहीं देंगे यह लोग और कौन है यह? आपकी इससे जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय में कौनसी संस्था है? आपने नाम बताया इसका? महिमा शिक्षा समिति। क्या है यह? कब से काम कर रही है? आपको कहना चाहिए कि इसका रजिस्ट्रेशन इस तारीख को हुआ है। जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाये, आठवीं, दसवीं तक तो आज गांव-गांव में स्कूलें हैं, उसकी केपेसिटी कितनी थी? इसको आप देखिएगा। उसकी क्षमता नहीं है और क्षमता नहीं है और आप उसको खुली छूट दे रहे हो। मैं नहीं कहता हूं कि वह इस-इस पार्टी के हैं। मैं यह आरोप नहीं लगाना चाहता शिक्षा मंत्रीजी, माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार के बारे में नहीं कहना चाहता लेकिन मैं प्रदेश की जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं ले और आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देते हो। सरकारी विद्यालयों में मास्टर नहीं। मैं यह भी आरोप नहीं लगाता कि भारत सरकार ने आपको मास्टरों के लिए छूट दे रखी है फिर भी नहीं दे रहे हैं। संस्कृत विद्यालयों की स्थिति क्या है? आठवीं दे दी, एक अध्यापक है मेरे वहां, जाकर माननीय शिक्षा मंत्रीजी देख लीजिए इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ...

(श्री रामनारायण मीणा)

(व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं आपको राजस्थान की स्थिति बता रहा हूं, इससे भ्रष्टाचार पनपेगा और भ्रष्टाचार ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने वकालत भी की है लेकिन अभी घूम रहे हो वहां ही है अपने बाड़े में ही। आप बाड़े में ही घूम रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं कहीं भी घुमूंगा, मैं आपको बता दूं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। बोलने दीजिए इनको।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरे विधान सभा क्षेत्र ... (व्यवधान) मैं आपके पड़ौस में रहने वाला नहीं हूं। नैनवां ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विद्वान हो इसकी बात करो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैंने आपको कह दिया कि आप तैयार हो जाइये, मैं टोक में आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आइये। स्वागत है आपका। आइये। स्वागत है, स्वागत। हरिमोहनजी से डरकर भाग रहे हो क्या? उनसे कुछ सीखा करो आप, हरिमोहनजी से। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप बता दीजिए, आप बताइये, आप बता दीजिए। मेरा तो आपसे यह अर्ज करना है कि टोक में आ रहा हूं मैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पवित्र सदन को ही नहीं राजस्थान के जनता के हितों की देखभाल करने वाली बात करना चाहता हूं। सरकार राजस्थान की जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है। यह अध्यादेश लाने का पूरा मकसद एक ऐसी संस्था को फायदा पहुंचाने का है जिस संस्था का, छोटे-छोटे स्कूल चलाये, आप वह विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, उसके बारे में। जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, नाम मोटे, दर्शन खोटे। यह कोई तरीका है क्या? इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना है, माननीय सभापति महोदय, कि इसका रजिस्टर्ड कार्यालय कहां दिया है? मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। आपने देखा शिक्षा मंत्रीजी शांति, यह आपका जो मार्ग है, इसमें आपने देखा है शांति पथ में? आप निकलोगे आपको कार्यालय दिखेगा वहां? इसलिए मेरा आपसे यह अर्ज करना है कि इस तरह की संस्थाएं फर्जी डिग्रियां देने के लिए, फर्जी संस्थाएं बनाकर और किसी को आप फायदा पहुंचाओ और

(श्री रामनारायण मीणा)

फायदा पहुंचाने की बात ही नहीं करता मैं, आप छात्रवृत्ति की बात करते हो। क्या उनका फंड है? आपने इसमें कोई लिखा? आपने इसके तहत जो नियम बनाये हैं, यह अध्यादेश जारी करने के पहले आपके अधिकारियों ने इस बात को देखा? आपको तो फुर्सत नहीं है। ठीक है, लेकिन अधिकारी तो आपके हैं। आपने इस पर इस अध्यादेश में, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इसके आप उद्देश्यों को ही नहीं, आप छात्रों की बात करते हैं, आपने हॉस्टल्स के बारे में कभी कहा? हॉस्टल्स का कमाने का तरीका, क्या इसका उद्देश्य बनता है इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार जिस तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देकर शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी विश्वविद्यालयों में, यह आरोप भी लगे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि यह 89 में, मास्टर नियुक्त करें, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में ट्राइबल्स का और 60 में से एक करें और वह भी 91 में छोड़ जाए इसलिए यह दलित विरोधी है क्योंकि वह फीस नहीं दे सकते। यह आदिवासी विरोधी भावना रखने वाला है और सरकार इन भावनाओं से बचे और इन भावनाओं से नहीं बचोगे तो राजस्थान में भी शिक्षा का सर्वनाश करने की स्थिति का मलहमा जो होगा वह आपके ऊपर पड़ेगा शिक्षा मंत्रीजी, इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना है, माननीय सभापति महोदय, कि यह सरकार को आप आदेश दें कि इसको बिलकुल अस्वीकार करे। उसके कारण मैंने आपको बताये हैं। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता कि इसको पढ़कर आप, आप देख लीजिए माननीय सभापति महोदय, इनमें शक्तियां क्या दी हैं? कुल सचिव तीन साल रहेगा, तीन साल की मियाद बढ़ेगी और फिर जब तक नया नहीं होगा, कोई उसमें इन्होंने टाइम बाउंड नहीं दिया है और लाइफ लोंग रहेगा। कुलाधिपति लाइफ लोंग रहेगा तो यह जो अच्छा, दूसरा आप देखिये, माननीय सभापति महोदय, आप बी.पी.एल. की बात करते हो, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं यह सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं लगाता। तो बी.पी.एल. को आप नौकरी दोगे, यह अध्यादेश जो है वह बी.पी.एल. विरोधी भावना, आदिवासी, हरिजनों संबंधी भावना के खिलाफ है। शिक्षा को नेस्तनाबूद करने की भावना लिये हुए है और इसमें बेईमानी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, व्यक्ति विशेष को जो फर्जी संस्था बनाकर आपने विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, इसको महत्व मिलेगा इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके

(श्री रामनारायण मीणा)

माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि यह लूटो, खसोटो, खाओ, कमाओ, जो गणित भारतीय जनता पार्टी की है उसको इस सदन के माध्यम से महत्व नहीं दिया जाए। इसको खारिज किया जाए इसलिए माननीय सभापति महोदय, सरकार को मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि राज्यपाल महोदय ने जो यह जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय अध्यादेश जो जारी किया है, सरकार इसको निरस्त करने की कार्यवाही करे। आप इसको रिजेक्ट करें ताकि लूटो, खसोटो, खाओ जो आपके विश्वविद्यालय का बिहार तरह चल रहा है, मेरा यहां तक माननीय सभापति महोदय, निवेदन है ... (व्यवधान)

श्री सभापतिः यहां यही इस दूसरे जो विश्वविद्यालय के लिए, पचेरी के लिए और सिंघानिया के लिए है। नहीं, उदयपुर के लिए और सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी के लिए भी यही कहना है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): चूंकि, यही कहना है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आपको पूरा अधिकार है आसन को, मैं उसके ऊपर कोई वह नहीं करना चाहता लेकिन आपको पता है कि एक दफा आपका यह निकल चुका आज की तारीख का बुलेटिव निकल चुका, अब जब तक आप संशोधित नहीं करोगे ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कह दिया न उन्होंने।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, कहने का नहीं है, कागजों में आएगा, यह कोई बात हुई? यह कोई बात हुई, शिक्षा मंत्रीजी? आप इस सदन का उपयोग दुरुपयोग में नहीं करें, सदुपयोग में करें इसलिए मेरा तो माननीय सभापति महोदय, मैं जैसा आप आदेश दो, मैं वह चीज तो कर सकता हूं, आप कहो तो बोल दूं?

श्री सभापतिः नहीं आप, यह आपने ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ठीक है, मैं पाँच मिनट और लेता हूं।

श्री सभापतिः हां, आप सभी के बारे में बोल लो न। आपने सब में ही दिया है कि भाई, इनको मतलब परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है आपने सब में तो इन सभी संकल्पों के बारे में एक साथ ही बोल लो न आप। हां। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं आपकी भावना समझ गया क्योंकि यदि वोट भी पड़ेंगे तो गरीब विरोधी भावना के वोट ज्यादा मिलेंगे इसलिए दलित विरोधी भावना के लोग ज्यादा मिलेंगे इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना है कि उनको मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। छह महीने के बाद दुरुस्त हो जाएंगे। अब हमारी जो यह कमी होगी यदि वह दुरुस्त हो गयी तो आप दुरुस्त जल्दी हो जाओगे और हमारी कमी रह गयी तो जो ईश्वर करेगा न्याय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, वही होगा, आप तो जानते हो इसलिए मैं दूसरा, आपका यह एक दूसरा है, पहले दूसरे नम्बर पर किसको लूं, माननीय सभापति महोदय, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं क्रम से नहीं आया। (व्यवधान)

श्री सभापति: हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पचेरी बड़ी वाला।

श्री सभापति: पचेरी, झुन्झुनूं, सिंघानिया वाला।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अच्छा, पचेरी वाला ले लेता हूं।

श्री सभापति: और उसके बाद उदयपुर का ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उसके बाद एमिटी वाला।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एक-एक को पढ़ूंगा साहब हां। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा परिनियत संकल्प, मैं निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

'यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 को प्रख्यापित सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनूं) अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-6) को अस्वीकार करता है।'

इसका मैं आपको, माननीय सभापति महोदय, यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि ... (व्यवधान)

श्री सभापति: एक बार सब रख दो मतलब। कोई बात नहीं बोलिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक साथ ही रख दो आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हां-हां, वह मैं एक-एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं प्रभावित इस सदन में किससे हूं, आप जानते हो तिवाड़ी साहब, बिलकुल आप से हूं, क्योंकि आप दलितों के खिलाफ कम बोलते हो।

श्री सभापतिः चलिये आप। आप तो विद्वान हो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): लेकिन आपने शिक्षा विभाग ऐसे व्यक्ति को दे दिया।

श्री सभापतिः नहीं-नहीं, आप तो विद्वान हो, आप क्या दलित-दजिततकर रहे हो यह? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह बिलकुल मैं आपको मेरी मन की भावना अर्ज कर रहा हूं।

श्री सभापतिः आप विद्वान हो, आप क्या दलित-दजित की बात कर रहे हो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं ऐसा महसूस करता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि यह अध्यादेश जो जारी हुए हैं इससे गरीबों को नुकसान होगा क्योंकि सरकार चाहती यह है कि यह जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं वह कमजोर हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जिसमें उनकी भावना के लोग हैं, यह पॉलिटिकली माइंड से अध्यादेश लाये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है, अब आप देखिये इसमें जो संस्था दी है पचेरी में, अब आप इसके बारे में कहेंगे कि इसका कहां रजिस्टर्ड आफिस है और यह कहां के रहने वाले हैं? इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना है माननीय सभापति महोदय, कि यह जो इन्होंने बड़ी समझदारी से सिंघानिया फाउंडेशन एजुकेशन समिति, जो आपके कॉलेजेज चलाते हैं आपका विश्वविद्यालय है, उसके अधीन जो चलने वाले हैं, आप उनको पूरा देकर अधिकार और इन्होंने उसमें क्या उद्देश्य में क्या लिखा है कि हम डिग्री वापस लेने का अधिकार देते हैं। आप डिग्री वापस लेने का अधिकार है, डोनेशन फीस में साल-छह महीने का यदि आपने वह भी कर दिया, डिग्री वापस लेने का अधिकार ताकि डोनेशन अलिखित में, बिना किसी रसीद के आप उसको चुकाओ इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि जहां यह कर्मचारियों के बारे में लिखा है यह सरकार की घोषित नीति के खिलाफ भावना लिये हुए है।

इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि कर्मचारी किस क्लास के, किस वर्ग के आयेंगे। अभी उदयपुर संभाग से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे हमारे को, चूंकि ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल्स को प्राथमिकता दीजिये। इसमें किसको प्राथमिकता देंगे आप? कांस्टीट्यूशन की भावना के खिलाफ है और यह सही है कि बहुत-से लोग कांस्टीट्यूशन को बदलना चाहते हैं। वह इसलिए बदलना

(श्री रामनारायण मीणा)

चाहते हैं कि उसमें दलित का और आदिवासी का पक्ष लिया हुआ है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा सरकार से कि सरकार उस भावना को अमलीजामा पहनाने की कोशिश नहीं करे। इसमें अमेंड करें, अमेंड करके दूसरा अध्यादेश लाये, दूसरा बिल लाये, यह आपका अधिकार है। आप बहुमत में हैं, सरकार चाहे जो करे, लेकिन सदन का दुरुपयोग कतई नहीं होना चाहिये। यह सदन का दुरुपयोग करके उस अध्यादेश को इसमें पास करायेंगे। इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है कि जो भावना इस सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) अध्यादेश में नीयत है, यह दलित और गरीब विरोधी है, इस अध्यादेश को निरस्त किया जायेगा तो ही यह भावना नहीं पनप पायेगी, नहीं तो राजस्थान की जनता यह याद करेगी कि सदन में यह पास हुआ था, जनता के हित में नहीं हो पाया। इस पर कोई मनन नहीं हो पाया। इसके ऊपर ढंग से बहस नहीं हो पाई और सदन के सदस्यों के बारे में जो भावना है, पवित्र भावना, इसमें कहीं न कहीं आंच आये, यह मैं नहीं चाहता, इसलिए इस सदन को चाहिये कि इस अध्यादेश को बिलकुल निरस्त करे ताकि जनता की भावना का आदर हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके बाद में, आपका इसमें अलग-अलग है ..(व्यवधान)

श्री सभापति: एमिटी, विश्वविद्यालय है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): एक ही बात को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सभापति महोदय, मैं निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं। "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 को प्रख्यापित एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-9) को अस्वीकार करता है।" यह कहां का रहने वाला है? जब इतने विश्वविद्यालय आपने एक दफा खोले, उसके बाद जो बाढ़ आ जायेगी, यह क्या राजस्थान की जनता के लिए हितकारी है या गरीब लोगों के लिए हितकारी है? आपने इस अध्यादेश में किया है कि इतने प्रतिशत दलित वर्ग के छात्र होंगे, इतने प्रतिशत छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी उस विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है आप उनको जमीन उपलब्ध करवायेंगे सस्ते में, वह कन्वर्जन करा लेंगे। आप उनको सारी फैसेलिटी देंगे। लाखों में अरबों की जमीन मिल जायेगी। मैं इस बात को मानता हूं इसलिए सभापति महोदय, यह मैंने इसलिए अर्ज किया है कि यह

(श्री रामनारायण मीणा)

एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-9) यह सदन इसको अस्वीकार करे ताकि जो कमियां रह गयीं, उन कमियों को हम दुबारा से ठीक कर सकें। अब उसके बाद में माननीय सभापति महोदय, निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं - "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 को प्रख्यापित सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-8) को अस्वीकार करता है।" यह मैं इन आधारों पर कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि इससे जनहित नहीं हो पायेगा। जनता में भ्रांतियां फैलेंगी दलित और आदिवासी के बारे में बार-बार, इसलिए नहीं कहना चाहता। इस बात को हमें ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। इतना गैप बढ़ रहा है। अरबपतियों की सूची बढ़ रही है, इधर गरीबों की सूची बढ़ रही है और गरीबों को शिक्षा नहीं मिल रही है। कुछ घराने यदि शिक्षा के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हम उस भावना से दलितों और गरीबों को नहीं, बीपीएल श्रेणी के लोगों को भी शिक्षा नहीं दे पायेंगे तो सभापति महोदय, इससे हमारे शिक्षा के स्तर में, उस वर्ग में जो आज भी गंदी बस्तियों में रहते हैं, जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो दूरदराज के क्षेत्र में रहते हैं, उनमें यह संदेश ठीक नहीं जा पायेगा। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैंने यह जो सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश संख्या 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-8) को अस्वीकार करने के लिए मैंने जो अनुरोध किया है, सभापति महोदय, कि इसको सदन अस्वीकार करे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं - "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अध्यादेश, 2007 (2008 का अध्यादेश संख्या-1) को अस्वीकार करता है।" माननीय सभापति महोदय, मैं इसके बारे में बहुत संक्षेप में यह अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार मेरी भावना को समझे। सरकार आम जनता की भावना को समझे, क्योंकि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और मैं इस बात को भी मानता हूं कि हमारे लोग बाहर जाकर विश्वविद्यालय जो खुले हुए हैं बहुत सी जगह, वहां जाकर डिग्रियां लेने के लिये डोनेशन देते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं हों, लेकिन उसको जितने आप संविधान में, रूल्स में, नियमों में अभी कर

(श्री रामनारायण मीणा)

लेंगे तो ठीक नहीं तो बाद में संशोधन करना, फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने में समय लगना। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सारी बातों को देखते हुए और यह अब आप देखिये कोई इंस्टीट्यूशन तो है दिल्ली की, दिल्ली में तो उसको विश्वविद्यालय खोलने की परमिशन नहीं मिल रही। खाड़ी के देशों को हम बहुत दूर मानते थे, तीन घण्टे में जाओ, तीन घण्टे में आओ। कोटा से यहां आने में पाँच घण्टे लगते हैं हमें, खाड़ी के देश जाने में यहां से फ्लाइट जाती है, तीन घण्टे लगते हैं। जब दुनिया नजदीक है तो आप इसके बारे में क्या करना चाहते हो? सरकार जिस भावना से अध्यादेश लाई है, वह भावना शुद्ध नहीं है। राज्यपाल महोदय के माध्यम से सरकार की भावना अच्छी नहीं हो और वह जनता में जाये, मैं इसको ठीक नहीं मानता। इसलिए मेरा इस पवित्र सदन से अनुरोध है कि इसको अस्वीकार करते हुए दुबारा से इस पर कंसीडरेशन किया जाये सरकार द्वारा और आवश्यकता हो तो इसको अस्वीकार करने के बाद में सदन के माननीय सीनियर मैम्बर्स की एक कमेटी बिठा दी जाये, जो यह क्लॉज डाले कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कम से कम इतना प्रतिशत दाखिला देंगे, मैं मैक्सिमम नहीं कह रहा हूं। मैं सरकार की इस भावना के खिलाफ हूं कि जनरल क्लास में तो 193 में आ रहे हैं आर ए एस में और बैकवर्ड क्लास के 213 में आ रहे हैं। यह भावना मेरी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी भावना यह है कि जिसका अधिकार है उसको मिले। इससे अधिकार का हनन होगा, गरीब छात्रों को, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को मौका नहीं मिलेगा, फीस नहीं दे पायेंगे। उनका कोई परसेंटेज निश्चित हो, ऐसा अध्यादेश जिसमें आम जनता में, माननीय सभापति महोदय, इसको मानता हूं, क्योंकि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले आदमी ज्यादा हैं, इसलिए मेरा तो अर्ज करना है माननीय विधायक महोदय, यह सदन की भावना के खिलाफ होगा, राजस्थान के हितों के खिलाफ होगा कि हम इस अध्यादेश को स्वीकार करें। मेरा विनम्र निवेदन है इस सदन से, कि इन अध्यादेशों को एक राय से और सरकार भी इस पर मनन करे। गलती हो जाती है, मैं नहीं कहता हमसे कोई काम सही हो, यह नहीं है। मैं आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको दुरुस्त करने के लिए, भावना को ठीक करने के लिए और राजस्थान की गरीब जनता, दलित और आदिवासी के हितों को देखते हुए और बी.पी.एल. श्रेणी जोड़िये, हम तो

(श्री रामनारायण मीणा)

पक्षधर हैं, इसमें क्या बात है गरीब सभी समाज का हो सकता है। अलग-अलग क्लॉज डालते हुए हमारे अच्छे बच्चे, गरीब परिवार के हैं, वह शिक्षा नहीं ले पाते, डोनेशन नहीं दे पाते। हमारी प्रतिभाएं कुचल रही हैं। इसलिए उन प्रतिभाओं को उबारने के लिए आपने जो क्लॉज दिया है कि हम प्रतिभाओं को उबारेंगे। इससे प्रतिभाओं को कुचलने का मौका मिलेगा, गिनती के लोगों को मौका मिलेगा भर्ती होने के लिये डोनेशन देने के बाद।

इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा पुरजोर विनम्र निवेदन है कि सदन इन पांचों अध्यादेशों को अस्वीकार करे और अस्वीकार करने के बाद में नियमानुसार जैसी कमेटी गठित हो, दुबारा उस पर विचार करे और उसके बाद में यदि आवश्यकता हो तो दुबारा अध्यादेश लाये, बिल लाये और बिल लाकर राजस्थान की जनता का और उन बच्चों का, जो कुचल रहे हैं डोनेशन देने के अभाव में, इसमें कोई सीमा नहीं। कानून में आप कोई सीमा नहीं दे रहे हो। स्कूल में आपको 50 रुपये फीस देनी पड़ती है और यह 50-50 हजार नहीं, 5 लाख रुपये लेने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं। इनको आपको देखना चाहिये। जहां इनका हैड आफिस है, वहां क्या कर रहे हैं? यह सारी इंस्टीट्यूशंस गरीबों को परे रखने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं। मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं। उनकी अभी से शाखाएं खुलने लग गयीं। राजस्थान के बाहर शाखाएं खुलने लग गयी हैं। डिग्रियां बेचने की बात होने लग गयीं। इसलिए मेरा अनुरोध है सभापति महोदय, कि अपने माध्यम से डिग्रियां बेचने का धन्धा नहीं करें। ऐसा कोई काम नहीं करें, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, थोड़ा दबाव डालें, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: बिराजें। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): गांव तो बसा ही नहीं, गांव बसने से पहले ही चोर आ गये, डिग्री बंटने का काम शुरू हो गया।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, एक राय से इसको अस्वीकार करें, मेरा यही निवेदन करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं तो सोच रहा था कि माननीय रामनारायणजी पार्लियामैंट के मैम्बर भी रहे हैं और यह कोई सकारात्मक बात कहेंगे, विद्वतापूर्ण कोई बात कहेंगे पर उनके उद्बोधन से ऐसा लगा कि आज वो तैयारी करके नहीं आये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, वो जो बोल रहे हैं विद्वतापूर्ण ही है, यह मानें तो आप।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अब इन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय यदि राजस्थान में आ जायेंगे ...

श्री सभापति: यह तो नहीं है, तैयारी तो पूरी करके आये हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): नहीं, यह दलित विरोधी है, बी.पी.एल. विरोधी है, गरीब विरोधी है तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार क्या दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है? क्या महाराष्ट्र की सरकार ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह सदन, राजस्थान के बारे में बात करे। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये आप, आपके बोलने के वक्त मैं बोला नहीं न, मैं बोला क्या एक भी शब्द? आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं यही कहना चाहता हूं, यह सदन राजस्थान का है, राजस्थान के बारे में बात करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें न आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह सदन राजस्थान का है इसलिए राजस्थान के बारे में बात करें। राजस्थान में गरीबी ज्यादा है, आज भी रेगिस्तानी है, बरसात कम हो रही है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप बीच में मत बोलिये।

तो आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां आपकी सरकार है वहां मेरे ख्याल से वो यदि दलित विरोधी हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं, वो गरीब विरोधी हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं और वो बी.पी.एल. विरोधी हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं। और केन्द्रीय सरकार ने जो नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया है वो भी मेरे ख्याल से आपका ही बनाया हुआ है, हमारा नहीं बनाया हुआ। उसने यह कहा है कि आज हिन्दुस्तान में 1500 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए और अभी वर्तमान में केवल 347 है, उसके हिसाब से राजस्थान में 50 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए और आपका राज यहां इतने साल रहा, यदि आप इतने ही निजी विश्वविद्यालयों के विरोधी हैं तो आपको 50 यूनिवर्सिटी खेल देनी चाहिए थी परन्तु क्योंकि राज्य सरकार के साधन सीमित होते हैं, वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण हम 50 यूनिवर्सिटीज नहीं खोल पाये और आज की स्थिति यह है कि हम यह नहीं खोल पायेंगे। तो यदि निजी शिक्षण संस्थाएं आगे

(श्री कालीचरण सर्राफ)

आती हैं और कोई यदि यह कहता है कि हम विश्वविद्यालय खोलेंगे, यह बार-बार जो कह रहे थे कि दलित विरोधी और गरीब विरोधी, देखिये, गरीब विरोधी कैसे हुई, हम कोई सरकारी यूनिवर्सिटी बंद करके और प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी तो इसी प्रकार से चलेंगे, उनमें गरीबों को एडमिशन हम बंद नहीं करेंगे ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तीन और खोल दीं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): तीन कल और खोल दीं हमने और फिर यह क्या पता कहां-कहां से, यह कि यूनिवर्सिटी में पाँच वर्ष के लिए जो कुलाधिपति बनेगा वो आजीवन हो जायेगा, श्रीमान, आप यह प्रावधान पढ़ लेते तो ऐसी बात नहीं करते। इसमें स्पष्ट प्रावधान है, धारा-12, कि पाँच वर्ष के लिए कुलाधिपति नियुक्त होगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, पद रिक्त होने पर, रामनारायणजी, जरा ध्यान दें, पद रिक्त होने पर 6 माह में नियुक्ति आवश्यक होगी। यह आपने नहीं पढ़ा। और ऐसे ही धारा-13 कुलपति के लिए क्लियर है, कुलपति तीन वर्ष के लिए होगा, पद रिक्त होने पर 6 माह के अन्दर-अन्दर नियुक्ति करनी होगी। यह भी इसमें लिखा हुआ है ... (व्यवधान) बिराजें आप।

श्री अमराराम (धोद): यह भी है कि दूसरा नहीं होगा जब तक वो कन्टीन्यू करेंगे पांच साल के बाद भी।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बिराजो आप, सुनिये, बैठो तो सही आप।

श्री अमराराम (धोद): इसलिए दूसरा नियुक्त क्यों करेगा ... (व्यवधान)... तो हमेशा के लिए वो ही रहेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठें, बैठें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बिराजो आप, बिराजो।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): इस सदन में रामनारायणजी तीन हैं, एक रामनारायणजी मीणा, एक रामनारायणजी चौधरी और एक रामनारायणजी डूडी, अब रामनारायणजी, रामनारायणजी करके आप बोल रहे हो ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): रामनारायणजी मीणा, नैनवां से आने वाले माननीय विधायक।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): हां, तो फिर बोलो न आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य पुकारें, नाम से नहीं।

श्री सभापति: नैनवां से आने वाले माननीय विधायक।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): नैनवां से आने वाले माननीय विधायक। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, आप पढ़ लीजिए 13 को।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): एक इन्होंने यह कहा, आप बीच में मत खड़े हों।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, नहीं, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने जो कहा, आप बीच में मत खड़े होइये, प्लीज बिराजें, बिराजें।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ... (व्यवधान) धारा-13 में लिखा हुआ है पुर्नियुक्ति का पात्र होगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपने जो अध्यादेश जारी किया है ...

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप बैठो, भाई, आप बोले जब मैं खड़ा हुआ क्या बीच में?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं बैठ जाऊंगा लेकिन कथन आप सत्य कीजिए।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप बाद में बोल लेना, बैठिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बिना पढ़े आप मत बोलिये, मैं पूरा पढ़ कर आया हूं। आप कहो जिस बात को बता दूं। एक भी कथन सत्य नहीं है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): इनको तो यह सिद्ध करना है कि यह पढ़ करके आये हैं, आपने आरोप लगा दिया कि यह पढ़ करके नहीं आये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): नहीं आये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): हां, इसको साफ करेंगे। उस बात को यह स्पष्ट करेंगे कि पढ़ के आये हैं इसलिए आप धैर्य रखिये पाँच मिनट के लिए।

श्री सभापति: नहीं, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य बहुत विद्वान हैं, हम मानते हैं पर कुछ न कुछ तो कहना ही है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने यह भी बात कही कि यह विश्वविद्यालय खुल जायेंगे तो यह अनुसूचित जाति के विरोध में है, अनुसूचित जनजाति के विरोध में है। धारा-32 का आप जरा एक बार मुलाहजा फरमा लीजिए। इसमें लिखा हुआ है- ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी हुई जातियों के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति का पालन किया जायेगा।'' यह पढ़ लेते तो आप यह बात नहीं कहते।

तो इन्होंने जो-जो बातें कहीं हैं, विस्तार से तो मैं जब मेरा रिप्लाई दूंगा उसमें बात करूंगा पर अभी तो मैं यही कह सकता हूं कि इन्होंने बिलकुल आधारहीन, बेबुनियाद और बिना तैयारी से जो बातें कहीं हैं इसलिए इनके द्वारा जो प्रस्तुत परिनियत संकल्प है उसको रिजैक्ट किया जाए।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उसको कहो वापस ले लें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): पाँच विश्वविद्यालयों के बारे में जो इनका परिनियत संकल्प है उसको रिजैक्ट किया जाए।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): कहो कि कृपया वापस ले लें। (व्यवधान)... वापस ले लो।

श्री सभापति: वापस लेना चाहें तो कोई मनाही नहीं है। (व्यवधान)... वोट करायें ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: बिराजें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने अभी कहा था कि राजस्थान सरकार नियम के अनुसार भर्ती करेंगे। मेरा सब्मिशन है कि राजस्थान सरकार के नियम की अनुपालना इनके सरकारी विश्वविद्यालय नहीं करते हैं तो वो कहां इनकी बात मानेंगे।

श्री सभापति: करना पड़ेगा।

प्रश्न यह है कि यह सदन ...

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): वापस ले रहे हो क्या?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, यह सरकार अपने कथन पर कितनी भी दृढ़ रहे, मैं इस सदन से, चूंकि आपकी भावना थी कि यह पांचों एक साथ ले लो, मैं एक-एक अध्यादेश को जनहित के खिलाफ बताने की बात कर सकता हूं, आप समय निश्चित कर दीजिए।

श्री सभापति: आपने तो बता ही दिया है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, नहीं, माननीय सभापति महोदय, न तो इसमें फीस का क्लॉज है, रोक नहीं है और विश्वविद्यालय चीटिंग करेंगे छात्रों के साथ। मेरा यह अर्ज करना है। इसको दोबारा से देखने में ... (व्यवधान) मैं जानता हूं कि यह कौन लोग हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप वापस ले रहे हो या बेइज्जती कराओगे, यह है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं जानता हूं किसने सिफारिश की है इन लोगों की, मुझे पता है। मुझे पता है, मुख्य सचेतक महोदय, कौन लोग हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनमें बेइज्जती की क्या बात है? यहां बहुमत है, आपके जचे जो करो लेकिन रखेंगे तो सही न सदस्य। (व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं जो अर्ज कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, यह कौन लोग हैं, इनके खिलाफ क्या-क्या शिकायतें हैं, आपने देखा, इनके खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज हैं उनको आप इजाजत दे रहे हो। मैं कहता हूं किसी को दीजिए, मेरा यह अर्ज करना नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आप लाओगे जिनके खिलाफ उनके प्रदेशों में पहले से पुलिस में शिकायत है, पहले से मुकदमे दर्ज चल रहे हैं गलत डोनेशन लेने का, फर्जी डिग्रियां देने का, आप उनको प्रश्रय दोगे। ऐसी सरकार से आशा नहीं कर सकता। ठीक है, आप बहुमत में हैं लेकिन ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आधारहीन आरोप हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, आप भले ही से वोट करा लीजिए, यह सदन राजस्थान की जनता को रीप्रजेंट करता है।

श्री सभापति: अब बिराजें आप। आपने खूब अच्छी तरह से रख दिया अपना पक्ष, बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसलिए यह निश्चित रूप से अस्वीकार होंगे। मेरा आपसे अर्ज करना है।

श्री सभापति: माननीय विधायक, आपने अपना पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रख दिया है, बिराजें, बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह फर्जी डिग्रियों के मुकदमे जिनके ऊपर चल रहे हों, लाखों रुपये डोनेशन लेने वाली संस्थाएं हों ...

श्री सभापति: अब बिराज जाएं आप। कृपा करके बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसलिए, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कृपा करके आप तो इनको मत दो, जिन्होंने किया है उनको भुगतने दो, आप क्यों भुगत रहे हो?

श्री सभापति: आप बिराजें।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 को प्रख्यापित जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-7) को अस्वीकार करने का जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का मौका तो देंगे। यह मुख्य सचेतक महोदय इशारा कर रहे हैं, इशारा सदन में नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति: काहे का इशारा?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह नियम के खिलाफ है, मैं भी कानून की किताब लाया हूं, मैं कभी नहीं लाता हूं, यह इस तरह से आप जबरदस्ती कर रहे हो।

श्री सभापति: काहे का? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो समझदार हो, परिवहन मंत्रीजी, आपकी तो भावना मैं मानता हूं कि आप ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लगता है क्या कोई इशारा करेगा?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): लेकिन आप अकेले हो, आप आगे बढ़ सकते हो हमारा साथ देकर।

श्री सभापति: बिराजें आप।

प्रश्न यह है कि जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहले पांचों रिजैक्ट करा दो, साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 को प्रख्यापित सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-6) को अस्वीकार करने का जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री अमराराम (धोद): अस्वीकार हो गया यह तो।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 को प्रख्यापित एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-9) को अस्वीकार करने का जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अध्यादेश, 2007 (2008 का अध्यादेश संख्या-1) को अस्वीकार करने का जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 को प्रख्यापित सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-8) को अस्वीकार करने का जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: पांचों को रख दें आप विचारार्थ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): विचारार्थ कैसे रखेंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: पहले ले रहे हैं फिर आप बाद में बोलेंगे ना।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्री जुबेर खानजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): विचारार्थ का वोट तो कराओ।

श्री सभापति: डाक्टर सी पी जोशी, डाक्टर हरिमोहनजी, श्री वीरेन्द्र जी बेनीवाल, श्री अमराराम धोद, डाक्टर बुलाकीदास कल्ला, श्री संयमजी लोढ़ा, श्री प्रहलादजी गुंजल, श्री हेमराज जी मीणा, श्री रामनारायण मीणा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। बोलें आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, हरिमोहनजी को डाक्टरेट की डिग्री आपने दी है क्या?

श्री सभापति: बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो वह पी एच डी से ज्यादा हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं नहीं, हरिमोहनजी आज कल डाक्टर ही हैं इस सदन में।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से यह जो आज विधेयक यहां रखे गये हैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर, विधेयक, 2008, सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी झुन्झुनूं विधेयक, 2008, एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008, निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008, सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु जो मैंने अपना प्रस्ताव दिया है उसके पक्ष में मैं बोलना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं जिस तरह की शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है और तमाम हिन्दुस्तान के ही प्रांतों में नहीं विदेशों में जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस, विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, यहां राजस्थान में भी इसकी आवश्यकता महसूस हुई और प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने की बात हुई। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि 21 अक्टूबर, 2007 को राजस्थान सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से आर्डिनैंस जारी कराया जिन से यह विधेयक आये हैं और उसमें जो कारण दिये हैं कि "Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Jaipur National University, Jaipur Ordinance, 2007 (Ordinance No. 7 of 2007) on 21st October, 2007, ..." मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब सत्र आ रहा था और इन विश्वविद्यालयों को मैं सभी के लिए कह रहा हूं, सभी में इस तरह का है। निम्स का ....

श्री सभापति: आप सभी पर विचार रख दें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 19 जनवरी को भी शायद किया है, 19 जनवरी, 2008 को भी एक अध्यादेश आया है जब कि जनवरी में यह पता चल गया था फरवरी में विधान सभा होने वाली है क्योंकि इक्कीस दिन पहले तो नोटिस ही आता है लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तीन विश्वविद्यालयों में शुरुआत करनी थी 2008-09 के सैशन से तो फिर यह अध्यादेश लाने की क्या जरुरत थी, सीधे विधेयक लाते जिस तरह से आज लाये हैं।

तो, यह मैं मानता हूं कि सरकार का कोई न कोई छिपा हुआ एक ऐसा कोई कारण था कि जो विधान सभा से पहले ही महामहिम राज्यपाल

(श्री जुबेर खान)

महोदय के माध्यम से आर्डिनेंस लाकर इन्होंने कराया। तो मैं मंत्रीजी यह जानना चाहता हूं कि आपने जो 21 अक्टूबर, 2007 को जो आर्डिनेंस महामहिम राज्यपाल महोदयजी से जारी कराये उसका क्या कारण था? कि जब 2008-09 में आपको यह शुरु करना था तो आप आज विधान सभा से पारित कराके पारदर्शिता से क्यों नहीं इसको लेकर आये? इसके ऊपर जरूर डालें और यह भी बताएं कि 21 अक्टूबर से लेकर आज 18 मार्च तक इन विश्वविद्यालयों ने जिनको आपने विश्वविद्यालय घोषित कर दिया आर्डिनेंस के मार्फत, इन्होंने क्या प्रोग्रेस की है, आपके मापदण्ड के आधार पर कितना आगे बढ़ पाये हैं, मैं यह जानना चाहूंगा।

दूसरा, मैं निवेदन करूंगा एक नीति है, पहले भी विधेयक आया था, आदरणीय घनश्यामजी तिवाड़ी लाये थे और पूरे राजस्थान के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक विधेयक लाये, उसके खिलाफ कोई हाई कोर्ट में गया, वहां से स्टे मिला, सुप्रीम कोर्ट गये राजस्थान सरकार जीती और यह हुआ कि अलग इंडीविज्युअल अध्यादेश यह विधेयक लाया जाय, उसके तहत यह अलग-अलग ला रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो मापदण्ड निर्धारित किये थे और तत्कालीन सरकार ने स्वयं ने यहां खड़े होकर सदन में कहा था कि हमने कम से कम दो करोड़ रुपये की सिक्योरिटी रखी है कि जमा होनी चाहिए, एक लाख स्क्वायर फीट कन्स्ट्रक्शन होना चाहिए। सभापति महोदय, अच्छी बात है कि होना चाहिए लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि जब माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने आज कैबिनेट के वह भी मैम्बर हैं, सामूहिक जिम्मेदारी है, आप देखिये जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने तो दो करोड़ रुपया जमा कर दिये, सिंघानिया यूनिवर्सिटी पचेरी बड़ी ने एक ही करोड़ रुपया जमा किया है और एक लाख स्क्वायर फीट लगभग तैंतीस हजार स्क्वायर मीटर होती है उसके 12,280 ही कन्स्ट्रक्शन है उसके पास और आप उसको विश्वविद्यालय का दर्जा देने जा रहे हैं।

तो आप यह मापदण्ड अलग-अलग क्यों रख रहे हैं ?

श्री सभापतिः एक हजार स्क्वायर फीट का माननीय सदस्य 9 हजार 200-300 स्क्वायर मीटर ही होगा। नौ का भाग देना पड़ेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एक मीटर में लगभग तीन फीट होते हैं।

श्री सभापतिः स्क्वायर फीट की बात हो रही है। बोलो आप ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 12280 स्क्वायर मीटर का क्या एक लाख स्क्वायर फीट हो जाता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 9 का भाग देना पड़ेगा।

श्री सभापति: बिलकुल। एक लाख से ज्यादा हो जाता है। आप फरमायें। कोई बात नहीं। यह यूं ही है गणित।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसी तरह एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान से एक करोड़ रुपया लिया गया। निम्स यूनिवर्सिटी, जयपुर से एक करोड़ रुपया लिया गया। यह लिखा हुआ है माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: जुबेरजी कोई कमजोर नहीं हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): "...had agreed to invest the said infrastructure in the University for research and studies in the disciplines specified in Schedule II and had also deposited an amount of rupees one crore to be utilized in the establishment of an endowment fund in accordance with the provisions of this Act." तो एक करोड़ रुपये खुद एक्ट में स्वीकार कर रहे हैं एक करोड़ रुपये जमा कराया है तो कुछ विश्वविद्यालयों से आप दो करोड़ जमा करा रहे हैं और कुछ विश्वविद्यालयों से एक करोड़ रुपये जमा कर रहे हैं, यह साफ झलकता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिये। आज आपने एक करोड़ की छूट दे दी, कल नयी यूनिवर्सिटी आयेगी तो यह तो पचास लाख पर ही तैयार हो जायेंगे। यह भेदभाव मत करिये। दो करोड़ रुपये की जो मूल भावना थी वह भावना आपको रखनी चाहिये मैं यह निवेदन करना चाह रहा था।

माननीय सभापति महोदय, इन विश्वविद्यालयों के, आज खोले जा रहे हैं। ऑटोनामस विश्वविद्यालय होंगे। अपनी मर्जी से करेंगे जो सरकार ने एक्ट में दिया है उसके तहत लेकिन इस विश्वविद्यालय को आज आप पाँच विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। तीन-चार-पाँच आप 25-26-27 को करने जा रहे हैं तो इनका रेगुलेट कौन करेगा? सरकार के पास तो इतना समय नहीं है। शिक्षा विभाग के पास इतना बड़ा तंत्र है खुद राजस्थान के विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय हैं। सरकारी महाविद्यालय हैं, सरकारी स्कूल्स हैं तो आपको कोई न कोई रेगुलेटरी बोर्ड जो उन विश्वविद्यालयों के, प्राइवेट विश्वविद्यालयों के संचालन को देखे कि यह गाइड लाइन के आधार पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं ? जो एक्ट में प्रावधान है उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं

(श्री जुबेर खान)

कर रहे हैं? जो भी क्राइटेरिया है वहां स्टेण्डर्ड ठीक है कि नहीं? यह मेरा सुझाव है सरकार को कि इसका एक रेगुलेटरी बोर्ड कोई न कोई बनाये जो इसका संचालन करे। एक अधिनियम या कमीशन जो भी कुछ बनाना चाहे, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज कोई भी विश्वविद्यालय बन रहे हैं उनको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है। क्या पहले यू.जी.सी., केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार पहले यह नहीं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनती थी। हमें अच्छी तरह याद है वनस्थली विश्वविद्यालय भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी था। आज जामिया मिलिया इस्लामिया जो मशहूर विश्वविद्यालय बन गया है, वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया है सेण्ट्रल वह डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी थी। और बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय थे जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी थे। वह इसलिये कि डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय का दर्जा देकर इन विश्वविद्यालयों को, संस्थाओं को देखा जाए कि वह सही मायने में क्राइटेरिया पूरा करते, धीरे-धीरे फुलफिल करते हैं तब इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता था। तो मेरा मानना है आप यह गलत कर रहे हो। आपको भी यह स्टेज रखनी चाहिये। एक विश्वविद्यालय को डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय का दर्जा दो। उसकी अपनी परीक्षाएं होती हैं। सारा काम खुद करते हैं और जब एक स्टेट्स वह प्राप्त कर लें, अपने आपको समाज में और राजस्थान में एस्टेब्लिश कर दें तब जाकर आपको पूरा विश्वविद्यालय का दर्जा उनको देना चाहिये मैं यह सब्मिशन देना चाहता हूं।

मेरा सब्मिशन यह है कि यू.जी.सी. जो कोर्सेज और फैकल्टीज अलाऊ करती है उन्हीं फैकल्टीज पर होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि इन विश्वविद्यालय ने कोई भी लोगों से पैसा ऐंठने के लिये नये-नये छोटे-छोटे कोर्स शुरू करके, हो रहा है ऐसा। यह राजस्थान विश्वविद्यालय से उन कोर्सेज को मान्यता ही नहीं है और वहां इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाये जा रहे हैं। लोगों से पैसे लिये जा रहे हैं और फिर राजस्थान में यह एग्जाम नहीं लिये जाते ऐसा भी देखने को मिला है। इसलिये इसमें यह भी करना होगा कि जो यू.जी.सी. की फैकल्टीज हैं कि कौन-कौनसी फैकल्टीज कौन-कौनसा स्तर का विश्वविद्यालय चला सकता है उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था माननीय सभापति महोदय, आपने एडमिशन की कह दी, हां। 32 सैक्शन, 32 में आपने आरक्षण का कहा है

(श्री जुबेर खान)

एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का आरक्षण होगा। स्पोर्टस मैन के आरक्षण का क्या होगा जो आपके विश्वविद्यालयों में है। आज स्पोर्टस बढ़ता जा रहा है। आज स्पोर्टस की मांग है। आपने कितने ही करोड़ से शूटिंग रेंज बना दी। आज एस.एम.एस. स्टेडियम दे दिया। आज स्पोर्टस कितना महत्वपूर्ण हो गया कि लोग, बड़ी-बड़ी कम्पनीज स्पोर्टस ऐकेडेमी बना रहे हैं और टूर्नामैंट करा रहे हैं। आपको स्पोर्टस का कोटा भी इसमें आरक्षण में एडमिशन पालिसी के अन्दर रखना चाहिये ताकि स्पोर्टस मैन उनमें भी हों। वहां की भी अपनी टीम हो। यह आपको करना चाहिये।

मैं एक और निवेदन करना चाह रहा था माननीय सभापति महोदय, जो आपने ऐकेडेमिक काउंसिल का इसमें उल्लेख किया है। अपने राजस्थान विश्वविद्यालय में भी ऐकेडेमिक काउंसिल है। सीनेट भी है। वहां स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व होता है। अब आप उसका क्या क्राइटेरिया रखेंगे? लेकिन जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ऐकेडेमिक काउंसिल है इसमें वहां के स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व आपको रखना चाहिये क्योंकि आपने जो एक्ट में दिया है उसमें खाली इतना सा ही हवाला दिया है ऐकेडेमिक काउंसिल होगा। वाइस चांसलर उसके चेयरमैन होंगे। उसमें मेरा सब्मिशन है कि आपने स्टूडेंट्स, क्योंकि यह ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो मैरिटोरियस हैं। ज्यादातर प्रोफेशनल हैं। इन विश्वविद्यालयों में आपको यह ऐकेडेमिक काउंसिल में स्टूडेंट्स को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। यह मैं निवेदन कर रहा हूं।

एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो फैसेलिटीज वहां पर दी जा रही हैं, चाहे हॉस्टल के रूप में दी जा रही हो, चाहे कैंटीन के रूप में दी जा रही हो, चाहे अन्य रूप में दी जा रही हो, उनकी भी देखरेख होनी चाहिये। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी से।

एक मेरा निवेदन यह था माननीय सभापति महोदय, निम्स विश्वविद्यालय अध्यादेश के थ्रू आपने बना दिया। आज स्थिति यह है निम्स विश्वविद्यालय की कि वहां एम.बी.ए. और एम.बी.बी.एस., जिन लड़कों ने दो तीन साल पहले एडमिशन लिया उनका एनरोलमैंट कुछ का तो एनरोलमैंट हुआ टैक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा से और कुछ का एनरोलमैंट हुआ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जयपुर से। अब आप तीसरी साल, फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में कह रहे हैं कि एनरोलमैंट वहां से करा के आओ उस विश्वविद्यालय में। कहीं यह होता है कि एनरोलमैंट दो-दो बार हुआ है? जब उनकी दो साल की परीक्षा

(श्री जुबेर खान)

कोटा विश्वविद्यालय या मेडिकल विश्वविद्यालय, जयपुर ले चुका है तो जो रिमेनिंग पार्ट आफ दी कोर्स है डिग्री का वह भी आपको उन स्टूडेंट्स का इन यूनिवर्सिटीज से कराना चाहिये। उनके सामने समस्याएं हैं। आप तो परीक्षा करा रहे हैं 3 अप्रैल को और निम्स विश्वविद्यालय करा रहा है 15 मई से और उनके पास दो साल की मार्कशीट तो मिल गयी इन यूनिवर्सिटीज की थर्ड ईयर की मार्कशीट दूसरी यूनिवर्सिटी की हो गयी। डिग्री दूसरी यूनिवर्सिटी की हो गयी। आप इसको मेहरबानी करके ऐसा मत करिये। कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स का एनरोलमैंट जिस यूनिवर्सिटी में हो गया है फाइनल डिग्री उनको उसी यूनिवर्सिटी से मिलेगी, मेरा आपसे सब्मिशन है कि आप ऐसा अन्याय मत करिये। यह कहीं नहीं होता कि स्टूडेंट्स की मर्जी के बगैर आप किसी को एक विश्वविद्यालय के एनरोलमैंट को काट कर उसको मजबूर करें कि आप यहां विश्वविद्यालय में एनरोलमैंट कराइये। यह कभी हिन्दुस्तान में नहीं होता। आप इसको जरूर दिखवाइये क्योंकि इनको मार्कशीट अलग-अलग, डिग्री अलग-अलग और लोगों में असंतोष है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

क्योंकि काफी वक्ता हैं, सभी बिल एक जैसे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार फिर से कोई भी नया विश्वविद्यालय खोलें क्योंकि इसमें तो आप आर्डिनेंस ले आए। आप वापस लेंगे नहीं। लेकिन आगे के लिये एक और बात है कि यह संस्थाएं होनी चाहिये। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर तो हो गयी लेकिन संस्था होनी चाहिये। इंस्टीट्यूशंस होने चाहिये। इंस्टीट्यूशंस बना नहीं। यूनिवर्सिटी, अब किसी आदमी ने अपनी बिल्डिंग बना दी, कुछ साझीदार कर लिये और सोसायटी रजिस्टर्ड करा ली। आप उसको यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। आप यह तो देखिये कि उन संस्था का बैक ग्राउण्ड क्या है? अब निम्स तो फिर सात साल पुराना है। सात साल पहले वह बिल्डिंग इनकी बनी जहां आज यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। उससे पहले निम्स के कोई अनुभव नहीं हैं। शिक्षा का कोई स्कूल नहीं है, कोई संस्था नहीं है और आप उसको यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट दर्जा देने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इंस्टीट्यूशंस होने चाहिये जिसको यूनिवर्सिटी देंगे। आप इसके ऊपर भी दिखवाइये कि ऐसा नहीं कोई भी आए, पैसे से बिल्डिंग बना दी और कह दे विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। आप उसके क्रिडेंशियल्स देखिये। उसका इतिहास देखिये कि इसका संस्था के रूप में कितनी इंस्टीट्यूशंस इनके चले हैं? क्या इनको अनुभव है? यह आपको देखना है।

(श्री जुबेर खान)

मैं तो अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन विश्वविद्यालयों का एक रेगुलेटरी बोर्ड जरूर बनायें जो कि इसकी देखरेख करे तभी सही मायने में होगा और जो नये विश्वविद्यालय आप बनायें उनको दो स्टेप रखकर, एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, दो-चार साल के लिए वह रखिये और जब वह क्राइटेरिया पूरा कर ले तब उसको फूलफ्लेस्ड यूनिवर्सिटी बनायें, मैं यही सबमिशन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मुझे आपने मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, श्री सी. पी. जोशी। (अनुपस्थित) श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): डा. हरिमोहन शर्मा।

श्री सभापतिः हैं, विद्वान तो हैं इसलिए पीएच.डी. दी है इनको हमने।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, ना तो मैं डाक्टर हूं और ना मैं पीएच.डी. हूं। मैं तो दिल का बीमार हूं, यह सारा सदन जानता है। आपको याद नहीं है?

श्री सभापतिः बस तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दिल के बीमार हैं इसलिए आप धीरे-धीरे बोलें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आप डाक्टर नहीं हो और विद्वान नहीं हो पर चिंगारी तो हो।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री) सभापति महोदय, मेरी एक रिकवेस्ट है कि यह बाइपास कराकर आये हुए हैं तो धीरे-धीरे बोलना आप, तेज मत बोलना।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बहुत आहिस्ता-आहिस्ता।

श्री सभापतिः आहिस्ता-आहिस्ता ही रहा करो ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको आज कोई विशेष खतरा नहीं है इस सदन में, आप चिंता ना करें, जोर से बोलूंगा तो भी सरल बोलूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इनका तो हमको खतरा नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः साठ के आसपास जब आदमी होता है तो थोड़ा धीमे-धीमे बोलना ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): खतरा इनको मोहनलालजी से था जिनको निपटा ही दिया इन्होंने, मुझे तो नहीं है खतरा ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): नहीं, नहीं, वह आपने गलत बता दिया। आपका अब रेस्ट करने का समय आया है, वृद्धावस्था धीरे-धीरे आयेगी, वह आश्रम होता है ना वृद्धाश्रम।

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें, वृद्धावस्था नहीं है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर मेरी परफार्मेन्स के बाद भी वृद्धावस्था मानकर के मुझे रेस्ट करवाना चाहते हो तो इससे बड़ी गलतफहमी आपको नहीं हो सकती है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): नहीं, गलतफहमी नहीं है। सीनियर हो ना इसलिए ख्याल करना मेरा फर्ज है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर, विधेयक, 2008 और इसके साथ ही सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी, झुंझुनूं विधेयक, 2008, एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर, निम्स विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 और सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, जयपुर, विधेयक, 2008 को जनमत जानने के लिए प्रेषित करने हेतु...

श्री सभापति: एमिटी, एमिटी, अमेठी नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या साहब, बोल गया शायद मैं फिर बोल देता हूं, एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर, 2008

श्री सभापति: एमिटी, एमिटी।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): इनको अमेठी ही याद आता है।

श्री सभापति: आयेगा।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): इनको अमेठी ही याद आता है।

श्री सभापति: नो, नो कमेंट्स मिस्टर।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, इस सरकार की हमेशा यह आदत रही है कि लोकतंत्रीय परम्पराओं का उल्लंघन करे और इसमें यह साढ़े चार साल में इतनी अभ्यस्त हो गयी है कि कहीं भी न तो संविधान की परम्पराओं का इन्होंने अनुसरण किया है और अवैधानिक रूप से बिना शपथ के मंत्रियों के रूप में काम लेने के यह आदी रहे हैं और उसी अनुसरण में अध्यादेश के माध्यम से जो यह पांचों यूनिवर्सिटी का जो यह अध्यादेश

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जारी किया वह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने आपके समक्ष अपने प्रस्ताव रखे थे कि जब विधान सभा का सत्र चलने वाला है तो क्यों करके यह आर्डिनेंस निकाले गये और क्यों करके विधान सभा के सत्र का इंतजार किया गया था, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। यह ऐसी कोई परिस्थिति भी उत्पन्न नहीं हो गयी थी कि इन पांचों ही विश्वविद्यालयों के लिए कोई आर्डिनेंस निकालना पड़े और खुद यह अब महसूस करते हैं कि हमने जल्दबाजी में यह विश्वविद्यालय के आर्डिनेंस जारी करवाये हैं। मूल रूप से आर्डिनेंस को फ्रेम करने में इनको पूरी संभावनाओं का पता नहीं था और इसी कारण से हर आर्डिनेंस में इन्होंने जो बिल पेश किया गया है, उसके बाद खुद सरकार ने ही उसको संशोधित किया है। अगर आपको यह जानकारी थी, अगर आप इन सारी परिस्थितियों से वाकिफ थे तो जिस समय आर्डिनेंस आपने निकाले उसी आर्डिनेंस के साथ जो क्लॉजेज आपने बाद में जोड़े हैं आज आपको जोड़ने की बात नहीं होती।

सभापति महोदय, यह इस बात को साबित करता है कि सरकार और विभाग उस समय भी पूर्ण रूप से इस बात के लिए तैयार नहीं था कि बिल कैसा होना चाहिए, एक-एक प्रोविजन का, क्या वास्तव में जल्दबाजी में इन निजी संस्थाओं से ना जाने क्या बात हुई, ना जाने क्या चीज की अंडरस्टैंडिंग बनी, ना जाने इनकी आपस में क्या सोच बनी, ना जाने क्या इन निजी संस्थाओं पर किस विचारधारा से यह राजस्थान की इस राजनीति में केसरिया के रूप में घुसाना चाहते हैं। यह ना जाने किस प्रकार के इन लोगों से आपस में मिल-मिलकर के कोई सौदेबाजी की सम्भावना इनकी बनी है। अगर यह संभावनाएं नहीं थी, अगर फिर यह बात नहीं थी तो आपको उस आर्डिनेंस की इतनी जल्दी हर आर्डिनेंस में इस प्रकार का संशोधन करने की जो बात आज आयी है, वह अपने आप में इस बात को साबित करती है कि आपने आर्डिनेंस निकालने की जल्दबाजी की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई आदमी भगवान होता है।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): यह है केसरिया तो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भगवान।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आदमी भगवान होता है क्या।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने दुर्गाजी और अन्नपूर्णा नहीं देखी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह संविधान में अमेंडमैंट ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने दुर्गाजी और अन्नपूर्णा नहीं देखी ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): संविधान में अमेंडमैंट नहीं है क्या ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम तो मानते हैं कि हो गया भगवान ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसा कौनसा एक्ट है जिसमें अमेंडमैंट नहीं हुआ ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम तो मानते हैं, एक आदमी को भगवान ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जब ऐसा लगता है तो अमेंडमैंट ले लेंगे, इसमें क्या है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आदमी को भगवान बनाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग जब राम का मंदिर नहीं बना पाये तो इन्होंने आदमियों को ही भगवान के रूप में फोटो छपवाने चालू कर दिये। आप तो अभ्यस्त हो इस बात के ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः बिराजें, बिराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम तो पत्थर को ही भगवान मानते हैं, आप तो आदमी की बात करते हो।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): केसरिया इधर है।

श्री सभापतिः बिराजें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या?

श्री सभापतिः इधर देख कर, माननीय मंत्रीजी, इधर सामने ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह सारे मैंने सिक्वेंस बता देता हूं।

श्री सभापतिः नहीं, आप बोलें, अच्छा बोल रहे हैं आप बोलें।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपका अजीब है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निजी शिक्षण संस्थाएं हम इसलिए भी पसंद करते हैं कि कोई भी राजस्थान की सरकारी शिक्षण संस्थाओं को इस योग्य नहीं मानते हैं कि अपने बच्चों को उसमें पढ़ायें और राजस्थान की सरकार इस बात में अग्रणी है। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल का कोई भी बच्चा इन निजी शिक्षण संस्थाओं में तो पढ़ता है लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थाओं को लगातार कमजोर करने का जो राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है और उनके जो मापदंड हैं उन मापदंडों में सरकार का ही विश्वास नहीं होगा तो सभापति महोदय, आप ही बतायें कि अगर हम खुद हमारी संस्थाओं में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने तो पढ़ाये हैं ना।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, मैं खुद भी पढ़ा और मेरे बच्चे भी पढ़े।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो पढ़े हो, पोतों को पढ़ा रहे हो क्या।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, वह भी पढ़े हैं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या पढ़े हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकारी में।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मेरे चार बच्चे हैं, चारों के प्रमाण-पत्र लाकर के दे दूंगा कि सरकारी में पढ़े हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पोतों का बतायें पोतों का।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पुराने समय का तो ठीक है, पोतों को बतायें ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पोतों का बतायें, पोते कहां पढ़ रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या?

श्री अमराराम (धोद): पोते तो बच्चे पढ़ायेंगे कि वह कहां पढ़ायेंगे, यह थोड़े ही पढ़ायेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इनसे कह रहे हैं, आप नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हर बालिग परिवार अलग है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब बोलो ना ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): विषय को डाइवर्ट मत करो ...(व्यवधान) पोते कहां पढ़ रहे हैं यह बता दें ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बालिग परिवार अलग हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें माननीय सदस्य, लैट हिम स्पीक।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, यह इसलिए भी प्रस्तुत हुआ है कि इन भावनाओं से आप राजस्थान की वर्तमान सरकार में रहते हुए, राजस्थान की सरकारी यूनिवर्सिटी में वह उपलब्धि नहीं दे सकेंगे जो प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं।

सभापति महोदय, इनका एक सोच यह भी है कि यह इन शिक्षण संस्थाओं में कैसी सोच, कैसी विचारधारा और कैसे दृष्टिकोण और किस विचारधारा के लोग उन संस्थाओं में बैठे हैं, यह राजस्थान का जो वर्तमान में वातावरण है उसको अपनी विचारधारा से, सांप्रदायिक सदभाव बिगाड़ने के दृष्टिकोण से, सांप्रदायिक विचारों के लोगों को इन निजी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अग्रेषित करने का यह प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा है यह, इनका खुद का एजेंडा है कि हम हमारी विचारधारा के माध्यम से जो विद्यालय हैं उसमें उस दृष्टिकोण से चलाकर राजस्थान का जो सोच है उसको सांप्रदायिक सोच की परिवर्तित करने की दृष्टिकोण से निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए उन शिक्षा समितियों को जो इनके विचारों से जुड़ी हुई हैं उनको यह लाभ पहुंचाना चाहते हैं, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह संस्थान वातावरण खराब कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अभी तो आप कर रहे हैं वातावरण मेरा खराब।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह जो परिस्थितियां पैदा हुई ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अभी तो आप मेरा वातावरण खराब कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): विषय बहुत अच्छा चुना है आपने।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान की शिक्षा का स्तर ऊँचा उठे, राजस्थान

(श्री हरिमोहन शर्मा)

की शिक्षा की ठीक व्यवस्था हो, राजस्थान की शिक्षण संस्थाएं तरक्की करें। लेकिन एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कभी यूनिवर्सिटीज का महत्व हुआ करता था कि किस विश्वविद्यालय से है, कौनसा विश्वविद्यालय है जो हिन्दुस्तान में नाम कर रहा है। कौनसा विश्वविद्यालय है जिसकी कितनी कीर्ति है। यह गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ में आपने संस्थाओं की दुकानें लगाने से कि शिक्षा का स्तर ऊँचा उठेगा और उन विश्वविद्यालयों का नाम जिसकी डिग्री लेकर के राजस्थान के कोने में आदमी फिरेगा तो जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी हैं और जो बड़े-बड़े कॉलेज हैं और जो बड़े-बड़े एडमिशन के सेंटर हैं। वहां इन यूनिवर्सिटीज का नाम देखकर, उनकी डिग्रियों को फाड़कर उनको घर भेज देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार पाँच विश्वविद्यालय तो यह आ गए, पाँच विश्वविद्यालय की आपने तुरत-फुरत में फिर तैयारी कर ली और 27 तारीख को आने वाले उसमें सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय और आ गया, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय और आ गया, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 और आ गया, जगन्नाथ विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 पर चर्चा और आ जाएगा और इस प्रकार से आपने लगातार निजी शिक्षा के क्षेत्र में उन लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में न तो माहिर हैं, न विद्वान हैं, न जिनका एकेडमिक कैरियर है। उनका कैरियर हैं 'व्यावसायिक', उनका कैरियर है 'व्यावसायिक' सब लोग व्यावसायिक हैं। अगर वे बौद्धिक दृष्टिकोण से, पी.एच.डी. या इन्टेलेक्चुअल आदमी होते और माननीय सभापति महोदय, ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं यह सेठों की दुकानों के रूप में है और सेठ इनको चलाएंगे और सेठों के चलाने के बाद कोई भी अगर बौद्धिक दृष्टिकोण या अच्छे से अच्छा विद्वान आदमी होगा उसको कितने लाभ में उसको अपने एम्प्लायमैंट में रखेगा, पूरा उन विश्वविद्यालय के शिक्षकों का शोषण होगा और जो टेक्नीकल यूनिवर्सिटीज या दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें योग्य अध्यापकों के अभाव में योग्य स्नातक ये यूनिवर्सिटीज पैदा नहीं कर सकती।

आपने महसूस किया न पहले जगह-जगह आपने शराब की दुकानें खोल दीं ...(व्यवधान) जी, हां। आप सुन तो लो। आप सेफ हो, आज कोई डार्क जोन में नहीं हो, आप डार्क-जोन में नहीं हो, सेफ हो आज। खोल दी, सबने हल्ला किया और क्या हुआ? बजट में फिर घोषणा की कि साहब, हम मंदिर, मस्जिद वाली हमसे गलती हो गई वापस ले लेंगे, ऐसे ही गली-गली में

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जो यह यूनिवर्सिटीज खोल कर राजस्थान की जो वर्तमान स्थिति है, उसमें आप बिलकुल गलत काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक सिस्टम बनाइए, आपका कोई सिस्टम नहीं है, कोई तो उस फण्ड में एक करोड़ दे देगा, कोई दो करोड़ दे देगा, कोई ढ़ाई करोड़ दे देगा, यह विमजिकल क्यों? आप खुद तय कीजिए कि इस फण्ड में इतना पैसा देना पड़ेगा। आपके जो चाहने वाले हैं कल की तारीख में जाती-जाती सरकार है आपकी, इसीलिए आप यह यूनिवर्सिटीज खोल रहे हो और हिसाब-किताब करने में आप माहिर हो और हिसाब-किताब करने के कारण इन निजी शिक्षण संस्थाओं का पूरा हिसाब-किताब करके जाते-जाते आप अंधों को सिरणी बांटते हैं, वह बांटकर भगना चाहते हो तो यह राजस्थान के हित में नहीं कहा जा सकता। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पाइण्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री सभापति: क्या पाइण्ट ऑफ ऑर्डर?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा पाइण्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि यह 294 में मेरा पाइण्ट ऑफ ऑर्डर है कि यह जो काल्पनिक बातें हैं वह यहां नहीं कर सकते। तथ्यों के आधार पर, काल्पनिक आधार पर, मतलब आपका छिपा एजेण्डा है, अब तक तो यह ढूंढ नहीं पाए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): यह तो दिख रहा है महावीरजी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बोलते क्यों नहीं हो दिख रहा है तो? अंधे क्यों हो रहे हो? दिख रहा है तो बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह कीर्तिमान स्थापित करने का यूनिवर्सिटीज का, आपको इसी महीने में क्यों सूझा? (व्यवधान) बात तो सुनो आप, आप साढ़े चार साल, सवा चार साल से राज कर रहे हो ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह जो आर्डिनेंस आया है यह पहले नहीं आ गया था क्या? (व्यवधान) तो सारे काम क्या एक साथ ही हो जाते हैं क्या? (व्यवधान) आपने इतने सालों में क्या किया? यह हमको

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इसलिए लाने पड़े कि आपने सारा शैक्षणिक वातावरण खराब कर दिया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, यह व्यवधान कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह व्यवधान नहीं कर रहे हैं, आप व्यवधान को इन्वाइट कर रहे हैं।

श्री सभापति: आपका पाइण्ट ऑफ ऑर्डर मैंने मान लिया है, आप फरमाएं। (व्यवधान) आपका पाइण्ट ऑफ ऑर्डर मान लिया है और मैं माननीय सदस्य से कह रहा हूं कि आप बैठिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप मुझसे पुराने हैं, मैं सीखने के लिए बैठता हूं, मैं चाहता हूं कि आप कोई ठोस बात करें।

श्री सभापति: ठोस बात कहें आप, ठोस बात कहें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जाते-जाते आप यूनिवर्सिटीज गली-गली में खोल रहे हो। (व्यवधान) मुझे आपके जाने के मामले में कि आप जाएंगे, इसका मूल आधार जनता की भावना के साथ-साथ आप सब लोगों का भी ध्यान पर्दे के पीछे जो है उसकी ओर मैं मानता हूं और मैं स्पष्ट हूं कि आपकी सरकार का इस प्रकार से जाना तय है, उसमें दिमाग मत लगाओ आप, कतई दिमाग लगाने की बात नहीं है, हण्ड्रेड पर्सेण्ट, एक सौ एक पर्सेण्ट तय है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको यह पता नहीं है, आपका घर इतना टूटा-फूटा हो गया है और उसमें आप यह उम्मीद लगाए बैठे हो, यह जो हैं, वह भी दिखाई नहीं देंगे। आपने रामनारायणजी का, कल्लाजी का जिस प्रकार से अपमान किया है और मदेरणा साहब का जो अपमान किया है, आप क्या समझते हो कांग्रेस फिर आएगी?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें। (व्यवधान) शर्तिया आएगी, बिलकुल आएगी, कोई रोक नहीं सकेगा कांग्रेस को, कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकेगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): किसी भी कीमत पर कांग्रेस नहीं आएगी।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कांग्रेस की आंधी आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। (व्यवधान) आप अपना उपाय कर लेना कि आप आओगे कि नहीं आओगे, कांग्रेस तो आएगी, बिलकुल आएगी कांग्रेस। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) अशोक गहलोत को निपटाना है, यह आपने कहा है, मेरे पास है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप जसौल में किसको निपटाने गए थे, किसको निपटाने गए थे जसौल में?

श्री सभापति: विराजो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं आपको निपटाने गया था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे को आप क्या निपटाओगे?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): बीकानेर में काहे के नारे लगे कल्ला साहब? कल्ला साहब, बीकानेर में किसके नारे लगे, जिन्दाबाद या मुर्दाबाद?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): कल्ला साहब तो निपटे निपटाए हैं, उनको क्या निपटाएंगे?

श्री सभापति: अब हो गया, अब आप विराजें। माननीय सदस्य, अब कोई नहीं बोलेगा। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं साहब, पाँच विधेयक हैं, एक पर तो डटकर बोलेंगे। पाँच में से एक बार ही तो बोल रहे हैं, एक बार ही तो बोलेंगे।

श्री सभापति: हां, बोलो। आप विराजो।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप कोप भवन से इनको उठा रहे थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपका कोप भवन का क्या मतलब है? हम तो मालिक हैं इसके, आप कोप भवन की बात करते हो, हम मालिक हैं, आपको पता नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): फिर जसौल में क्या कर रहे थे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): केसर पी रहे थे जसौल में, क्या आपने कभी चखी है केसर?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): पी रहे थे, पिला रहे थे और सो रहे थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कैसी निकम्मी सरकार है, केसर पीने वालों के खिलाफ भी बदले की भावना से अफीम का केस दर्ज करवा दिया, बहुत निकम्मी सरकार है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सरकार ने नहीं कराया है, सरकार ने नहीं कराया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें ... (व्यवधान) राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हरिमोहनजी, आप बता दो, बीकानेर में दो दिन पहले कल्ला साहब के विरुद्ध क्या नारे लगे? जिन्दाबाद या हाय-हाय, कैसे नारे लगे थे?

श्री सभापति: आप दो-चार मिनट रिलेक्स हो जाएं, आप रिलेक्स हो गए। (व्यवधान) हरिमोहनजी, आप अब बोलो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वहां कोई नारेबाजी नहीं हुई लेकिन आपके नेताजी की गाड़ी नहीं घुसने दी। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आपका देखो, पहले आपको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, फिर आपको नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया, फिर आपके बीकानेर में जाकर नारे लगवा दिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप मेरी चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता करो।

श्री सभापति: बस, आई विल नोट अलाउ। बैठिए आप।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): नारे तो जिंदा दिल लोगों के खिलाफ लगते हैं, जो जिंदा दिल होते हैं उनके खिलाफ ही नारे लगते हैं, मुर्दों के खिलाफ क्या नारे लगेंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनकी तो हिम्मत है नहीं, पाली में आपके कोई मंत्री तो जाए वहां पर, पता लग जाएगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मैं जाकर आया हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कौन जाकर आया है, क्या जाकर आया है? आप असत्य बयानबाजी नहीं करेंगे। कौन गया था बताइए?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मानिकचन्दजी सुराना गए थे जिनके साथ सद्गति का व्यवहार नहीं किया जनता ने।

श्री सभापति: कृपया शांति बनाए रखें। बस हो गया, आप रिलेक्स हो गए, ठीक है, आगे बोलिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, इनकी कई गतिविधियां हैं, उसके अनुसार इनका चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है लेकिन जो दुर्गति की है न राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजस्थान की राजनीति में जिन्होंने इतिहास बनाया है न, भारतीय जनता पार्टी का, जिनको खण्डहर के रूप में गिरा-गिरा कर नीचे धूल धूसरित किया है।

श्री सभापति: अब आप तो पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी पर आ जाओ। यह खण्डहर-वण्डहर छोड़ो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उन खण्डहरों का पुनर्निर्माण हो रहा है, करोड़ों रुपए राजस्थान की सरकार खर्च कर रही है, उन खण्डहरों को देखने के लिए लोग आते हैं, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है, आपको पता नहीं है, उनको देखने के लिए लोग आते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप अपने खिलाफ झूठे मुकदमों को ही नहीं निपटा पा रहे हैं, आपकी दुर्गति से मैं वाकिफ हूं। प्रहलाद गुंजल की जो दुर्गति हुई उससे वाकिफ हूं, जगन्नाथ वर्मा की दुर्गति की आपने उससे वाकिफ हूं, सुरेन्द्रजी के साथ जो दुर्गति आप कर रहे हो उससे मैं वाकिफ हूं, आप लोगों के साथ और घनश्यामजी तिवाड़ी के साथ और आपकी पूरी मण्डली के साथ जो दुर्गति हुई उससे हम वाकिफ हैं। आप ज्यादा चिंता मत करो और समय रहते समझौता करके उन दरारों पर पर्दा डालने का आप प्रयास करेंगे तो राजस्थान की जनता मानने वाली नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हमारे दो वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे हैं उनका तो ध्यान दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दुर्गति न तो किसी ने की और न किसी की हिम्मत है। आप लोग लाख जोर लगा लो, आपने कुछ भी किया उसके कोई परिणाम नहीं आए। आपने बहुत षड्यंत्र कराया। जहां तक दुर्गति की बात है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप हमारे षड्यंत्र के शिकार हुए हैं क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): शिकार तो नहीं हुए, आपने कोशिश की, पर उसके शिकार हम नहीं हुए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): समय रहते समझ गये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): समझ क्या गये, हम तो समझे हुए हैं।

श्री सभापति: विराजें। प्रारम्भ करें प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बुद्धम् शरणम् गच्छामि।

श्री सभापति: यह तो रात के एक बजे तक चलता रहेगा फिर। इस तरह कैसे चलेगा?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ठीक है समझौता कर लिया, भाजपा में प्रणाम करके समर्पण भाव से ..(व्यवधान)

श्री सभापति: आप कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं होंगे। बिना आसन की अनुमति के कोई बोले ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): न तो किसी से लड़ाई है, आपसे ही जब लड़ाई नहीं है तो और किसी से क्या होगी? हम तो आपसे ही दोस्ती रखते हैं।

श्री सभापति: अब आप कह दें, माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आपका किसी से वैरभाव नहीं है, शांतिप्रिय हैं और ''वैरम् भजम् न त्रैणयी''। चलिए, बहुत अच्छी बात है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि कोई मापदण्ड, जैसे जमीनों का मामला है यह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, आप इसके लिए भी ऐसा यूनिफार्म तरीका बनाएं, खाली 10 बीघा, 5 बीघा या 50 बीघा उसमें जो काम्पेक्ट एरिया हो यूनिवर्सिटी का, अगर आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, दुकानें ही चलाना चाहते हो जब तो आपको जंचे जो करो, लेकिन यूनिवर्सिटी कैम्प्स बनाना चाहते हो, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हो जिसको देखकर आम आदमी को यह लगे कि यह यूनिवर्सिटी है। शिक्षक को भी लगे, शिक्षार्थी को भी लगे, आम जनता को भी लगे और आम रूप से यह धारणा बने कि यह यूनिवर्सिटी है इसके लिए एक तरीके के मापदण्ड आपको निर्धारित करने चाहिए।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

यह भी जानकारी मिल रही है, मुझे पता नहीं कि आपने पांचों यूनिवर्सिटी को कोई जमीन दी या नहीं दी, अगर सरकार ने दी है, क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी कि शिक्षण संस्थाओं को हम रियायती दर पर जमीन अलॉटमैंट करेंगे ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। किसी जगह यह भी घोषणा की थी कि गर्ल्स कॉलेज खोलेंगे तो हम मुफ्त में देंगे, किसी जगह यह भी की थी कि डी.एल.सी. रेट पर देंगे। तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन आप यह भी स्पष्ट कर दें कि जो 5 यूनिवर्सिटी या जो 4-5 घोड़े दौड़ा रहे हो इन यूनिवर्सिटीज को क्या कोई जमीन राज्य सरकार ने अपनी ओर से दी है? अगर दी है तो कृपया यह भी बताएं कि किस -किस दर पर दी है या मुफ्त में दी है। यदि नहीं दी है तो कोई बात नहीं है और नहीं दी है और न आगे आप दोगे इस बात के लिए भी आप हमको आश्वस्त कर दो कि आगे भी आने वाले समय में जो हमने यूनिवर्सिटीज खोली हैं उनको सरकारी स्तर पर कोई जमीन नहीं दी जाएगी।

मैं आखिर में माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो टेम्प्रेरी लेक्चरर्स हैं उनकी भर्ती का सवाल आया। उनमें 200, 154 प्लस 122 हैं। आपने कुछ लोगों को तो उसमें भर्ती कर दिया, कंफर्म कर दिया और कुछ लोग उसमें शेष हैं। आपने एडवोकेट जनरल की राय भी ले ली जो मेरे पास है और आपके पास भी आ गई होगी क्योंकि सरकारी स्तर पर ही राय ली गई है।

श्री सभापति: कल है। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, वह कल रखा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, आप जानते हो, माननीय सभापति महोदय, आप कल बोल रहे थे ..(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): लेकिन आपका संशोधन जिस पर है उस पर ही आप बोल सकते हो इसमें। यह विधायी कार्य है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): संसदीय सचिव महोदय, आप जानकारी कर लो, संशोधन नहीं है। जनमत जानने का है, संशोधन तो कल्ला साहब का है, आप आगे समझ लेना उस बात को। ये महावीरजी जान-बूझकर आपको सही बात नहीं बताएंगे। आपको गलत बात बताएंगे।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो गाइड करते हैं, लेकिन यह आपका जो है यह मेरे सामने ही पड़ा हुआ है। मुझे

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

पता है कि संशोधन क्या है? मैं पूरे नियम, प्रक्रियाओं से चलता हूं, यह आपका इसमें पडा हुआ है।

श्री सभापति: विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, ये आपसे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कुलपति का काम है, कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा, वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वही कुलपति की नियुक्ति करेंगे। कम से कम कुलपति की नियुक्ति में तो राज्य सरकार का हस्तक्षेप होना ही चाहिए प्राइवेट संस्थाओं में, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे सुपरवाइजरी रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो।

मैं आखिर में यह निवेदन करता हूं कि ये जो पांचों विश्वविद्यालय के आप बिल लाये हैं वे जल्दबाजी में लाये हैं इस पर और विचार होना चाहिए और आप खुद अपनी भूल को स्वीकार करके आर्डिनेंस के बाद जो क्लॉजेज इसमें जोड़ी हैं, स्वयं आप अपनी भूल को स्वीकार कर रहे हैं कि आपने जल्दबाजी की है। इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए ताकि आम जन इस पर और विचार कर सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजें। माननीय वीरेन्द्रजी बेनीवाल। (अनुपस्थित) माननीय अमरारामजी धोद।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, आज जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर, सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनू), सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर, निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर पर जनमत जानने के प्रस्ताव के पक्ष में मैं कहना चाहूंगा कि यह राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण और व्यावसायीकरण कर रही है इसके लिए मैं समझता हूं यह इस विधान सभा का सबसे काला दिवस होगा।

जहां राजस्थान में प्राथमिक विद्यालय से लेकर विद्यालय, महाविद्यालय और आज निजी विश्वविद्यालय के एक्ट 5 लेकर आये हैं इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को शिक्षा का व्यवसाय के रूप में उपयोग करने की जो छूट देने का इस विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है, सैकड़ों एकड़ जमीन आज इन विश्वविद्यालयों को जयपुर के नजदीक हैं, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय और

(श्री अमराराम)
जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनका जो चरित्र सामने आया है ..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नंदीग्राम में क्या हुआ?

श्री सभापति: नो कमेंट्स प्लीज। अभी ये जस्ट स्टार्टेड। आप बीच में नहीं।

श्री अमराराम (धोद): इसलिए सभापति महोदय, शिक्षा को व्यवसाय के रूप में ..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हम तो इनकी पार्टी का चरित्र समझाना चाहते हैं कि नंदीग्राम में क्या-क्या किया?

श्री अमराराम (धोद): आप आ जाना मेरे पास।

श्री सभापति: नंदीग्राम से कुछ नहीं होगा, आप भी कुछ कर लो। बार-बार नंदीग्राम, घड़साना इस तरह से कहने से तो काम नहीं चलेगा। काम तो करने से चलेगा। चलिए, स्टार्ट करिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस सरकार ने चार साल में 46 बार गोलियां चलायी हैं। वह नंदीग्राम का कुछ नहीं ..(व्यवधान)

श्री सभापति: अभी आपका समय आने वाला है, विराजें आप। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आपके राज में 35 काल पड़े हैं वो भी बता दो।

श्री सभापति: 5-7 मिनट का रिक्रिएशन हो गया। बोलिए आप।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, शिक्षा को भी व्यवसाय का रूप देकर उन पैसे वालों के लिए एक रास्ता खोलने का और आम जनता को लूटने का और तय रूप से सरकार इस बात के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है क्योंकि राजस्थान में जितने भी 10-12 विश्वविद्यालय हैं, कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन विश्वविद्यालय और खोलने की घोषणा की है, लेकिन जितने विश्वविद्यालय हैं उनकी जो स्थिति पैदा की है, आज प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक जितने हमारे शिक्षक होने चाहिए आज तक हम शिक्षकों की पूर्ति नहीं कर पाये। आज उनको जितनी ग्रांट मिलनी चाहिए थी वह हम नहीं दे पा रहे हैं। आज उनकी स्वायत्तता पर हमला

(श्री अमराराम)

करने की, हमारी राजनैतिक इच्छा शक्ति को लागू करने की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि विश्वविद्यालयों का ऑटोनोमस इसलिए है कि विचारों का मंथन हो और नये-नये विचार हों और समाज में नये-नये जो भी कार्य क्षेत्र हैं, शिक्षा के जो विभिन्न रूप हैं उनमें नई खोज होकर समाज को उनका लाभ मिले इसके लिए राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको ऑटोनोमस इस बात के लिए दिया गया कि विचारों का आदान-प्रदान हो, विचार-विमर्श हो और नई खोज होकर समाज को उसका लाभ मिले। मैं समझता हूं कि यह भावना लेकर विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, मैं समझता हूं आज केवल पैसे के बल पर विश्वविद्यालय के लिए भूमि, मैं नहीं राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक सार्वजनिक समारोह में कहा कि ये जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं जिनके लिए हम यहां एक्ट पास करने के लिए सारा लेकर आये हैं वो केवल भूमि हड़पने के लिए, क्योंकि जिस तरह जमीनों के जो भाव हैं आज जयपुर में 157 एकड़ जमीन एक-एक विश्वविद्यालय के लिए 45-45 एकड़ जमीन, करोड़ो-अरबों रुपये की जमीन टोकन मनी पर देकर जिस तरह से शिक्षा का व्यवसाय करने का काम किया है क्योंकि जितने भी निजी महाविद्यालय हैं, यह जो निम्स मेडिकल कॉलेज हैं, क्या हालत है, ये मैनेजमेंट की सीटों से कई लाख रुपये लेकर उन अयोग्य लोगों को एडमिशन दे रहे हैं। चाहे वह इंजिनियरिंग कालेज हो, दूसरे जितने भी निजी, राजस्थान की सरकार के द्वारा जो पीईटी होती है, आपने लिस्ट जारी की, कालेज एनाउंस किये उसके बाद में भी उनको एडमिशन नहीं दिया, डोनेशन लेकर उनको एडमिशन दे दिया, जब आप उसको विश्वविद्यालय का स्वरूप दे देंगे तो मैं समझता हूं उनको लूटने की खुली छूट होगी। अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे कि कुलाधिपति 5 साल के लिए नियुक्त होगा और दुबारा उसकी नियुक्ति नहीं होगी लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक उसका स्थान लेने के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति नहीं होगी जब तक वही करता रहेगा और जो उनका मेनेजमैंट बोर्ड है, वह जब तक राज्य सरकार से, दूसरा कुलाधिपति किस बात के लिए करेगा? जब उनकी सलाह जो होनी है, वह पांच साल की नियुक्ति करने के बाद जब तक उसकी इच्छा होगी, मेनेजमेंट कमेटी की, उस को कंटीन्यू करेगा और वहां वाइस चांसलर, सभापति महोदय, इस तरह के जितने मैं समझता हूं पांच के बिल आज लेकर आए हैं, 27 तारीख को चार और लेकर आ रहे हैं, मैं समझता हूं रोज एक विश्वविद्यालय को आप अनुमति देंगे लेकिन इतना उनको टीचिंग

(श्री अमराराम)

करने वाले मैं समझता हूं हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, मैं समझता हूं, कतई नहीं मिल सकते, अगर मिलेंगे उनके साथ भी चीटिंग जिस तरह से आज निजी विद्यालय और महाविद्यालयों में किया जा रहा है, अभिभावकों का शोषण हो रहा है, शिक्षक का शोषण हो रहा है जो उसको चलाने वाले मेनेजमैंट के लोग हैं वह मालामाल हो रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह से मैं समझता हूं, शराब माफियाओं को पैदा करने का काम किया, मैं धन्यवाद दूंगा, सरकार ने उन शराब माफियाओं को राजस्थान में समाप्त करने का काम किया है लेकिन जिस तरह से आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, अनेक विश्वविद्यालयों में ... (व्यवधान) भले काम के लिए भी तो धन्यवाद है लेकिन अब आप शिक्षा माफिया पैदा करने का काम कर रहे हैं और फिर इसके बाद कहेंगे कि इनको समाप्त करने का काम करेंगे। कल मुख्य मंत्रीजी ने कहा जो पूर्व विधायक हैं, अन-लिमिटेड रोडवेज के उनके पास थे, काट करके सौ कर दिये, अब वाहवाही ले रहे हैं कि हमने सौ से दो सौ कर दिये तो अन-लिमिटेड से सौ किसने किये थे ? इसलिए यह जो वाहवाही लेने की बात मैं समझता हूं कि शिक्षा जो समानता के लिए सब को अवसर दे, सरकार का दायित्व है, जब रिजर्वेशन के लिए, एंटी रिजर्वेशन के लिए लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन के लोग अयोग्य हैं लेकिन इन निजी शिक्षण संस्थाओं में जो क्वालिफाइड भी नहीं करते, उनको मेनेजमैंट की सीट से एडमिशन दिया जाता है, मैं समझता हूं, एक शब्द भी वह लोग नहीं कहते कि अयोग्य लोग इन निजी शिक्षण संस्थाओं से डाक्टर बन कर आते हैं, इंजीनियर बन कर आते हैं उसके लिए कोई शब्द नहीं कहेगा लेकिन जो हजारों साल से पीड़ित लोग हैं उनको सरकार ने रिजर्वेशन के माध्यम से कोई संरक्षण दे दिया तो उनके खिलाफ तो निश्चित रूप से भावनाएं पैदा की जाएंगी, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा लेकिन इन निजी शिक्षण संस्थाओं से वह पैसे वाले लोग जो अयोग्य हैं, ऐसी डिग्री लेकर आएंगे। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह शिक्षा माफिया पैदा करने का जो सरकार काम कर रही है यह कतई राजस्थान के मेहनतकश जनता के, उस मुट्‌ठीभर लोगों के लिए हो सकता है कि बढ़िया हो सकता है जो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, अयोग्य होने के बाद उनके पुत्रों को एडमिशन मिल जाएगा, मेनेजमैंट सीट से उनको डिग्रियां मिल जाएंगी लेकिन मैं समझता हूं यह राजस्थान की आम-अवाम के हित में नहीं है, बेहतर होता राजस्थान के विश्वविद्यालयों को मजबूत किया

(श्री अमराराम)

जाता उनमें और विषय खोले जाते, जितने पद हैं उनको भरा जाता, उनको जितना जो भी अनुदान दिया जाता वह समय पर दिया जाता, इसके बजाय एक रास्ता खोल कर माफिया पैदा किया जा रहा है। इस तरह से ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद): माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने और निजी शिक्षण संस्थाएं कर रही हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए आम जनता के बीच में परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय बुलाकीदासजी कल्ला।

श्री अमराराम (धोद): जिससे सब तरह से उनके भावनाएं आ सकें।

श्री सभापति: माननीय डाक्टर, बुलाकीदासजी कल्ला, बिराजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं पांचों विश्वविद्यालयों के जो विधेयक यहां आए हैं जिसमें सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, सिंघानिया विश्वविद्यालय (पचेरी बड़ी) झुंझुनूं, एमिटी विश्वविद्यालय, जयपुर, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर और निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर इन पांचों को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु अपने प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

जब शिक्षा विभाग की मांग संख्या-24 पर यहां डिस्कशन हो रहे थे तो मैंने सदन को आपके माध्यम से यह अवगत कराया था कि हमारे देश में सीनियर सैकण्डरी स्कूल की परीक्षा के बाद लोग कालेज में आते हैं, यूनिवर्सिटीज में आते हैं, उनकी संख्या सौ में से 13 लोग जा पाते हैं और विश्व में यह औसत करीब-करीब 93 परसेंट है, 93 परसेंट लोग कालेज और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, चाइना में 72 परसेंट लोग जाते हैं, यू.के. में, यू.एस. में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में करीब 91 परसेंट लोग जाते हैं, हमारे यहां यह प्रतिशत कम है और उसी दिन मैंने यह सदन को बताया था कि हमारे देश में 1500 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है और राजस्थान में करीब 50 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, अब मैं ...(व्यवधान) इन्होंने रिपीट किया न? तो उसके लिए तो धन्यवाद कि आप लोग हमारी अच्छी बातों को फॉलो करते हैं लेकिन सवाल इस बात का है कि आप विश्वविद्यालय कैसे खोल रहे हैं, आपने अपने उद्देश्यों में यह बताया, वह ज्ञान का प्रसार करने के लिए,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अनुसंधान करने के लिए और नये-नये विषयों की राजस्थान के विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए अभियांत्रिकी विषय जो विषय नहीं हैं उनको प्रारम्भ करने के लिए आप यह विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, 3 विश्वविद्यालय तो जयपुर में ही खोल दिये आपने। पहले किसी वक्त में यहां जयपुर में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था 62 में उदयपुर और जोधपुर में विश्वविद्यालय खुले और उसके बाद कालूलाल श्रीमाली समिति ने संभागीय मुख्यालयों पर विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपनी रिकमंडेशन दी और वह कई दिन ठंडे बस्ते में पड़ी रही। हम लोगों को सौभाग्य मिला फिर हमने उन विश्वविद्यालयों को राजस्थान के हित में खोला लेकिन अब एक ही जगह उदयपुर में विश्वविद्यालय खोलने या जयपुर में विश्वविद्यालय खोलना जो जिले नहीं हैं वहां पर खोलते तो कोई समझ में आती बात और फिर विश्वविद्यालय के लिए, सभापति महोदय, तीन स्टेजेज होती है, सबसे पहले ऑटोनामस कालेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी और फिर कुल-फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी। यहां स्थिति यह है सीधे ही यूनिवर्सिटी बना दी। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इन यूनिवर्सिटीज में क्या स्थिति हुई है। आपने क्या यू.जी.सी. के नार्म्स फॉलो किये हैं और इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आप राजस्थान में यूनिवर्सिटीज वास्तव में डवलप करना चाहते हैं तो आपको यहां स्टेट यू.जी.सी. बनानी पड़ेगी, जब तक स्टेट यू.जी.सी. का आफिस नहीं होगा जब तक इसका कोई नियंत्रण इन यूनिवर्सिटीज पर नहीं रहेगा इसलिए स्टेट यू.जी.सी. का आफिस आप बनाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: Who will give the money ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, इन्होंने जो सुझाव दिया है उसका अर्थ है कि यह जो संस्थाएं सारी चल रही हैं इनकी निगरानी रखने के लिए कोई न कोई बॉडी होनी चाहिए। इसका माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि इन सारी संस्थाओं को चलाने के लिए एक निगरानी करने वाली बनाएंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आफिस होना चाहिए जो तमाम फीस के ऊपर, इनके कॉडर के ऊपर यह लोग पूरा वेतन देंगे या नहीं देंगे, इन सब चीजों के ऊपर इसका एक तरह से नियंत्रण करेगा और वह नियंत्रण नहीं होगा तो यह यूनिवर्सिटीज वास्तव में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यह पॉकेट इंस्टीट्यूशन, व्यावसायिक

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इंस्टीट्यूशन बन कर एक निश्चित रूप से एक व्यक्ति के फायदे के लिए होंगी। संस्थाओं का जो लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए वह प्रदेश को लाभ नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपको, सभापति महोदय, यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो वहां फेकल्टी कैसी है, हमारे यहां यू.जी.सी. नार्म्स यह हैं कि एक प्रोफेसर कम से कम हो, दो रीडर हों और तीन प्रवक्ता हों, तब वह उस विषय को प्रारम्भ कर पाते हैं, हमारी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनको गवर्नमैंट फंडिंग होती है, उनकी स्थिति अभी तक यह है कि आज कोटा, आपके बीकानेर और संस्कृत विश्वविद्यालय इन तीनों में ही यू.जी.सी. नार्म्स के अनुसार फेकल्टी मेम्बर्स नहीं हैं और यह जो यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, इसमें कहीं यह उल्लेख नहीं है कि इन चीजों का यह पालन करेंगे। जब फेकल्टी यू.जी.सी. के नार्म्स के अनुसार नहीं होगी तो यूनिवर्सिटीज किस तरीके से आगे डवलप होंगी, इस तरीके से उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मान्यता देता और मान्यता नहीं देंगे तो विद्यार्थियों का अहित होगा।

दूसरा पाइंट इसमें यह आता है कि यह जो यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, इनके पुस्तकालयों की क्या स्थिति है? मैं आपको बताना चाहूंगा आपके निम्स विश्वविद्यालय जो है उसमें 24,500 पुस्तकों का उल्लेख जो हमको यह कागज दिये हैं उसमें बताया गया है।

सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) में 7834 किताबें, पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर में 12222 पुस्तकें, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर में 34250 पुस्तकें, एमिटी विश्वविद्यालय में 10308 पुस्तकें। माननीय सभापति महोदय, इतनी पुस्तकें तो सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में मिल जाएंगी। हमारे जो कॉलेजेज हैं वहां 50-50 हजार किताबें हैं। यह जो सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल जितनी पुस्तकालयों की पुस्तक संख्या है तो क्या ये यूनिवर्सिटी के काबिल हैं? मैं समझता हूं कि पुस्तकालयों में जितनी पुस्तकों की संख्या होगी, उनकी क्वालिटी, कितनी-कितनी पत्र-पत्रिकाएं वहां पर आती हैं, वहां पर वर्ल्ड की तमाम उस विषय की जो पत्र-पत्रिकाएं हैं वह आती हैं या नहीं आती हैं इन चीजों के आधार पर कि उनकी लेबोरेट्री कैसी है, इक्यूपमेंट कैसे हैं, खेल के मैदान कैसे हैं, इन सब बातों को लेकर के यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलती है। लेकिन मैंने जो इन पांचों विधेयकों का अध्ययन किया है उससे ऐसा पता लगता है कि जहां पुस्तकों की संख्या कम, लेबोरेट्री बहुत अच्छी नहीं बनी हुई, खेल के मैदान भी पूरी संख्या में नहीं हैं।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके साथ-साथ इनको यदि यूनिवर्सिटी बनाना ही था तो सरकार को तीन स्टेजेज में इनको यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए था। सबसे पहले इनको ऑटोनॉमस कालेज बनाते, ऑटोनॉमस कॉलेज में तीन बातें होती हैं कि वो अपना पाठ्यक्रम स्वयं बनाये, अपनी परीक्षाएं स्वयं ले और इसके साथ-साथ वे अपने-अपने तरीके से उन विद्यार्थियों को...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अपन ने जो पहले कॉलेज बनाये थे ऑटोनोमस कॉलेज, वो सब वापस बदल दिये अपन ने।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने बदल दिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, हमने नहीं बदले। आपको याद नहीं है घनश्याम जी, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मुझे याद है। आप जैसे वरिष्ठ नेता को मैं कोई गलत बात कह सकता हूं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं असत्य नहीं बोलता। आप अपने अधिकारियों से जानकारी कर लें। आपकी गवर्नमैंट ने ऑटोनोमस कॉलेज को केवल राजस्थान में बंद किया था बाकी हिन्दुस्तान में ऑटोनोमस कॉलेज आज भी चल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मेरे अधिकारी तो आप ही हो इसलिए मैं आपकी बात पर ही कह रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं कह रहा हूं कि हमने बंद नहीं किये थे। आप पता कर लें, आपको गलत ख्याल है। आपके माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी साहब के वक्त में वो बंद हुए थे। हम ऑटोनोमस कॉलेज को कैसे बंद कर सकते थे हमारी तो नीति है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ललितजी के बाद आप ही आये थे, चालू कर देते।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसके बाद हमने विश्वविद्यालय बनाये न। हमने ऑटोनॉमस कॉलेजेज को विश्वविद्यालय बना दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कौन से को?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां बनाया। एक कोटा को बना दिया, अजमेर को बना दिया, बीकानेर को बना दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ......कोटा को ओपन बनाया। महर्षि दयानंद तो अलग से है। भैरोंसिंहजी के टाइम पर उस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बीकानेर और कोटा का अलग से क्या है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मुझे बड़ा अफसोस है कि खाद्य मंत्री जी सदन को बहुत गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): चलिये, मैं आपकी बात मानता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ये तीनों विश्वविद्यालय एक साथ हरिदेवजी जोशी चीफ मिनिस्टर थे जब कोटा यूनिवर्सिटी बनी, अजमेर यूनिवर्सिटी बनी और बीकानेर यूनिवर्सिटी बनी। ये तीनों यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में बनी, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में बना और कोटा में ओपन यूनिवर्सिटी बनाई। ये तीनों यूनिवर्सिटियां उस वक्त बनीं। मैं बहुत दावे के साथ अधिकारपूर्वक कह रहा हूं आपको। अशोक गहलोतजी के वक्त में बीकानेर में दूसरी यूनिवर्सिटी बनी थी वो जनरल यूनिवर्सिटी थी। (व्यवधान) आपको मालूम तो है नहीं पूरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वहां बजट पेश कर रहे थे तब शांति धारीवालजी जो कोटा से सदस्य थे, यहां से हड़काया तब बनाया था और हमने एतराज किया था कि बिना बजट.... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वो दूसरी यूनिवर्सिटी थी। वो वर्धमान यूनिवर्सिटी है वह दूसरी यूनिवर्सिटी है। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, अजमेर की यूनिवर्सिटी और बीकानेर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये तीनों एक साथ इस सदन में बजट स्पीच में यहां पर खुली हैं। आपको मालूम नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): चलिये, आपको ही मालूम है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बिलकुल मालूम है। मैं गलत बयानी नहीं करता। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन को यह बताना है कि आप इनको पहले ऑटोनॉमस कॉलेज बनाते, उनकी परीक्षाओं का इवेल्युएशन करवाते, उनके पाठ्यक्रमों का आप इवेल्युएशन करवाते और उसके बाद धीरे-धीरे इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाते और डीम्ड यूनिवर्सिटी में यदि वो अच्छा काम 5-10 साल कर लेती तो उनको फुल-फ्लेस्ड यूनिवर्सिटी बना देते।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ये कह रहे हैं कि शिक्षा मैंने ही दी है इनको।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे को आज तक कभी कोई शिक्षा नहीं दी, पूछ लो इनको। हलफ बयान करवा लो। ये जाति से श्रीमाली गुरु होते हैं ब्राह्मणों के।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ऐसा है क्या? ऐसी बात हमको क्या पता।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ये हमारे बीकानेर में कभी रहे नहीं, मेरी बीकानेर में सारी शिक्षा हुई है। कहां से मेरे गुरु बन गये? मैं पी.एच.डी. किया हुआ हूं, ये पी.एच.डी. किये हुए हैं क्या?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): मैं गुरु हूं या नहीं हूं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, नहीं, ऐसा है, श्रीमाली समाज के व्यक्ति ब्राह्मणों के गुरु होते हैं इसमें कोई शक नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कौन से ब्राह्मणों के होते हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पुष्करणा ब्राह्मणों के।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जिनको पुष्टि करके ब्राह्मण बनाया उनके होते हैं। जो वास्तव में ब्राह्मण होते हैं उनके नहीं होते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वास्तव का तो आपको पता ही नहीं है। वेदोमनां ब्राह्मण..... आप बहस कर लो कौन है ब्राह्मण।

श्री सभापति: चलें, बाद में बहस का विषय है, यह बहुत लम्बा-चौड़ा है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): कल्ला साहब, ब्राह्मण की डेफिनेशन तो श्वेतकेतु के पिताजी ने दी थी कि हू इज ब्राह्मण, हू इज पंडित, दोनों की।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वेदोमना ब्राह्मणा, वेदोजना ब्राह्मण .. (व्यवधान) जो वेदन नहीं जानते वो ब्राह्मण नहीं हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कल्ला साहब, एक दिन का डिस्कशन इसी बात पर हो जाए कि ब्राह्मण कौन है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें आप।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): श्वेतकेतु बहुत बड़ा विद्वान था, जब वो शिक्षा ग्रहण करके आया, सारे गोल्ड मैडल ले आया तो उसके

(डा. एन. एस. गुर्जर)

पिता ने कहा कि वापस जाकर के शिक्षा ग्रहण करो। पिताजी ने जब कहा कि वापस शिक्षा ग्रहण करके आओ तो उसने कहा कि मैंने इकोनॉमिक्स में गोल्ड मैडल ले लिया, दर्शन शास्त्र में गोल्ड मैडल ले लिया, इसमें गोल्ड मैडल ले लिया तो कौनसी दुबारा शिक्षा ग्रहण करूं? तब उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हुए हो, ब्राह्मण बनकर के आओ, जाओ। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण का लड़का तो हूं ही आप ब्राह्मण हो इसलिए, वो उनके फादर बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि थे, तब उन्होंने यह कहा कि.....

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ये तो विषयांतर हो रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप ब्राह्मण नहीं हो, मैं बता रहा हूं न। आप पुष्टि किये हुए ब्राह्मण हो इसलिए बोल रहा हूं। घनश्यामजी ने कहा है।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ब्राह्मण की डेफिनेशन उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि जाओ ब्राह्मण बनकर आओ और वहां उन्होंने ब्राह्मण को डिफाइन किया है।

श्री सभापति: अलग-अलग शास्त्रों में अलग-अलग है। मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना। विराजो आप। अभी इस विवाद में मत पड़ो। मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सब के पूज्य ब्राह्मण आप ही हो, बोला महाराज।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ब्राह्मणोश्च.........शूद्रो जायते। और अध्ययन-अध्यापन जो कराता है वह ब्राह्मण है। यह गीता की व्याख्या है और वेदों की व्याख्या मैंने पहले बता दी। आप उसमें मेरे से बहस मत करो।

श्री सभापति: विराजें। बोलने दें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कह रहा था कि इसका जो क्षेत्राधिकार रखा है वह पूरा राजस्थान रखा है और पूरे राजस्थान में यदि इसका प्रचार-प्रसार करेंगे तो फिर जो गवर्नमैंट की यूनिवर्सिटियां हैं उनकी क्या हालत होगी? आज जयपुर यूनिविर्सिटी में 40 करोड़ रुपये की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त के गवर्नमैंट में बकाया हैं। 11 करोड़ रुपये महंगाई भत्ते के बकाया हैं। ये तो दे ही

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

नहीं सकती सरकार और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जब बन जाएंगी तो सारे के सारे लोग इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तरफ एक बार मशरूम ग्रोथ की तरफ जायेंगे और इस मशरूम ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की लो ग्रांट है वह इतनी बढ़ जाएगी कि इन यूनिवर्सिटियों के ताले लगाने पड़ेंगे। ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्राधिकार के बारे में मेरा खास-तौर से सरकार को यह सुझाव है कि इनको केवल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में डवलप करना चाहिए। इसके अलावा उनको पत्राचार या और कोई भी पत्राचार का आपने इसमें उल्लेख दिया है, पत्राचार वगैरह की कोई भी इजाजत इनको नहीं होनी चाहिए। केवल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में ये काम करें तब तक तो ठीक है नहीं तो ये सारी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं इनका बंटाधार हो जाएगा।

इन यूनिवर्सिटी में विन्यास निधि के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर में दो करोड़ रुपये की राशि विन्यास निधि के रूप में रखी है, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर में दो करोड़ रुपये की विन्यास निधि, निम्स विश्वविद्यालय में एक करोड़ रुपया, सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनूं) में एक करोड़ रुपये और एमिटी विश्वविद्यालय, जयपुर में एक करोड़ रुपया विन्यास निधि के रूप में रखे हैं। मेरा इसमें यह कहना है कि विन्यास निधि कम से कम 5 करोड़ रुपये की होनी चाहिए क्योंकि एक-एक यूनिवर्सिटी में मान लीजिये कल को यह यूनिवर्सिटी ताला बंद करके चली जाएगी तो बकाया पेमेंट का भुगतान कौन करेगा? सरकार की यह ड्यूटी बनती है कि यूनिवर्सिटी इस प्रकार का कोई व्यक्ति यदि बंद करके जाता है तो कम से कम उनके पास विन्यास निधि और उसका ब्याज थोड़ा बहुत होगा तो वह कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा कर पायेगी। इसके कर्मचारियों के पेमेंट ट्रेजरी के माध्यम से होने चाहिए। इनके कर्मचारियों के वेलफेयर का ध्यान कौन रखेगा? उनको सरकारी कर्मचारियों और यूनिवर्सिटी के अन्य कर्मचारियों की भांति तनख्वाह वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब चीजों का नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या विचार किया है? जब मंत्रीजी जवाब दें तो बतायें। इसके अलावा इन्होंने एक प्रोवोस्ट और कुलानुशासक, अनुशासन कायम करने के लिए एक तो प्रोक्टर और एक प्रोवोस्ट और उन दोनों के आगे लिखा है कि वे अनुशासन बनाये रखने का काम करेंगे। मेरा यह कहना है कि जब प्रोटक्टर लगा दिया आपने तो फिर प्रोवोस्ट की क्या जरूरत है? आप बतायें कि इनको आपने किस कारण से लगाया है?

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके बाद आपने एकेडेमिक कौंसिल की बात इसमें कही है एक्ट में। एकेडेमिक कौंसिल जो है, उसको उस यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित जितने भी एकेडेमिक काम हैं, परीक्षाएं हैं अथवा बोर्ड आफ स्टडीज वगैरह उसके अन्तर्गत बनते हैं, उसकी व्यवस्था हमारी यूनिवर्सिटी के समान होनी चाहिए और एकेडेमिक कौंसिल में विषय विशेषज्ञों को बाहर से बुलाया जाना चाहिए। केवल यूनिवर्सिटी के इन्टर्नल लोग होंगे तो वह जैसे कमेटी काम करती है, वैसे कमेटी काम कर लेगी और विषय विशेषज्ञ नहीं होंगे तो यह काम चलने वाला नहीं है।

मैं तो आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि राजस्थान की हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका सेलेबस जो अपनी आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की परीक्षाएं होती हैं, उनके समकक्ष हमारा पाठ्यक्रम बनना चाहिए। हम उसमें इंटरफियरेंस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सुझाव दे सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज का हमारा सेलेबस इतना अच्छा हो कि वह नेशनल लेवल पर जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उड़ीसा यूनिवर्सिटी, और क्रिश्चियन कालेज, चैन्नई, इनमें हर साल जो टोप-मोस्ट आई.ए.एस. सलेक्ट होते हैं, उन लिस्ट में इन कालेजेज का नाम होता है लेकिन राजस्थान के लोग बहुत कम आते हैं। पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक वक्त था जब पहली छह यूनिवर्सिटी में नाम था लेकिन धीरे-धीरे हमारी यूनिवर्सिटी कम होती जा रही हैं तो यूनिवर्सिटी का सेलेबस पूरे राजस्थान में एक जैसा हो, इसके लिए भी आप कोई स्टेट यू.जी.सी. का मैंने उदाहरण दिया, उसके माध्यम से, सारी एकेडेमिक कौंसिल्स के माध्यम से ऐसा सेलेबस बनायें ताकि हम नेशनल लेवल पर कम्पीट कर सकें। हमारे लोग अच्छे डाक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रशासक और आल इण्डिया कम्पीटिशन में आगे से आगे बढ़ सकें।

इन पाँच के पाँच बिलों में सीनेट की कहीं व्यवस्था नहीं है। आपने प्रबन्ध बोर्ड की व्यवस्था की है, आपने एकेडेमिक कौंसिल की व्यवस्था की है लेकिन इसमें सीनेट की व्यवस्था नहीं है। सीनेट एक ऐसी संस्था होती है यूनिवर्सिटी में, जिसमें खास तौर से छात्र प्रतिनिधि, अध्यापक प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ होते हैं और वे चुनकर आते हैं तो आंतरिक लोकतंत्र है नहीं। केवल समिति के लोगों को जो नोमिनेट कर दिया, वे सारे लोग हो गये। ऐसी परिस्थिति में मेरा यह सुझाव है कि सरकार उसमें सीनेट की व्यवस्था करे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

ताकि आंतरिक लोकतंत्र को हम बनाये रख सकें और सीनेट के माध्यम से जो सुझाव आये, उन सुझावों के आधार पर हमें यूनिवर्सिटीज का संचालन करने में सुविधा रहेगी।

इसके अलावा इन यूनिवर्सिटीज में मैंने हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी आरक्षण का ध्यान कई बार नहीं रखा जाता है। 16 प्रतिशत एस.सी., 12 प्रतिशत एस.टी., 21 प्रतिशत ओ.बी.सी., विकलांगों का तीन प्रतिशत तो ये नई यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, उनमें रिक्रूटमैंट होंगे, उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी कि नहीं होगी? इसमें भी सरकार को स्पष्ट प्रावधान एक्ट में करना चाहिए था, नहीं तो यह निश्चित रूप से संदेश जाएगा कि इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज में आरक्षण से सम्बन्धित जो प्रावधान किये हुए हैं संविधान के द्वारा, उसकी पालना नहीं होगी।

इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का जो विघटन होगा, उसमें प्रायोजक निकाय में निहित होगा तो ऐसी परिस्थिति में जो विश्वविद्यालय बने हैं, उनके पास में भी कोई ऐसी निधि होनी चाहिए, जैसे सरकार के पास जो निधि मैंने बताई है, एक-दो करोड़ रुपये की इन्होंने अलग-अलग यूनिवर्सिटी के लिए रखी है, वह कम से कम पाँच करोड़ की हो और यूनिवर्सिटी के पास में भी कम से कम 10 करोड़ रुपये का स्थाई फण्ड होना चाहिए। उसको वह खर्च नहीं कर सके सरकार की परमिशन के बिना, तब जाकर यूनिवर्सिटीज ढंग से काम कर पायेगी और लोगों की फाइनेंशल लाइबिलिटी चुका पायेगी वरना लाभ कमाकर लोग वन फाइन मोर्निंग विदा हो जायेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि ये संस्थाएं कहां-कहां थीं और कहां काम कर रही थीं?

इसके अलावा मैं जब खण्डश: विचार करूंगा तो कुछ बातें बताऊंगा लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हर यूनिवर्सिटी के एक्ट में दो माननीय सदस्य उसमें प्रबन्ध बोर्ड में होते हैं लेकिन इस प्रबन्ध बोर्ड में कहीं एम.एल.ए. का नाम नहीं है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जन प्रतिनिधि नहीं आ सकते हैं।

तीसरा, डिफेक्ट यह है कि वित्त विशेषज्ञ को तो इसमें सम्मिलित किया गया है नोमिनी के रूप में लेकिन शिक्षाविद् को इसमें नहीं रखा गया है और कुलाधिपति तो हमारे महामहिम राज्यपाल ही होंगे, जिसके बारे में जब खण्डश: विचार होगा, उस समय बताऊंगा। कुल मिलाकर यह जो एक्ट लाया

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

गया हे, अफरा-तफरी में लाया गया है, जल्दबाजी में लाया गया है और इन यूनिवर्सिटीज को, मैं तो यह समझता हूं कि आटोनोमस कालेज का दर्जा देते तो ज्यादा अच्छा रहता, इनको विश्वविद्यालय बनाकर सरकार ने रिस्क ली है, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह अपील करता हूं कि इन पाँचों बिलों को जनमत जानने के लिए एक माह के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: बिराजिये। श्रीमान् संयमजी लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र के लिए शिक्षा, समानता के लिए शिक्षा, समाजवाद के लिए शिक्षा, इन्हीं लोक-लुभावन नारों के साथ में शिक्षा का एक सपना विगत बहुत समय से दिखाया जाता रहा है। ऐसे ही दौर में माननीय सभापति महोदय, एक चिड़िया बहुत मस्त होकर उड़ रही थी। लोगों ने उससे कहा कि हे चिड़िया, बहेलिया आएगा, गीत सुनाएगा, दाना चुगाएगा, बातों में आकर फंसना मत। हमारी शिक्षा के साथ भी यही हुआ। बहेलिया आया, गीत सुनाया, दाना चुगाया और जाल में फंस गई। उच्च शिक्षा की बात पर तो मैं बाद में आता हूं। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है? पूरे देश के अन्दर धनवान के बेटे के लिए अलग शिक्षा और प्रजातंत्र की इस व्यवस्था की संरचना करने वाले आम आदमी के बेटे के लिए अलग शिक्षा। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या निजी क्षेत्र को हमने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में अलाऊ नहीं किया? हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2006-07 का परिणाम क्या है? उस निजी क्षेत्र ने किस रूप में हमारी व्यवस्था को प्रभावित किया और क्या नतीजे दिये? आज की उस शैक्षिक व्यवस्था में क्या पब्लिक स्कूलों की स्थिति है और क्या आम आदमी के बच्चे की शिक्षा की स्थिति है?

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा प्राप्त करना देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और जब मौलिक अधिकार है और हम सारे लोग जो लोक कल्याणकारी सरकार होने का दावा करते हैं, उस मौलिक अधिकार की प्राप्ति हमारे नागरिक को हो सके, उस जिम्मेदारी से पीछे हटने का काम क्यों करते हैं? आज हमारी सरकार राजस्थान की यह कहती है कि हमने सरप्लस बजट दिया है, हमने योजना के आकार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है और उस शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी से हम क्यों भागना चाहते हैं? अभी संकल्प के दौरान जवाब में हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने उत्तर दिया कि आन्ध्र प्रदेश में ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र के अन्दर ऐसा हो रहा है या

(श्री संयम लोढ़ा)

निजी क्षेत्र में जाने के पीछे जो उद्देश्य और कारण हैं, उनका यह समुचित जवाब है कि दूसरे राज्यों में ऐसा हो रहा है?

माननीय सभापति महोदय, इसके अन्दर उद्देश्यों का इन्होंने जिक्र किया है, विश्व की उदार व्यवस्था में यह मानव संसाधनों से संगत बनाये जाने के लिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी, आपने शपथ लेने के बाद एक ओ.टी.एस. में प्राचार्य सम्मेलन को सम्बोधित किया था। क्या उद्गार थे? "विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं" शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 12-बी के नियमों के तहत विश्वविद्यालय निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं कर पाया है। निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं होने की वजह से यू.जी.सी. की तरफ से राजस्थान विश्वविद्यालय को अनुदान नहीं मिल पा रहा है अपने विश्वविद्यालय को, सरकार के विश्वविद्यालय को हम मानदण्ड के लायक बना नहीं पा रहे हैं, जो अनुदान मिलना चाहिए वह अनुदान हम ले नहीं पा रहे हैं और निजी क्षेत्र को हम गुणवत्ता का एक सिम्बल बनाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने पेश कर देंगे और यहां के मानव संसाधन को विश्व की उदार अर्थव्यवस्था से जोड़ देंगे? माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी आगाह किया है और मैं फिर आगाह करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की शैक्षिक व्यवस्था को एक नये कुचक्र में फंसाने की हम चेष्टा कर रहे हैं।

(समय : 15.20 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

आज देश की सरकार ने पूरे हिन्दुस्तान के अंदर तीस सेण्ट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला किया है। वह कोशिश है उस जिम्मेदारी की, में हाथ बंटाने की कोशिश है, उस जिम्मेदारी की दिशा में एक प्रयास है कि जो देश, जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है, लेकिन हम इस व्यवस्था के जरिये किस ओर जाना चाह रहे हैं? राजस्थान के कुलाधिपति, चांसलर महोदय ने भी आपको आगाह किया है। सार्वजनिक रूप से उन्होंने आपको कहा, अजमेर में कहा, जयपुर में कहा, जो महामहिम राज्यपाल हैं, कि यह निजी विश्वविद्यालय जमीनों की लूट-खसोट करने के लिए आ रहे हैं। जिन महामहिम के नाम पर हम शासन कर रहे हैं, यह सरकार उनकी भावनाओं का, उनके आब्जर्वेशन का भी नोटिस नहीं करना चाहती।

(श्री संयम लोढ़ा)

मानीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार जो बिल लेकर के आई है पाँच, इसके प्रोवीजन कितने घातक हैं। यह धन की लूट और शिक्षा के अंदर धंधे को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार फैसले कर रही है। इन सारे विधेयकों को लाने के पीछे, इन निजी विश्वविद्यालयों को लाने के पीछे सरकार का कोई दृष्टिकोण यह नहीं दिखता कि वह सामाजिक सरोकारों से प्रेरित होकर इन विश्वविद्यालयों को लेकर आई है। साफ-साफ खुली लूट की छूट देने का मन्तव्य इसमें साफ दिखता है।

माननीय सभापाति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, सेक्शन-12 में आपने प्रावधान किया है कुलाधिपति नियुक्ति का। इसकी क्या अर्हता होगी, क्या शैक्षणिक योग्यता होगी और नियुक्ति भी निवेशक के अधीन रहेगी, भले ही सरकार से इसकी सहमति लेना उसमें आवश्यक कर दिया गया है। कुलाधिपति में किया है। लेकिन अर्हता और योग्यता कोई आपने निर्धारित नहीं की इसमें, मतलब साफ है, बनिये की दुकान चलाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा सेक्शन-13 की तरफ, जिसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति उसी निवेशक के द्वारा किये गये, राज्य सरकार की सहमति से किये गये कुलाधिपति के माध्यम से होगी और उस वाइस चांसलर का भी शैक्षिक दृष्टि से श्रेष्ठ होना इस एक्ट के मुताबिक तो कोई अनिवार्य नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सेक्शन-22 में इस सरकार ने एक व्यवस्था की है बोर्ड आफ मेनेजमैंट की जिसमें पाँच प्रतिनिधि बोर्ड आफ मेनेजमैंट में उस सेठ के होंगे जो यह यूनिवर्सिटी खोल रहा है और सरकार का एक रिप्रजेंटेटिव होगा। और इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड आफ मेनेजमैंट में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होगी, उनका कोई नोमिनी इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड आफ मेनेजमैंट में नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, 22 अक्टूबर को सरकार ने अध्यादेश तो यह जारी कर दिये, चांसलर और वाइस चांसलर की नियुक्तियां देर तक होती रही लेकिन आपने प्रवेश प्रक्रिया जो है वह अध्यादेश जारी होने के बाद, तुरंत बाद शुरू कर दी। आप बतायेंगे कि उनके प्रवेश के नियम किसने तय किये। आप बतायेंगे कि उनकी फीस किसने तय की? माननीय सभापति महोदय, जितनी भी यूनिवर्सिटी आ रही हैं, आप बात तो यह कह रहे हो कि हम विशिष्टताओं पर आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन करेंगे पर इन सब को देखने के बाद तो बहुत

(श्री संयम लोढ़ा)

साफ लगता है कि एक ही तरह के परम्परागत पाठ्यक्रम चलाने का इन इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस दे रहे हैं। सेक्शन-33 में आपने फीस संरचना का प्रावधान किया है। एक कमेटी के माध्यम से फीस तय होगी। कमेटी कौन बनायेगा, सरकार बनायेगी या सेठजी बनायेंगे? आपने इसका कोई खुलासा नहीं किया है जो आपको करना चाहिए था, जिसका दुरूपयोग होने की पूरी सम्भावना है और माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी अभी अपने वक्तव्य के जवाब में कह रहे थे, संकल्प के जवाब में, कि कोई जमीन नहीं दी गई है। आपने जमीनें आबंटित की हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को आपने जमीनें आक्शन से नहीं दी है, किसी को रीको से दी है, किसी को जेडीए से दी है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर के आये थे और आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट इस हाउस के अंदर वापिस ले लिया था तो जब उस एक्ट का अस्तित्व समाप्त हो गया तो उस एक्ट के आधार पर जो आपने लैण्ड अलाटमैंट किये थे वह अलाटमैंट आपने निरस्त क्यों नहीं किये। चाहे वह रीका का अलाटमैंट था, चाहे वह जे.डी.ए. का अलाटमैंट था, जब एक्ट की एक्जिस्टेंस नहीं रही तो जिस एक्ट के आधार पर अलाटमैंट किये गये हैं वह भी शून्य होने चाहिए थे लेकिन आपने बाद में अध्यादेश लाकर के उसी अलाटमैंट को, जिस एक्ट का एक्जिस्टेंस नहीं रहा, जिसके आधार पर वह अलाटमैंट बोल रहा था, उन्हीं का आपने इसके अंदर आपने काम में लिया और माननीय सभापति महोदय, यह जो यूनिवर्सिटी बनेगी, किसी भी तरह की अनियमितता कर लो, सरकार क्या करेगी, जांच बैठायेगी और जांच बैठाने के बाद अगर इन्होंने घोर अनियमितताएं की हैं तो दण्ड क्या देगी माननीय सभापति महोदय, कि जितना भी उसका एस्टिब्लिशमैंट है, जितनी भी उसकी प्रोपर्टी है, जितनी भी उसकी लैण्ड है, उस सब का मालिक वह सेठ होगा। इसका मतलब यह करोड़ों रूपये की बेशकीमती जमीन जगह-जगह पर जयपुर शहर के नजदीक और आसपास में आपने जो यह जमीन अलाटमैंट किया है, अल्टीमेटली चाहे वह यह कुछ भी कर दें, उन सारी जमीन का मालिक वह सेठ होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि वह जमीन राजस्थान की जनता की है, राजस्थान की जनता की मिल्कियत है वह जमीन। आपने इसको अलाटमैंट किया है, अगर उसका विघटन होता है यूनिवर्सिटी का, तो उसके बाद में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जमीन वापिस राजस्थान की जनता

(श्री संयम लोढ़ा)

को मिलनी चाहिए। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, सेक्सन-47 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया कि 'इस अधिनियम और तत्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेंस के उपबंध उन मामलों के संबंध में जिनके बारे में राज्य विधान मण्डल को विधि बनाने की अनन्य शक्तियां हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के, प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।' मतलब, विधान सभा का भी खेल खत्म। जो इन्होंने प्रोवीजन कर लिया, वह दूसरे, विधान सभा के द्वारा बनाये हुए कोई भी नियम, कोई भी कानून इनके इस एक्ट के प्रोवीजन को इफेक्ट नहीं करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, या तो यह लग रहा है कि वापिस आने की कोई सम्भावना नहीं है, भागते भूत की लंगोटी काफी, जो मिलता है ले पड़ो और इस आधार पर एक के बाद एक यह इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का खेल खेल रहे हैं। अब पाँच आज ले आये, फिर पाँच बाद में और ले आओगे, लाने का मना नहीं है, लेकिन माननीय सभापति महोदय, लोगों के दिमाग में संशय और संदेह पैदा नहीं होना चाहिए। आपका एक्ट डेमोक्रेटिक सेट-अप में लोगों के गले उतरना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि आप राजस्थान को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आपका यह प्रयास सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब यह एमिटी विश्वविद्यालय जैसे लोग जिनके, जिसका जो मालिक है अशोक, इन्टरपोल का रेड अलर्ट था उसके खिलाफ, और राज्य सभा के अंदर उसके खिलाफ में जवाब में यह भारत सरकार ने कहा है कि इसके खिलाफ में रेड अलर्ट है इन्टरपोल का। ऐसे व्यक्तियों को अगर राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप लाकर के राजस्थान की जनता को लुटवाना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि राजस्थान के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज का यह दिन एक बहुत काला दिन है कि जब एक गरीब आदमी के बच्चे को आने वाले वक्त में सरकार के द्वारा अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाने के कारण आपके इन निजी, आपने खोले हैं यह, इवन कालेज खोले हैं, बी.एड. के हों, दूसरे हों, क्या हालत है उनकी?

सुमेरपुर में लोग धरने पर बैठे थे, जालौर में लोग धरने पर बैठे थे, नर्सिंग कॉलेज की क्या हालत है? आप उनको तो चैक कर नहीं पा रहे हैं, खुद

(श्री संयम लोढ़ा)

के बनाए हुए यूनिवर्सिटी को ठीक नहीं रख पा रहे हैं, सिरोही का ला कालेज गवर्नमेंट का है आपको मालूम है मंत्रीजी एक प्रिंसीपल के भरोसे चल रहा है, एक प्रिंसीपल, कोई लेक्चरर नहीं उसके अंदर, खुद की व्यवस्था हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं और हम यह इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाकर के उनको चैक कर लेंगे। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम निजी क्षेत्र की पहल के खिलाफ नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस पर राजस्थान की जनता के साथ पूरा संवाद करना चाहिए, पूरी बातचीत करनी चाहिए और यह लगना चाहिए कि एक ट्रांसपरेंट तरीके से सामाजिक सरोकार से जुड़ करके राजस्थान के आम नौजवान के भविष्य को बनाने के लिए राजस्थान की सरकार उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र को दावतनामा दे रही है अगर आप ऐसा नहीं कर पाये तो मैं आपको यह चेतावनी देता हूं शिक्षा मंत्रीजी आने वाले वक्त में राजस्थान का बेरोजगार और नौजवान जो आपके इस दंश को झेलेगा, आपकी सरकार को उखाड़ फेकेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): सभापति महोदय, पांच प्राइवेट विश्वविद्यालय के जो बिल आये हैं इन बिलों का वैसे तो सरकार का सोच बहुत अच्छा है। माननीय सदस्य ने तो अपना लम्बा-चौड़ा भाषण दे दिया। पांच जो बिल यहां रखे गए हैं वैसे तो सरकार की मंशा बिलकुल सही है कि प्राइवेट क्षेत्र में ऐसा लाभ मिले और समाज को ज्यादा लाभ मिले, शिक्षा अच्छी मिले, उच्च शिक्षा प्राप्त हो, आसानी से शिक्षा मिले लेकिन फिर भी सभापति महोदय इन बिलों को पढ़ने के बाद में ऐसा लगा कि एक तो इन बिलों में एकरूपता नहीं है, जो पांच बिल आये हैं इन पांचों बिलों में एकरूपता नहीं है और संस्थानों ने अपने-अपने हिसाब से इनको प्रोवाइड किया है तो इनकी एक तो एकरूपता बनाई जानी चाहिए ताकि बिल एकरूपता में प्रकाशित हो और सारे नियम कानून एक जैसे बनें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल आये हैं इनमें सरकार का कोई दखल नहीं है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बिल आये हैं इनमें सरकार का कोई दखल नहीं है। एक तरह से सेठजी का एक वर्क शोप हो जाएगा और एक सेठ साहब के कहने से सारा काम चलेगा तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार का दखल बने और

(श्री हेमराज मीणा)

सरकार का इतना नियंत्रण हो कि किसी प्रकार का शोषण न हो, शिक्षा को शिक्षा के हिसाब से चले, राजस्थान की जनता को राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले तो इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने धारा-18 में कुल सचिव और मुख्य वित्त सलाहकार अपोइंट करने के लिए आपने लिखा है। यह अपोइंट जो लिखा है यह अपोइंटमेंट का काम जो इनके मालिक हैं, उन्हीं मालिकों के ऊपर यह छोड़ा गया है। इसमें कौन रजिस्ट्रार होगा? इसमें कौन वित्त का अधिकारी होगा? सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अगर रजिस्ट्रार भी अपोइंटमेंट वही संस्था का मालिक करेगा और वित्त सलाहकार का अपोइंटमेंट भी वही मालिक करेगा तो मैं सोचता हूं कि न कोई वित्त में ट्रांसपरेंसी रहेगी, न किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन होगा? तो मैं चाहूंगा कि इसमें रजिस्ट्रार और वित्त दोनों में सरकार का दखल हो और सरकार के आधार पर ही इसका अपोइंटमेंट होना चाहिए ताकि हम चाह रहे हैं प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षा आगे बढ़े, शिक्षा लोगों को मिले, उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन राज्य सरकार का अगर नियंत्रण नहीं होगा तो सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा कि यह एक तरह से बनिए की दुकान बनकर के रहेगी, लोगों का शोषण होगा, मनमाने ढंग से वसूली करेंगे। इस पर नियंत्रण रखना जरूरी है तो इसलिए धारा-18 के अंतर्गत जो कुल सचिव और मुख्य वित्त सलाहकार का जो सारा अधिकार उस संस्था को दिया गया है, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि हमारा राज्य सरकार का कंट्रोल हो।

सभापति महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि प्रबंध मण्डल के लिए 12 सदस्य इसमें नियुक्त किए गए हैं। 12 सदस्य इसमें होंगे जिसमें से पांच सदस्य स्वयं संस्था तय करेगी, पांच सदस्य खुद तय करेगी और वी.सी. एक इसमें होगा, एक रजिस्ट्रार होगा। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 12 सदस्यों में मेजोरिटी उस संस्था की होगी और उस संस्था की अगर मेजोरिटी होगी तो वहीं संस्था, वही निर्णय होगा जो उस संस्था के हित में होगा,

(समय : 15.35 बजे)

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

उसमें न लोक हित की बात आएगी, न राजस्थान के हित की बात आएगी, न शिक्षा के हित की बात आएगी। इसलिए प्रबंध मण्डल में भी हमको यह तय करना पड़ेगा कि इसमें गवर्नर के भी प्रतिनिधि हो और इसमें राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि हो ताकि इसमें कोई भी ऐसा निर्णय न हो जो समाज के विरुद्ध

(श्री हेमराज मीणा)

हो, जो समाज के खिलाफ हो, जो शिक्षा के अनुकूल न हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह धारा 22 है, इस धारा 22 में जो 12 सदस्य का प्रबंध मण्डल होगा, इस प्रबंध मण्डल में भी हमको संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन यह करना पड़ेगा कि दो गवर्नर के प्रतिनिधि इसमें हों और दो प्रतिनिधि राज्य सरकार के हों। क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्रीजी की यह बात मुझे ध्यान में है जब आप शिक्षा मंत्री नहीं थे, उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय का मामला आपने विधान सभा में उठाया था, उसमें अनियमित तरीके से भर्ती हो रही थी। जब यह स्वयं प्रबंध मण्डल में होने के बाद भी इनसे वह भर्ती नहीं रुक पाई। इन्होंने विधान सभा में उठाया, माननीय घनश्यामजी उस समय शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने उन भर्तियों को बहुत मुश्किल के बाद रुकवाया तो मैं कहना चाहूंगा कि जब हम स्वयं उसमें प्रतिनिधि होने के बाद भी प्रबंध मण्डल में होने के बाद भी हम उसको नहीं रोक पाये तो क्या प्राइवेट का जो प्रबंध मण्डल उसमें होगा, राज्य सरकार का उसमें एक भी प्रतिनिधि नहीं होगा तो क्या वह जो निर्णय होंगे, क्या वह जनहित में होंगे या जनता के लिए होंगे या शिक्षा के हित में होंगे? इसके बारे में भी गहराई से विचार करके हमको प्रबंध मण्डल में राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो और गवर्नर के भी दो प्रतिनिधि आवश्यक हैं। ताकि मेजोरिटी के रूप में भी आपके लोग होने चाहिए। सभापति महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखेंगे इसमें वी.सी. की नियुक्त कौन करेगा? गवर्नर साहब करेगा लेकिन प्रस्ताव कौन भेजेगा? प्रस्ताव भेजने के लिए वहां का संस्था का जो मालिक है, वहीं प्रस्ताव करेगा। उस संस्था का मालिक कहेगा वहीं वी.सी. बनेगा, जो संस्था का मालिक कहेगा वहीं उसमें रजिस्ट्रार बनेगा। संस्था मालिक कहेगा वहीं कुलपति रहेगा। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा ...

श्री सभापति: एक मिनट, यह प्रशासनिक गैलरी में जितने भी माननीय अधिकारी हैं, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार का दखल होना चाहिए। अगर सरकार का दखल नहीं होगा तो संस्थान में मनमानी चलेगी। जो प्राइवेट कालेज हैं, प्राइवेट कालेज राजस्थान में बहुत सारे चल रहे हैं, बी.एड. कालेज खुले हैं, प्राइवेट कालेज दूसरे खुले हैं, आज शिक्षा का प्रसार उससे हुआ है। सरकार ने जो यह योजना बनाई है बहुत अच्छी बनाई है लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें यह संशोधन हम लें ताकि इसमें इसको

(श्री हेमराज मीणा)

सरकार के अंतर्गत यह युनिवर्सिटी नियंत्रित होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए अगर कंट्रोल जब तक सरकार का प्रतिनिधि उसमें नहीं होगा तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। इसलिए सरकार के प्रतिनिधि भी इसमें आवश्यक है। अब मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंता हूं कि एक क्लाज आप धारा 22 में डाले। धारा 22 के अंतर्गत आप इसमें संशोधन डाले कि दो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो और दो गवर्नर साहब के प्रतिनिधि हो। चार प्रतिनिधि होंगे तो हमारे प्रतिनिधि मैजोरिटी आ जाएंगे और जो भी फ़ैसले होंगे, जो भी निर्णय होंगे, वह निर्णय राज्य सरकार के, राजस्थान की जनता के हित में निर्णय होंगे। यह इसमें बहुत आवश्यक है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 29 विश्वविद्यालय के लिए वितीय नियम का अनुमोदन राज्य सरकार करेगी। यह बात सही है कि राज्य सरकार वित्तीय लेखे आएंगे उसका अनुमोदन राज्य सरकार तो करेगी लेकिन सभापति महोदय राज्य सरकार ने आप देखेंगे कि नियम 40 है इसमें वार्षिक प्रगति की रिपोर्ट जो यूनिवर्सिटी की बनेगी, इसका काम सी.ए करेगा जो प्राइवेट है। सीए से आप तो कुछ भी लिखवा लो, आप कहेंगे वहीं बना देगा। हम रोज व्यापार करते हैं, हम व्यापार करने वाले लोग अपने हिसाब से उसको बनवाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आर्थिक शोषण शिक्षा के क्षेत्र में न हो, इसके लिए हमको इसमें जो नियम 40 में वार्षिक रिपोर्ट जो गवर्नमैंट को सबमिट की जाएगी, जो वार्षिक लेखे गवर्नमैंट को दिए जाएंगे उसमें लोकल आडिट से कराया जाना चाहिए या ए.जी. को कराना चाहिए। ताकि हमारा नियंत्रण हो, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता इसमें न हो, इससे भी हमको बचना चाहिए। इसके लिए भी कोई-न-कोई क्लाज हमको डालना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह इसलिए कह रहा हूं कि यहां मेडिकल निम्स कालेज है, हमारी कांस्टीट्यूएंसी का एक लड़का एम.बी.बी.एस. में मेरिट में आया, उसको निम्स कालेज अलॉट हुआ, मैं निम्स कालेज में गया, मैं उस लड़के के साथ गया क्योंकि वह मेरी कांस्टीट्यूएंसी का था, मैं वहां जाने के बाद में देखा कि न तो वहां कोई सूची लगी हुई मेरे को मिली, न वहां स्टाफ ने कोई रेस्पांस दिया, न वहां यह जानकारी दी कि अमुक लड़के के नाम किसी सूची पर है और कब इसकी फीस जमा होगी? उसकी फीस जमा कराने का अंतिम दिन था मैं वहां से निकला तुरंत और मैंने जो

(श्री हेमराज मीणा)

मेडिकल कालेज के वी.सी. हैं उनको एक दरख्वास्त लिख कर दी। वी.सी. साहब खुद यह महसूस कर रहे थे कि एम.एल.ए. साहब हमारे बस में नहीं हैं ये, बोले इनका तो हाल खराब है। उन्होंने मेरे से लिख कर लिया मुझे लगा कि आखिर क्या उपाय है। फिर मैं हेल्थ सैक्रेटरी साहब के पास खुद गया उस लड़के को लेकर के, मैंने उनको लिख कर दिया कि इस लड़के का यह तो बतायें, मेडिकल में इसका नाम आया है मेरिट में है, मेरिट में इसका नाम है इसकी जो फीस जमा होनी है इसकी डेट निकल जाएगी, डेट निकल जाएगी तो फिर वो वेटिंग में से भरेंगे और पैसे लेकर भरेंगे क्योंकि प्राइवेट कालेज में तो पैसे का ही खेल है तो हेल्थ सैक्रेटरी को लिख कर देने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। वो लड़का वापस घर चला गया और दुबारा से पी.एम.टी. फाइट कर रहा है अब वो दुबारा से तैयारी में लग गया तो प्राइवेट कालेजों की यह हालत है यह मैं मेरा एक्सपीरियंस का उदाहरण आपको बता रहा हूं शिक्षा मंत्रीजी। इसीलिए इन पर राज्य सरकार का नियंत्रण बहुत जरूरी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल आप लाये हैं उसका तो हम स्वागत करते हैं बहुत अच्छी बात है लाइये, शिक्षा का प्रसार होगा, उच्च शिक्षा मिलेगी, राजस्थान के सब लोग उसका लाभ उठायेंगे लेकिन राज्य सरकार का यदि नियंत्रण नहीं होगा तो बहुत सारी अनियमितताएं होंगी और ये यूनिवर्सिटी न बन करके यह व्यवसायीकरण हो जाएगा और एक तरह से सेठजी की दुकान हो जाएगी। घर-घर में जैसे आज प्राइवेट कालेज चल रहे हैं कई सारे कालेज तो ऐसे हैं जिनके पास बिल्डिंगें नहीं हैं लेकिन मान्यता ले-लेकर एक दुकान में कालेज चल रहा है और अपनी डिग्री चालू करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आज यू.पी. और बिहार के बारे में, लोग वहां यू.पी. और बिहार से बी.एड. कर के आते हैं अधिकतर आप उनकी डिग्री की जांच करवाते हैं कई डिग्री फर्जी पायी जाती हैं वही हमारे सामने होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, सेठजी की दुकान पर तो एक पैसा भी इधर-उधर नहीं होता ।

श्री अमराराम (धोद): वहीं होता है एक रुपये के आठ रुपये ले लेते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वहां तो यह है कि हिसाब-किताब के मामले में वो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं वो अलग बात है पर हिसाब-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

किताब में यह है कि एक आने का तेल जल जाए पर एक पैसे की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान) वो तो खा जाओ, वो ही खा जाओ।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा...

श्री अमराराम (धोद): इनको तो सेठों ने ही लूटा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पूरा का पूरा ही खा जाए ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): हां, पूरा का पूरा ही 15 का 115 वो ही करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वो तो करते हैं पर हिसाब-किताब में गड़बड़ नहीं करते हैं मैं कोई उनकी मोहर नहीं लगाता हूं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा मतलब सेठजी से नहीं था मेरा अर्थ यही था यदि कोई संस्था वहां पर जो मालिक है उसकी मनमर्जी चलेगी तो उसको हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। जो फीस तय करने की बात आयी फीस तय करने का भी वो ही अकेडेमिक कौंसिल जिसका अपाइंटमेंट वो संस्था का मालिक करेगा, अकेडेमिक कौंसिल अगर वो ही फीस निर्धारित करेगी तो वो मनमर्जी फीस जमा करेगी मनमर्जी से फीस तय करेगी इसलिए राज्य सरकार का प्रतिनिधि आज दूसरी अपने सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें राज्य सरकार का प्रतिनिधि है प्रिंसिपल सेकेट्री, एजुकेशन, फाइनेंस सैक्रेटरी, उसमें हैं, माननीय सदस्य भी उसमें हैं ऐसे लोग सब हैं तो निर्णय बिलकुल सही होता है उसमें कंट्रोल रहता है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा में पांच वर्ष से विश्वविद्यालय चल रहा है और बहुत राज्य सरकार के नियमानुसार चल रहा है आज की तारीख में सामान्य फीस लेने के बाद भी पन्द्रह करोड़ की बचत हमारी उस विश्वविद्यालय में है उसमें मैं बोर्ड का मैम्बर हूं पन्द्रह करोड़ की बचत हमारे पास है इन पांच सालों में उस विश्वविद्यालय में। अगर प्राइवेट वालों पर अंकुश नहीं लगेगा तो क्या होगा, कितना शोषण करेंगे इसलिए फीस भी नियंत्रित हो इसका भी हम तय करें और यह तय करने के बाद ही इसमें संशोधन शामिल करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये छोटी-छोटी बातें हैं इनको सम्मिलित करें ताकि जिस विश्वास के साथ हम प्राइवेट बिल लेकर आये हैं राजस्थान की जनता के हित के लिए लाये हैं हम उच्च शिक्षा देना चाहते हैं राजस्थान की

(श्री हेमराज मीणा)
जनता को इसलिए लाये हैं तो उसका लाभ जनता को मिले। मैंने जो जनमत जानने के लिए आपको प्रस्ताव दिया था उसको तो मैं विद-ड्रा करता हूं लेकिन मेरा जो प्रस्ताव है जो मेरे संशोधन हैं उन संशोधनों को आप सम्मिलित करें यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने जो सुझाव दिये वो मानेंगे तब इसको जनमत जानने के लिए वापस लेंगे यह आश्वासन तो ले लो या वैसे ही बोलने के लिए बोले थे।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): मैंने जो सुझाव दिये हैं निश्चित रूप से मंत्रीजी उन सुझावों को सम्मिलित करेंगे क्योंकि मैंने बहुत कांकरेंट सुझाव दिये हैं कि ये संस्थाएं अच्छी चलें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी गलतफहमी आज निकल जाएगी एक भी सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे एक भी संशोधन नहीं करेंगे देख लेना आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री रामनारायणजी मीणा। (अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित पाँच विधेयक इस पवित्र सदन में प्रस्तुत हुए हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे देश में केवल सात प्रतिशत व्यक्ति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं जब कि नेशनल कालेज कमीशन द्वारा 2015 तक पन्द्रह प्रतिशत इसको करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में हमारे देश में लगभग 357 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं और नेशनल कालेज कमीशन के अनुसार इनकी संख्या लगभग पन्द्रह सौ होनी चाहिए। आज यदि हम विश्व के प्रमुख देशों की स्थिति को देखें तो हम यह पायेंगे कि कनाडा में 948 यूनिवर्सिटीज, अमेरिका में 746 यूनिवर्सिटीज, इंग्लैण्ड में 971 यूनिवर्सिटीज, आस्ट्रेलिया में 339 यूनिवर्सिटीज और मैक्सिको में 229 यूनिवर्सिटीज। यदि हम इन सूचनाओं को देखें और इनके ऊपर दृष्टिपात करें तो हम यह पायेंगे कि कनाडा, अमेरिका और इंग्लैण्ड की तुलना में हमारे देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत कम है और आस्ट्रेलिया और मैक्सिको जिनकी हमारे देश की तुलना में पांच प्रतिशत भी जनसंख्या नहीं है, पांच प्रतिशत जनसंख्या नहीं है, वहां पर यूनिवर्सिटीज की संख्या आस्ट्रेलिया में

(श्री कालीचरण सर्राफ)

339 और मैक्सिको में 229 है तो इस परिप्रेक्ष्य में जो नेशनल कालेज कमीशन ने पन्द्रह सौ यूनिवर्सिटीज की संख्या पूरे देश में बतायी है उसको भी यदि हम ध्यान में रखें तो हमारे प्रदेश में कम से कम पचास विश्वविद्यालय होने चाहिए पर यह बात सही है माननीय सभापति महोदय, और उसको स्वीकार करने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य सरकार की यह नीयत होते हुए भी कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो, अधिक से अधिक विश्वविद्यालय यहां पर खुलें और इस बात को दृष्टिगत रखते हुए तीन विश्वविद्यालयों की घोषणा कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और की है एक भरतपुर में यूनिवर्सिटी होगी, एक अलवर में होगी और एक शेखावाटी में होगी पर बावजूद इसके हमारे वितीय संसाधन सीमित हैं और बिना निजी क्षेत्र के सहयोग के हम हमारे प्रदेश में नेशनल कालेज कमीशन के लक्ष्य के अनुरूप पचास विश्वविद्यालय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और नवीनतम पाठ्यक्रमों को समायोजित करने वाली यूनिवर्सिटीज नहीं खुल सकती और माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बताने में भी खुशी हो रही है कि आज हमारे प्रदेश का जो शैक्षणिक वातावरण है जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट हमारे प्रदेश का है आज उससे प्रभावित होकर साउथ इंडिया से और नोर्थ इंडिया के और यहां तक कि विश्व के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान में विश्वविद्यालय खोलने के लिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उसका कारण है आज हमारे प्रदेश में जो निजी शैक्षणिक संस्थाएं जैसे वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, मोदी शैक्षणिक संस्थान, लक्ष्मणगढ़, बिट्स, पिलानी में जो देश-विदेश के बच्चे कर के पढ़ते हैं और जो आकर्षित हो रहे हैं यदि वास्तव में देखा जाए तो उत्तर भारत में, समूचे उत्तर भारत में राजस्थान ही एक इस प्रकार का प्रदेश है कि जहां हब बनने की क्षमता है और मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य, जब इस निजी विश्वविद्यालयों के इन बिलों पर विचार कर रहे हैं तो विश्वविद्यालयों की संख्या का आकलन इस दृष्टि से होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज यदि स्कूली शिक्षा में निजी क्षेत्र की बात की जाए तो हमें फक्र है यह कहते हुए कि आज राजस्थान में निजी क्षेत्र में जो स्कूल चल रहे हैं उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है । आज चाहे हम देहली पब्लिक स्कूल को ले लें, चाहे विद्याश्रम को ले लें, चाहे इंडिया इंटरनेशनल स्कूल को ले लें, चाहे जे.के. स्कूल को ले लें । इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं आज उसमें जिस प्रकार की सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध हो रही हैं आज

(श्री कालीचरण सर्राफ)

अभिभावक वहां ज्यादा फीस देने में भी हिचकिचाहट नहीं रखते। आज यदि निजी विश्वविद्यालय कुछ अधिक फीस रख कर और अच्छी सुविधाएं देते हैं और विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिये जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह सरकार कोई दलित विरोधी हो गई या गरीब विरोधी हो गई क्योंकि हम सरकारी विश्वविद्यालय बंद नहीं कर रहे हैं । सरकारी विश्वविद्यालय तो अपने स्तर पर निश्चित रूप से चलेंगे ही । सभापति महोदय, कई तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम हैं जो हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों में आज नहीं है और न उनको खोलने की हमारी क्षमता है क्योंकि हमारे पास वित्तीय संसाधन सीमित है। हमारे प्रदेश के बच्चे या तो दक्षिण में कर्नाटक में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, आंध्रप्रदेश में जाते हैं या विदेशों में जाते हैं और वहां जाकर अधिक फीस में बच्चे पढते हैं तो क्यों नहीं इस प्रकार के सब्जेक्ट, इस प्रकार के पाठ्यक्रम हमारे प्रदेश में खुलें और वह सारा पैसा यहीं पर रहे । इसमें मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

सभापति महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी राजस्थान की धरती पर स्थापति हुई हैं उनमें नये-नये पाठ्यक्रम बायो-टैक्नोलोजी, नैनो टैक्नोलाजी, हास्पिटेलिटी मैनेजमेंट, फाइनेंस और इंश्योरेंस । इतना ही नहीं जो नये स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय हैं उनमें एक एमिटी विश्वविद्यालय जिसके बारे में संयमजी बता रहे थे उन्होंने विदेशी विश्व विद्यालयों से कोलोब्रेशन भी किया हुआ है जिसमें विद्यार्थियों के अध्ययन फैकल्टी एक्सचेंज प्लेसमेंट की व्यवस्था है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी जब हमारे प्रदेश में आयेंगी तो जिस क्षेत्र में भी यह यूनिवर्सिटी खुलेंगी वहां की तस्वीर बदल जायेगी । क्योंकि जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट इन यूनिवर्सिटी में होगा उससे नये रोजगार सृजित होंगे । होटल व्यवसाय को इससे इजाफा मिलेगा, यातायात के व्यवसाय में कई लोग जुडेंगे, खुदरा व्यापार में भी इससे वृद्धि होगी । यदि आप यह देखना चाहें तो आज जो लक्ष्मणगढ में मोदी इंस्टीट्यूट है, पिलानी में जो बिरला इंस्टीट्यूट है आप देखिए उसके कारण पिलानी और लक्ष्मणगढ की तस्वीर बदल गई है। आज वहां अच्छे अच्छे होटल खुल गये, अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट खुल गये, प्राइवेट हास्टल खुल गये । जब 50 यूनिवर्सिटी हमारे राजस्थान में आयेंगी और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रति विश्वविद्यालय करेगी तो आप देखिए कि निश्चित रूप से इससे

(श्री कालीचरण सर्राफ)

हमारे प्रदेश को फायदा होगा । कई माननीय सदस्यों ने यहां पर शंका प्रकट की कि निजी क्षेत्र में खुलने वाले विश्वविद्यालयों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक्ट में हमने इन पर अंकुश रहे इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैं आपको एक-एक सिलसिलेवार बताना चाहूंगा । पहला प्रावधान हमने किया है :-

(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेंसों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा हाजिर किये गये किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा राज्य सरकार को दिये गये किन्हीं भी परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तो वह विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए इस बारे में नोटिस जारी कर सकेगी और उसके परिसमापन का आदेश निकाल सकेगी ।

(2) यदि उप धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस पर विश्वविद्यालय का जवाब प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेंसों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये निदेश के अतिक्रमण का, या उसके द्वारा दिये गये परिवचनों का पालन बंद करने का या वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन का प्रथम दृष्टया मामला है तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(3) राज्य सरकार उप धारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी अभिकथनों की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी जांच अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी ।

(4) उप धारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया

(श्री कालीचरण सर्राफ)

संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय निहित होती है, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना हरिमोहनजी, आपको तो सब पता है ।

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री जो साक्ष्य में पोषणीय हो, के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना, और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहित, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा ।

(6) उप धारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या इसके तहत बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेंसों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन जारी किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा दिये गये परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है तो वह विश्वविद्यालय के परिसमापन के आदेश करेगी और एक प्रशासक नियुक्त करेगी और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और अधिकारी उस प्रशासक के आदेश और निदेश के अध्यधीन होंगे ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसमें जो सुझाव है कि अगर सरकार का प्रतिनिधि भी उस बोर्ड में अपन जोड़ दें ...

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं आपको एक-एक बात का जवाब दूंगा। आप एक मिनट विराजो।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): भूमि, भवन, सम्पत्ति का क्या होगा?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं पूरा रिप्लाई दे दूं ।

(7) उप धारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन समस्त शक्तियां होंगी और वह प्रबन्ध बोर्ड के समस्त कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूर्ण न कर ले और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान न कर दिये जायें । इतनी हमने सावधानी रखी है ।

(8) नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों के अंतिम बैचों को उपाधियां, डिप्लोमे या यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात प्रशासक इस प्रभाव की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा ।

(समय : 15.55 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(9) उप धारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जायेगा और विश्व विद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व ऐसी तारीख से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे ।

(10) राज्य सरकार के इन विश्वविद्यालयों द्वारा अपने कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को धोखा न दे सके इसके लिये नगरपालिका के 15, अभी इन्होंने जो पूछा कि साहब कहीं पर एक करोड़ की व्यवस्था है और कहीं पर दो करोड की तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा नगरपालिका क्षेत्र के 15 किलोमीटर के परिक्षेत्र में जो एरिया आता है उसके लिये तो हमने दो करोड़ रुपये

(श्री कालीचरण सर्राफ)

एंडोरमेंट फंड के रखे हैं और अन्य स्थानों के लिये एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । कई माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने यह कहा है कि विघटन के बाद समस्त आस्तियां प्रायोजक निकाय की होगी । वह जमीन तो आपने जनता की दी है उसको ।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अभी बताता हूं आपको, विराजो अभी एक-एक का जवाब दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप यह प्रावधान करो कि यह जमीन वापस जनता को जायेगी ।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मेरा रिप्लाई पूरा नहीं हुआ, मेरा रिप्लाई पूरा हो जाये उसके बाद यदि कोई बात रहे तो वह पूछना । मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा अभी देता हूं चिंता मत करो। हमारे हिण्डौली और रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि यह अध्यादेश संविधान की मूल भावनाओं के बड़ा खिलाफ है। यह कहा है इन्होंने तो, मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि हमने कोई जल्दबाजी नहीं की।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): संविधान की मूल भावना के विपरीत इसलिए कि जब सेशन आने वाला था, सवा चार साल तक आप रेस्ट ले रहे थे तो दो महीने में ऐसा क्या हो गया कि जो संविधान की मूल भावना जो है, कि विधान सभा में ही आना चाहिए वह है मेरे कहने का अर्थ, आप उसका इन्टरप्रिटेशन अपने हिसाब से मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): इसका कारण यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यहां निजी विश्वविद्यालयों के मामले में बहुत सोच विचार किये, कोई आनन-फानन में नहीं, 2003 से यह प्रकिया चल रही है। पहले यहां पर बिल आया प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फिर वह प्रवर समिति में गया, प्रवर समिति में हमने और आपने बैठकर उस पर बड़े विस्तृत रूप से विचार किया और उसके बाद हम एक्ट लाए। अब हाई-कोर्ट में मामला चला गया, हाईकोर्ट से डबल बैंच में चला गया, डबल बैंच से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। यह इतना लंबा समय हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे यहां एक वेदान्त विश्वविद्यालय जो राजस्थान के ही निवासी हैं अनिल अग्रवाल,

(श्री कालीचरण सर्राफ)

वह लाना चाहते थे, पांच हजार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करना चाहते थे, वह उडीसा चले गये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अपना जो एक्ट था वह सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था हमने बहुत कोशिश की लेकिन तब तक वह चला गया उडीसा में।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): इसलिए हमने यह देखा कि और जो इन्वेस्टमेंट...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनको और मना लो ना वह टोपी हमारे माथे पर काहे को रख रहे हो। उनको भी, अग्रवाल साहब को भी ले आओ हमको ...(व्यवधान) थोड़े ही है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बिराजिए, बिराजिए। बिना किसी दुर्भावना के हमारे प्रदेश में आने वाला इन्वेस्टमेंट कहीं फिर बाहर न चला जाए इसलिए हमने यह अध्यादेश के माध्यम से पांचों विश्वविद्यालयों को यहां गठित करने का निर्णय किया और अब विधान सभा में बिल ले ही आये। पर आपकी प्राब्लम क्या है कि आपको हर चीज में भ्रष्टाचार नजर आता है, कारण है उसका क्योंकि आपकी..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भ्रष्टाचार की तो चर्चा ही नहीं हुई आज। नये सिरे से चालू करना चाहते हो आप भ्रष्टाचार की चर्चा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपने ही कहा है क्या पता, क्यूं, क्या सौदेबाजी हुई, तो यह आपका, आपका दोष नहीं है, आप जिस कल्चर में बढ़े हो, पैदा हुये हो आपकी पार्टी का कल्चर ही ऐसा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैंने जो मूल भावना की बात की है कि आप जल्दबाजी में लाये, उसी के फलस्वरूप..(व्यवधान) संशोधन करना पड़ा, तीन महीने में, तीन महीने में संशोधन करना पड़ा आपको।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हमारी सब की भावना है कि लोक सभा, संसद सदस्य की सिफारिश से दो का एडमिशन होता है तो विधायक की सिफारिश से दो बच्चों का एडमिशन हो जाए, बाकी जो चाहे वह करो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तीप महीने में संशोधन करना पड़ा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ऐसा है मंत्री महोदय, कि कामर्शियल लैण्ड का अलाटमैंट नहीं करें तो सुपर टाइम के आई.ए.एस. को हटाकर पूरी नौकरशाही को गलत मैसेज देने का काम आपकी सरकार करती है, हमारी सरकार नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप बिराजिए, ठीक है, बैठिये। अब दूसरा है, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा, (व्यवधान) एक-एक बात का जवाब दूंगा, चिंता मत करो कि विश्वविद्यालय यह सेठो की दुकान है, सेठों की दुकान हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निजी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की व्यवस्था यू.जी.सी. के मानदण्डों के अनुरूप की जाएगी। फैकल्टी का पारिश्रमिक उच्च स्तर का होगा। अच्छी फैकल्टी के आधार पर अधिकाधिक छात्र आकर्षित होंगे। दूसरे, सरकारी विश्वविद्यलाय बंद तो नहीं हो रहे, हमने तो तीन और बढ़ा दिये हैं। यदि किसी कासें यह लगे कि यह सेठों की दुकान है और यहां फीस ज्यादा है तो वह सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़े, उनको हमने बंद नहीं किया, तीन और खोल दिये हमने तो। (व्यवधान) बैठिये ना, क्या हो रहा है यह ? हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आरोप और लगाया..(व्यवधान) कि गली-गली में विश्वविद्यालय हो जाएंगे। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारत सरकार का नालेज कमीशन 1500 यूनिवर्सिटी, यहां पूरे हिन्दुस्तान में खोलना चाहता है और उसमें 50 यूनिवर्सिटी एक स्टेट में होंगी तो आप दिल पर हाथ रखकर कहें कि गली-गली वाली बात कैसे हैं। 50 विश्वविद्यालय अगर खोलोंगे राजस्थान में तो निश्चित रूप से जगह-जगह यूनिवर्सिटी होगी। (व्यवधान) और आज आप देखिये, आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि धीरे धीरे हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हब बनता जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के बच्चे हैं वह यहां पर आएंगे और यहां पर पढ़ेंगे। आज तो साउथ जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, आन्ध प्रदेश जा रहे हैं, वह बच्चे यदि यहां आएंगे तो उससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): राजस्थान के चालीस हजार विद्यार्थी इंजीनियरिंग में आउट आफ राजस्थान में पढ़ रहे हैं, चालीस हजार। मोर देन फोर्टी थाउजेंड.

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): कल्लाजी ने और हमारे हिण्डौली से आने वाले माननीय विधायक ने और रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि जितने भी विश्वविद्यालय बन रहे हैं उसके मामले में एक रेगूलेटरी बोर्ड होना चाहिए जिसमें, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका यह सुझाव बहुत ही बढ़िया है और सरकार इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रही है और जल्दी ही इस प्रकार का रेगूलेटरी बोर्ड बने इस बात का हम प्रयास करेंगे।

रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें कही हैं। अब एक भूमि की व्यवस्था के बारे में यहां बड़ी चिंता प्रकट की गई कि यह कैसे ली, क्या हुआ, उसके बारे में मैं डिटेल आपको बताना चाहूंगा । जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर 5.11 हैक्टेयर भूमि तो उन्होंने स्वंय ने खरीदी और 9.11 हैक्टेयर राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर इनको आबंटित की गई।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हो गई बात। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): हां, हो गई वो (व्यवधान) यही बता रहा हूं और सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी उदयपुर बाजार दरों पर 30 एकड भूमि, सरकार से 12000, एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रति बीघा की दर से खरीदी 2006 में और 2008 में डीएलसी रेट पर 70 एकड़ भूमि खरीदी। एमिटी यूनवर्सिटी रीको से जमीन इन्होंने खरीदी है। सिंघानिया यूनिवर्सिटी पचेरी बड़ी निर्धारित मूल्य पर रजिस्टी के द्वाराइन्होंने अपनी भूमि खरीदी। निम्स यूनिवर्सिटी 60.70 एकड भूमि स्वयं द्वारा सात वर्ष पूर्व खरीदी गई तो यह सब जमीनों की स्थिति है। संयमजी ने कहा...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार ने कोई भूमि उनको नहीं दी? (व्यवधान) आपने कहा था।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): शिक्षा विभाग ने, मैंने यह कहा था....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने कहा था कि सरकार ने कोई भूमि उसको नहीं दी और अब आज आप खुद कह रहे हैं कि इतनी-इतनी भूमि डीएलसी दर पर किस रेट पर अलाट हुई...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने यह कहा था कि शिक्षा विभाग ने कोई भी भूमि आबंटित नहीं की।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शिक्षा विभाग के पास अधिकार क्या है भूमि आबंटित करने का? एजेंसियां तो रेवेन्यू हो गई और जे.डी.ए. होगा।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(व्यवधान) नगरपालिका हो गई। (व्यवधान) हमारी यह बात बिलकुल सच साबित हुई है कि इन लोगों को भूमि रियायती दर पर आपने दी है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): डीएलसी दर पर दे रहे हैं, कहां रियायती हो गई? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): डीएलसी दर रियायत नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सुनते क्यों नहीं हो? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लगाओ आक्शन जब पता लगेगा। गर्ग साहब आपको पता नहीं डीएलसी दर है वो ही रियायती दर है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): डीएलसी दर रियायती दर नहीं होती। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मार्केट रेट अलग है, डीएलसी रेट अलग है, यह जरूरी नहीं कि जो डीएलसी रेट है वो...(व्यवधान) इन लोगों को लाभ पहुंचाने का एक तरीका है, कमाओ खाओ योजना है, सेठों को लाभ पहुंचाने का एक तरीका है इसलिए जल्दीबाजी में ले रहे हो। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): एक मिनिट, माननीय मंत्रीजी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रावधान है जो इन्स्टीट्यूशन है उसको सरकार जमीन अलाट कर सकती है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कौन मना कर रहा है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): और आधी रेट में (व्यवधान) इसमें किसी की कोई मेहरबानी की बात नहीं है और न किसी को टोकन प्राइस पर दी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पूरी मेहरबानी से अलाट कर रखी है। एक जमीन भी वेसे नहीं है (व्यवधान) मेहरबानी से अलाटमेंट कर दी सारी जमीन।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली):इसलिए आप यह कथन नहीं कर सकते। बाकायदा पैसा लेकर के दिया है (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): रेट तो है 50 लाख रुपया बीघा और पैसा ले रहे हैं आप सवा लाख रुपये बीघा (व्यवधान) क्या बात हुई यह।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): टेनेंसी एक्ट में (व्यवधान) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है इसके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं यह कह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय ने जो बताया वह उन्होंने बताया कि पचेरी वाले ने खुद की जमीन खरीदी एक, यह जो उदयपुर वाली हैं उसने बाजार भाव से जमीन खरीदी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): डीएलसी रेट पर कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सुनिये, रीको से, रीको अनइण्डस्ट्रीज को जमीन देती है उस रेट पर ली एक बात।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने सरकारी जमीन रियायती दर पर इन धन्ना सेठों को दी है, यह साफ है बात। शिक्षा विभाग कहां से देगा, शिक्षा विभाग के पास जमीन है क्या। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): शिक्षा विभाग ने कोई जमीन नहीं दी। (व्यवधान) विराजिये, सुनिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह तो कामन सेंस है, कानून हम भी जानते हैं। (व्यवधान) कोई शिक्षा विभाग नहीं दे सकता है। पी.डबल्यू.डी. नहीं दे सकता है। (व्यवधान) हैल्थ विभाग नहीं दे सकता है। जमीन देगा, जे.डी.ए., रीको, राजस्थान सरकार, राजस्व मण्डल। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): शिक्षा विभाग इंडस्ट्रीज में कब आ गया। इंडस्ट्रीज की जमीन शिक्षा विभाग को दी, शिक्षा से सम्बन्धित, यह तो उचित नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज के समय में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में रीको से जमीन लेकर प्राइवेट लोगों ने, जो इंजीनियरिंग कालेज खोले, उसकी शुरूआत तो आपने की थी। क्या आपने उसमें भ्रष्टाचार किया था। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यूनिवर्सिटी के लिये कहां जमीन दी। (व्यवधान) एक यूनिवर्सिटी को जमीन नहीं दी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह इंजीनियरिंग कालेज के रूप में 40 करोड़ रुपये का इसको लाभ दिया है। (व्यवधान) यह महात्मा गांधी मेडिकल कालेज को आपने दी थी, रीको के इलाके में, क्या बात करते हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक भी यूनिवर्सिटी को नहीं दी। (व्यवधान) एक भी यूनिवर्सिटी को जमीन नहीं दी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ला मिनिस्टर साहब, हम यही तो कह रहे हैं। हम कह भी यही रहे हैं कि आपने शिक्षा को उद्योग में बदल दिया है। हम कह भी यही रहे हैं कि आपने शिक्षा को व्यापार में बदल दिया है। यही तो कह रहे हैं हम और क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक रुपये में जमीन किसने दी भीलवाड़ा में ...(व्यवधान) शिवचरणजी माथुर के सुशीला माथुर के नाम से किसने दी? (व्यवधान) आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): शिक्षा को व्यापार में तो नहीं बदला है परन्तु अक्ल से काम शिक्षा में लेना ही पड़ेगा। इण्टरनेशनल मार्केट में आप नहीं ठहर सकते जब तक कि गुणवत्ता वहां नहीं हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): किसको दी? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किसने लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप? कोई आरोप नहीं लगाया। हम यह कह रहे हैं कि धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिये राज्य सरकार ने इनको जमीन दी है। और उसकी रेट कम है। (व्यवधान) हम यह कहां कह रहे हैं कि आप खा गये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक-एक रुपये में जमीन दे दी और आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमने तो यह कहा ही नहीं कि आप खा गये उसमें। हम यह कहां कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): निजी शिक्षण संस्थाओं में और सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में फर्क है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम यही कह रहे हैं कि इन धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिये राज्य सरकार ने कम दर पर उनको जमीन उपलब्ध कराई।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): निजी शिक्षण संस्थाओं में और सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में फर्क है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या फर्क है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पूरा फर्क है। उसका लाभ एक व्यक्ति लेगा और वह सार्वजनिक शिक्षण संस्था है, उसका कोई लाभ नहीं लेता।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सार्वजनिक संस्था है यह, यह एक व्यक्ति की संस्था है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बिलकुल नहीं है। (व्यवधान) कोई संस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह हमने ऐसा नहीं किया। आप तो करोड़ों की जमीन खा गये, ऐसा थोड़े ही किया हमने। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कौन जमीन खा गये। आप खा गये होंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप बैठो अभी और बताऊंगा। (व्यवधान) कल्ला साहब, एक बार बैठिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं यह कर दिया, वह कर गये। आप जांच कराओ ना, क्या दिक्कत है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या अहसान कर रहे हो। आप जांच कराओ ना, आपकी परतें खुल जाएंगी सरकार बदलने के बाद। (व्यवधान) कराओ आप जांच, काहे को कसर रखते हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप करा लेना। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यूं ही धमका रहे हो। (व्यवधान) हम जांच कराएंगे, कराओ जांच। अहसान कर रहे हो क्या। राज आप कर रहे हो और हमने अपराध किया है (व्यवधान) जबरदस्ती दबा रहे हो,... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अभी तो सरकार बदलने के सपने देखो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): यह आपने शुरूआत गलत की हरिमोहनजी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी सरकार ने तो इतनी जमीनें, जिसकी निजी जमीन है और रुपान्तरण कराया उसमें वन-विण्डो भ्रष्टाचार की खोल रखी है आपने। क्या बात करते हो आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपकी गलती नहीं है। आप जिस कल्चर से पैदा हुए हैं ना, उसमें यही सब होता है। हमारे यहां नहीं होता है ऐसा। (व्यवधान)

अभी हमारे धोद से आने वाले माननीय सदस्य बड़े जोर-शोर से बोल रहे थे कि यह प्राइवेटाइजेशन हो गया, निजी विश्वविद्यालय खुल गये तो शिक्षा माफिया यहां खुल जाएगा। अब मैं उनको पूछना चाहता हूं कि केरल में तो आपकी सरकार है, वहां यह नायर सर्विस सोसायटी की कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। अब वह हैं नहीं, नहीं तो बताते। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): केरल में हमारी सरकार कहां है। हमारी सरकार नहीं है केरल में।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो धोद वालों की बात कह रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): और ऐसा है, नहीं वह बोलकर चले गये। (व्यवधान) और दूसरा त्रिपुरा में, सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी जहां से विदाई होती है, परमानेंट होती है। यहां राजस्थान का ध्यान रखो थोड़ा-बहुत हो जो। (व्यवधान) जहां से गये, उड़ गये फिर। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): त्रिपुरा में इनकी सरकार है कई सालों से। (व्यवधान) वहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की परमिशन मैंने तो नहीं दी, या हमारी सरकार ने नहीं दी। (व्यवधान) 25-30 साल से जब उन्हीं की सरकार है तो उन्होंने ही वहां परमिशन दी होगी। वहां शिक्षा माफिया को किस प्रकार से प्रश्रय दे रहे हैं, वे हैं नहीं, नहीं तो बताते। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय मंत्रीजी, वहां डीम्ड यूनिवर्सिटी है। आप त्रिपुरा की जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, वह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): त्रिपुरा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, प्राइवेट है।

अब हमारे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें कहीं। यूनिवर्सिटी बनाने से पूर्व पहले आटोनामस कालेज बने, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी

(श्री कालीचरण सर्राफ)

बने और फिर विश्वविद्यालय बने। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आने वाली है, केवल राजस्थान ही नहीं है जहां उनको यूनिवर्सिटी खोलने के अवसर हैं। जैसे हमने पहले गलती की। यह एक्ट में गड़बड़ हुई तो पाँच हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट उड़ीसा चला गया। आपके प्रोसीजर से चलें तो इसका मतलब 5-7 साल तक वह इंतजार करे तो एक का भी इन्वेस्टमेंट राजस्थान में नहीं होगा, नम्बर-एक। (व्यवधान) आपने कहा कि यू.जी.सी. का रीजनल सेण्टर यहां पर होना चाहिए। इसके लिये मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हम स्वयं भी यह चाहते हैं और हमने यू.जी.सी. को लिख भी रखा है। परन्तु यू.जी.सी. अभी तक परमिशन नहीं दे रही है। परन्तु हम इसकी ट्राई कर रहे हैं। अब आपने एक बात कही कि यूनिवर्सिटी छोटी-छोटी जगह पर आये। तो यह व्यावहारिक नहीं है, कारण कि स्टूडेंट्स वहां आयें उसके लिये साधन भी होने चाहिए, उसके लिये सुविधा भी होनी चाहिए, उसके लिये हमें सोचना होगा और फिर फैसेलिटीज की उपलब्धता नहीं हो तो छोटी जगह पर हम खोल दें यूनिवर्सिटी और वहां बच्चे ही नहीं आयें, बच्चे तो आने चाहिए वहां पर। तो जहां ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होगी, जहां उनको सुविधा नहीं होगी तो बच्चे नहीं ओयंगे। इसलिये बच्चे नहीं आयेंगे। इसलिये यह यूनिवर्सिटी छोटी-छोटी जगह खुलें, यह सम्भव नहीं है। इसी प्रकार से आपने एक सुझाव दिया कि निजी विश्वविद्यालय रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आपका यह सुझाव बहुत बढ़िया है और आपने यदि यह ध्यान से पढ़ा हो बिल तो उसमें रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी की ही व्यवस्था है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। उनके साथ कोई प्राइवेट महाविद्यालय हम सम्बद्ध नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे। वह उन्हीं का केम्प्स रहेगा। अब आपने एक बात और कही कि निजी विश्वविद्यालयों में सीनेट का प्रावधान होना चाहिए। तो मैं आपको जानकारी के लिये, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं तो आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार द्वारा, केवल जो राजस्थान यूनिवर्सिटी और एक जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर है, इनमें ही केवल सीनेट का प्रावधान है, बाकी जगहों पर विश्वविद्यालय आपने खोले, आपने या हमने, उनमें किसी में भी यह सीनेट का प्रावधान नहीं है। इसी कारण से निजी विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा। संयम लोढ़ाजी ने, हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात पूछी, पूर्व के समाप्त एक्ट के अन्तर्गत आबंटित भूमि रद्द क्यों नहीं की तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वह इसलिये नहीं की कि

(श्री कालीचरण सर्राफ)

उन्होंने निर्माण कार्य कर लिया था तो हमने कम्पलायंस रिपोर्ट मांगकर, इन्होंने क्या-क्या निर्माण कार्य कर लिये तो यह पता लगा कि उन्होंने काफी निर्माण कार्य करा लिये। हमने उनको एल.ओ.ई. दे दी थी पहले। अब उनको यदि निरस्त करते तो उनका जितना पैसा लगा था, वह बेकार जाता। इसलिये उनको हमने कैंसिल नहीं किया। आपने एक बात कही कि अशोक चौहान, एमिटी यूनिवर्सिटी के, उनके खिलाफ कोई वारण्ट है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जयपुर में जो एमिटी यूनिवर्सिटी खुली, इसका उस अशोक चौहान से कोई लेना-देना नहीं है, उसके लड़के ने खोली है। अशोक चौहान ने नहीं खोली है, नम्बर-एक। (व्यवधान) बात सुनिये, आगे तो सुनो। हरियाणा में, नोएडा में इनकी एक यूनिवर्सिटी है, नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है। नोएडा में किसका राज है, जरा बता तो दो। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मायावती का।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): और दूसरा, एक इनके ग्रुप का स्कूल गुड़गांव में भी चल रहा है। वहां मेरे ख्याल से कांग्रेस का राज है।

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नोएडा जो है, वहां पर तो उत्तर प्रदेश सरकार है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अब आपने यह कहा, सुनिये, सुनिये। आपने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व कम है। आज एक तरफ तो अपन सरकारी यूनिवर्सिटी भी आटोनामस होनी चाहिए, स्वायत्ता होनी चाहिए, यहां सरकार का रिप्रजंटेशन कम से कम होना चाहिए, यह बात करते हैं। और एक तरफ हम यह कह रहे हैं कि निजी विश्वविद्यालय जो हैं ही आटोनामस। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उसमें अगर आप अभी कर सको तो ठीक है। (व्यवधान) लेकिन उनमें अंकुश रखने के लिये सरकारी प्रतिनिधि एक या दो हो जाएं तो यह तो बढ़िया बात है। इसको आप यूं मत लें।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उनमें अंकुश नहीं होगा तो नियंत्रण नहीं होगा। सरकार का नामिनी तो चाहिए प्रबन्ध मण्डल में। अगर गवर्नमैंट नामिनी नहीं होगा...

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने 10 प्रावधान पढ़कर अभी सुनाये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के सुनाये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये, मैंने जो 10 प्रावधान पढ़कर सुनाये उसके बाद वह कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पायेगा, गड़बड़ी करेगा तो दुःख पायेगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन सुपरवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन के हिसाब से, अगर राज्य सरकार का प्रतिनिधि, दो आदमी अगर वहां नामिनेट होते उस बोर्ड में भी तो अपन को क्या दिक्कत है। वहां डे-टू-डे की जो गड़बड़ियां होंगी, आपकी नालेज में होंगी और सरकार दो कर दे, चार नहीं करे, चार को नहीं करे, उसमें मत करो चार को। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपके सुझाव पर विचार कर लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लेकिन आपके उस बोर्ड आप मैनेजमैंट में दो सरकारी प्रतिनिधि होने चाहिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): विचार आज होगा। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): प्रबन्ध मण्डल में गवर्नमेंट की मेजोरिटी होनी चाहिए। प्रबन्ध मण्डल में सरकार की मेजोरिटी होनी चाहिए ताकि निर्णय अपने अनुकूल हों। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, नहीं, मेजोरिटी का नहीं। मेजोरिटी का नहीं, लेकिन अंकुश के लिये दो आदमी रखने में अपन को क्या एतराज है। चाहे शिक्षा मंत्रीजी हैं या कोई भी आदमी रह जाए।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप जो बता रहे हैं, तो मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि आयुक्त, कालेज शिक्षा विभाग को प्रबन्ध मण्डल का सदस्य बनाया हुआ है। एक तो है ही हमारा प्रतिनिधि। अब पूरा पढ़ते नहीं हो ना, प्राब्लम यह है। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम क्या नहीं पढ़ रहे हैं, मान्यवर, आप ही पढ़कर नहीं आये जिनको पायलट करना है बिल।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): विराजिये, विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके पास ही वह स्लिप वहां से आई है जो मुझको पढ़कर सुना रहे हो। आप इतनी देर से चुप-चाप बैठे। जिसने

(श्री हरिमोहन शर्मा)

बिल पायलट किया है, वह पढ़कर नहीं आये और हमसे कह रहे हैं कि आप पढ़कर नहीं आये। हद हो गई बात।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): विराजिये-विराजिये। एक हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा ... (व्यवधान) बात तो सुनो आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं-नहीं, बोर्ड आफ मैनेजमैंट में हमने यही तो कहा है कि सरकार का एक नोमिनी है और आप वही बात कह रहे हो कि कमिश्नर है साहब, तो क्या हमने बात की वही रिपीट कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): नहीं, यह तो कह रहे हैं कि नोमिनी है ही नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यही तो बात कही हमने कि एक नोमिनी है और आप जो सेठ है, सेठ के पांच आदमी हैं ... (व्यवधान) सेठ के पांच आदमी हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): ज्यादा लोगों को देखिये ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, आपने अपनी बात को स्वीकार किया कि हां, नहीं है। राज्य सरकार की ऐसी मंशा है, आप लोग कहते हो ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): संस्था के पांच आदमी हैं, इसमें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने तो यह भाषण दिया था और ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं तो यह कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और स्लिप उधर से आते ही भाषण बदल दिया और हमसे यह कह रहे हो कि आप पढ़कर ही नहीं आते हो, ऐसा नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं यह कह रहा हूं कि एक नोमिनी तो सरकार का है, इससे ज्यादा नोमिनी, आपने सुझाव दिया है तो इस पर भी विचार करेंगे परन्तु विश्वविद्यालयों की आटानोमी बनी रहनी चाहिए

(श्री कालीचरण सर्राफ)

यह भी एक दूसरा पक्ष है। एक सिरोही से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने पूछा कि यदि उसका विघटन हो जाएगा विश्वविद्यालय का तो उसकी भूमि का क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उसकी प्राइवेट लैण्ड है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते पर जो जमीन सरकार ने इस लैण्ड यूज के साथ दी है कि आपको यहां शिक्षण संस्था चलानी है और उसको यदि वह विघटन हो जाएगा यूनिवर्सिटी का तो वह परपज ही खतम हो जाएगा तो सरकार में अपने आप निहित हो जाएगी। वह सरकार में आ जाएगी, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एड कर दो न एक्ट में। एड कर दो न।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): इसमें इसकी जरूरत नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह जबानी जमा खर्च का कोई महत्व थोड़े ही है। जबानी जमा खर्च का क्या महत्व है? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जमीन दी है उसमें कंडिशन है।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): होगा ही नहीं विघटन, जिस मंशा से हमने किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): और आपने एक बात और कही ... (व्यवधान) कि देखो आप नेगेटिव सोचो ही मत। 100 करोड़ का जो इंवेस्टमैंट करेगा वह उसका विघटन कराने के लिए थोड़े ही करेगा। (व्यवधान)

एक बात आपने और कही कि जो वाइस चांसलर और चांसलर के जो पद हैं उनके लिए आपने कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखी तो मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा और आपको जानकारी होगी कि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज भी हैं न, उसमें वाइस चांसलर की कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं है। उसमें यही होता है कि जो परसन आफ एमिनैंस जो होता है उसकी नियुक्ति होती है और बढ़िया विश्वविद्यालय चले तो उसके लिए कोई छठी क्लास पास को वहां वाइस चांसलर थोड़े ही बनाएगा? जो एमिनैंट एजुकेशनिस्ट है, उसी को वाइस चांसलर बनायेगा तो उसके लिए अलग से

(श्री कालीचरण सर्राफ)

कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो-जो शंकाएं माननीय सदस्यों ने कही हैं उनका मैंने सब का समाधान करने का प्रयास किया है इसलिए मैं यह कहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, मैंने आपका मंत्रीजी इसलिए ध्यान आकृष्ट किया कि पंजाब में ऐसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी की परमिशन दी न, वह हलवाई का काम कर रहा था उसको अपाइंट कर दिया था और बड़ा विवाद हुआ था इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था। हलवाई का काम कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: यह एक्ससेप्शनल होते रहते हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह पांचों को-पांचों को एक साथ ही किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि (1) जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008, (2) सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनूं) विधेयक, 2008, (3) एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008, (4) निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008, एवं (5) सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

पांचों विधेयकों को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि (1) जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008,

(2) सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनूं) विधेयक, 2008,

(3) एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008,

(4) निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008, एवं

(5) सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

पांचों विधेयकों को विचारार्थ लिया गया।

विधेयकों पर विचार

जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

खण्डशः विचार

खण्ड-2, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 पर खण्डशः विचार। प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे। खण्ड-2, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह पढ़ दूं?

विधेयक के खण्ड-2 के उप खण्ड (त) में आयी अभिव्यक्ति 'भारतीय औषधीय परिषद अधिनियम, 1948' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'भेषजी अधिनियम, 1948' और अभिव्यक्ति 'औषधीय परिषद' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'औषध परिषद' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 से 7, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से 7 स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड-8, श्री बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-8 के उप खण्ड (1) की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द '2 करोड़' के स्थान पर शब्द '5 करोड़' प्रतिस्थापित किया जाए।

यह तो है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में और एमिटी विश्वविद्यालय में ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक-एक ही चलेगा, एक-एक ही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, एक-एक ही लेंगे, हां, एक-एक ही।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक-एक ही लेंगे। चलो। जयपुर नेशनल, तो इसमें मेरा यह कहना है कि "8. Endowment Fund. There shall be established an Endowment Fund, as soon as may be after coming into forced of this Act with an amount of rupees two crores which have been deposited by the Sponsoring Body with the State Government." इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एक विन्यास निधि इन्होंने बनायी है वह ... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हिन्दी में है या अंग्रेजी में?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बहुत ही कम है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मूल अंग्रेजी में है या हिन्दी में है यह विधेयक? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हिन्दी में बोल दिया न पहले। आप सुनते तो हो नहीं इस सदन में, पहले हिन्दी में बोल दिया मैंने। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विन्यास निधि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 2 करोड़ रुपये की रखना बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यह बहुत कम है, इसको निश्चित रूप से कम से कम 5 करोड़ रुपये की करनी चाहिए ताकि उस संस्था के ऊपर यदि वह संस्था कोई गड़बड़ करती है, अपने कर्मचारियों को पेमेंट नहीं करती है, अथवा वन फाइन मार्निंग, संस्था कहीं इधर-उधर, एक ही संस्था का कोई मालिक है, इधर-उधर चला जाए तो उसके ऊपर अंकुश रखने के लिए यह सरकार के पास, यह निधि निश्चित रूप से होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर नियंत्रण रह सके। अभी माननीय मंत्रीजी ने जब रिप्लाई दी तो सबसे पहले तो यही कहा, यहां नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने जब अपनी बातें रखीं तो उस वक्त कहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई जमीन नहीं दी और अभी यह बता दी कि अमुक-अमुक यूनिवर्सिटीज को इतनी जमीन डी.एल.सी. रेट पर दी गयी। अमुक यूनिवर्सिटी को इतनी जमीन रीको ने दी तो इसका मतलब आपने जो पहले स्टेटमैंट दिया वह आपका बिलकुल असत्य साबित हुआ। आपने यूनिवर्सिटीज को जमीने आबंटित की। यूनिवर्सिटीज को। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने कहा कि शिक्षा विभाग ने कोई जमीन नहीं दी। आप इसको जबरदस्ती मोडकर क्यों कह रहे हो? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप उठाकर देख लें रिकार्ड। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं शिक्षा विभाग का मंत्री हूं तो शिक्षा विभाग की ही बात कहूंगा, दूसरी कैसे कहूंगा? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): शिक्षा विभाग तो कभी कोई जमीन अलॉट करता नहीं है। सरकार करती है। अलग-अलग डिपार्टमैंट करते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शिक्षा विभाग ने यह देखा है कि उसके पास जमीन कितनी है और कहां-कहां से आई है, वह तो आपने देखी है तो फिर जब देखी है तो जवाब नहीं देते हैं न। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने कोई तथ्य छिपाया है क्या? सारी डिटेल बता दी आपको। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बाद में बताई है, पहले आपको मालूम नहीं था।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): नीयत में खोट होती तो बताता थोड़ी। आपकी जैसे मेरी नीयत में खोट नहीं है इसलिए बता दी सारी बातें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने नहीं बताया, हमने आपको करेक्ट किया है माननीय मंत्री महोदय। आप तो नट गये थे, हमने बताया है आपको। आपने जब संकल्प का उत्तर दिया, आपने मना किया था। हमने करेक्ट किया है आपको। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और उपाध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने कुछ मुद्दे जो हमने पहले उठाये थे, उनका भी जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था इसमें आरक्षण पालिसी क्या रहेगी? आप उस पर मौन रहे। आपने यह भी नहीं बताया कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फैसेलिटी मैम्बर्स के लिए एक प्रोफेसर, दो रीडर और तीन लैक्चरर्स की जो एक सब्जैक्ट को खोलने की अनुमति देते हैं, वह उसमें रही या नहीं रही? इन चीजों का जवाब आपने बिलकुल नहीं दिया, अतः आप कम से कम इस विधेयक को पारित करने से पहले आप यह बतायें कि आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नोर्म्स हैं, उनको फुलफिल करने वाली यूनिवर्सिटी को ही एक तरह से मान्यता देनी चाहिये। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को फुलफिल नहीं करती है, उनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्रीजी, उत्तर देंगे। दे दो, एक-एक का है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये। पहला संशोधन तो इनका यह है 12.1- कुलाधिपति राजस्थान के राज्यपाल अपने ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय मंत्रीजी को यही पता नहीं है कि अमेंडमैंट खण्डशः होता है। पहले मैंने आठवें उप खण्ड में जो किया, उसका रिप्लाई दें पहले आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): 8 (1) में आपने यह कहा कि 2 करोड़ से 5 करोड़ होने चाहिये। इसके लिए तो मैंने पहले भी बताया है कि वह पहले तो जमीन खरीदेगा, फिर बिल्डिंग बनायेगा यानि 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगा और उसमें 5 करोड़ का और कह दो तो फिर वह भाग जायेगा। इसलिए हमने इसमें 2 करोड़ का प्रावधान रखा है और अभी 2 करोड़ ही उपयुक्त है। यदि बाद में कभी आवश्यकता पड़ी 5 करोड़ करने की तो उस पर विचार करेंगे, पर अभी यह स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है खण्ड-8 में जो संशोधन डा. बुलाकी दास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-8 स्वीकार किया गया।

खण्ड- 9 से 11 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 9 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12, डा. बुलाकीदास कल्ला, संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-12(1) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाये- राजस्थान के राज्यपाल अपने पदाभिज्ञान से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अपने यहां जितने भी राजस्थान में विश्वविद्यालय बने हुए हैं, उनके कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल महोदय हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, जैसे अभी सिरोही से आने

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में एक हलवाई को कुलाधिपति बना दिया तो यह स्थिति ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति एक गवर्नर की रेंक का होना चाहिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हलवाई भी तो विद्वान हो सकते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कुलाधिपति गवर्नर के स्टेटस का थोड़े हो सका है तो क्यों इन यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति हैं वह एक्स आफिशियो गवर्नर रहे जिससे यूनिवर्सिटीज के ऊपर अंकुश रहेगा, फर्जी डिग्रियां, फर्जी काम वहां पर नहीं होंगे। नहीं तो यूनिवर्सिटीज में जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश और कई स्थानों पर ऐसी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, जो डिग्रियों को बांटती हैं, बिकती हैं डिग्रियां, इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिये। (व्यवधान) परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): बीकानेर में कितने हलवाई पढ़े-लिखे हैं तो हलवाई तो व्यापारी हैं न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह कुलाधिपति नहीं बन सकते। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अनपढ़ थोड़े ही बनता है हलवाई। (व्यवधान) पढ़ा-लिखा भी बन सकता है, उसका व्यापार है।

श्री उपाध्यक्ष: तो आपको क्या एतराज है? (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आज एल.एम.बी. होटल है और यह हल्दीराम वाला है, पूरे देश में छाया हुआ है तो उसको हलवाई कहेंगे क्या? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो उसको कुलाधिपति बनाओ, आप यही करने जा रहे हो। परबतसर वाले माननीय सदस्य की राय मानो और हलवाइयों को कुलाधिपति बना दो। (व्यवधान) हलवाइयों को कुलाधिपति बना दो। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हलवाई उसका व्यापार है। हलवाई उसका धन्धा है, व्यापार है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं उसका कहां विरोध कर रहा हूं। उसको हलवाई ही रहने दो। उसको कुलाधिपति क्यों बना रहे हो? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): फिर तो सबसे ज्यादा कुलाधिपति के प्रत्याशी बीकानेर में ही मिलेंगे। सबसे ज्यादा कुलपति बनने वाले बीकानेर में ही मिलेंगे। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): क्या हलवाई विधायक नहीं बन सकता। माननीय राज्यपाल भी बन सकता है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कुलाधिपति, गवर्नर जैसा व्यक्ति होता है उसकी जगह समिति का व्यक्ति किसी को भी सजेस्ट कर देगा और राज्य सरकार उसको अपनी सहमति से कुलाधिपति बना देगी तो मैं उचित नहीं मानता। इसके लिये हर यूनिवर्सिटी में कुलाधिपति है वह एक्स ओफिशियो गवर्नर को नियुक्त करना चाहिये ताकि वहां पर यूनिवर्सिटी के दो ही व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है कुलाधिपति और एक होता है कुलपति, यह दोनों कितने अच्छे, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, अच्छे प्रशासक और अनुभवी व्यक्ति होंगे तो वह संस्था अच्छी चलेगी, उसके नाम से चलेगी, इसलिए कुलाधिपति जो है यह एक और हमारे यहां राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, इन सब के कुलाधिपति हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं और इनके कुलाधिपति उनके स्टेटस के नहीं होंगे तो उन यूनिवर्सिटीज का स्टेटस नहीं बन पायेगा और कुलाधिपति गवर्नर साहब होंगे तो निश्चित रूप से उनके अण्डर में जो यूनिवर्सिटी होगी तो वह यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से गम्भीरता से चलेगी, संवेदनशीलता के साथ चलेगी और वहां राज्य सरकार के नियमों का, कांस्टीट्यूशन का और सभी बातों का पालन होगा और नहीं तो जो बिना नियमों की जानकारी वाला या उनके स्टेटस से बहुत कम स्टेटस वाला यदि वहां पर कुलाधिपति बनेगा तो यूनिवर्सिटीज फिर एक तरह से, जैसे हमारे माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि वह एक मशरूम ग्रोथ संस्थाएं होती हैं, वैसे व्यावसायिक संस्थाएं बन जायेंगी और उनकी संवेदनशीलता समाप्त हो जायेंगी। इसलिए कुलाधिपति के बारे में जो संशोधन दिया है, उसको सरकार को मानना चाहिये और गवर्नर साहब को सारी यूनिवर्सिटीज का एक्स ओफिशियो, उनको कुलाधिपति, चांसलर बनाया जाना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जो महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, उनकी कोई क्वालिफिकेशन तय है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: इस बात को छोड़ो। प्रभारी मंत्रीजी, उत्तर देंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने कोई क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं किया है। मैंने स्टेटस का जिक्र किया है। जो गवर्नर बनते हैं वह स्टेटस वाला होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (हाथ के इशारे से अंकित करने से मना किया।)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी सही है, जो माननीय कल्ला साहब ने कहा कि टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने इतना कहा था कि महामहिम की क्वालिफिकेशन कोई संविधान में है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: यह भी नहीं होना चाहिए रिकार्ड पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वो नहीं है लेकिन मैं एक बात और आपको याद दिलाता हूं, अपने नियमों में सारे उपबंध होते हुए भी राजस्थान की विधान सभा में और हिन्दुस्तान की बहुत सी विधान सभाओं में जब राज्यपाल महोदयों ने सरकारें बनाने और बिगाड़ने में भूमिका अदा की तो बहुत जगह चर्चा हुई है और सदन की, स्पीकर की आज्ञा से हुई है। यद्यपि नियमों में प्रावधान है कि उनके आचरण पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए लेकिन राजस्थान विधान सभा की प्रोसिडिंग में भी लिखा हुआ है, पचासों पेज भरे हुए हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वो सब एक्सपंज हुए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वो नहीं हुए हैं एक्सपंज।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक्सपंज हुए हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आगे समय में जब 6 माननीय सदस्यों को बाहर निकाला था, महामहिम राज्यपाल महोदय ने ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट। स्वर्गीय सम्पूर्णानन्दजी ने ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और हम राज्यपाल महोदय को लेकर गये थे, आपका उनके प्रति सम्मान शुरू से नहीं रहा। आपने सुखदेव प्रसादजी का घेराव किया और हम उनको लेकर के बाहर गये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इश्यू बदलो मत, इश्यू मत बदलो। आपने महामहिम का भाषण नहीं होने दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सम्पूर्णानन्दजी के आचरण पर चर्चा होने के सौ पृष्ठ आज भी विधान सभा की प्रोसिडिंग में दर्ज हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हम यह सदन जो है नियम और परम्पराओं से चलता है लेकिन जनता के अधिकारों का जब हनन होता है उस समय सदन किसी के आचरण पर भी चर्चा कर सकता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं कर सकता ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अभी हनन हो रहा है क्या जनता के अधिकारों का? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): महामहिम राष्ट्रपति और गवर्नर के आचरण पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अभी हो रहा है क्या जनता के अधिकारों का हनन?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपने क्या किया था? इसी सदन में किया था जब महामहिम राज्यपाल महोदया ने यहां भाषण पढ़ा जब आपने, कांग्रेस वालों ने क्या किया था, उनका आदर-सत्कार किया था? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन से घनश्यामजी तिवाड़ी की बात आज आप कान खोलकर के सुन लेना, आपके बहुत काम आयेगी कि जनता के हित के लिए यहां कोई भी चर्चा की जा सकती है। आज यह व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष: है कई बार दी हुई ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या महामहिम गवर्नर के बारे में कोई चर्चा की जा सकती है? आप तो बोलें कम से कम, आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा कहां ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं खुद ही कह रहा हूं नहीं हो सकती।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): व्यवस्था दो आप, यह व्यवस्था स्वयं ही दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं खुद ही कह रहा हूं, नहीं हो सकती।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह राजस्थान विधान सभा की प्रोसिडिंग में है, जब महामहिम राज्यपाल महोदया यहां भाषण पढ़ रही थीं, आज वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, जब आप लोगों ने, कांग्रेस वालों ने क्या किया? एक महिला का अनादर किया, एक महिला राज्यपाल महोदया का अनादर किया। यह प्रोसिडिंग में है, आप उठा कर देख लीजिए, और आप आदर की बात कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वैसे कानून न माननीय मंत्री महोदय, यह सरकार सारे असंवैधानिक काम कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय सदस्य, आप बीच में, कोई अंकित नहीं होगा अब बीच में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, किस बात पर बोल रहे हैं, अब यह मुद्दा ही नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं है। बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप। बैठिये। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप पहले जवाब सुन लीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं जवाब।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, छोड़िये इसको। वो जवाब दे रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुलाधिपति के पद पर महामहिम राज्यपाल महोदय होने चाहिए तो हिन्दुस्तान की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यह व्यवस्था नहीं है और जो हमारे प्रदेश में डीम्ड यूनिवर्सिटी चल रही है उसमें भी कहीं पर भी महामहिम राज्यपाल महोदय कुलाधिपति नहीं हैं और राज्यपाल जैसे प्रतिष्ठित पद को हम निजी विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ें, यह उचित भी नहीं है।

जहां तक सरकार के कंट्रोल की बात आपने कही कि कोई भी व्यक्ति नहीं बन जाए, तो इसके लिए इसमें यह प्रावधान है कि कुलाधिपति की नियुक्ति राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से की जायेगी इसलिए यह जो आपका संशोधन है, यह स्वीकार योग्य नहीं है इसलिए इसको अस्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-12 में जो संशोधन डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-12 स्वीकार किया गया।

खण्ड-13 से 21 – काई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-22, डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड-22(1)(ड़) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'नाम निर्देशित' के पश्चात् अभिव्यक्ति 'एक' शिक्षाविद् तथा एक वित्त विशेषज्ञ' प्रतिस्थापित किया जाय। और खण्ड 22(1)(छ) के बाद निम्न प्रकार नवीन उपखण्ड (ज) जोड़ा जावे:- 'राजस्थान विधान सभा का, राजस्थान विधान सभा के सदस्य द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले दो सदस्य।'

मूल जो एक्ट है उसमें one expert of finance nominated by the Chancellor. मेरा यह कहना है कि यूनिवर्सिटीज, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट जब तक उसमें नहीं हो, वित्त विशेषज्ञ तो वैसे ही जिसने यूनिवर्सिटी बनायी है वो अपने पांच आदमियों को नोमिनेट करेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमैंट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका सबसे बड़ा, जैसे पहले सिंडिकेट होती थी, आजकल प्रबन्ध मण्डल के माध्यम से यूनिवर्सिटीज का संचालन होता है जिसमें (a) the Chancellor; (b) the Vice-chancellor; (c) five persons nominated by the Sponsoring Body out of whom two shall be eminent educationists; (d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor; (f) Commissioner, college education or his nominee not below the rank of Deputy Secretary; and (g) two teachers, nominated by the Vice-chancellor." तो इसमें एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एक और जोड़ दिया जाता है तो वो निश्चित रूप से इस संस्था के लिए ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): Already there is a provision.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): "one expert of finance, nominated by the Chancellor;" आगे दो टीचर्स हैं, मैंने कहा कि इसमें फाइनेन्स एक्सपर्ट तो वैसे ही है वित्तीय समिति वगैरह अथवा जो कंट्रोलर जो होता है उसके पास में फाइनेन्स को वो कंट्रोल करने वाला कर लेगा लेकिन प्रबन्ध मण्डल में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

फाइनेन्स के एक्सपर्ट की कोई जैसे आपने आवश्यकता समझी है उससे ज्यादा आवश्यकता एमिनेंट एजुकेशनिस्ट की है इसलिए इसमें मैंने एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट को जोड़ने की बात कही है।

और दूसरा मेरा जो संशोधन है उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप बाहर की यूनिवर्सिटीज का बहुत उदाहरण दे रहे हो, आंध्र, महाराष्ट्र और गुजरात कई राज्यों के जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उसमें एम.एल.ए. का नोमिनेशन हुआ है। इसलिए एम.एल.एज. का नोमिनेशन यदि यूनिवर्सिटीज में होगा तो वह जन प्रतिनिधि हैं और जन प्रतिनिधि वहां पर जायेंगे तो यूनिवर्सिटी में प्रबन्ध मण्डल में जो भी डिसीजन लिये जायेंगे उस डिसीजन में उनकी भागीदारी होगी और वह विधान सभा के प्रति और राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसलिए एम.एल.एज. का वहां होना, वैसे ही उसकी जिसने समिति बनाकर के एक तरीके से वहां पर अपना यूनिवर्सिटी खोला है उसके खुद के आदमी हैं मैजोरिटी में। वाइस चांसलर उनका, चांसलर उनका और उसके बाद पांच-पांच नोमिनी उनके। तो दो एम.एल.एज. यदि उसमें जोड़ दिये जाएं तो निश्चित रूप से इसमें जन प्रतिनिधियों का एक योगदान हो सकेगा।

मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को सरकार को स्वीकार करना चाहिए और पूरे राजस्थान की यूनिवर्सिटी में एकरुपता रहेगी। हर यूनिवर्सिटी में राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष दो एम.एल.एज. को नोमिनेट करते आये हैं तो इन यूनिवर्सिटीज में दो एम.एल.एज. का नोमिनेशन होने से, वह आपके माध्यम से होंगे और आसन के माध्यम से होंगे और वह अपने अनुभवों का लाभ उस यूनिवर्सिटी को दे पायेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस सुझाव को सरकार कम से कम स्वीकार करेगी और इन यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल एकदम कोई निजी संस्था का जो स्वरूप दिया जा रहा है, इसका मैं निश्चित रूप से विरोध करता हूं और इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): जैसा इन्होंने कहा कि दो शिक्षाविद होने चाहिए और एक वित्त विशेषज्ञ होना चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): शिक्षाविद एक कहा है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि खण्ड-22 (सी) में दो शिक्षाविद सम्मिलित किये जाने का प्रावधान पहले से ही है और वित्त विशेषज्ञ का प्रावधान 22-सी में पहले से दिया हुआ है। इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और जहां तक आपने कहा कि राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष की तरफ से ...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, कहा है दो एक्सपर्ट एमिनेंट एजूकेशनिस्ट कहां हैं पढ़कर बता दें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): इसमें है, 22-सी देखें आप "Five persons nominated by the Sponsoring Body out of whom two shall be eminent Educationists."

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह तो संस्था करेगी। वाइस चांसलर जो एमिनेंट एजूकेशनिस्ट करता है वह नहीं है। मैं वाइस चांसलर के नोमिनेशन पर बोल रहा हूं । संस्था तो कुछ भी कर देगी, संस्था के नोमिनेशन के ऊपर मैंने अमेंडमेंट दिया ही नहीं है। वाइस चांसलर फाइनेंस के एक्सपर्ट को नोमिनेट करेगा। यह मेरे ख्याल में यह आपका ही बिल है और विश्व की किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को एमिनेंट एजूकेशनिस्ट को ही करता है नोमिनेट।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): चांसलर जो नोमिनेट होगा वह सरकार की पूर्व अनुमति से होगा। यदि हम हर चीज में उनको इंटरफियरेंस करेंगे तो फिर स्वायत्ता कहां रहेगी। आटोनोमस बाडी बनाना चाहते हैं, हम सरकारी यूनिवर्सिटीज में तो बात करते हैं कि आटोनोमस होनी चाहिए और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि सरकार का दखल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वाइस चांसलर उनका ही बनाया हुआ होगा और वो किसी एमिनेंट एजूकेशनिस्ट को वहां नोमिनेट कर देगा तो स्वायत्ता खतम हो जाएगी यूनिवर्सिटी की?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): वह वाइस चांसलर हमारी परमिशन से बनेगा। यह भी है साथ में। ऐसे ही यह जो माननीय दो सदस्यों के लिए कहा है, यह भी स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप गलत कह रहे हो मंत्रीजी, वाइस चांसलर में आपकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं चांसलर की बात कर रहा हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

विधेयकों पर विचार

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पूरा जवाब नहीं दिया।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-22 में जो संशोधन डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-22 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-22 स्वीकार किया गया।

खण्ड-23 से 48 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-23 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-23 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) विधेयक, 2008 पर खण्डश: विचार

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसको पारित तो कराओ।

श्री उपाध्यक्ष: पारित एक साथ ही करा देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): खण्डश: विचार होने के बाद इसको पारित किया जाए, इसका तो प्रस्ताव आयेगा न? (व्यवधान) ऐसे क्या बात करते हो?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सरकार रिजनेबल है, हर काम जो रिजनेबल होता है, वह करती है।

श्री उपाध्यक्ष: एक साथ ही आ जायेगा।

खण्डश: विचार। खण्ड-2- प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री):विधेयक के खण्ड-2 के उप-खण्ड (त) में आयी अभिव्यक्ति 'भारतीय औषधीय परिषद् अधिनियम, 1948' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'भेषजी अधिनियम, 1948' और अभिव्यक्ति 'औषधीय परिषद्' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'औषध परिषद्' प्रतिस्थापित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 से 7 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से 7 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-3 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड-8, डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): प्रस्तुत ही क्यों कर रहे हो?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): प्रस्तुत तो करना ही पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-8 के उपखण्ड (1) की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'एक करोड़' के स्थान पर शब्द 'पांच करोड़' प्रतिस्थापित की जाय।

बहस की जरूरत नहीं है क्योंकि एक जैसे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-8 में जो संशोधन डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-8 स्वीकार किया गया।

खण्ड-9 से 11- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12, डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): करना तो पड़ेगा, इस पर वोटिंग तो होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अगर आप मूव नहीं करोगे तो वोट नहीं होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): विधेयक के खण्ड-12(1) ''12. कुलाधिपति (1) कुलाधिपति, राजस्थान के राज्यपाल अपने पदाभिधान से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।''

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने तय कर लिया, कल्ला साहब की बात माननी ही नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): इस पर ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-12 में जो संशोधन डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-12 स्वीकार किया गया।

खण्ड-13 से 21 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये गये।

खण्ड-22, डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप या तो एक साथ सारी यूनिवर्सिटीज का ले लेते, फिर तो कोई प्राब्लम नहीं थी, अलग-अलग लाओगे तब तो ...

श्री उपाध्यक्ष: खण्डश: तो अलग-अलग लाना पड़ेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): खण्ड-22, इसमें 'विधेयक के खण्ड 22(1)(ड़) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाय :- 'खण्ड-22(1)(ड़) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित एक शिक्षाविद् तथा एक वित्त विशेषज्ञ' 'खण्ड 22(1) (छ) के बाद निम्न प्रकार नवीन उपखण्ड (ज) जोड़ा जावे:-

'राजस्थान विधान सभा का, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले दो सदस्य।'

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): इसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मतलब आप एम.एल.एज. को भी नहीं लेना चाहते यूनिवर्सिटीज में। एम.एल.एज. को लेने से क्या बिगड़ जायेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): स्वायतता पर प्रहार नहीं करना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष: 'प्रश्न यह है कि खण्ड-22 में जो संशोधन डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-22 स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-22 स्वीकार किया गया।

खण्ड-23 से 48- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-23 से 48 स्वीकार किये जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-23 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाय?'

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008
खण्डश: विचार

खण्ड-2 प्रभारी मंत्री- संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): विधेयक के खण्ड-2 के उप-खण्ड (त) में आयी अभिव्यक्ति 'भारतीय औषधीय परिषद्, अधिनियम, 1948' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'भेषजी अधिनियम, 1948' और अभिव्यक्ति 'औषधीय परिषद्' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'औषध परिषद्' प्रतिस्थापित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: 'प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 से 7- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से 7 स्वीकार किये जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-3 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड-8 डा. बुलाकीदास कल्ला-संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के सामने कहना अब व्यर्थ है इसलिये मैं उनके विवेक के ऊपर ही छोड़ता हूं कि यह एम.एल.एज. के ही पता नहीं क्यों खिलाफ हैं? आपकी सरकार है। आपके एम.एल.एज. नामिनेट होते हैं। कुलाधिपति गवर्नर साहब होते हैं। गवर्नर के भी आप खिलाफ पता नहीं आपको क्या है इसलिये ऐसी सरकार के सामने संशोधन प्रस्तुत करना मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। दो जगह प्रस्तुत करके देख लिया। अब आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि जस्टिस, इक्विटी और गुड कांशियसनैस के आधार पर फैंसले करो। नहीं तो जनता आपको इधर ले लेगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पता लगा है कि आपके पीछे कोई नहीं इसलिये आपने समझदारी की।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह तो जनता ही आपको घर बैठायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: 'प्रश्न यह है कि खण्ड-8 स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-9 से 11- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये जाए?'

(स्वीकृत)

खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12- डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला, माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।)

'प्रश्न यह है कि खण्ड-12 स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-12 स्वीकार किया गया।

खण्ड-13 से 21 कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये गये।

खण्ड-22- डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला, माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया)

'प्रश्न यह है कि खण्ड-22 स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-22 स्वीकार किया गया।

खण्ड-23 से 48- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-23 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-23 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाय?'

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008

खण्डश: विचार

खण्ड-2- प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): विधेयक के खण्ड-2 के उप-खण्ड (त) में आयी अभिव्यक्ति 'भारतीय औषधीय परिषद्, अधिनियम, 1948' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'भेषजी अधिनियम, 1948' और अभिव्यक्ति 'औषधीय परिषद्' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'औषध परिषद्' प्रतिस्थापित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: 'प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 से 7- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से 7 स्वीकार किये जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-3 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड-8 डा. बुलाकीदास कल्ला-संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला, माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।)

श्री उपाध्यक्ष: 'प्रश्न यह है कि खण्ड-8 स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड- 8 स्वीकार किया गया।

खण्ड-9 से 11- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये जाऐ?'

(स्वीकृत)

खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12- डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला, माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।)

'प्रश्न यह है कि खण्ड-12 स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-12 स्वीकार किया गया।

खण्ड-13 से 21 कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये गये।

खण्ड-22- डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला, माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।)

'प्रश्न यह है कि खण्ड-22 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-22 स्वीकार किया गया।

खण्ड-23 से 48- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-23 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-23 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

सरपदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, विधेयक, 2008

खण्डश: विचार

खण्ड-2

प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): विधेयक के खण्ड-2 के उप खण्ड (त) में आयी अभिव्यक्ति 'भारतीय औषधीय परिषद अधिनियम, 1948' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'भेषजी अधिनियम, 1948' और अभिव्यक्ति 'औषधीय परिषद' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'औषध परिषद' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 से 7 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से 7 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड-8

डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला, माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-8 स्वीकार किया गया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कल्ला साहब, अकेले जूझ रहे हैं आज सुबह से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः खण्ड- 9 से 11 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12

डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-12 स्वीकार किया गया।

खण्ड-13 से 21 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये गये।

खण्ड-22

डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला, माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड- 22 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-22 स्वीकार किया गया।

खण्ड-23 से 48 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-23 से 48 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-23 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री अब पांचों विधेयकों को संशोधित रूप से पारित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विधेयकों का पारण

जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008
सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनूं) विधेयक, 2008
एमिटी विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008
निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008
सरपदमपत सिंघानिया विश्वद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं, सब को ही करोगे एक साथ ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी, झुंझुनूं विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को संशोधित रूप से पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय, दो-तीन इश्यु हमने ऐसे रेलेवेंट उठाये थे, एक तो फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि निम्स विश्वविद्यालय जयपुर जो कि आप बना रहे हैं उसमें जो स्टूडेंट एमबीए और एमबीबीएस में राजस्थान की मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर और टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से एनरोलमेंट कराये हुए हैं और अब तक दो साल में उन्होंने यहां परीक्षाएं पास की हैं और यहां से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और यहीं से मार्क सीट मिली है। उनको निम्स में दुबारा से एनरोलमेंट कराया जाना क्या आप ठीक समझते हैं। यह उनके साथ ज्यादती नहीं है कि फर्स्ट ईयर और सैकण्ड ईयर में मार्क सीट किसी विश्वविद्यालय की और फाइनल में किसी विश्वविद्यालय की हो तो इस पर आप जरूर ध्यान देवें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा आपने जो सैक्शन 32 में एडमिशन की जो कंडीशन रखी है, आरक्षण रखा है एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए वहां स्पोर्टस मैन के लिए आपको आरक्षण रखने की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा एक मुद्दा और उठाया था कि आप कहीं एक करोड़, कहीं दो करोड़, आप यूनिफोर्मेटी रखें, हर विश्वविद्यालय के लिये कम से कम कितना पैसा जमा कराना होगा। इन तीनों पाइंटों के बारे में आप बतायें कि सरकार इसमें क्या करना चाहती है। खास तौर से निम्स में जो बच्चों का एनरोलमेंट कोटा और जयपुर से हो गया है, परीक्षा दे दी, मार्क सीट मिल गयी, 3 अप्रैल को फाइनल परीक्षा होनी है और यह निम्स करने जायेगा 15 मई को, उनके ऊपर आपका क्या कहना है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पांचों ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मैं खड़ा हुआ था वैसे तो बोलने के लिए ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बतायें जिसको इजाजत देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कल्ला साहब आप बोलें।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): कल्ला साहब सीनियर हैं, बोलने दें उनको, ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, पांचों विश्वविद्यालयों का जो यह बिल लाये हैं वह हड़बड़ी में आर्डिनेंस पास करके और इसको बिल के रूप में लेकर के आये हैं। इसमें खास तौर से यू.जी.सी. के जो नार्म्स हैं उनको यह बिलकुल फुलफिल नहीं करते हैं। हर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी, लाइब्रेरी, इक्विपमेंट, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां दस हजार के नीचे पुस्तके हैं ऐसे पुस्तकालय तो आपको सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में मिल जायेंगे। वहां इतनी कम पुस्तकों की लाइब्रेरी उन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को क्या ज्ञान देगी। क्या वह विश्व के मुकाबले में भी कम्पीट कर पायेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम कहते हैं कि विश्व में ज्ञान का प्रसार और अनुसंधान का प्रसार हो रहा है। हम विश्व स्तर की यूनिवर्सिटियां बनायेंगे। लेकिन दूसरी ओर जिनके पास पूरी योग्यताएं नहीं हैं, उन योग्यताओं के बिना जिस तरह से संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर और अनेक विश्वविद्यालयों को अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मान्यता नहीं दी है। उनके भवन नहीं हैं, वहां पर पूरी फैकल्टी नहीं है और कोई फैकल्टी आपने मंजूर की है, जब सरकारी यूनिवर्सिटीज की यह हालत है कि आपने एक प्रोफेसर, एक रीडर और एक व्याख्याता आपने मंजूर किया है। उनको भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मंजूरी नहीं दे रहा है तो यह जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, जिनमें एक प्रोफेसर, दो रीडर और तीन लेक्चरर की नियुक्तियां अनिवार्य हैं, वहां अलग-अलग विषयों के इतनी फैकल्टी के मेम्बर्स नहीं होंगे तो उन विषयों को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन परमिशन नहीं देगा। क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जितनी भी न्यूनतम अर्हताएं हैं उनको यह विश्वविद्यालय पूरा करते हैं और नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उन विश्वविद्यालयों की हमारे राज्य में आवश्यकता नहीं थी।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हम एक ऐसे व्यावसायिक संस्थानों को खड़ा कर रहे हैं जो एजुकेशन के माध्यम से रुपया कमायेंगे। ऐसी यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता राजस्थान में नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान में अलग-अलग विषय जो आज तक नहीं खुले हैं और जिनमें अनुसंधान की आवश्यकता है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होना आवश्यक है। हमारे यहां साइंस और टेक्नोलाजी का विकास बहुत कम है। हमारे पूरे देश में पाइंट 44 प्रतिशत टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं और जापान में पाइंट 44 प्रतिशत लोग टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं, अमेरिका में लगभग पाइंट 60 प्रतिशत लोग टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको चाहिए कि हम टेक्निकल एजुकेशन को, स्पेस इजीनियरिंग को और जिन-जिन फील्ड्स में, एयरोनाटिकल के फील्ड में यहां पर कोई इंस्टीट्युट नहीं है, जो नये इंस्टीट्यूट नये विषयों की जानकारी देते हैं और नये विषयों के बारे में विद्यार्थियों को नया ज्ञान दें ऐसे इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। फिर हमने जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए प्रस्ताव रखा था तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमने यह अनुरोध किया था कि इसमें रिजर्वेशन की पालिसी को लागू करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया और उन लोगों को...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप खांसी की दवा खा रहे हैं क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। मैं आपका गम खा रहा हूं, आप विराजो। आप सवेरे से व्यवधान के अलावा तो कुछ करते नहीं। इस बिल के बारे में आप बोल सकते थे लेकिन आपने एक योगदान नहीं दिया लेकिन बीच-बीच में खड़े हो जाते हो, पता नहीं कोई आपके स्प्रिंग लगी हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): स्प्रिंग नहीं लग रही है। आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हो इसलिए आपका ध्यान दिला रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं कोई नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। आप विधान सभा अध्यक्ष से जांच करा लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप रिपीट कर रहे हो, देख लो। आप मुंह खोल कर देख लो आप, नहीं हो तो मैं जो आप कहो जो कर लूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): देख लो, यह देख लो, बस? आपकी तो आदत बहुत गंदी पड़ी हुई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्लाजी, आप महावीरजी से इतना क्यों घबराते हो?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं किसी से नहीं घबराता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कई बार जल्दबाजी से अचानक इस तरह कोई चीज निगली जाती है, वह अटक जाती है उससे बिना मतलब स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इनसे इतना डरने की क्या बात थी? महावीरजी, इतना आपने आतंक कैसे फैला रखा है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनके गले में तो अटक नहीं सकता।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कल्ला साहब ने जीभ बता दी, अब नहीं बोलेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तभी इनको विश्वास हुआ है नहीं तो इनको विश्वास नहीं होता। एक दिन तो कह रहे थे कि पान खा रहे हो, मैं पान नहीं खाता, वैसे ही कह दिया कि पान खा रहे हो, कभी मैं पान नहीं खाता, कभी ऑकेजनली कुछ कोई खा लिया तो कोई सौगन्ध नहीं है लेकिन यूं ही कह दिया कि पान खा रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो पान खाओ, कान खाओ, मैं तो यहां से चला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पधारो आप।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन पालिसी के बारे में आप बताएं। इसके अलावा एडमिशन में भी कई जगह सरकार ने आदेश पारित करके एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन किया हुआ है एडमिशन में, वह रिजर्वेशन पालिसी लागू होगी या नहीं होगी और जिस प्रकार से विकलांगों को, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को यूनिवर्सिटीज एडमिशन देगी उसमें नियमों का पालन करेगी कि नहीं करेगी, इन सब बातों का खुलासा इस थर्ड रीडिंग के वक्त आप करें और यह बताएं कि जो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की न्यूनतम अर्हताओं को पूरा नहीं करेगी उनको आप निश्चित रूप से स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर अपना एक नियंत्रक बनाकर उसका नियंत्रण करेंगे और इसके लिए मेरा आपको सुझाव है कि थर्ड रीडिंग से पहले-पहले आप

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

संशोधन अब तक ला सकते हैं कि डाइरेक्टर, एजूकेशन, डिप्टी सैक्रेटरी की जगह, डाइरेक्टर, कालेज एजूकेशन को इसमें नोमीनेट कर दें तो निश्चित रूप से डाइरेक्टर, कालेज एजूकेशन जो उच्च शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्ति होगा, डिप्टी सैक्रेटरी तो कभी आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है, कभी पी.एच.ई.डी. में है, कभी मेडिकल में है और कभी फाइनेंस में है, वह इतना जानकार नहीं होगा, वह आपकी तरफ से वहां नोमीनेट होगा, वह कम से कम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रख सकेगा और जो भी वहां पर नियमों का उल्लंघन होगा उसको रोक सकेगा। मुझे विश्वास है कि इन मुद्दों पर आप विचार कर कम से कम जो नोमीनेशन डिप्टी सैक्रेटरी का कर रहे हैं उसकी जगह डाइरेक्टर, कालेज एजूकेशन का नोमीनेशन करेंगे और जो एम.एल.एज. के नोमीनेशन के बारे में मैंने अपने सुझाव दिए उनको भी आपको मानना चाहिए।

ऐसे ही कोई यूनिवर्सिटी बाहर नहीं चली जाएगी। आप दो एम.एल.ए. को जो सत्ताधारी पार्टी के प्रायः प्रायः होते हैं उनका नोमीनेशन करने से क्या यूनिवर्सिटीज भाग जाएगी? इन्वेस्टर का इन्वेस्टमैंट लाना होगा तो आपको इण्डस्ट्री में लाना होगा, एजूकेशन में कोई दो-चार यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी इससे इन्वेस्टमैंट आ जाएगा राजस्थान में, कितना सदन को आप गुमराह कर रहे हैं। मैं स्पष्ट आपको सुझाव देता हूं कि इससे इन्वेस्टमैंट नहीं आएगा, इससे एजूकेशन को व्यवसाय की दृष्टि से लेंगे, इससे पैसा कमाएंगे और राजस्थान का इससे कोई भला होने वाला नहीं है। राजस्थान का भला तब होगा जब संभागीय स्तर पर, राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय बनाएंगे जिस प्रकार डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर्स पर सरकार की तरफ से आप यूनिवर्सिटी बनाएं और बनाकर उसके माध्यम से शिक्षा का प्रसार कर वह अनुसंधान करें और नए-नए विषय जो राजस्थान में अब तक नहीं हैं उनको खोलेंगे तब राजस्थान में उच्च शिक्षा का विकास होगा, उसमें गुणात्मक सुधार होगा नहीं तो यह पैसे वालों के संस्थान मात्र पैसों वालों के लिए रहेंगे इसलिए आप अपनी तरफ से यह स्पष्ट करें कि एडमिशन के लिए जो सरकारी अनुदान से यूनिवर्सिटीज चल रही हैं वैसी की वैसी पालिसी इसमें भी आप लागू करेंगे।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, 5 नवीन यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, उनके विधेयक हमारे सामने पारित होने के चरम स्तर पर है। तीसरी-चौथी क्लास में पढ़ने को मिला था उस समय तक्षशिला और नालन्दा के नाम हमारे

(श्री टीकम चन्द कान्त)

सामने आए, उस समय कल्पना होती थी कि विश्वविद्यालय कैसा होगा। विमेरी दृष्टि से बहुत बड़ा जिसमें विश्व के व्यक्ति, शिक्षाविद् आते होंगे, विश्व के लोग उसमें पढ़ने आते होंगे, ज्ञान अर्जित करते होंगे और पुन: जाकर विश्व को ज्ञान देते होंगे। अब चूंकि उदारीकरण का जमाना है, अब कम्पीटिशन में है, विदेशों के अंदर बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे यहां भी होने चाहिए, भारत में भी होने चाहिए, हमारे राजस्थान में भी होने चाहिए और वास्तव में हम शिक्षा में क्यों पीछे रहे? आवश्यकता है हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी शिक्षित होना है, हमारे यहां भी नए विषय आने चाहिए, हमारे यहां भी नए विशेषज्ञ पैदा होने चाहिए, तभी हम इस प्रकार के युग के अंदर आगे बढ़ सकेंगे। जहां राजस्थान को आगे लाने की बात है, इस प्रकार से अग्रिम पंक्ति में आ सकेगा, उसको हम मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, यह जो कदम उठाए गए हैं, ठीक है, उचित हैं, यह तो ठीक है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय खोलना इतना सरल हो जाएगा मेरे दिमाग में नहीं था। महामना मदन मोहन मालवीय ने जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय खोलने की बात की थी तो न मालूम कहां-कहां भटकना पड़ा होगा, कहां-कहां से दान लाना पड़ा होगा और वह श्रेष्ठ संस्थान जिसके प्रति हम लोगों की श्रद्धा हो सकती है, एक विश्वास हो सकता है कि इस प्रकार का जो संस्थान खड़ा हुआ था, मदन मोहन मालवीय, उनकी मेहनत से वह आवश्यकता समझ रहे थे देश के अंदर उसकी, कोई शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, वह इन यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए, इस प्रकार की बात हुई, रवीन्द्रनाथ टैगोर कितने पढ़े हुए थे, कौनसा सर्टिफिकेट उनके पास था, कौनसी डिग्री थी उनके पास लेकिन शांति निकेतन जब खड़ा हुआ, आज भी कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मैं शांति निकेतन में पढ़ा हुआ हूं तब लगता है कि एक श्रेष्ठ संस्थान में शिक्षा ग्रहण की है, कुछ संस्कार ग्रहण किए हैं। इसलिए यह आवश्यकता है। अभी माननीय मंत्रीजी ने बताया कि हमारे पास तो पिलानी वास्तव में बहुत वर्षो से पिलानी का नाम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी संस्था है, गोठन का नाम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी संस्थान है, मोदी, लक्ष्मणगढ का नाम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी संस्था है और मैं राणी में एक स्कूल देख कर आया था...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कौन से मोदी का सुन रहे हैं आप?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): लक्ष्मणगढ़ वाली संस्था जिन मोदी की है उनकी बात कर रहा हूं। आपको कौनसा मोदी याद आया? (व्यवधान) अच्छा, नरेन्द्र मोदी, सपने में भी अभी वही चल रहा है क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान की सरकार चला रहे हैं वह मोदीजी याद आते हैं। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): शिक्षा के प्रति समर्पित लोग, वह कितने पढ़े-लिखे हैं इस बात का प्रश्न नहीं है। शिक्षा के प्रति समर्पित लोग इन यूनिवर्सिटीज या कालेज को शिक्षा बिक्री केन्द्र नहीं बनाना चाहते हैं, जो शिक्षा का दान देना चाहते हैं, जो इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोगों के द्वारा यह संस्थाएं स्थापित होती हैं, इस प्रकार के लोगों के द्वारा उनकी स्थापना होती है उनमें से कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आशुतोष मुखर्जी, कलकत्ता के, बंगाल के महान् गणितज्ञ थे, जिनके सुपुत्र डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना की और 27 वर्ष की उम्र के अंदर डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। वह ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर से लोगों ने कुछ शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ बाहर निकलने के बाद इस समाज को कुछ अर्पित किया है, कुछ समर्पित किया है। ऐसे लोगों का निर्माण इन यूनिवर्सिटीज से होना चाहिए। मैं इस बात का तो हिमायती हूं कि स्वायत्ता इनकी बनी रहनी चाहिए, लेकिन नियंत्रण कम से कम होना चाहिए।

राजस्थान की सरकार पर या भारत की सरकार पर कुछ न कुछ जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। इस प्रदेश के अंदर चलने वाली शिक्षण संस्थाएं क्या इस समाज की आवश्यकताएं पूरी कर रही हैं या नहीं? एक सतत् निगरानी रहने की आवश्यकता है। अगर हमारा एक अधिकारी उसके ऊपर नियंत्रण रख सकता है, ठीक है, अगर दो की आवश्यकता है तो दो रखने चाहिए, लेकिन नियंत्रण व निगरानी रहनी चाहिए, क्या प्रगति कर रहे हैं वो देखा जाना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार बिहार और उत्तर प्रदेश में हमें रोज समाचार मिल रहे हैं यूनिवर्सिटीज के और उन यूनिवर्सिटीज की डिग्री लेकर हमारे समक्ष आता है तो हमें लगता है कहीं न कहीं जाली तो नहीं है। इसलिए राजस्थान की रेपुटेशन इस शिक्षा के अंदर बनी रहे, राजस्थान की प्रतिष्ठा शिक्षा के अंदर बनी रहे इसलिए आवश्यक है।

मैं सतत् निगरानी की बात कह रहा हूं, नियंत्रण भले ही कम से कम हो, लेकिन सतत् निगरानी बनी रहनी चाहिए। बाकी तो हमें 50 खोलनी हैं, हमारी यूनिवर्सिटी होनी हैं, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन क्वालिटी बनी रहनी

(श्री टीकम चन्द कान्त)

चाहिए। इसलिए कुछ मामलों में तो यह हमारी आवश्यकता है यूनिवर्सिटी खोलनी भी चाहिए, लेकिन यह हम सब को इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में व्यक्ति निर्माण का काम हो। ये शिक्षा के बिक्री केन्द्र, जो मैंने अभी कहा था शिक्षा बिक्री केन्द्र न बनें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा को समर्पित कोई सेठ हो, कोई उद्योगपति हो, जिनके पास पैसा हो, जो चाहता हो, बिरलाजी के लिए हमने बहुत कुछ कहा था, लेकिन बिरलाजी की संस्था ने शिक्षा के मामले में, अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य बिरलाजी का विरोध करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन उनकी शिक्षण संस्थाएं देखते हैं तो व्यक्ति निर्माण होता है, वहां पर विशेषज्ञ बनता है।

इसी प्रकार से अगर कोई सेठ है, साहूकार है, उद्योगपति है, उद्यमी है और वह शिक्षा के अंदर पैसा खर्च करना चाहता है, शिक्षा में अगर उसका समर्पण भाव है तो उपाध्यक्ष महोदय, हमें उसे आमंत्रित करना चाहिए, कहना चाहिए कि राजस्थान के अंदर वातावरण बना हुआ है, राजस्थान की सरकार हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार है यहां विश्वविद्यालय और खोले जाएं। सच्ची बात तो यह है कि कोई विश्वविद्यालय वाले आकर कहें कि हम वह विषय खोलना चाहते हैं जो अभी आपके यहां नहीं है, जो इस सरकारी विश्वविद्यालय में हो नहीं सकता वह हम खोलना चाहते हैं उसे हमें प्राथमिकता देनी चाहिए।

यह बात सही है शंकाएं मन में होती हैं, जमीन कम भावों में उसे अलाट की हैं, उसने गठन के बाद वह कहीं लेकर न जाए, करोड़पति हो जाए, मंत्रीजी ने इन शंकाओं का समाधान किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारी शिक्षण संस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, राजस्थान का नाम होना चाहिए और जो बाहर जाकर पढ़ने की बात कर रहे हैं वह राजस्थान के लोग यहां राजस्थान में पढ़ें, धन्यवाद, जय भारत।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय के विधेयक को लेकर जिन बुनियादी खामियों की ओर हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था अपने उत्तर में उनका निस्तारण तो माननीय मंत्री महोदय ने नहीं किया, पर इसी निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के विधेयक को लेकर ओटीएस में जो राय जाहिर की गई मैं उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं।

(श्री संयम लोढ़ा)

राज्यपाल शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने नये विश्वविद्यालयों के अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किये, लेकिन लगता है कि जिन संस्थाओं को अनुमति दी जा रही हैं वे शिक्षा के उन्नयन के लिए कम और जमीन के लिए ज्यादा उत्सुक हैं। उन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बनाने वाली संस्थाओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विज्ञान शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय के साथ ही कई संस्थान सामने आ रहे हैं जो रियायती दर पर जमीन मांगते हैं और जो विद्यार्थियों से फीस भी अधिक वसूलते हैं जब कि इन संस्थाओं के पास शिक्षा की पूरी व्यवस्था भी नहीं होती, इनकी खास उपलब्धियां भी समाज के सामने नहीं आतीं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि वे ऐसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने इस बात पर चिन्ता जाहिर की कि विश्व के 100 प्रमुख विश्वविद्यालयों में प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। ज्यादातर उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापरक शिक्षा और विज्ञानपरक सोच की कमी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जिस सर्वोच्च सदन में राजस्थान की सरकार जिन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में लेकर आयी है उन पर दस्तख्त करने वाले महामहिम राज्यपाल ने ही पूरी वास्तविकता राजस्थान की जनता के सामने ला दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है। देश के इतिहास और संस्कृति पर अगर नजर दौड़ाएं तो सबसे ज्यादा हमारा इतिहास और संस्कृति में सर्वाधिक महत्व शिक्षा को दिया गया है, लेकिन आज की शिक्षा की स्थिति दयनीय होती जा रही है वह हम सब के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया, उप कुलपति और कुलाधिपति की नियुक्ति के मानदण्डों के बारे में विचार करें तो मैं यह भी कहना चाहता हूं सरकार को खुले दिल और व्यापक दृष्टिकोण से हमारी बात पर विचार करना चाहिए था। वो कोई दलगत राजनीति के आधार पर की गई आलोचना नहीं थी। राजस्थान के विश्वविद्यालयों का वह गौरवशाली अतीत रहा है, आप स्वयं जोधपुर जिले से आते हैं और आपकी जानकारी में है कि कैसे-कैसे नामवर लोग हमारे विश्वविद्यालयों में रहे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, प्रो. वी.बी. जौल, डा. नामवर सिंह, ये सारी महान हस्तियां हमारे विश्वविद्यालयों से जुड़ी रही हैं

(श्री संयम लोढ़ा)

और जब हम सरकार का ध्यान कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति की ओर जो एक नयी पहल सरकार करने जा रही है उसकी ओर आकृष्ट कर रहे हैं तो हमारा मंतव्य यही है कि सरकार ऐसी व्यवस्था इस एक्ट के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने प्रस्तुत करे कि इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास दिलाने के लिए हम किस तरह की फैकल्टी लाने जा रहे हैं, किस तरह के हम वाइस चांसलर, किस तरह के चांसलर और उसके लिए क्या परिदृश्य हम राजस्थान के शिक्षण जगत के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। वह सोच सरकार के सामने आनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने एक बहुत कमजोर व्यवस्था इस एक्ट के माध्यम से दी है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा कि राजस्थान को 50 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। बड़ी खुशी होती अगर राजस्थान सरकार के दिमाग में यह चिन्ता होती और आप एक मसौदा सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने लेकर आते कि पूरे राजस्थान को हम इस नयी सोच के माध्यम से, पूरे राजस्थान के सामाजिक सरोकारों से जोड़ना चाहते हैं और एक ट्रांसपेरेंट पालिसी लेकर आते। वे जिले सिरोही, पाली, जालौर और राजस्थान के उन तमाम जिलों के लिए आप एक प्रपोजल, एक ऐसी नीति लेकर आते कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करते हैं कि राजस्थान के जिस-जिस जिले के अंदर विश्वविद्यालय नहीं है हम यह सुविधाएं हमारी ओर से जमीन देना चाहते हैं, दूसरे एस्टेब्लिशमेंट की सुविधाएं देना चाहते हैं और पूरे राजस्थान को राजस्थान सरकार की नई पहल से लाभान्वित करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और सिर्फ इसलिए नहीं किया इस पहल के माध्यम से वे सिर्फ सेठों को पैसा कमाने की छूट देना चाहते हैं, शिक्षा को बाजार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, शिक्षा के जरिये व्यापार को मौका देना चाहते हैं, शिक्षा के जरिये उद्योग जगत की दिशा में पहल करना चाहते हैं और इसलिए हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह सरकार की पहल जन-विरोधी है, आम व्यक्ति के विरोधी हैं इसलिए एक बार फिर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन विधेयकों को वापस ले और जो सुझाव राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन पर विचार करके उस बहस में राजस्थान की जनता को शामिल करके एक

(श्री संयम लोढ़ा)

ऐसा परिदृश्य राजस्थान की जनता के सामने पेश करे कि इस निजी क्षेत्र की पहल से राजस्थान के तमाम जिले और राजस्थान की दूर ढाणी में बैठे हुए आम आदमी का बच्चा भी लाभान्वित हो सके, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा towards Statement of Objects and Reasons. पांचों जो बिल्स आपके सामने यूनिवर्सिटीज के हैं दोनों पैराज अगर आप पढ़ेंगे, they are almost similar. Word to word, comma to comma, grammar to grammar, everything is the same. मैं गवर्नमैंट आफ राजस्थान के इंटेंशन को क्वश्चन नहीं कर रहा हूं।

लेकिन एक बात निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे यूनिवर्सिटी की परिभाषा में अगर प्रतिस्थापित होता है तो जो जो यूनिवर्सिटी पूरे संसार के किसी भी भू-भाग में आती हैं, उस भू-भाग का चरित्र, उस भू-भाग का करेक्टर भी वह इनहेरिट करती हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस सरकार के कार्यकाल के अंदर इन 5 नये विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है लेकिन एक बात बड़े दुःख के साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांच यूनिवर्सिटी की स्थापना के उपरांत भी जो राजस्थान का अपना एक अनोखा चरित्र है, एक ऐसा प्रदेश जिसने इस राष्ट्र को सर्वाधिक प्रतिशत के अंदर, इनके डिफेंस के अंदर अपने यहां से ह्यूमन रिसोर्स दिया हुआ है, सर्वाधिक संख्या वाला यह भौगोलिक क्षेत्र वाला प्रदेश जो चाहे प्राकृतिक विपदाओं से और प्रतिकूल प्राकृतिक विपदाओं से जूझता हो लेकिन राष्ट्र को सबसे ज्यादा प्रतिशत के अंदर मिलिट्री का ह्यूमन रिसोर्स दिया है। मुझे दुःख इस बात का है कि एक भी यह पांचों यूनिवर्सिटी मिलिट्री साइंस के बारे में किसी फेकल्टी की या फेकल्टी की ब्रांच के बारे में न तो डिफाइन करती हैं न ही ऐसी कोई बात इसमें कहती हैं कि आगे हम इस बात को आशापूर्वक स्वीकार कर लें कि इस तरीके की कोई चीज यह आगे एकेडमिक्स में लेकर आएंगे।

मैं राष्ट्र की उस व्यवस्था के संबंध में भी बात कर रहा हूं कि 1947 के बाद के अंदर एक अध्याय चला जब कि इस देश को, इस राष्ट्र को एक पीस लविंग कंट्री माना गया था लेकिन व्यवस्थाएं बदलीं, परिस्थितियां बदल रही हैं। आज हमारी बार्डर से, बाहर के अग्रेसन के अलावा हमारी बार्डर के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

भीतर का अग्रेसन भी है, इनसरजेंसी है और धीरे-धीरे यह बात भी सामने आ रही है, एन.डी.ए. का जो वास्तविक स्टेटिस्टिक्स अभी आया है, दो सौ पोस्ट, दौ सौ केपेसिटी जो कि एन.डी.ए. की सीट्स थी वह नहीं भर पाई, कैंडीडेट्स ही नहीं गये वहां, यह तो 12वीं के बाद की बात है। अगर यही चलता रहा तो आई.आई.एम.ए. के अंदर जिस वक्त आदमी ग्रेजुएशन करने के लिए जाता है, आपने वहां भी मिलिट्री में जाने के लिए अफसर के स्तर पर या सोल्जर के स्तर पर व्यक्ति नहीं मिलेंगे इसलिए कम से कम जब नई यूनिवर्सिटी जब आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो मिलिट्री साइंस को अनिवार्य रूप से इसमें आप सिद्ध करिए। यह ऐसी चीज है जो आपके प्रदेश के करेक्टर को पूरे का पूरे राष्ट्र के स्तर पर प्रतिपादित करती है। अगर मिलिट्री साइंस के एकेडमिक्स का केरिकुलम हम ले लेते हैं तो कम से कम मैं सरकार से यह चाहूंगा कि ये यूनिवर्सिटीज आपके इनोवेशन की वजह से आपके इंसेंटिव्ज की वजह से, आपके प्रोत्साहन की वजह से आ रही हैं लेकिन इस राजस्थान का जो एक विशेष करेक्टर है, इस राष्ट्र के प्रति हमारा जो दायित्व है और बहुत खुशी से हमने अतीत और वर्तमान में इसको निभाया है और भविष्य में भी हमारे बच्चे निभाएं, ऐसी किसी फेकल्टी को भी ईजाद करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, since the beginning of civilization, from stone age, bronze age, iron age, then we came into the chemical age and now we are into the nano age. यह जो टाटा ने गाड़ी का नाम नैनो रखा है इसका मतलब कुछ और नहीं है, यह भी साइंस से रिलेटेड है, आदरणीय मंत्री महोदय फरमा रहे थे कि नैनो टेक्नोलोजी के नाम से हमने फेकल्टीज क्रिएट की है लेकिन अगर आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ें, तीन यूनिवर्सिटी ही नैनो टेक्नोलोजी को ले रही हैं, दो यूनिवर्सिटी आज भी ऐसी आ रही हैं जिसमें नैनो टेक्नोलोजी के बारे में कोई पाठ्यक्रम नहीं है और अगर पाठ्यक्रम इन्होंने शिड्यूल सैकण्ड में रख भी दिया है तीन में, यह कहीं अनिवार्य नहीं है कि यह फेकल्टी के ऊपर रिसर्च करवाएंगे और इस फेकल्टी के ऊपर अनिवार्य रूप से स्टडी करेंगे। इसके शिड्यूल सैकण्ड की बहुत सी फेकल्टी के अंदर एक यह भी फेकल्टी है। आज का युग साइंस का युग है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलाजी का युग है, नैनो टेक्नोलाजी का युग है और क्योंकि यह एक ऐसे प्रदेश में प्रतिस्थापित हो रही हैं जहां प्रकृति ने बहुत ज्यादा हमारे बीच में विषमताएं पैदा कर रखी हैं। आप यह बताइए अगर नैनो टेक्नोलाजी नहीं होगी तो कार्बो नैनो ट्यूब्स के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ऊपर रिसर्च कहां से होगा? अगर नैनो टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो कार्बो सेल्यूलर ट्यूब्स के बारे में कहां से रिसर्च होगी?

मैं पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की वह व्याख्या आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने इस टेक्नोलाजी और आज के युग के सम्बन्ध में कही और दोनों में ही इसका अभिप्राय है आपने यूनिवर्सिटी बना दी, यूनिवर्सिटी में फेकल्टी आपने कर दी, राष्ट्रपतिजी का यह भी आब्जर्वेशन है कि हमने सैटेलाइट भी बनाया है, इसका एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी भी इजहार की लेकिन पांच वर्ष पहले ही हमने अपना निजी एयरक्राफ्ट बनाया है, 47 साल तक टेक्नोलॉजी हमारे यहां थी लेकिन टेक्नोलाजी के साथ-साथ अगर उसकी कामर्शियल एप्लीकेशन नहीं होती तो टेक्नोलाजी घर की घर में रह जाती है। लिक्विड सेल्यूलर ट्यूब्स के अंदर एलसीडी ट्यूब्स जो सारी की सारी टीवीज में लगती हैं उसकी टेक्नोलाजी का इजहार हिन्दुस्तान में हुआ लेकिन कामर्शियल वाएबिलिटी हम नहीं दे पाए। अगर इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एक्सपेरीमेंटल हब्ज में कामर्शियल वाएबिलिटी को हमने नजरअंदाज नहीं किया तो यह सिर्फ एकेडमिक्स की डिग्री तक सीमित होकर रह जाएंगी, इसकी कामर्शियल वाएबिलिटी के लिए भी हमको फेकल्टी साइंस के अंदर एक्सपेरीमेंटल एवेन्यूज ओपन करने पड़ेंगे। मैं आपके सामने एक यू.एस.ए. के पास में पेटेंटेड नैनो टेक्नोलाजी की बात करता हूं। 22 राष्ट्रों ने जिन्होंने अपने पेटेंट्स के लिए किया है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिन्दुस्तान का नाम इस 22 में आज भी नहीं है। आयरलैंड जैसे राष्ट्र ने 5 पेटेंटिंग कराई हैं, आस्ट्रिया ने 6 कराई हैं और इजराइल ने 9 कराई हैं, यू.एस.ए. की खुद की तो खैर 200 हैं ही। अगर इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी यूनिवर्सिटीज रिसर्च के सेंटर होनी चाहिए, उन रिसर्च के सेंटर होने चाहिए जो इमरजिंग फील्ड्स हैं, वे रिसर्च के सेंटर नहीं होने चाहिए जिसके अंदर आलरेडी एक्सपरटीज और कांम्पीटिशन इतना ज्यादा हो गया है, हम चाहते हुए भी दिन दूनी रात चौगुनी अगर हम प्रगति करें तब भी उस मुकाम तक पहुंच सकते लेकिन अगर हमारा युग सेटेलाइट का हो सकता है, हमारा युग न्यू-क्लियर टेक्नोलाजी का हो सकता है तो हमारे कल के बच्चों का भविष्य नैनो टेक्नोलॉजी पर क्यों नहीं हो सकता? और यही बात राष्ट्रपतिजी ने कही है। राष्ट्रपतिजी ने यह बात कही है कि साइंस के अंदर हो सकता है हम विश्व में पांचवें, छठे और सातवें राष्ट्र बने हों, हो सकता है कि कैमिकल साइंस के अंदर हम तीसरे और चौथे बने हों लेकिन यह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

एक ऐसी साइंस है, अगर वक्त पर हमने इस बात को पहचान लिया तो हम उन राष्ट्रों में प्रथम राष्ट्र बन सकते हैं और अगर हिन्दुस्तान प्रथम राष्ट्र बनने की प्रेरणा रखता है तो राजस्थान का पूरा स्वाभाविक रूप से उसके अंदर हस्तक्षेप होना चाहिए, इसको यहां से कम से कम उसके अंदर पूरा होना चाहिए। अगर इस यूनिवर्सिटी का उपयोग कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज को हम वाकई में भविष्य के एल्बर्ट यूनिवर्सिटी, ग्राह्म बेल या सी.वी. रमन, जैसे व्यक्ति को इस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स के रूप में निकालना है तो राजस्थान की भावी पीढ़ी आपकी ओर लालायित नजर से देख रही है कि उनको ऐसी व्यवस्था प्रदान करें, व्यवस्था प्रदान करने का कार्य तो इस सरकार ने किया है लेकिन इस व्यवस्था के साथ-साथ में वातावरण भी उस यूनिवर्सिटी में रहे और वातावरण रहने के साथ-साथ सारी टेक्नोलाजी वहां हो, अनिवार्य रूप से जिस टेक्नोलाजी का उन्होंने शिड्यूल सैकण्ड में नामचीन किया है उन इमरजिंग फील्ड्स की बाध्यता करते हुए इसकी परमिशन दी जाए जिससे आने वाला साइंस और टेक्नोलाजी का युग में हमारी भावी पीढ़ी को लाभ पहुंच सके। मैं इतनी ही बात निवेदन करना चाह रहा था, आपने मुझे मौका दिया, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में बताया, हम राजस्थान की बहबूदी चाहते हैं, राजस्थान में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो, नई-नई टेक्नोलाजीज नये-नये पाठ्यक्रम राजस्थान में आएं, हमारे बच्चों को जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं होने के कारण तकलीफ होती है, दक्षिण भारत में कहीं कर्नाटक में जाते हैं, कभी महाराष्ट्र में जाते हैं, कभी आंध्र में जाते हैं पढ़ने के लिए वह यहां पर पढें और जिस प्रकार का शैक्षणिक वातावरण हमारे प्रदेश का है जिसके कारण अन्य प्रदेशों के लोग हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं तो यह एक सपना लेकर कि एक हक के रूप में राजस्थान को हम विकसित करें, हमने यह निजी विश्वविद्यालय राजस्थान में खुलें, इस प्रकार का निर्णय किया है और यह बात सही है कि जिस प्रकार की आवश्यकता, जितनी संख्या में विश्वविद्यालयों की आवश्यकता राजस्थान में है, केवल सरकारी साधनों से वह पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए हमें निजी क्षेत्र की ओर जाना ही होगा और जब कभी भी नया काम होता है तो उसमें कुछ डिफिकल्टीज तो आती हैं। अब रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा

(श्री कालीचरण सर्राफ)

कि जिन बच्चों का एनरोलमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो गया, अब नई यूनिवर्सिटीज खुल गई उनमें उनका क्या एनरोलमेंट दुबारा होगा?

जिन्होंने फर्स्ट ईयर, सैकण्ड ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर लिया उनका क्या होगा। ये दिक्कतें आना स्वाभाविक हैं इसलिए हमने इस एक्ट में यह प्रोविजन रखा है रिमूवल आफ डिफिकल्टीज धारा 46, यह इस प्रकार की जो डिफिकल्टीज आयेंगे उनका हम इस धारा के अन्तर्गत समाधान करेंगे।

रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि आपने किसी विश्वविद्यालय से तो दो करोड़ रुपये एंडोमेंट फीस के रूप में लिये हैं और किसी से एक करोड़ रुपये लिये हैं। मैंने इसका बड़ा स्पष्ट जवाब दिया कि जो नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र के 15 किलोमीटर की रेंज में आते हैं उनसे हम दो करोड़ रुपये लेंगे और जो इससे बाहर आते हैं उनसे हम एक करोड़ रुपये लेंगे। इसमें हमने यह भी पालिसी बनाई है कि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में जो कोई विश्वविद्यालय खोलना चाहेगा उससे हम 75 लाख रुपये लेंगे। यह इसलिए हमने रखा है कि ज्यादा से ज्यादा जैसे कि माननीय कल्लाजी ने कहा कि छोटे-छोटे स्थानों पर भी विश्वविद्यालय होने चाहिए। यह इनकी राय को ध्यान में रखकर कि पिछड़े इलाके में, छोटे-छोटे स्थान पर विश्वविद्यालय खोलने के लिए लोग आकर्षित हों इसलिए हमने यह पॉलिसी बनाई है कि जो नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्र में होंगे उनसे दो करोड़ रुपये, इनके अलावा होंगे उनसे एक करोड़ रुपये और शिड्यूल्ड कास्ट और पिछड़े इलाकों में होंगे उनसे 75 लाख रुपये लेंगे।

एक माननीय कल्लाजी ने यह कहा कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मामलों में आपकी क्या पॉलिसी रहेगी तो आप विधेयक की धारा 32 (3) यदि पढ़ लेते तो आपको यह शंका नहीं होती। उसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय प्रवेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं नि:शक्तजनों को राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): What about teachers? जो टीचर, कर्मचारियों की नियुक्ति होगी उसमें क्या होगा?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): निजी सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर में कहीं पर भी यदि रिजर्वेशन का प्रावधान हो तो आप बताइये। कहीं पर भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। How can we compel?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यूनिवर्सिटी में तो होना चाहिए न।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): वहां आज तक है क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमारी जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें तो यह प्रावधान है कि रिजर्वेशन के प्रावधानों को हम पूरा करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में भी है और जो आपने प्राइवेट स्कूलें खोली थीं उनमें है? कहीं नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जहा-जहां भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है.....

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ..... यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी में सब जगह रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई है। यही मैंने आपसे पूछा है कि आप इसमें लागू करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ये मंत्रीजी बता रहे हैं कि बनस्थली, बिट्स, मोदी और लाडनूं वाली यूनिवर्सिटी, चार विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय थे इनमें भी किसी में नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मंजूरी लेते समय भी यह नहीं है। आप भारत सरकार से कहें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कह कर सारे विश्वविद्यालय जो प्राइवेट हैं उनमें करवा दें। यूजीसी कर देगी तो हम कर देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एजुकेशन समवर्ती सूची में आता है, इसमें राज्य सरकार भी कानून बनाती है, सैंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है। आपको पहल करनी चाहिए, यही कह रहा हूं आपसे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): पहल करनी चाहिए, आपकी जहां-जहां सरकार है, आपकी राय वो ही नहीं मानते तो अब मैं क्या कहूं। फिर आपने यह कहा कि यूजीसी के मापदण्डों को पूरा करें, उनकी गाइड लाइंस का पालन करें तो यह हमने आपको पहले भी बताया और अब फिर बताना चाहूंगा कि धारा 38 जरा खोलकर पढ़ें, उसमें यह लिखा हुआ है कि यूजीसी के समस्त गाइड लाइंस का पालन किये जाने की अंडरटेकिंग विश्वविद्यालयों को देनी होगी और उनकी पालना पर हम नजर रखेंगे। यह क्लियर प्रावधान है इसमें।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने भी 2-3 बातें कहीं। वो तो क्या पता कल्पना में विचरण करते हैं कि कहां-कहां से क्या बात कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। अब उन्होंने यह कहा कि विश्व में हमारे लिए बड़ी

(श्री कालीचरण सर्राफ)

शर्मनाक स्थिति है कि 100 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में राजस्थान का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। तो यह शर्मनाक स्थिति किसके लिए है? देश स्वतंत्र होने के बाद आज तक 80 प्रतिशत तो आपने राज किया है, हमने तो 20 प्रतिशत ही राज किया और फिर यह भी इस बात को प्रतिपादित करता है कि 100 विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी श्रेष्ठ विश्वविद्यालय नहीं है। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो 100 विश्वविद्यालय श्रेष्ठ हैं उनमें सारे निजी विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए 100 विश्वविद्यालयों में हमारा नम्बर आये इसलिए हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाने का निर्णय राजस्थान में किया।

दूसरा उन्होंने कहा कि जमीन का क्या होगा। उनको जमीन से बड़ी मोहब्बत है। मैं उनको पूछना चाहता हूं......

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनको मोहब्बत इसलिए है कि राज्यपाल महोदय ने स्टेटमेंट दिया है और भाषण दिया है और उन्होंने यह कहा है कि जो ये यूनिवर्सिटीज आ रही हैं वो जमीन हड़पने के लिए तो नहीं आ रही हैं। इसलिए उनको चिंता है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं इसी का जवाब देना चाहता हूं कि जब हम इण्डस्ट्रीज के लिए जमीन देते हैं, जब स्कूल के लिए जमीन देते हैं तब तो यह बात नहीं उठती और आज जब यूनिवर्सिटी इस प्रकार की जमीन लेगी और उसका मिसयूज करेगी? बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और उसके बारे में कि यह काना होगा या लँगड़ा होगा, यह नहीं करेगा, वो नहीं करेगा.....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): स्टेटमेंट के बाद आपको राज्यपाल महोदय से मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था कि यह क्या स्टेटमेंट है, आप क्यों नहीं मिले फिर?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): ऐसा है कि विश्वविद्यालय जब आयेंगे यानि 100-100 करोड़ रुपये जो इन्वेस्ट करेगा, बिल्डिंग बनायेगा, उसमें फैकल्टीज खोलेगा, टीचर्स रखेगा, प्रोफेसर रखेगा, वाइस चांसलर की नियुक्ति करेगा, चांसलर की नियुक्ति करेगा और हम केवल अभी से ही यह शक करने लग जाएं कि वह जमीन हड़पने के लिए कर रहा है। मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से पहले कहा है कि जितनी भी रियायती दर पर राजस्थान सरकार से जमीन ली है, उसने यदि लैण्ड यूज के खिलाफ जाकर के कोई काम किया और

(श्री कालीचरण सर्राफ)

विश्वविद्यालय नहीं खोलकर के उसको अपनी व्यक्तिगत रुचि के लिए और कोई काम करने की कोशिश की तो उसका अलाटमेंट निश्चित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। यह मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है।

एक बात विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। इनका यह बहुत बढ़िया सुझाव है कि मिलिट्री साइंस को भी इसमें इनक्लूड करना चाहिए। यह बात आप ध्यान में लाये हैं, निश्चित रूप से आपका बहुत ही बढ़िया विचार है क्योंकि राजस्थान में मिलिट्री के प्रति लोगों का आकर्षण पैदा करके लिए और हमारे तो झुंझुनूं, सीकर, इधर से मिलिट्री में, सेना में काफी लोग जाते हैं तो अब जो भी विश्वविद्यालय आयेंगे, हम निश्चित रूप से यह ध्यान में रखेंगे और उनको हम यह अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार का सब्जैक्ट भी वो अपने पाठ्यक्रम में इन्क्लूड करें।

एक आपने जैसा कहा है कि नये पाठ्यक्रम आने चाहिए तो सरकार भी प्रयास कर रही है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जैसा आपने खुद ने कहा कि तीन यूनिवर्सिटी ने नैनो टेक्नोलाजी के बारे में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है। इसी प्रकार से सैंटर फोर कनवर्जिंग टेक्नोलाजी के लिए दो करोड़ रुपया राज्य सरकार ने अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी को दिया है। अभी तो जब अपन कोई चीज की शुरूआत कर रहे हैं और शुरू में ही सारी बातें अपन कर लें कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, एक बार आने दीजिये, इसका एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। आज आन्ध्रा में यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा है, कर्नाटक में सफल रहा है, महाराष्ट्र में सफल रहा है, जब राजस्थान में एजुकेशनल एनवायर्नमेंट है, यहां लोग आकर्षित हो रहे हैं तो आप बार-बार में यह सफल नहीं होगा, क्यों करना चाहते हो, मतलब यह राजस्थान को पीछे धकेलने की बात क्यों करते हैं? राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर हो, यहां शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो और राजस्थान शिक्षित, प्रशिक्षित राजस्थान बने इस लक्ष्य को लेकर यह सरकार काम कर रही है और इसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ते जायेंगे और निरन्तर बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, इसको पारित करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने सैक्शन 38 का जिक्र किया, "Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

and carry out their functions." उपाध्यक्ष महोदय, हमने माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह आग्रह किया था कि आप स्टेट लेवल पर एक कोई ऐसी बॉडी बनायें यू.जी.सी. .....

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप मेरी बात सुन लीजिये। मैं जब पहले जवाब दे रहा था तब आप यहां नहीं थे। मैंने यह कहा था कि......

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं एक मिनट के लिए पानी पीने के लिए गया था।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने यह आपका सुझाव मान लिया। मैंने यह कहा था कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रेगुलेटरी बोर्ड का सुझाव दिया है, यह सुझाव बहुत बढ़िया है और सरकार इस पर विचार करेगी और जल्दी ही रेगुलेटरी बोर्ड हम स्थापित करेंगे। यह मैंने पहले कह दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ठीक है। आपने मेरा जवाब यहां दे दिया तो फिर यह धारा 38 का हवाला मुझे क्या दे रहे थे? मैंने यह सुझाव दिया था। मैंने एक दूसरी बात कही थी कि आप डिप्टी सैक्रेटरी को नोमिनेट करेंगे वहां पर, डिप्टी सैक्रेटरी कभी तो हैल्थ में काम करेगा, कभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काम करेगा और कभी फाइनेंस में काम करेगा। आप डाइरेक्टर, कालेज एजुकेशन को... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य, इनको राजस्थान में शिक्षा की प्रगति पर बहुत ही, ऐसा लगता है कि इतने वर्षों तक दबाये बैठे रहे राजस्थान में, अब यह जमीन नीचे से निकल रही है, इसलिए करेंगे तो जरूर। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): हर चीज में सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। यह कोई अंतिम नहीं है। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये, यह कोई अंतिम नहीं है। इसमें जो-जो भी सुधार करने आवश्यक होंगे, निरन्तर आप सुझाव देते जाइये और हम इसमें सुधार करते जायें, यह मैं कहना चाहता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट आप मेरे को सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय भैरोंसिंहजी चीफ मिनिस्टर थे...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसका बहुत लिमिटेड स्कोप है।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पोजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह बहुत ही लिमिटेड स्कोप है इसमें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है, इसी सदन में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे। उस समय यू.आई.टी. एक्ट, म्युनिसिपल एक्ट, जे.डी.ए. एक्ट, इन तीनों में संशोधन के लिए यहां पर प्रस्ताव आये थे और जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए हमने अपनी स्पीच दी, उसको लेकर उन्होंने हमारे सुझावों को मानकर तीनों बिल विदड्रा कर लिये लेकिन...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बहुत लिमिटेड स्कोप है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जब बिल बनता है, आप कह रहे हैं कि आ गया, कर लेंगे। अभी बिल में सुधार कर रहे हैं, डिप्टी सैक्रेटरी की जगह डाइरेक्टर, कालेज एजुकेशन को लेने का आप संशोधन ले आओ। जब बिल बन रहा है, उसमें तो सुधार करेंगे नहीं और आगे आप सुधार करेंगे, यह उचित नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कोई बात नहीं है। यह तो सब स्टेज निकल गई। उपाध्यक्ष महोदय, सब स्टेज निकल गई।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ...और संख्या के बल पर आप यदि यहां कर लेंगे तो हम इसको होने नहीं देंगे। (व्यवधान) अब पास करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपने कहा था एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के बच्चों के एडमिशन का प्रावधान नहीं है, मैंने आपको प्रावधान बता दिया। आपने कहा कि चांसलर के पद पर गवर्नर होना चाहिए। हिन्दुस्तान में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यह व्यवस्था नहीं है तो यहां नई लागू कैसे करें?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह तो मैं देखकर बताऊंगा।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): देखकर नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप देखकर आया करो (व्यवधान) ऐसे ही बिल पर बोलते हैं क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चांसलर जो है (व्यवधान) आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। यह बोलने का तरीका नहीं है। यह असभ्य तरीका है सदन में माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसे नहीं होता है। यहां बिल पर तैयारी करके बोलना पड़ता है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये-सुनिये, महावीरजी सुनिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, यह असभ्य तरीका है बोलने का। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): और आपने रेगुलेटरी बोर्ड के लिए कहा, वह अधिकांश मान ली।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कल्पना के आधार पर नहीं बोला जाता है, काल्पनिक बातें नहीं कही जाती हैं। बाकायदा बिल पर तैयारी करके आना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई काल्पनिक बात नहीं कही है। कुलाधिपति का स्टेटस, एक तरफ तो यह गवर्नर के लिए और उसके बाद जो आप (व्यवधान) कुलाधिपति नहीं लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह क्या बात हुई, गलत तरीका है यह आपका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने यह बात पहले कह दी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): विधायकों के बारे में मैने सुझाव दिया था, आपने कोई माननीय मंत्री महोदय, जवाब नहीं दिया।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, बिल पारित किया जाये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बताइये कि विश्वविद्यालय में, मैं ऐसे अनेक विश्वविद्यालय बता सकता हूं कि जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एम.एल.ए. को लिया हुआ है, आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं? इसका आपने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपके जो सुझाव बढ़िया लगे, वह मान लिये। मैं इसका जवाब दे चुका और यह कोई आवश्यक नहीं है कि

(श्री कालीचरण सर्राफ)

आपकी हर बात मानूं। आपने जो सुझाव दिया, उन पर हम विचार करेंगे और जो सुझाव हमको अच्छे नहीं लगे, वह हमने नकार दिये। बार-बार क्यों पूछते हो?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, कोई बात नहीं है। जब बिल बन रहा है तो थर्ड रीडिंग पर कोई अच्छे सुझाव आये तो उनको संशोधन के द्वारा मान लिया जाता है। पूर्व शिक्षा मंत्रीजी, आपको करना चाहिए और...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दी ना बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और नहीं करेंगे तो राजस्थान की जनता यही कहेगी कि अच्छे सुझाव आये थे, उनको भी आपने नहीं माना।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Noes have it. Noes have it.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ना पक्ष जीता। हम डिवीजन मांग रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। दुबारा पूछ लें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम डिवीजन मांगते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): दुबारा पूछ लें।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप पान आरोगते-आरोगते कहां डिवीजन मांग रहे हैं?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आसन संतुष्ट है अगर, ध्वनिमत का मतलब है, आसन संतुष्ट है।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 संशोधित रूप में पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनूं) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनूं) विधेयक, 2008 संशोधित रूप में पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 संशोधित रूप में पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 संशोधित रूप में पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 संशोधित रूप में पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008

श्री नरपत सिंह राजवी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर सी.पी. जोशी, श्री जुबेर खान, श्री अमराराम धोद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल बिल, 2008 जो मंत्री महोदय ने पेश किया है, हमने इसमें संशोधन दिया है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। हमने इसलिए किया है, पैरामेडिकल कौंसिल बनाने के हम कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन आप जो पैरामेडिकल कौंसिल बनाना चाहते हैं, यह पैरामेडिकल की आपकी स्थिति क्या है, हम यह बताना चाहते हैं। राजस्थान सरकार के जो सरकारी अस्पताल हैं, आप एस.एम.एस. को छोड़ दीजिये, बड़े अस्पताल छोड़ दीजिये लेकिन जो जिला मुख्यालय के अस्पताल हैं, जो तहसील हैडक्वार्टर के अस्पताल हैं, जो रैफरल अस्पताल हैं, जो पी.एच.सी. हैं, उनमें क्या हालत है? आपकी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, एक्स-रे हैं तो उनको चलाने के लिए आदमी नहीं है। लैब्स पड़ी हैं, लैब टैक्नीशियन नहीं है। आप अगर देखेंगे मंत्री महोदय तो ग्रामीण क्षेत्र में पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी इतनी कमी है कि जनता को मजबूरन आपकी सरकार के इस रवैये से सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं देना या स्टाफ नहीं देना, उस कारण जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, आज एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में पनपते जा रहे हैं। आज अलवर में अगर कोई सबसे बड़ा उद्योग है तो वह प्राइवेट नर्सिंग होम का उद्योग है। उसका कारण यह है कि सरकारी अस्पताल में डाक्टर मिलते नहीं, एक्स-रे होता नहीं, ब्लड टैस्ट होता नहीं, सब को रैफर करके प्राइवेट में भेज दिया जाता है और गांवों की स्थिति यह है कि आज गांव में दूर-दराज में ए.एन.एम. लग रही हैं, लेब टैक्नीशियन लग रहे हैं, दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ लग रहा है, एम.ओ. लग रहे हैं, जूनियर स्पेशलिस्ट लग रहे हैं, सब डेपुटेशन कराकर जिला मुख्यालय के अस्पतालों में आ जाते हैं और गांवों की स्थिति खराब है आज।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आ गया। यह तो हैल्थ डिपार्टमेंट की डिमांड के टाइम आ गया था सब।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। मेडिकल कौंसिल का गठन किया जाये, उसका क्या नुकसान है, वह बताओ ना। इस कौंसिल में क्या हो रहा है, इससे क्या परेशानी आपको आ रही है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह सब बतायेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका मेडिकल विभाग से मोह नहीं छूटा क्या अभी तक?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, डाक्टर तो रहेंगे ही।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उद्योग मंत्रीजी, आपका अनुभव है, आप डाक्टर हैं। यह बात सही है लेकिन जब इस किस्म का बिल सदन के अन्दर आता है चाहे बड़े सैक्शन का हो, चाहे छोटे का हो, उसका स्कोप बहुत वाइड हो जाता है We can discuss the entire medical set up of the government. यह इसके अंदर कहीं बार नहीं है, आप उठाकर देख लीजिये, इसमें किसी विषय के ऊपर चर्चा हो सकती है, कहीं आज इस पर रोक नहीं है, पुरानी परम्परा रही है इस सदन की, आप पूछ लीजिये स्टाफ से, कहां दिक्कत आ रही है, बोलिये आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं तो इतना ही बीच में...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य से मेरा निवेदन करना है कि पहले भी चिकित्सा विभाग की चर्चा के टाइम में यह काफी बातें कही जा चुकी हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इतना ही सजेशन दूंगा...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अदब से आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं, वह कोई नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बहुत सारी चीजें रह जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, कोई इनको रोक नहीं रहा है, बात सुनेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को सिर्फ इतना ही सुझाव दे रहा हूं कि यह पैरा-मेडिकल कौंसिल है...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह मालूम है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वह जो फर्मा रहे हैं माननीय सदस्य, वह कंट्रोल नर्सिंग होम पर और बाकी चीजों पर, वह सेंट्रल एक्ट है, वह सेंट्रल एक्ट आयेगा तब आप उसका, संकल्प पारित करें, अभी वह नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, मैं आपसे फिर नम्र निवेदन करूंगा, जब यह बिल आ रहा है आपका, राजस्थान सह चिकित्सा परिषद विधेयक, जब आप ला रहे हैं तो इसका स्कोप जब आपका पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट इसके तहत आप इसके लाने के लिए, पूर्व में क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है और आप क्या करने जा रहे हैं, इस सब के ऊपर चर्चा हो सकती है, कहीं बार नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं बार नहीं है, आज यह अवसर मिला है पुनः, उस वक्त कुछ लोग बोले थे, नहीं बोले थे, समय का अभाव है, दलों से नाम दिये जाते हैं, किसी भी सदस्य को इस बारे में अपनी बात कहने का अवसर मिला है, दोबारा कह देने से दिक्कत कहां आ रही है आपको।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आप पैरा -मेडिकल कौंसिल, लेकिन पैरा-मेडिकल कौंसिल आदरणीय मंत्रीजी बना किसके लिए रहे हैं, पैरा-मेडिकल स्टाफ के लिए बना रहे हैं न, जब वह स्टाफ की कमी है वही तो हम कह रहे हैं न, कि आप कौंसिल बनाइये, बिलकुल बनाइये लेकिन आज सरकारी अस्पतालों में यह स्टाफ की हालत क्या है। आज यह है कि ग्रामीण दूर-दराज क्षेत्र में आपके, उपाध्यक्ष महोदय, जब यह स्टाफ ही नहीं होगा वहां, मैं इसलिए आपको बिलकुल आथंटिकली कह रहा हूं कि अलवर जिले में मेरी स्वयं की देखी हुई हालत है।

श्री उपाध्यक्ष: है, कमी है अभी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): है कमी, तो उसको मानना चाहिए। तो आप पहले व्यवस्था तो करिये इन पैरा-मेडिकल स्टाफ की। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, रामगढ़ सब डिवीजन कार्यालय है, सब डिवीजन है, तहसील है, पंचायत समिति है, विधान सभा है, आज तक वहां एक्सरे मशीन चला कर नहीं दी, यह हालत है और माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी, आपका तो गोविंदगढ़ से वास्ता है, आज गोविंदगढ़ से भरतपुर भी उतना ही दूर पड़ता है और अलवर भी उतना ही पड़ता है, आप मानते हैं कि वहां एक्सरे की, ब्लड टेस्ट की और दूसरी सुविधा नहीं होनी चाहिए क्या, लेकिन है क्या वहां सुविधाएं। आज लक्ष्मणगढ़ में है क्या। नहीं है। मेरा यही कहना है उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में पैरा -मेडिकल की जो पोस्ट हैं रिक्त उनको किसी न किसी तरह से भरना चाहिए और प्राइमरी हैल्थ सेंटर में, रेफरल हास्पीटल में, जहां पर यह सुविधाएं नहीं हैं, जहां सीट नहीं है, आज एम्बुलेंस के क्या हाल हैं, आपके एम्बुलेंस खड़ी है,

(श्री जुबेर खान)

ड्राईवर नहीं है, इस वजह से पंक्चर होकर खड़ी है। अगर एम्बुलेंस है तो ड्राईवर नहीं है, कहीं ड्राईवर बैठा तनख्वाह ले रहा है तो एम्बुलेंस नहीं है, यह हालत तो आपके सरकारी अस्पतालों की है। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं इस तरफ आपकी नजर डलवाना चाहता हूं कि मेडिकल आप प्राइवेट पर, आज बी.पी.एल. के परिवार कहां जायेंगे, बड़े लोग तो चले जायेंगे, बड़े-बड़े अस्पतालों में चले जायेंगे, बड़े-बड़े नर्सिंग होम्स में चले जायेंगे लेकिन जो बी.पी.एल. के परिवार हैं, वह कहां जायेंगे। आज अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं बी.पी.एल. के परिवारों को, जनरल हास्पिटल में यह कह देते हैं कि दवाइयां नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्षः अब इस विधेयक के आने से उनमें कोई रुकावट थोड़े ही पड़ जायेगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, हम यह कहना चाहते हैं, आप विधेयक लाये, लेकिन विधेयक ला किसके लिए रहे हैं कि जो प्राइवेट संस्थाओं में जो काम कर रहे हैं, खाली उन्हीं के लिए ला रहे हैं। राजस्थान सरकार के जो अस्पताल हैं, उनके भी तो यह पैरा-मेडिकल स्टाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं यही, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में आपके पैरा-मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, आप उस कमी को दूर करिये तभी सही मायने में आप गांव के लोगों के लिए भी यह जो पैरा-मेडिकल कौंसिल बना रहे हैं, उसका लाभ दे सकेंगे। आज क्या हुआ मंत्रीजी, आपने घोषणा की थी, जो संविदा पर लेब टेक्नीशियन और दूसरे लोग लगे हैं, उनको नियमित करने जा रहे हैं, क्या आज तक आदेश किये, नियमित हुए क्या, क्या हुआ है। आप उनको कांट्रेक्ट पर लगाते हैं, पोस्ट खाली है, रेगुलर स्केल नहीं दे रहे, आप भर्ती करके उसको रेगुलर स्केल दीजिये। स्केल दीजिये और उनको करिये। मैं यही सब कहना चाहता था उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमको भारी पीड़ा है कि आज सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की तो कमी है ही है, लेकिन पैरा-मेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है उसकी वजह से ग्रामीण आदमियों को शहरों में जाना पड़ता है, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, नर्सिंग होम में जाना पड़ता है और वहां उनको लूटा-खसोटा जाता है। भारी रकम ऐंठी जाती है, यह सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में और गांवों में होनी चाहिए, मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसीलिए हम कह रहे थे कि इसके आधार

(श्री जुबेर खान)

पर बोलेंगे, जनमत जानने के लिए यही बोलेंगे, जनता को पता तो चले कि पैरा मेडिकल कौंसिल तो बना रहे हैं लेकिन ग्रामीण एरिया में जिनके लिए बना रहे हैं उनकी सुविधा है या नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए इस विधेयक को परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम धोद। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरा-मेडिकल कौंसिल बिल 2008...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपकी बात भी बतायेंगे आज। समझौता हो गया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप जो बोलते हैं उसको मुख्य मंत्री सही नहीं मानती हैं तो मैं बोलूंगा जिसको आप सही कैसे मानोगे। (व्यवधान) सम्माननीय सदन की नेता हैं, हमारी सब की नेता हैं तो उनको होना ही चाहिए। यह थोड़ा सा बीच में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कभी कहते हो बाई पास हुई है, कभी कहते हो बूढ़े हो गये, कभी कहते हो...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बीच में थोड़ा सा असम्मान प्रदर्शित करने लग गये थे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह सारी चीजें क्यों जोड़ रहे हैं एक साथ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो राजस्थान पैरा-मेडिकल कौंसिल बिल, 2008 जो लाया जा रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिए करता हूं कि रजिस्ट्रेशन की कोई चीज, कोई परम्पराएं राजस्थान में नहीं थी और इसी के फलस्वरूप अनेक झोलाछाप डाक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के गांवों में जाकर के इलाज करते हैं और जगह-जगह पर अनेक स्थानों पर इसके अभाव में कई लोगों की मौत होती है। लेकिन पैरा-मेडिकल स्टाफ और जो झोलाछाप डाक्टर हैं उनका इसमें रजिस्ट्रेशन का क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका जवाब तो माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी देंगे लेकिन दो-तीन बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पहला मेरा निवेदन यह है कि आपके जो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स इसके हैं वह पैरा-मेडिकल स्टाफ के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तथा दूसरा आपका आब्जेक्ट जो है वह पैरा-मेडिकल ट्रेनिंग देने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए है। आपने जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन इसमें की है और जिनको आप रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट मानेंगे, ''recognised institution' means an institution imparting education or training in any of the para-medical subjects and recognised under the provisions of this Act; ..'' यह आपने इसमें लिखा है। तो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको आप इसमें मानेंगे। आपने इसमें नहीं लिखा, आपको इसमें लिखना चाहिए था कि जो पैरा-मेडिकल इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग दे रहा है, इंस्टीट्यूट जो रिकग्नाइज्ड बाई द गवर्नमेंट है उनको ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या जिनको राजस्थान गवर्नमेंट ने उनको नहीं मान रखा, उन इंस्टीट्यूट्स को, उनको भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसके लिए जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन है उसमें अगर आप परिवर्तन कर दें और उपयुक्त समझें तो आप उसको देख लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कुल इसमें जो कौंसिल है, ''Constitution and composition of Rajasthan Para-Medical Council'' इसमें आपने सत्रह आदमियों को रखा है। छह वह हैं जो इलेक्टेड बाई द रजिस्टर्ड पैरा-मेडिकल प्रोफेशनल, पांच वह हैं जिनको राजस्थान सरकार नोमिनेट करेगी, तीन वह हैं जो इंस्टीट्यूट है जहां पर यह पैरा-मेडिकल स्टाफ को एजुकेशन दी जाती है उन टीचर्स में से तीन को आप उनमें से करेंगे और तीन जो हैं वह सरकार अपनी तरफ से ऑर बाई एक्स आफिसियो उनको करेगी, कुल सत्रह का आपका पैरा-मेडिकल कौंसिल बनेगा। लेकिन इसमें आपने जो बात रखी है, पहले तो यह स्थिति साफ करें कि इस पैरा-मेडिकल कौंसिल को आप सरकारी कौंसिल के हिसाब से चलाना चाहते हैं या इसको स्वायत्ता के आधार पर चलाना चाहते हैं। स्वायत्ता के आधार पर अगर चलाना चाहते हैं तो दृष्टिकोण दूसरा होगा और अगर सरकार अपने ही कंट्रोल में रखकर इसको चलाना चाहती है तो दूसरा दृष्टिकोण होगा। आपने इसमें लिखा है कि चाहे क्लाज नम्बर एक के सिक्स मेम्बर्स हों, जैसे ही यह बिल पास होगा और जो इसके रूल्स एण्ड रेगुलेशंस बनाकर के जो आप इसको विधान सभा में लायेंगे, उसके बाद आप सबसे पहले इन 6 आदमियों को भी आप नोमिनेट करेंगे। इसके बाद जो पांच आदमी आपको नोमिनेट करना है, वह अधिकार आपके पास है ही, इसके बाद जो 3 मैम्बर जो इंस्टीट्यूशंस में जो वो आएंगे, उनको भी आप नोमिनेट करेंगे। इस प्रकार पूरे 17 ही आदमियों

(श्री हरिमोहन शर्मा)

का नोमिनेशन आपके पास हो जाएगा और 17 ही आदमियों का नोमिनेशंस फर्स्ट स्टेज पर हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपने जो प्रावधान किया है तीन साल तक आपका नोमिशन वाला रह सकेगा, मतलब तीन साल तक आप चुनाव नहीं कराएंगे और उसमें एक प्रोविजन आपका यह और है, तीन साल तक का भी हम सहन कर जाएं अगर आपकी यह नीति आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी कि इसको आप स्वायत्तता के आधार पर चलाना चाहते हैं या सरकारी संस्था के आधार पर ही चलाना चाहते हैं। जब तो आप नोमिनेशन करते रहो, तीन साल तक के नोमिनेशन तक भी आप चुनाव नहीं कराएंगे तो फिर इस बिल का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात इसमें है आपने आगे और अधिकार ले लिया कि हम तीन साल बाद भी जो नोमिनेट किया है, उसको तीन साल के लिए और बढ़ा देंगे। जो इलेक्टेड है, वह दुबारा चुनाव लड़ सकता है तो आपने यह अधिकार भी उसके साथ सुरक्षित रखा है कि हम तीन साल के बाद भी, तीन साल नैक्स्ट ईयर तक जो आपने नोमिनेशंस किये हैं, उसको आप बढ़ा देंगे। इस प्रकार आप उन लोगों को छह साल तक नोमिनेट कर सकेंगे। यह सीधा अधिकार आपने ले लिया कोई जरूरी नहीं है कि आप छह साल में उनके चुनाव कराएंगे। क्योंकि प्रोविजन है आपने इसमें डाल दिये, अगर इस प्रकार के प्रोविजंश हैं तो फिर अपन को इस प्रकार की कलाबाजी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इनमें इलेक्टेड मैम्बर्स हैं उनमें से भी लेंगे, इनमें से भी तीन टीचर्स में भी लेंगे जब नोमिनेशन का अधिकार ही आपको छह साल तक है, सरकार की मियाद तो है छह महीना और नोमिनेशन कर रहे हैं आप छह साल का तो आपको इसको लोकतंत्रीय प्रणाली से आपको यह देखना चाहिए और उसमें यह संशोधन करना चाहिए कि कम से कम नोमिनेशन के जो आप नोमिनेट करेंगे, उनकी टाइम लिमिट छह महीने करो तो हम छह महीने में चुनाव करा देंगे। अगर छह महीने में नहीं करेंगे तो सालभर में करेंगे, आपने तीन साल करके जो तीन साल का और जो अधिकार लिया है मैं उसको न तो तर्कसंगत मानता हूं और न उसको सभी दृष्टिकोणों से न उसको उपयुक्त मानता हूं। मैं सोचता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी इन बातों पर गम्भीरता से विचार करेंगे। इसके अलावा आपने इसमें जो प्रोविजन डाला है, इसमें प्रोविजन डाला है कि सारे जो भी इलेक्शंस के और इनकी जो अपील्स होंगी वह सब सरकार के पास होगी और सरकार का नियंत्रण अगर कोई चुनकर के भी आ गया और सरकार को वह आदमी पसंद नहीं आया जैसा कि आज की तारीख में भी अपन सभी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

चुनी हुई स्वायत्तशासी संस्थाओं में देख रहे हैं कि आपका राज आया तो आपने कांग्रेस के जीते हुए सभी इलेक्टेड मैम्बर को झूठा सच्चा चार्ज लगाकर के बर्बाद कर दिया और उनको हटा दिया तो लोकतंत्रीय प्रणाली में अगर आपकी सरकार की नीयत, सोच अगर साफ है ...(व्यवधान) हर जगह क्वालिस गाड़ी क्यों चलाते हो? किसी जगह तो खटारे में भी बैठो, हम आपकी क्वालिस गाड़ी में नहीं बैठ सकते बार-बार में, आप बार-बार नहीं बोले। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी प्रकार से आपने सारी पावर इलेक्शंस की भी अपने पास में ले ली कि आप चाहे जब उस बोर्ड को भंग कर सकते हैं और यही नहीं आपने सारी जो भी अपील्स हैं काउंसिल के आर्डरों के खिलाफ, वह सब भी आपने अपने पास ले ली तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में काउंसिल में यह इलेक्टेड परसन की काउंसिल नहीं होकर के सरकार की एक काउंसिल हो गई।

मैं यह चाहता हूं कि लोकतंत्रीय परम्पराओं के हिसाब से अगर आप इलेक्टेड मैम्बर जो आपके इसके जो मैम्बर्स हैं जिनको आप रजिस्टर्ड करेंगे, जिनको आप रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य समझेंगे, जिन इंस्टीट्यूशंस को आप लोग करेंगे अगर आप उनको यह स्वतंत्रतापूर्वक काम करने का अधिकार दें और सरकार अपना सुपरवीजन उसमें जरूर रखे, मैं सरकारी सुपरवीजन और उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन काम करने का अधिकार उनको दें और जब कोई मैलाफाइड इंटेंशन है किसी से हो जब जाकर के सरकार इन सब कामों को करे। एक आपने इसमें जो किया है कि अगर कोई दोषी होगा तो उसको दो साल की सज़ा और दो लाख रुपए जुर्माना, लेकिन आपने उसके साथ जो बात कही है कम्प्लेंट करेगा, उसका अपने काउंसिल का सैक्रेटरी, वह सैक्रेटरी कम्प्लेंट कब करेगा? जब वह काउंसिल उसको अप्रूव कर देगी तो आपसे निवेदन है कि या तो इसको कोगनिजेबल ऑफेंस बनाये आप और वह सैक्रेटरी कम्प्लेंट करने जाएगा, प्राइवेट कम्प्लेंट कोर्ट में दर्ज होगी, वह तारीखों में साथ में न आपका सैक्रेटरी जाएगा, न आपकी पैरवी होगी और वह कम्प्लेंट आपकी एबसेंस में वहीं खारिज हो जाएगी और यह प्रोविजन करना नहीं करना आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए एक मेरा आपको सुझाव है कि जो कंडीशन का आपने जो प्रोविजन रखा है, ठीक है आप स्ट्रिक्ट हो, आप सब काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपने उसको प्राइवेट कम्प्लेंट के हिसाब से ट्रीट करने का जो किया है, जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में पहले प्राइवेट कम्प्लेंट करने के जो प्रोसीजर थे उसके डिफेक्ट के कारण अनेक एडल्ट्रेशन करने वाले बरी हो गये अदालत से, कम्प्लेंट के आधार पर ट्रायल होगी, कोगनिजेबल आफेंस होगा

(श्री हरिमोहन शर्मा)

तो पुलिस उसकी पैरवी करेगी, पीपी उसकी पैरवी करेगी। मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर आप ध्यान देंगे और गम्भीरता से विचार करेंगे। जो मैंने आपको सुझाव दिया है उसको अंगीकार करने का सार्थकता से प्रयास करेंगे और अपनी मजबूरी प्रदर्शित नहीं करेंगे कि जो सरकार ने बिल रख दिया पेश तो हम उसी को करेंगे। ऐसी मजबूरी आप नहीं रखेंगे क्योंकि आपका सभी तरह से लोकतंत्र में पूरा विश्वास है और परिवार के हिसाब से भी ...(व्यवधान) मानता हूं, अभी पता लग जाएगा न, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं मानता हूं कि आप इस भावना के हिसाब से आप इस पर अपनी अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रशेखर बैद। (अनुपस्थित) श्री बी.डी. कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सह चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, मैं इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। वैसे तो हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी बातें बता दीं। इसमें करीब 33 विषय लिए गए हैं जो पैरा मेडिकल स्टाफ से संबंधित है और समय-समय पर राज्य सरकार इस अनुसूची में परिवर्तन भी कर सकेगी। लेकिन खास बात यह है कि इसकी ओटोनोमी का वास्तव में ध्यान नहीं रखा गया। मैं आपका इसका चैप्टर-।। का फोर्थ खण्ड जो है– ''Constitution and composition of Rajasthan Para-medical Council.'' इसमें ''six members elected by registered para-medical professionals from amongst themselves: ... Then "five members nominated by the State Government from amongst the persons having special knowledge in the para-medical subjects:" और उसके बाद में फिर आप देखिए ''Director, Medical and Health Services, Government of Rajasthan ex officio; the Director, Technical Education, Government of Rajasthan ex officio; and the Dean, Faculty of Medicine, Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur ex officio...'' उपाध्यक्ष महोदय, छह मैम्बर तो पैरा-मेडिकल स्टाफ जो है उनकी अलग-अलग रजिस्टर्ड जो सोसाइटीज हैं इनसे अलग-अलग पैरा-मेडिकल स्टाफ से उनसे चुनकर लेंगे लेकिन उसके बाद पांच व्यक्तियों को सरकार नोमिनेट करेगी और तीन एक्स ओफिसियो यह भी करीब-करीब सरकार से संबंधित लोग हैं तो इसकी वास्तव में जो हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि यह ओटोनोमी इसकी नहीं रहेगी। ओटोनोमी और इसका ओटोनोमस स्टेटस रखने के लिए सरकार को अपने

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

नोमिनेशंस को कम करना चाहिए। केवल मात्र जैसे डायरेक्टर है, डायरेक्टर टेक्नीकल एजुकेशन और उसके बाद एक या दो कोई और स्पेशलिस्ट को आप नोमिनेट कर दें लेकिन इसकी ओटोनोमी को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा बिन्दु आता है इसका धारा 15 के बारे में रजिस्ट्रार आपका है फिर आपके नोमिनेशंस की जरूरत क्या है? रजिस्ट्रार सारा काम देखेगा बाकी तो वह काउंसिल के मेम्बर जो हैं मिलकर के जो भी निर्णय लेंगे उसको एग्जीक्यूट करने की बात करेंगे। लेकिन प्राय:प्राय: जिन-जिन प्रदेशों में इस प्रकार की संस्थाएं बनी हुई हैं, वे पैरा-मेडिकल स्टाफ के विनियमन का काम करती हैं, उन पर एक तरीके से जैसा आजकल जो नीम हकीम वगैरह घूमते रहते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है तो इसके लिए रजिस्ट्रार का प्रमुख रोल होगा, उसको भी गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। उसके बाद अपील का जो अधिकार है, धारा 26 में, उसमें धारा 20 की उप धारा (2) के परंतुक 25 के अध्यधीन परिषद के किसी भी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति किसी आदेश की अपील करता है तो उसका निर्णय भी राज्य सरकार करेगी तो अपील के लिए मेरा यह सुझाव है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया जो एक तरीके से मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल से संबंधित प्रोफेशनल से संबंधित एक बहुत अच्छी संस्था है।

इसकी अपील यदि आप मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया के पास देते तो इसकी आटोनॉमी रहती। सरकार के पास अपील आने का मतलब यह है कि सरकार अपने हिसाब से संस्था को चलायेगी और एक सरकार की जे.वी. संस्था पॉकेट इंस्टिट्यूशन यह बन कर रह जाएगी। इसके बाद धारा-41 इसमें राज्य सरकार का नियंत्रण पूरी तौर से रहेगा । मैं इसको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा –

"Control of State Government. – If at any time it appears to the State Government that the Council has failed to exercise or has exceeded or abused a power conferred, or has failed to perform a duty imposed, upon it by this Act, the State Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Council and, if the Council fails to remedy such failure, excess or abuse within such time as may be fixed by the State Government, may dissolve the Council and cause all or any of the powers and duties of the Council to be exercised and performed by such agency and for such period, not exceeding six months, as it may think fit: …"

सरकार किसी भी वक्त यह पैरा-मेडिकल काउन्सिल यदि कोई काम ढंग से नहीं करती है, कोई विनिश्चय की कोई गलती जाती है किसी भी सूरत में इनकी शिकायत प्राप्त होने पर उसको डिजोल्व कर सकती है और 6 महीने में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसका पुनर्गठन करेगी। इसी प्रकार धारा-44 में अनुसूची को भी संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है तो फिर ये तो डाइरेक्टर, मेडिकल एंड हैल्थ को ही यह सारा काम दे देते और उसके अंडर में एक रजिस्ट्रार बना देते वो सारा काम कर देता।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार को वास्तव में पैरा-मेडिकल स्टाफ के विनियमन के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, उनके ट्रेनिंग सेन्टर्स को नियमित करने के लिए वास्तव में कोई करना है तो इसके आटोनोमस स्टेटस को बरकरार रखना चाहिए और जो सुझाव हम लोगों ने दिये हैं कि इसमें आप अपने नोमीनेशंस को कम कीजिये, इसकी अपील को मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया को भेजने दीजिये। सरकार क्या-क्या काम करेगी और इसके साथ-साथ जो संविदाकर्मी पैरा-मेडिकल स्टाफ गवर्नमैंट होस्पिटल्स में काम कर रहे हैं ये कब तक चलेंगे? आपने संविदा के आधार पर रेडियोग्राफर, संविदा के आधार पर ब्लड बैंक में काम करने वाले लोगों को, संविदा के आधार पर एम.आर.आई., सिटी स्केन और अल्ट्रा साउंड मशीन जो है सोनोग्राफी की मशीन को जो आपरेट करता है इन सब के लिए आपने संविदा कर्मियों को लगा रखा है और ये संविदाकर्मी उसकी पूरी ट्रेनिंग लिये हुए हैं कि नहीं संबंधित विषय की तो जो तैंतीस विषय आपने डिफाइन किये हैं उनके ट्रेंड लोग होने चाहिए, उनका सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इसके साथ-साथ वे इस संस्था के माध्यम से इसका विनियमन होना चाहिए यह तो अच्छी बात है लेकिन उसकी आटोनोमी जब तक आप बरकरार नहीं रखेंगे तब तक निश्चित रूप से ये संस्थाएं सही रूप में काम नहीं कर पाएंगी इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को यह आग्रह करता हूं कि इसको एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। सह चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 जो सदन में प्रस्तुत हुआ है इससे हम उन पैरा-मेडिकल स्टाफ को कुछ नियंत्रित और नियमित व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थितियां हैं सब जगह डाक्टर्स नहीं हैं और ये पैरा-मेडिकल स्टाफ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहां अदा कर रहा है तो जहां इनकी उपस्थिति समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वहां एक बात यह भी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

देखने में आ रही है कि ये लोग अपनी सीमा से बाहर जाकर डाक्टरों की भूमिका भी अदा कर रहे हैं और कई जगह तो डाक्टर नया हो और यदि वो कंपाउंडर पुराना हो तो वो डाक्टर से ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है और डॉक्टर से ज्यादा भीड़ उसके वहां लगती है । इस तरह की स्थितियां गांवों में अक्सर देखने को मिलती हैं । उसमें हादसे भी होते हैं, रियेक्शंस भी होते हैं, केसेज भी बनते हैं तो इन सारी बातों पर कैसे हम अंकुश लगा सकेंगे और व्यवस्थित कर सकेंगे इस तरह का इसमें कोई प्राविजन मेरी नजर में तो आया नहीं यदि है तो बहुत अच्छी बात है मंत्री महोदय स्पष्ट कर दें और नहीं है तो यह प्राविजन डालने की व्यवस्था करें ताकि अच्छी सुविधा भी जनता को मिले और जनता के साथ कोई खिलवाड़ भी नहीं हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्षः श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, जो ये पैरा मेडिकल्स जैसा आज की चिकित्सा में हैं, अपने आप में बहुत बड़ा ये जो हैं चिकित्सक पैरा मेडिकल्स वाले बहुत बड़ा रोल रखते हैं क्योंकि किसी मरीज का इलाज किस ढंग से होगा यह उनके डायग्नोसिस पर ही निर्भर करता है । ये अलग-अलग लेबोरेट्री वाले हों, एक्स-रे वाले हों और उसके बाद इलाज के बाद में वापस जैसे कि फिजीयोथेरेपी अपने मेडिकल न्यूट्रिशियन डाइटिशियन जिसको बोलते हैं तो इनको जो नियंत्रित करने के लिए ये विधेयक यह परिषद का लाया गया है और इसमें बस जैसा माननीय विधायक जो जालौर से आते हैं उन्होंने बोला है कि पूरी व्यवस्था नियंत्रण करें और यह सही बात है कि सारे गांवों में चिकित्सक तो हैं नहीं और कोई रिटायर्ड कंपाउंडर भी होता है तो वो उसी को डॉक्टर मानते हैं गांव वाले कोई दूसरा कुछ भी हो पर उसका जो हर तरह से प्रेस्क्रिप्शन लिखना सब जो ये तो इनकी जितनी योग्यता है उसी हिसाब से काम करें और ज्यादा न करें इसके लिए जरूरी है, इतनी ही बात मैं आपके समक्ष रखता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...(व्यवधान) एक घंटा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक घंटा काहे का?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ये तो अभी आप सुनना ना उसमें दिक्कत क्या आ रही है? आप बोले तब तो मैं चुप रहा आपने क्वालिश फैक्ट्री तक की बात कर ली बंद हो गयी उसकी भी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सदन राजस्थान सह चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 पर चर्चा कर रहा है जब मुझसे पूर्व रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी चर्चा शुरू की तो कुछ सत्ता-पक्ष की तरफ से टोकाटाकी हुई। बात स्वाभाविक है उपाध्यक्ष महोदय, हम इसके उद्देश्यों और कारणों को पढ़ें तो इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान सह चिकित्सा परिषद जो डायग्नोसिस करने वाले या जांच करने वाले लोग हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, आज तक उनके पंजीयन की, रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है तो कंट्रोल तो सैकेण्डरी स्टेज पर आता है। फर्स्ट स्टेज तो यह है कि हमारे पास कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन तो हो कि राजस्थान में ऐसी कौन-कौन सी संस्थाएं हैं जो इससे संबंधित ज्ञान, शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाले लोगों को प्रशिक्षण करने का काम कर रही हैं और उसका हमारे पास एक ब्यौरा रहे लेकिन मैं इस बात से सहमत भी हूं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक शब्द है इंटेलेक्चुअल डिसओनेस्टी यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसके उद्देश्यों और इसके कारणों में नहीं जाना चाहता या मैं अगर यह भी कहूं कि यह एक अच्छा प्रयास है कि कम से कम यह आपने कोशिश की और इस तरीके का विधेयक आप ला रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डिसओनेस्टी इसलिए कह रहा हूं कि 17 सदस्य आपने इसमें रखे हैं बड़ी चतुराई से काम लिया आपने। यह रूलिंग है हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी और यह मान्यताएं भी हैं कि इलेक्टेड मेंबर नामीनेटेड मैंबरों से कम नहीं होने चाहिएं। अगर हमारी मंशा साफ है जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम उसको स्वायत्तता और आटोनोमी प्रदान करें तो उसके लिये यह है कि नोमिनेटेड मैंम्बर इलेक्टेड मैम्बर से कम होने चाहिये । यह तो होता है कि फर्स्ट जब भी गठन करते हैं कोई भी सरकार हो तो उसके चुनाव एकदम से नहीं करा सकते क्योंकि आज आपके पास इलेक्ट्रल कालेज नहीं, आप नोमिनेट ही करेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, 6 मैम्बर इलेक्टेड आपने रखे और नोमिनेटेड तो आपने पांच कर दिये लेकिन आपने जो एक्स आफिशिओं जो मैम्बर रखे चाहे वह टीचर साइड से रखे हो, विषय का ध्यान रखने वाले अध्यापक हो, प्राध्यापक हो, डीन हो। एक डीन और एक डाइरेक्टर और टेक्निकल एजुकेशन का डाइरेक्टर । 17 में से आप कह दोगे कि 5 रखे हैं लेकिन कुल मिला कर आपका उद्देश्य क्या है कि 18 हो जाते हैं अगर उस तरीके से हों तो 17 की सदस्य संख्या इसलिए आपने रखी कि टीचर भी आपके आ जाये, डाइरेक्टर, डीन और टेक्निकल एजुकेशन का जो सैक्रेटरी होगा वह भी आपका होगा।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इससे जो निर्भीकता और निष्पक्षता से जो काम हो सकता है उसकी सम्भावना मुझे कम लगती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि यह विधेयक आज पास कर देने से कल से तो लागू नहीं हो जायेगा । अभी इसके नियम बनेंगे, विनियम बनेंगे उसके लिये नेक्स्ट सैशन जब होगा तब आयेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आज अर्जेंसी ही नहीं है, आवश्यकता तो है, अनिवार्यता तो है लेकिन अर्जेंसी नहीं है तो क्यों जिद कर रहे हो आप इसको आज के आज पास करने की । आप हमारा सजेशन स्वीकार कर लो और इसको आप जनमत जानने के लिये परिचालित करने का काम करें ताकि उस पीरियड में जो सितम्बर में असेंबली का नेक्स्ट सैशन हो तब तक आपके बीच इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ उन सब की राय ले लें, विधि विशेषज्ञों की राय लें लें और फिर एक अच्छा विधेयक आपके पास आये जिसको आप आगे चल कर लागू कर सकें। जब तक नियम और उप नियम बना लें और आप उसको लागू कर सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बनी हुई है । नर्सिंग ग्रेड सैकिंड और फर्स्ट का प्रशिक्षण लेकर बंगलौर से, आंध्र से, कर्नाटक से या राजस्थान से कहीं से भी आते हैं उनका पंजीयन करने का काम करती है । आपकी मेडिकल काउंसिल आपसे पहले वाले चिकित्सा मंत्रीजी ने बनाई, फार्मेसी काउंसिल भी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बनाई और अब आप पैरा-मेडिकल कमेटी बनाने जा रहे हैं । आप अगर इसको उठा कर देखें तो अब के आपके जो पद हैं मैं उसके सम्बन्ध में भी आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि आप पेज 5 देखें इसमें अयोग्यता के बारे में आपने लिखा है कि जो लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी । हालांकि आपने लिखा है कि उसको सफाई का मौका दिया जायेगा उसके बाद करेंगे । लेकिन मैंने कई सोसाइटी में देखा है कि जिसको सदस्य नहीं रखना होता है या जो विपक्षी या विरोधी विचारधारा का आ जाता है तो उसको मीटिंग की सूचना तो डिस्पेच की जाती है लेकिन उस चिट्ठी को फाड़ दिया जाता है उसको नहीं भेजी जाती है । लिफाफे में यूपीसी लिख कर मोहर लगा दो और सादा कागज रख कर वह लिफ़ाफ़ा पोस्ट आफिस में दे दो । कौन जानता है कि उसमें आपने मीटिंग की सूचना का कागज दिया है या सादा कागज भेजा । अगला आदमी देखेगा कि पता नहीं कहां से आ गया, गलती से दूसरा आ गया होगा, साइक्लोस्टाइल नहीं हुआ होगा, टाइप नहीं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हुआ होगा उससे इस तरीके की स्थिति सामने आती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें आपको क्लीयर करना चाहिये। फिर जब आप सारे मैम्बर नोमिनेट कर रहे हो और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर नियंत्रण राज्य सरकार का, यह आपकी पैरा-मेडिकल काउंसिल किसी को रिजेक्ट कर देगी या कैंसिल कर देगी तो राज्य सरकार उसकी अपील सुनेगी । तो इसी को दे दो जो निर्देश देने हो आपके ही मैम्बर हैं उनके जरिये आप कह दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है । तो राज्य सरकार उस पर यह शक्ति अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है । जब आप चाहते हो कि आटोनामी की तरह काम करें, आटोनोमस बाड़ी की तरह काम करे तो फिर राज्य सरकार का नियंत्रण तो होना चाहिये लेकिन इतना भी अधिक नहीं होना चाहिये । आपने इसमें लिख दिया कि चाहे जब चाहे हम इसको समाप्त कर सकते हैं । सरकार की जब कन्विन्स हो जाये कि हां, यह सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो सरकार इसको डिजोल्ट कर दे, खतम कर दे। इसके पीछे आपकी मंशा क्या है मैं उम्मीद करता हूं कि आप उत्तर देंगे तब इन चीजों को बतायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप इसका सैक्शन 29-30 और 34 देखें पेज 15 पर, इसमें आपने लिखा है :- निम्नलिखित परिषद की निधि के भाग होंगे या उसमें संदत किये जायेंगे, अर्थात:-

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई भी अंशदान या अनुदान,

(2) फीसों और जुर्मानों को सम्मिलित करते हुए, समस्त स्रोतों से परिषद की आय ।

जो आपने तीसरा लिखा है दान, यह दान कहां से आयेगा । इस दान से आपका अभिप्राय क्या है । उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति आयेगा और आप कह दोगे कि इतना डोनेशन दे दो और आपका काम कर देते हैं । आज यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं वक्फ बोर्ड का मैम्बर हूं । वक्फ बोर्ड में यह तय हो गया, सरकार ने रूल बना दिये कि आप कोई भी जमीन वक्फ बोर्ड की लीज पर देंगे तो पी.डब्ल्यू.डी. के जो नॉर्म्स हैं कि इसका किराया पर स्क्वायर फीट क्या होना चाहिये उस हिसाब से देंगे । लेकिन वक्फ बोर्ड क्या कहता है एम.आई.रोड. पर कल्लन शाह की दरगाह की जो जमीन है कि पी.डब्ल्यू.डी. के नॉर्म्स से आपका किराया बनता है 8000 रुपये महीना

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आप 3 लाख रुपये डोनेशन दे दो तो हम 2500 रुपये महीने किराये पर लीज दे देंगे। उनका क्या जा रहा है तीन लाख रुपये डोनेशन दे देते हैं और वह बाकी का किराया कम कर देते हैं इससे सरकार को रेवेन्यू की कमी हो जाती है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दान-वान लेने के ऊपर तो इसमें आप कम से कम प्रतिबंध रखिए। जब आपकी फीस आ रही है, आप जुर्माना ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड एड दे रही है और जब रजिस्ट्रेशन आप इस तरह की संस्थाओं का कर रहे हो तो आप इसको अपलिफ्टिंग करने के लिये और सपोर्ट करने के लिये इसको ग्रांट इन एड और पैसा दोगे तो फिर यह दान लेने की स्वीकृति आप मत दीजिए वरना यह काम ठीक तरीके से नहीं हो पायेगा, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था पेज 13 पर सैक्शन 29 और 30 वह मैंने आपको बता ही दिया । 29 और 30 राज्य सरकार की अपील का, यह डोनेशन वाला भी मैंने आपको बता दिया । मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपने Scheeule 'C' Section 2(d); list of para medical subjects. इसमें मेरा आपसे निवेदन यह है कि हालांकि आपने पहले लिखा है सैक्शन 4 में कि एक विषय से संबंधित एक व्यक्ति जब नामित हो जायेगा तो उसी विषय के दूसरे व्यक्ति को हम नोमिनेट नहीं करेंगे । लेकिन सब्जेक्ट तो आपके 33 हैं। जिसमें आपने फीजियोथैरेपी ले लिया, ओक्युपेशनल थैरेपी, स्पीच थैरेपी, आडियोग्राफी, इको भी ले लिया, कार्डियोलोजी, पैथोलोजी, रेडियोलोजी यह सब ले लिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इन 33 में अगर आप क्लासिफिकेशन कर दें कि बाडी के पार्ट से संबंधित जांचों के यह प्रतिनिधि होंगे, गैस्ट्रोएंडोलोजी का यह होगा और बाकी का यह होगा तो मैं समझता हूं इसमें अगर आप इलेक्ट्रोल कोलेज बना लें, क्लास बना दें, क्लासिफिकेशन कर दें तो उससे अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ और मैम्बर आपके बीच में आ जायेंगे। आज आप देख लो चार-पांच जांचे ज्यादा होती हैं। जहां भी जाये हिमोग्लोबिन हो रहा है, यूरिन हो रहा है, ब्लड शूगर हो रहा है, एक्स-रे हो रहा है तो उसी-उसी के लोग इसमें ज्यादा आ जायेंगे और 33 में सब का प्रतिनिधित्व होगा। यह आप रोटेशन से कर लें कि एक बार जिस विषय का आ गया तो दूसरी बार दूसरे को चांस मिलेगा क्योंकि यह बात तो सही है कि आज की तारीख में वह स्थिति तो खतम हो गई कि नब्ज देख कर डाक्टर, हकीम पहचान जाये कि तेरे फलां जगह बीमारी है और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उससे ही आपका इलाज चल रहा है । आज तो सब कुछ जांच पर निर्भर करता है और जांच के रजिस्ट्रेशन के बारे में यह स्थिति बन रही है तो अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि अलग-अलग क्षेत्रों के अच्छे और काबिल लोग इसमें आ पायेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं मेरा आप में कोई अविश्वास नहीं है और मुझे उम्मीद भी नहीं आप जैसे व्यक्ति से लेकिन जो नोमीनेशन हो रहा है, अभी तो आप मैम्बर्स का ही नहीं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का भी नोमीनेशन करोगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय अभी बीच में मैं जरूरी काम से घर पर गया था सारे इलेक्ट्रिक मीडिया और टी.वी. चैनल पर एक न्यूज चल रही है और वह न्यूज क्या चल रही है कि अजमेर यू.आई.टी. का अध्यक्ष इतने पैसे देकर यू.आई.टी. का अध्यक्ष बना था और उसकी सी.डी. दिखाई जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: क्या लेना-देना है । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, इस तरह की स्थिति की उम्मीद नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): इसमें है क्या ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह नोमीनेशन तो हो रहा है यू.आई.टी. का चेयरमैन भी इलेक्ट्रेड था क्या। वह भी नोमीनेट किया गया था कैसे इस बात पर, हमको कहने में क्या दिक्कत आ रही है। (व्यवधान) सुनो जरा, सुनने का मांदा रखो आप।

श्री उपाध्यक्ष: अख़बार में न्यूज, अख़बार में दी हुई बात को आप नहीं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अख़बार में नहीं, मैं अखबार की बात नहीं कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को बचाने का काम मत कीजिए। आसन पर बैठे हैं, आप निष्पक्ष व्यक्ति हैं। मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में सही तस्वीर सामने आवे। राजस्थान में (व्यवधान) आप पहले संसदीय कार्य मंत्रीजी, अपनी जगह से बोलें (व्यवधान) अपनी जगह से बोलें।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): एक मिनिट सुनो (व्यवधान) आपने कह दिया, आपके पास है क्या सी.डी. ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसकी ? (व्यवधान) आप चाहेंगे तो सीडी टैबल कर दी जाएगी।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): तो रख दो सीडी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या बात कर रहे हो आप?

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हां, तो रख दो, सीडी है तो रख दो ना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप चाहते हो क्या (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हां, रख दो ना, हम चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने यह नहीं कहा और मैंने पहले ही कहा कि मुझे इनके ऊपर इस तरीके की शंका नहीं है लेकिन लोग उंगली उठाये उसको रोक सकते हो क्या आप, आप मारते का हाथ पकड़ सकते हो लेकिन कहते की जबान नहीं पकड़ सकते और है हिम्मत आप में तो बैठे हैं आपके दूसरे संसदीय सचिव जिनको आपने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट का इंचार्ज बना रखा है। रोकिये उन टीवी चैनलों को, करो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, क्यों दिखा रहे हैं उसको, अगर हिम्मत है तो क्यों नहीं बयान आया सरकार की तरफ से। इस तरह की सीडी को आप रोक नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि इस तरह की स्थिति नहीं बने की कोई व्यक्ति छाती ठोंककर बाहर यह कहे कि इतना पैसा देकर, इतना पैसा देकर मैं पैरा-मेडीकल कौंसिल का चेयरमेन बन जाऊंगा, या वाइस चेयरमैंन बनकर आ जाऊंगा और फिर इतने पैसे कमा लूंगा इसलिए मेरा आपसे निवेदन है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिना आधार की बात कर रहे हैं आप। यह बिना आधार की बात उछाल रहे हैं, अख़बार में आ गया...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सरकार खण्डन कर देगी, आपको क्या दिक्कत हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सरकार खण्डन कर देगी, मैंने कहा क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा नहीं होता।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इनका बोलने का तरीका देखिये, किस तरह आसन को बोल रहे हैं । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने आरोप नहीं लगाया। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो यह कहने में क्या गलत बात हो गई। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): काल्पनिक आधार पर कोई बात नहीं कहें...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने वक्फ बोर्ड का उदाहरण दिया तब तो आपने नहीं कहा, मैंने और चीजों का भी कहा, इसलिए मैं तो कहना यह चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सीडी चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती सरकार? (व्यवधान) सीडी असत्य है तो जो टीवी चैनल सीडी चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती सरकार? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): और यह तो वह पार्टी है जिसमें पार्टी की टिकट भी +++ नहीं मिलती। (व्यवधान) कांग्रेस की तो टिकट भी +++ नहीं मिलती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप तो बात कर रहे हो और सीड़ियों की। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको जब ही नहीं मिली ना, आपको जब ही नहीं मिली ? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हां तो, जब ही नहीं मिली, मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बिलकुल गलत है (व्यवधान) आप गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): मेरे को नहीं मिली जब ही मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह क्या बात कही इन्होंने (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): मेरे को नहीं मिली जब ही तो मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं समाप्त करके ही तो बैठूंगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके यहां टिकट मिलते होंगे (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हमने खूब दिन मांगी लेकिन वहां +++ मिलती है इसलिए आप इन बातों को छोड़ो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको क्यों नहीं मिली (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कांग्रेस में (व्यवधान) योग्यता से मिलती है। आप गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपकी पार्टी में ऐसे कई सदस्य हैं.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपकी पार्टी में कई ऐसे सदस्य हैं जो कांग्रेस से भी विधायक रहे हैं, सुन्दरलालजी भी रहे, आसन पर बैठने वाली विधान सभा अध्यक्ष भी रहीं (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप भी भैरोसिंहजी के राज में रहे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजस्व मंत्री रामनारायण डूडी भी रहे, पहले उनको पूछो कि (व्यवधान) पैसे खतम हो गये तब उधर गये क्या? पहले उनसे पूछो फिर हमें कहो आप।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप भी बी.जे.पी. के साथ रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 272 में दिया है..(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हमें कह रहे हो (व्यवधान) आप कितनी पार्टियों के चक्कर खाते-खाते आये हो, आपको सब पार्टियों का पता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरी योग्यता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 272 में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या व्यवस्था (व्यवधान) मैं एक मिनिट में खतम कर रहा हूं अपनी बात फिर पूछ लेना (व्यवधान) आप बहुत विद्वान ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तथा उचित रूप से रखे गये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): महावीरजी आप बहुत विद्वान हो...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): (व्यवधान) उस बात पर आधारित न हो और कोई भी काल्पनिक आधार पर अपनी चर्चा नहीं करेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसकी धाराओं पर चर्चा करी तब आपने नहीं सुनी, इसके सारे सैक्शनों पर चर्चा करी मैंने तब आपने नहीं सुनी, सारी शर्ते मेरी इर्रिलेवेंट है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने धाराओं पर, मैंने कभी नहीं बोला नहीं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ईमानदार मंत्री हैं मैं सावचेत कर रहा हूं आपको क्या दिक्कत हो रही है भई।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप सावचेत करें, आप तो ऐसा हो गया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने उन पर इल्जाम तो नहीं लगाया। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रोसिडिंग निकलवाकर देख ली जाए मैंने कहीं यह नहीं कहा कि +++चेयरमैन बनाया है यू.आई.टी. का, कहीं नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कहा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने कहीं यह नहीं कहा कि आप +++ बनाओगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यू.आई.टी. के चेयरमैन ने खुद ने कहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह अख़बार का रेफरेंस दे रहे हैं, हमारे नियमों में है अख़बार का रेफरेंस नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कौनसा भाषण दे रहे हैं, अख़बार का रेफरेंस दे रहे हैं, आप यह डिलिट करायें।

श्री उपाध्यक्ष: किसी का (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अख़बार का रेफरेंस दे रहे हैं, यह समाचार पत्र का रेफरेंस नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अख़बार के आधार पर इस तरह... (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): निराधार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि बहस राजस्थान सह चिकित्सा परिषद विधयेक पर हो रही है और बहस करते-करते हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने समाचार पत्र को पढ़कर सदन में सुना दिया। हमारी परम्परा रही है समाचार पत्र का उद्धरण नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह समाचार पत्र का उद्धरण इस सदन में नहीं किया जा सकता इसलिए इसको कार्यवाही से डिलिट कराइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चर्चा हो रही है विधेयक पर, चर्चा हो रही है विधेयक पर, यह काहे पर...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय संसदीय सचिव, बैठिये। (व्यवधान) माहिर साहब कनक्लूड कीजिए। बैठिये आप

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्षः किस बात पर, बीच में ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्षः कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्षः नहीं होगा अंकित।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्षः अंकित नहीं होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्षः अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, बैठिये आप, नहीं होगा अंकित।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था सरकार से, जब आज अर्जेंसी नहीं है और कल से यह लागू भी नहीं होगा और हम कह रहे हैं आपका प्रयास और कदम अच्छा है तो इसमें जो कुछ त्रुटियां रह गई इनको दूर करिये और प्रतिष्ठा प्रश्न मत बनाइये, इसको पारित करने में मत जाइये, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन कमियों को दूर करके एक अच्छा विधेयक लायें ताकि वर्षों तक याद रखा जाए। फिलहाल इसको आप जनमत जानने के लिए परिचालित करने का कष्ट कीजिए यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री प्रहलाद गुंजल। डा. श्रीगोपाल बाहेती। प्रभारी मंत्री उत्तर दें।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों के सुझाव आये लेकिन इसके पीछे मंतव्य क्या था, इसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास काफी कम सदस्यों ने किया है। अभी जैसे कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में, इंटीरियर में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जितने गांव हैं, दूरदराज क्षेत्र में जितने गांव हैं उनमें चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध प्रोपर नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों और नगरीय क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में अप्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। उसको अगर हम कंट्रोल करें तो किसी को एतराज है क्या। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह किसने कहा?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुन लीजिये, सुन लीजिये। मैं बीच में बोला नहीं। I have listened to everything what everyone had said.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, मैं पारित की स्टेज पर बोलूंगा, मैं पारित की स्टेज पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: भूमिका बता रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अन्तिम छोर पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं, अन्तिम छोर पर खड़ा गरीब, वह उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण नीम हकीमों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ी है और जहां तक अलवर जिले का प्रश्न है, मैं परसों ही अलवर गया था। अलवर जिले में तो यह खूब हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में भी बहुत हैं। राज्य में पर्याप्त संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित सहायक चिकित्सा कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध करवाकर नीम हकीमों एवं अप्रशिक्षित व्यक्तियों से निजात पाये जाने के उद्देश्य से यह आवश्यक महसूस किया गया कि राज्य में पैरा-मेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण एवं प्रेक्टिस को नियंत्रित किया जाए। 2007-08 के बजट में इसकी घोषणा भी की थी। और इसलिये हमने यह विधेयक भी तैयार करवाया और प्रस्तुत किया। एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कहा था कि वेकेंसीज कितनी हैं। वेकेंसीज आज पूछ रहे हैं, वेकेंसीज कितनी हैं। हमने जितने लगाये उसके बारे में तो कभी पूछा नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको जितना पैसा मिला उतना पैसा किसी को मिला नहीं। आज रुरल हैल्थ मिशन के तहत जितना पैसा मिल रहा है, उतना पैसा किसी को नहीं मिला आज तक।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राजस्थान हैल्थ मिशन का भी लोन लेकर आये हैं, किसी से मांगकर लेकर नहीं आये हैं। और राजस्थान के हित का पैसा मिल रहा है, किसी की मेहरबानी से नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) यह आपके वित मंत्री होते हुए, आपकी कमजोरी रही है कि आप नहीं ले पाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): लगाओ, लगाओ आप। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके समय में जितनी वेकेंसीज थीं, आपने कैरी फारवर्ड कीं। (व्यवधान) एक मिनट, माननीय सदस्य। आपने कैरी फारवर्ड कीं, 2790 नर्सेज और 368 ए.एन.एम. की वेकेण्ट पोस्ट थीं जिनमें से हमने 1860, इसमें 1600 तो ए.एन.एम. आर.पी.एस.सी. से, 1600 व 260, यह आर.पी.एस.सी. से सलेक्शन हुआ है। लिस्ट भी हमारे पास आ गयी। 260 की तो अब आनी है, अप्रैल के महीने में आयेगी, शेष आ चुकी है। एन.आर.एच.एम. के माध्यम से भी हमने ली है। यह नहीं है कि हमने नहीं लगाई है। 2500 जी.एन.एम. और लगभग 1100 ए.एन.एम. हमने उनमें ली। एक-एक गांव में सेवाओं के विस्तार के लिये ली है। अब प्रशिक्षण देने वाला, यह सिर्फ एक अकेला कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। रेडियोलोजी का प्रशिक्षण अलग जगह पर मिलेगा, कार्डियोलोजी का अलग मिलेगा और कहीं कण्ट्रोल नहीं है तो फिर तो प्राइवेट सेवाओं में जाना पड़ेगा। और कण्ट्रोल करें तो पहले एक बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और रजिस्ट्रेशन करोगे किस आधार पर, कौन कराएगा रजिस्ट्रेशन। एनेबलिंग क्लॉज भी अगर नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं है। आज तक क्यों नहीं करवा लिया। आज से 5 साल पहले तो आप शासन में थे, क्यों नहीं करवाया? रीजन यह है कि एनेबलिंग क्लॉज हम ला नहीं सके, प्रोविजन ला नहीं सके और इसलिये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। अब आप इसमें सहयोग तो कम से कम करेंगे कि नीम-हकीमों की सेवाओं की यहां पर आवश्यकता नहीं है। और नीम-हकीमों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो रजिस्ट्रेशन भी होगा और जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी इसमें डवलपमेंट्स होते हैं, कोई इसको वायलेट करता है तो दण्डनीय प्रावधान भी हैं। 2 साल तक की सजा होगी, आज से पहले कभी कर सकते थे क्या? और करते तो काहे में करते, आई.पी.सी. के आधार पर That is not possible.

एक फण्ड्स और ग्राण्ट्स के बारे में कहा। पहला तीन साल इनिशियल पीरियड है, वह बिना ग्राण्ट के, बिना फण्ड अलोकेशन के आरम्भ काम कैसे होगा, एनेबलिंग क्लॉज है। परपेचुएटी में हम भी इसको नहीं रखना चाहेंगे। खुद के फण्ड जनरेट हो जाएं, उसके बाद में Let them draw their own. जैसे फीस कलेक्ट होती है उसी से काम चलाएं। शिड्यूलड में माहिर आजाद साहब ने कहा 33 ग्रुप्स हैं, टूल्स बना रहे हैं, रुल्स में अलग-अलग प्रोविजन सब को दिया जाएगा। लेकिन फिर उसके अन्दर प्रोविजन रखा है धारा (4) (11) में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी एक सह चिकित्सा विषय में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से एक से अधिक सदस्य नाम निर्देशित नहीं किये जाएंगे ताकि सब ग्रुप्स को रिप्रजण्टेशन मिले। धारा 30 के बारे में बात की, राज्य सरकार को अपील नहीं होनी चाहिए, राज्य सरकार को अपील आज तक तो हुई भी नहीं थी 55 साल हो गये। आज रेगुलेट कर रहे हैं तो इनिशियली एक रेगुलेशन जब कभी किया जाएगा तो इनिशियल रिएक्शन होता है। उस इनिशियली रिएक्शन में अगर अपील सरकार को होती है और उस रुल्स के तहत इस अधिनियम के तहत उस अपील को अगर रेगुलेट कर लें तो उसमें एतराज की बात ही नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई कि इलेक्टेड संख्या कम है। कुल सदस्यों की संख्या 17 में से 9 इलेक्टेड हैं। निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्यों से ज्यादा हैं। निर्वाचित धारा (6) (4) (1) में से तीन, धारा (4) (1) में से उपाध्यक्ष महोदय, करीब-करीब जितने भी इस प्रकार के प्रश्न रखे थे, सुझाव रखे थे, उनका मैं जवाब अपनी सरकार की ओर से दे चुका हूं। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि इसे आप पारित करवाएं। (व्यवधान) बताया ना, इनिशियल पीरियड का कैसे होगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, विचारार्थ की स्टेज पर सदस्यों को बोलने का अधिकार है। (व्यवधान) पारित पर मैं बोलूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पारित पर बोलना, थर्ड स्टेज पर। अभी आपकी स्टेज नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने कोई मेह्नत तो की नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, हां, थर्ड रीडिंग पर बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, अभी आपकी सैकिण्ड स्टेज है, थर्ड आये तब।

खण्डश: विचार

श्री उपाध्यक्ष: खण्डश: विचार। खण्ड 2 से 45, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 45 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 45 स्वीकार किये गये।

खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-एक अधिनयमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

अनुसूची-एक, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची-एक स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक का पारण

राजस्थान सह-चिकित्सक परिषद् विधेयक, 2008

अनुसूची-एक स्वीकार की गई।

श्री नरपतसिंह राजवी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रद्युम्नसिंहजी, आप बोलिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करुंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, थोड़ी देर।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन इसके पीछे कुछ चीजों की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मूल रूप से जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अभी अपने उत्तर में कहा कि नीम-हकीम, झोला-छाप डाक्टरों को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
समाप्त करने के लिये यह बिल आप ला रहे हैं। आपकी बातों से तो यही आभास लगता है, आपने अभी यही कहा। नीम-हकीम, इन झोला-छाप डाक्टरों का आखिर चलन कैसे बढ़ा?

लम्बे समय से दूरदराज के गांवों के अन्दर चिकित्सकों का और पैरा -मेडिकल स्टाफ का अभाव है इस कारण से यह इसका चलन बढ़ा है। लोगों के गांव के नजदीक जब कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो कुछ ऐसी दवाएं हैं पेटेंट मेडिशंस हैं, जो वहां जाकर लोग देते हैं। बुखार की, दस्त की, खांसी की और देते हैं और घूमते रहते हैं। उनकी रोजी-रोटी चला करती है अगर आप उसको रोकने के लिए इतना बड़ा बिल लाये हैं तो पहले तो आपको उन क्षेत्रों के अन्दर कोई मेडिकल असिस्टेंस की सुविधा आपको वहां पर उपलब्ध करानी चाहिए थी जो आज भी नहीं है। ईमानदारी की बात है, आप चाहे कुछ भी कहो, यहां बैठकर संख्या बल के आधार पर और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नये चिकित्सा मंत्रीजी आ गये हैं। आपने शहरों का ज्यादा ध्यान रखा। ग्रामीण क्षेत्र का ध्यान नहीं रखा और ग्रामीण क्षेत्रों के डाक्टरों को या छोटे कस्बे के डाक्टरों को भी आपने डेपुटेशन के आधार पर जिलों में लगा दिया या इम्पोर्टेण्ट जगहों पर लगा दिया जहां पर ल्यूक्रेटिव प्रेक्टिस उनकी चलती है। प्रेक्टिस के लिए आपने लगा दिया। अगेंस्ट पोस्ट लगा दिया। पोस्ट खाली पड़ी थी तो सबसे पहले तो आपको यह जो यह एक आपकी अव्यवस्था है, उसको आपको समाप्त करना पड़ेगा कि आप उसके बारे में कुछ कहने की स्थिति के अन्दर हैं या नहीं? यह आपकी इच्छा है, सरकार का है। आज तहसील हैडक्वार्टर्स पर, सब डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर अस्पताल है, बड़ा शहर है तो डाक्टर है अन्यथा अपनी पालिटिकल जुगाड़ लगाकर डेपुटेशन पर बैठे हुए हैं। हमारे वक्त के अन्दर इसको समाप्त करने की हमने कोशिश की थी और समाप्त किया था। आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि अगेंस्ट पोस्ट हमने कहीं भी नहीं लगाया था लोगों को, अब आप उठाकर देख लीजिए आप। (व्यवधान) अब आप डिस्टर्ब कर रहे हो।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो रूरल हैल्थ सर्विस भी बना दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप निकालो न, आप जवाब दें, कहां दिक्कत आ रही है आपको? अगर हमने किया था, इसका मतलब आप उस ... (व्यवधान) किया था तो इसका मतलब ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, क्या उठाकर देखें?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां-हां, उठाकर निकलवाइये सारे रिकार्ड को ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या उठाकर देखें?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, क्या उठाकर देखें?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): रिकार्ड को उठाकर देखो आप, रिकार्ड निकलाकर देखो। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप ... (व्यवधान) सारी अव्यवस्था आपने फैलायी है आकर के ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पर्दा उठाकर देखो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो झोला छाप चलेंगे, आप चाहे उनके ऊपर दो लाख का जुर्माना लगाओ, चाहे उनको आप जेल भेजो, आप कुछ भी करो लेकिन आप उस गांव के गरीब आदमी को जो बेसिक चीजें हैं, जो खांसी, बुखार की दवा वह दे रहे हैं उसको भी आप समाप्त करने जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । यहां बहुत से सदस्य अपने मन में समझ रहे हैं लेकिन आप बहुत बड़े वर्ग को चिकित्सा सुविधा से इस एक्ट के द्वारा वंचित करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं यह।

दूसरी बात, अब आपको, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी फिलिंग है, मेरे विचार हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई आवश्यक नहीं है कि रिकाग्निशन आफ इंस्टीट्यूशंस, सवाल यह आएगा कि जो आपने इनमें फ्यूचर में जो रजिस्ट्रेशन होंगे ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस, आप उनके बारे में ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो पुरानी संस्थाएं चल रही हैं। चार-चार कमरों में, तीन-तीन कमरों में चल रहे हैं, नर्सिंग स्कूल ... (व्यवधान) नहीं-नहीं, इसके अन्दर कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप फ्यूचर के अन्दर जो रजिस्ट्रेशन होगा आप उनके ऊपर तो आपके जो नियम होंगे वह लागू होंगे लेकिन जो आपके आलरेडी चल रहे हैं, चार-चार कमरों में, पाँच-पाँच कमरों में आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कि आप इस बात की क्या व्यवस्था करेंगे, आप इस बात की क्या व्यवस्था करेंगे? (व्यवधान) वह सक्षम हैं, जवाब दे देंगे, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपने भी तो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उनसे कह दिया था कि मैं सक्षम हूं जवाब दे दूंगा। वह उस दिन खड़े हुए थे तो आपने तो उनको जरा में ही स्नब कर दिया था।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आपके जवाब दे देंगे वह। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): छोड़ो। सीनियर आदमी हैं आपसे बहुत, आपने उद्योग के ऊपर वह खड़े हुए तो आपने उनको स्नब कर दिया कि मैं सक्षम हूं जवाब दे दूंगा। मैं सब देख रहा था। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय आपकी पूरी बात का जवाब देंगे, आप सुन लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, तो बढ़िया है न। आपको कहां तकलीफ हो रही है? अभी आपका मोह नहीं गया है चिकित्सा महकमे से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर तो है ही यह। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो ऑलरेडी संस्थाएं चल रही हैं ... (व्यवधान) फिर इसके अन्दर एक सवाल पैदा हुआ कि आप जब तक बढ़िया ट्रेनिंग इन बच्चों को नहीं दे पाएंगे, जब तक यह इंस्टीट्यूशंस किसी अस्पताल से अटेच नहीं होंगे प्रेक्टिकल एक्सपीरिएंस इनको नहीं होगा। प्रेक्टिकल एक्सपीरिएंस नहीं होने वाला है, आप थ्योरी के अन्दर उनको एक पढ़ा देंगे बच्चों को, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी? जो इनको पढ़ाने लोग आएंगे, पढ़ाने जो आएंगे, ट्रेनिंग देने आएंगे उनकी क्वालिफिकेशन भी आपको प्रेस्क्राइब करनी पड़ेगी। आज हालत यह हो रही है कि कई जगह तो कम्पाउंडर पुराने जो रिटायर हो गये हैं, वह पढ़ा रहे हैं। आपको इसकी क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा और जो पुराने इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, जिन आधार पर इनको रिकॉग्निशन दिया गया है, जिन्होंने आज दिन तक कंडिशनलिटीज पूरी नहीं की हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? आपको इसके अन्दर प्रावधान, कानून के अन्दर कर दीजिए कि इनके अन्दर जो ऑलरेडी चल रहे हैं, कमेटमैंट आपको करना पड़ेगा। इस कानून को मैंने पढ़ा है, इसके अन्दर जो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी रिकाग्निशन जिनको मिला हुआ है कि वह कंडिशनलिटीज फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे, उनके बारे में आपने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। उससे आपको असुविधा खड़ी होने जा रही है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
आप दूसरे लोगों के लिए नये नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे लेकिन जो पुराने हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? इसके बारे में भी आप अवगत कराने की चेष्टा करेंगे?

फिर आपने एक देखिये, वही बीमारी इसके अन्दर फिर डाल दी है। इस एक्ट के अन्दर आप देखिये, सेक्शन-28 के सब सेक्शन-5 में आप देखेंगे आप पढ़े माननीय मंत्रीजी, आप निकल लें। provided that if the institution applying for recognition under this sub-section does not conform to the standards fixed by the Council in this regard, temporary recognition may be given for a year. यह साल में चलते रहेंगे। Why the temporary recognition What is the temporary recognition? आप इसको बंद करिये कि जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, यह धंधा करने की, पैसा कमाने के लिए इंस्टीट्यूट खुलते चले जा रहे हैं बिलकुल मशरूम ग्रोथ हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: एक साल का ही टाइम देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक साल, मैं आपसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कह रहा हूं कि नहीं दीजिए। वह साल में कि साहब, अभी नहीं कर पाया हूं, आगे कर दूंगा, मेरा छह महीने के लिए आप वक्त बढ़ा दीजिए। फिर कहेगा कि चार महीने का वक्त बढ़ा दीजिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह टेम्प्रेरी रिकॉग्निशन वाली बात को आपको बंद करना पड़ेगा। आप पहले पूरे स्टेण्डर्ड के हिसाब से जो भी नॉर्म्स ले-डाउन हो, आप उनको फुलफिल करें और तब आपको रिकॉग्निशन मिलेगा नहीं तो यह मशरूम ग्रोथ फिर शुरू हो जाएगी। पॉलिटिकल लोगों के, हम लोग पालिटिकल जो जितने भी लोग, पॉलिटिकल है, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको इंफ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, चाहे राज तो बदलेंगे, राज किसी का भी होगा, पालिटिकल प्रेशर बिल्ड-अप करके अगर आप इसमें गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे, आप गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे इसके अन्दर तो किसी को टेम्प्रेरी रिकाग्निशन मिलेगा ही नहीं। आप इसको निकाल दीजिए। इसे डिलीट कर दीजिए यहां से टेम्प्रेरी रिकाग्निशन के वर्ड को। आपने क्या हुआ, कॉलेजेज दुनियाभर के प्राइवेट कॉलेजेज को दे दिये। दो-दो कमरों में, तीन-तीन कमरों में, तिवाड़ीजी, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपने कह दिया कि साहब, हो जाएगा, आगे कर देंगे, हमें टाइम दे दीजिए क्योंकि आप तो डिमांड एण्ड सप्लाई के प्रिंसिपल पर आ गये। जो अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे, फिर मतलब क्या होगा? जो बच्चे उसमें एक साल, दो साल पढ़े, उनका जीवन तो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

समाप्त हो गया। बर्बाद हो गया। उसके अन्दर वह कहीं के नहीं रहे। इस प्रकार की शिक्षा देने का अभिप्राय क्या है? अर्थ क्या है? तो आप टेम्प्रेरी रिकॉग्निशन वाला इसमें से मेरी समझ में डिलीट कर दें या मुझे नहीं लगता है और दूसरी बात इनको जब तक किसी मेडिकल कॉलेज से या किसी अस्पताल से जब तक अटेच नहीं होंगे तो लड़कों को प्रेक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली नहीं है ओर थ्योरीटिकल ट्रेनिंग लेकर के मरीज का कोई उपचार, भला कर सकेंगे या मरीज का भला हो या बढ़िया उपचार कर सकें, इसके अन्दर मुझे शक है। दूसरा एक बिन्दु आपने ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, आप इतने विद्वान हो तो जिस सेक्शन को आप नहीं रखना चाहते थे, जब क्लाजवाइज डिस्कशन हो रहा था तो उसके डिलीटेशन के लिए कह देते इसको काटने-छांटने के लिए, अब पारित की थर्ड स्टेज के बाद में ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं एक निवेदन कर रहा हूं, आपसे तिवाड़ीजी ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तिवाड़ीजी, मैं बोल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं, मैंने इस एक्ट के बारे में आज ही पढ़ा। मेरी कोई प्राब्लम थी इसलिए मैं इसके अन्दर नहीं कर पाया लेकिन मैं अगर मेरे अच्छे सुझाव भी आप नहीं मानने को तैयार हैं, फिर मानना आवश्यक नहीं है सरकार के लिए सुझाव मानना आवश्यक नहीं है ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह स्टेज नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): लेकिन अगर इसके अन्दर आपको महसूस होता है, मैंने कोई गलत बात कही है, मैं विद्-ड्रा करने को तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि कोई यह गलत चीज है तो आप देखो, क्योंकि मैं कह रहा हूं यह This is a political government. एक बात सुन लीजिए। आप यह पॉलिटिकल सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अन्दर, पालिटिकल्स पुल्स एण्ड प्रेशर चलते हैं और इसके अन्दर आपको दिक्कत आने वाली है इसलिए आप मेहरबानी करके अभी भी चाहें आप तो इसको डेफर कर दीजिए, आगे ले लीजिए या आप सरकारी अमेंडमैंट पेश कर दीजिए। सरकारी अमेंडमैंट आप

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चाहें तो इसके अंदर पेश कर सकते हैं। एक दूसरी बात और निवेदन करना चाहूंगा कि एक इसके अंदर फाइनेंसेज पेज 42 सैक्शन 34 "The Council may, with the prior approval of the State Government..." They have fixed the fees. अब इसी में सारा झगड़ा है। एक तरफ इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट होंगे, अगर आपके स्टेण्डर्ड से जो बढ़िया ट्रेनिंग देना चाहते हैं, बढ़िया ट्रेनिंग के लिये आपका किसी हास्पिटल से अटैच होना पड़ेगा, इन लड़कों को अटैच करना पड़ेगा टैक्निकल ट्रेनिंग के लिए। आप फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे कंट्रोल करेंगे ? इस मामले में you have to be very cautious. आज यह हो रहा है कि लड़के जा रहे हैं, साऊथ में जा रहे हैं, वहां से ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, कोई कहीं से ट्रेनिंग करके आया है। मोटी-मोटी फीस देकर वहां से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं और वहां पता नहीं.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कौंसिल की फीस की रजिस्ट्रेशन का मामला है। यह उनकी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की फीस का मामला नहीं है। पैरा मेडिकल में पढ़ाई करने जा रहे हैं, वहां फीस ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपसे फिर कह रहा हूं, (व्यवधान) मैं आपसे कह रहा हूं फीस कौन फिक्स करेगा इन इंस्टीट्यशंस की? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तो गवर्नमेंट तय करेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): फीस कौन फिक्स करेगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कौंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपसे कह रहा हूं "Such fees shall be applied for the purpose of this Act and the rules and regulations made thereunder." तो मैं आपसे फीस के बारे में आपका ध्यान दिला रहा हूं, क्योंकि फीस भी आपको तय करनी पड़ेगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो खुलेंगी इस सैक्टर में, प्राइवेट लोग भी आयेंगे। सरकार के होंगे, वहां सरकार फिक्स कर सकती है। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप क्षमा करें, यह तो उससे सम्बन्धित ही नहीं है। आप विषयान्तर हो रहे हैं। यह बिल उससे सम्बन्धित ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ठीक है, चलिये इसमें नहीं है। मुझे एक चीज बता दीजिये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुलेंगी, उनकी फीस कौन तय करेगा? मैं कह रहा हूं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुलेंगी मिस्टर राठौड़, तो फीस फिक्स कौन करेगा? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अब तक कौन करता आया है? (व्यवधान) मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको टोकना नहीं चाह रहा, परन्तु यह जो बिल है, मैं माफी चाहते हुए बात कहूंगा, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हो, मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा या तो आपने इसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं, इसका उद्देश्य दूसरा है और आप जो बोले जा रहे हैं, उससे इसका कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब आप इंस्टीट्यूशंस को रिकोगनेशन देंगे प्राइवेट को ..(व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये, बड़ी नेचुरल इसके अंदर है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हुक्म इससे कोई लेना-देना नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप क्या बात कर रहे हो राजेन्द्रजी? (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो आप? आप एक मिनट बैठ जायें। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, बड़े विद्वान, परम विद्वान आप मंत्री हैं। अब आपने (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): यह प्रकाण्ड विद्वान हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, प्रकाण्ड, महा प्रकाण्ड, महा-महा प्रकाण्ड और मैं आपसे कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह तो साफ है कि आप घनश्यामजी तिवाड़ी से ज्यादा विद्वान हैं। यह बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मुझे स्वीकार है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जब रिकोगनेशन देंगे, इंस्टीट्यूशंस को रिकोगनेशन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

देंगे। आप दोगे इसके अंदर लिखा है – Recognition of institutions. आप जब रजिस्ट्रेशन दोगे, उसको आप रजिस्ट्रेशन दोगे तो वह फीस का स्ट्रक्चर कौन तय करेगा? क्या आप उसको फ्री छोड़ोगे फीस का स्ट्रक्चर तय करने के लिये। आप नहीं छोड़ोगे इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि इस बिन्दु के ऊपर, इस विषय के ऊपर, राजेन्द्रजी मैं मानने वाला नहीं, मैं कतई मानने वाला नहीं हूं कि आप कहा करो। मैं फिर आपसे कहने वाला हूं जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूशंस को तो आप उसके नोर्म्स ले-डाउन करोगे, फीस का स्ट्रक्चर क्या होगा? (व्यवधान) मैं कह रहा हूं आपसे, मैं उसी के अंदर आ रहा हूं कि रूल्स में आप करेंगे तो जब आप रूल्स के अंदर प्रोवाइड करेंगे उसका, तो आपको उसके अंदर ध्यान तो रखना पड़ेगा। आपको उसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., इनके रिजर्वेशन के बारे में भी आप ध्यान रखियेगा, क्योंकि रूल्स फ्रेम होते वक्त होता क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जब लोग हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वह मनमानी फीस की बात करेंगे सरकार से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इससे संबंधित बिल नहीं है यह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो क्या बिल है यह? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आपको भ्रमित कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, यह सिर्फ पैरा-मेडिकल कौंसिल का है। उस कौंसिल के अंदर जो पैरा मेडिकल के पढ़े हुए लड़कों का रजिस्ट्रेशन है, उससे संबंधित है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): रिकोगनेशन कह रहे हैं, इसको रजिस्ट्रेशन समझ लो आप, क्या दिक्कत आ गयी इसमें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, रजिस्ट्रेशन है, फिर ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रीजी जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सुनिये-सुनिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सैक्शन 28 को पढ़िये "No person shall establish a Para-medical institution or conduct any course in Para-medical subjects..." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पढ़ लीजिये इसको, आप सैक्शन 28 पढ़ लीजिये "No

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

person shall establish a Para-medical institution or conduct any course in Para-medical subjects for preparing students to obtain any recognized Para-medical qualification, without the recognition by the Council." इसमें क्लियर लिखा हुआ है आप पूरा पढ़ों नहीं, आप यहां बैठकर अपनी विद्वता दिखाओ, इससे होता क्या है? इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसके अंदर। यहां बैठे छक्के-पंजे दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जो एप्रीहेन्शन थे, या सुझाव थे, मैंने माननीय मंत्री महोदय के सामने रख दिये हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन बिन्दुओं को मुनासिब समझें तो यहां अमेंडमैंट ले आयें या जब आप रूल्स फ्रेम करें तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजियेगा, मुझे आपसे उम्मीद है। मुझे आपसे ही उम्मीद है कि आप इसका ध्यान रखते हुए गरीब तबके के हितों का, राजस्थान की जनता के अंदर जो दूरदराज इलाकों में मरीज बैठे हुए हैं, एकदम गाज मत गिरा दीजिये उनके ऊपर, क्योंकि आपकी चिकित्सा सेवाएं अभी पंगु हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी बात कही।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) अब छोड़ो माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): हमारा दल आपकी इसी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट लूंगा। इस चिकित्सा परिषद् के गठन का आशय यह है कि वह जो सह-चिकित्सा विषय में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है संस्थाएं, उनको यह मान्यता प्रदान करेगी और जो चिकित्सा सह वृत्तिक, जो तैयार हो जायेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करेगा बात यह है। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है, ये भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा हूं तीन-तीन, चार-चार कमरों के जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, यह सह-चिकित्सा, सह-वृत्तिक, जिसको पैरा-मेडिकल कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है डॉक्टर साहब। (व्यवधान) यह डॉक्टर गायनिक के हैं न? मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक अच्छा सर्जन बढ़िया सर्जरी कर देगा, एक बढ़िया सर्जरी कर देगा लेकिन उसके बाद उस सर्जरी को सफल होने के लिए पैरा-मेडिकल स्टॉफ, जो अच्छा होगा, उसकी आवश्यकता होगी। और अगर पैरा-मेडिकल स्टॉफ अच्छा नहीं होगा, सर्जरी फेल हो जायेगी, सर्जन फेल हो जायेगा। पैरा-मेडिकल स्टॉफ मतलब पैरा-मेडिकल, प्रत्येक व्यक्ति इतना ट्रेण्ड होना चाहिये। डॉक्टर को सहयोग करने वाला ऑपरेशन थियेटर में खड़ा हुआ

(श्री टीकम चन्द कान्त)
व्यक्ति अगर समय पर उसको आरटरी फोर्सिब की जरूरत है डाक्टर को और उसने कहा आरटरी फोर्सिब लाओ और उसने समय पर नहीं दिया और उस समय सीजर दे दी तो क्या हालत होगी? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पैरा -मेडिकल स्टॉफ का व्यक्ति बहुत ट्रेण्ड होना चाहिये। इंजेक्शन सामान्य बात नहीं है। चलते चलते इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन इंजेक्शन अगर मांस के अंदर आप लगा रहे हो और उसको वापस नहीं किया और वह आई एन के अंदर जाने वाले जो सोल्यूशन है, वह अगर वेन्स में चला गया तो क्या हालत हो जायेगी? मैं बात जान-बूझकर कह रहा हूं और जहां धमनी के अंदर लगना चाहिये इंट्रावीनस ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कौंसिल इसी बात का ही ध्यान रखेगी।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मैं जो बात कह रहा हूं सुनिये साहब। प्रश्न यह नहीं है। यह ठेठ कहां तक का सवाल है। मैं निवेदन करता हूं इंट्रीवीनस इंजेक्शन लगाना है और ड्रिप चढ़ रही है और ड्रिप के अंदर समय पर अगर ड्रिप बंद नहीं हुई और पूरा का पूरा सोल्यूशन अंदर चला गया और उसके बाद में एयर चली गयी तो व्यक्ति मर जायेगा। इसलिए यह जो पैरा-मेडिकल स्टॉफ है, यह चिकित्सा को सफल करने वाला स्टॉफ होगा। अब इसी कारण से यह मान्यता देंगे उन संस्थाओं को, जो पैरा-मेडिकल स्टॉफ तैयार करती हैं। देखना यह है, उनको तैयार करने में वह इंस्टीट्यूशंस क्या किसी हास्पिटल से जुड़े हुए हैं?

इसके अन्दर शिक्षा लेने वाले लोग प्रैक्टिकल कहां जा के कर रहे हैं, मतलब यह सारी की सारी चीजें सही हों इसलिए मैं कह रहा हूं, फुल्ली इक्विप्ड अगर वो इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं यह ...

श्री उपाध्यक्ष: यह इंस्टीट्यूशन कोई ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अगर फुल्ली इक्विप्ड हैं यह, यह इसके लिए ही तो है, अगर फुल्ली इक्विप्ड नहीं हैं यह तो उनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सुनार का काम लुहार से नहीं करवाया जाय। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आवश्यकता थी इस कौंसिल की और यह बन रही है और मेरा ख्याल यह है कि अब जो पैरा मेडिकल स्टॉफ हमको मिलेगा, या पैरा-मेडिकल के जो लोग हमको मिलेंगे वो शायद इसके

(श्री टीकम चन्द कान्त)
कारण क्या उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को मान्यता मिलेगी जो अच्छे पैरा-मेडिकल स्टॉफ को पूरी ट्रेनिंग दे सकेंगे, सारे साधन उनके पास होंगे तो मतलब यह उस कौंसिल का उपयोग अपने को रहेगा, मैं यह चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बस आ गयी।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय मंत्री महोदय, एक बात और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैरा-मेडिकल स्टाफ के अन्दर नाइट एंजल का नाम और नाइट एंजल को सामने रखा जाता है। उसमें वो नर्स जिसने उस युद्ध भूमि में जाकर के अन्दर घायल पड़े हुए लोगों की रात में लालटेन लेकर भी चिकित्सा की थी, उस नाइट एंजल के आदर्श को सामने रख कर के हमें इस पैरा-मेडिकल के लोगों को तैयार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, फुल्ली ट्रेनिंग देनी चाहिए तो मतलब यह उचित होगा, कौंसिल का उपयोग रहेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: बैठो, आ गयी बात, बाकी उनसे ले लेना। बाकी वो माननीय सदस्य बता देंगे आपको। आ गयी।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक विचार रेज किया कि यह पुरानी संस्थाएं जो आलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं उनका क्या होगा? बिना रिकोग्नाइजेशन के कोई भी संस्था नहीं चल सकती, धारा 28(1) में प्रावधान साफ है।

स्केल ऑफ फीस, यह वो कोई इंस्टीट्यूशन कितनी फीस ले उसका नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस और उसके रूल को मेन्टेन करने के लिए है। लैब टैक्निशियन, रेडियो ग्राफर ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दिगम्बर सिंहजी, अब तो मेहरबानी करो, हमने हमारे मैम्बर को बैठा दिया, घनश्यामजी, आपसे भी यह नहीं हो रहा।

श्री उपाध्यक्ष: बैठो, आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): डाक्टर से कम्पाउण्डर बनाना पड़ेगा आपको, ऐसा लग रहा है अब।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा की स्थिति के बारे में बताया, उसके दो कारण हैं। एक तो वर्षों से भर्ती नहीं हुई, उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। आपके टाइम में भी नहीं हुई थी, हमने टेम्प्रेरी लिये, अब आर.पी.एस.सी. से भी लिये ...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपको इण्टरप्ट नहीं कर रहा हूं, यह कह रहा हूं, हुई थी, जितनी आवश्यकता थी उतनी नहीं हुई थी लेकिन हुई थी। ए.एन.एम. भी लगाये गये थे, कम्पाउण्डर्स भी लगाये गये थे, रिकार्ड आप निकलवा लो, कहां दिक्कत आ रही है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): है ध्यान, बैठिये आप, ध्यान है उतना, नैग्लिजेबल था, उसका रीजन है कि एक्सपान्शन जितना हुआ उतना हम डाक्टर प्रोवाइड नहीं कर पाये। आज भी फिमेल गाइनोकोलोजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट कोई पी.जी. एनेस्थेसिया के ब्वाईज तो कम निकल रहे हैं लेकिन सी.एच.सी. ज्यादा खुली हैं, प्रोब्लम आ रही है लेकिन उन प्राब्लम्स को डील करना सरकार के हाथ में है। हम चार महीने का कोर्स करवा कर एम.बी.बी.एस. ब्वाईज को जो एनेस्थेसिया में पी.जी. करना चाह रहे हैं उनको सी.एच.सीज. में लगायेंगे और पी.जी. किया हुआ है उसको डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में लगायेंगे, रीअरेंज करना पड़ेगा। अण्डर यूटिलाइजेशन है वहां पोस्टिंग करनी होगी और कहीं बिलकुल ही खाली है तो वहां पर प्लेस करना पड़ेगा लेकिन unless it is a very necessary पब्लिक स्ट्रैस में यह करना है, किसी के दबाव में आकर डेपुटेशन है अगेंस्ट द रेजिम पोस्ट तो आप यह मानिये कि खतम हो गयी, यह सम्भव नहीं है, वो जमाने लद गये।

आलरेडी संस्थाएं चल रही हैं उनके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया, नैसेसरी है, वो कवर्ड है इसके अन्दर, नर्सेज का Nurse is also a para-medic. लेकिन अभी तक राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में नर्सेज का जितना पैरा-मैडिक्स होना चाहिए, अभी यह तो फर्स्ट स्टैप है, एम.एस.सी. नर्सिंग का कोर्स भी हमने पिछली साल से ही आरम्भ किया है, 15 छात्र हैं, एक स्पेशलिटी में 6 से ज्यादा नहीं मिलती। इन मैडिकल कोर्सेज के साथ अटैच कर रहे हैं ताकि ट्रेंड पैरा-मैडिक्स उस पर्टिकुलर फील्ड के मिलें ताकि गरीब से

(श्री नरपत सिंह राजवी)

गरीब आदमी को, जो भी मरीज आज कैसा भी जा रहा है, गरीब आदमी है चाहे अमीर है लेकिन जो मृत्यु से जूझ रहा है उसको एक इमिजिएट रिलीफ मिलती है तो ट्रेंड पैरा-मैडिक इमिजेटली दे सकता है क्योंकि ज्यादातर तो वो ही रहेगा पास में।

टेम्प्रेरी परमिशन की बात कही आपने, टेम्प्रेरी परमिशन इसलिए देनी पड़ रही है कि अभी तक तो नोर्म्स ही डिसाइड नहीं हुए थे तो नोर्म्स करने के बाद में उनको फॉलोअप करने का जो भी गैप रहेगा उसके बाद में दोबारा उसको चांस मिले, वो सम्भव नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी बातें थीं उस पर बिंदु वार मैंने जवाब दिया है, मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.36 बजे बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम कवास एवं मलवा (बाड़मेर) के बाड़ पीड़ितों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार से अप्राप्त राशि

304. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2006 में बाड़मेर जिले के ग्राम कवास एवं मलवा में वर्षा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा आर्थिक सहायता दी गई थी? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त राशि में से अब तक किस-किस कार्य पर कितनी—कितनी राशि व्यय की गई एवं अब कितनी राशि अनुपयोगी है एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा अब तक पूर्ण सहायता राशि नहीं भिजवाये जाने के कारण सहायता कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस दिशा में क्या प्रयास किये गये?

उत्तर

(1) वर्ष 2006 में बाड़मेर जिले के ग्राम कवास एवं मलवा में वर्षा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को पत्र क्रमांक 17130 दिनांक 29.8.2006 को राशि 3284.22 करोड़ का स्पेशल पैकेज के प्रस्ताव भिजवाये गये थे, मा. मुख्य मंत्री महोदया के माध्यम से भी दिनांक 27 सितम्बर, 2006 को मा. प्रधान मंत्री श्री मनमोहनसिंह को पत्र भेजा गया था। इसके बाद अनेक बार केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र लिखे गये किन्तु बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता हेतु केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 6.9.2006 को 100 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई थी जिसे भी बाद में रिजर्व में रखवा दिया गया। राज्य सरकार द्वारा 6732,11 लाख एवं अन्य संस्थाओं/दानदाताओं द्वारा 194.54 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जिसका विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-अ, ब, स)

(2) राज्य सरकार द्वारा व्यय की गयी राशि का कार्यवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-अ, ब) इस हेतु राशि अनुपयोगी शेष नहीं रहती, कार्य उपरान्त शेष राशि

(सहायता मंत्री)

बजट में शामिल कर दी जाती है। अन्य द्वारा दी गयी सहायता राशि का कार्यवार व्यय एवं शेष राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-स)

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयास का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-द)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर सिरोही राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं में कमी हेतु कार्य-योजना

305. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर ब्यावर से सिरोही रोड के मध्य गत एक वर्ष में अनेक सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं? यदि हां, तो कितनी दुर्घटनाओं में, कितने लोग घायल या मृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रयास किए गए हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर ब्यावर से सिरोही रोड के मध्य गत एक वर्ष में कुल 465 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 195 व्यक्तियों की मृत्यु व 702 व्यक्ति घायल हुये। जिलेवार विवरण निम्न प्रकार हैं :-

जिला	वर्ष 2007		
	दर्ज प्रकरण	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
सिरोही	134	39	226
पाली	314	146	447
अजमेर	17	10	29
योग	**465**	**195**	**702**

(2) जी हां। सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 पर ब्यावर से सिरोही रोड के मध्य दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिलेवार की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है :-

(गृह मंत्री)

जिला अजमेर- रोड के दोनों तरफ झाड़िया कटवाई, साईन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, यातायात बोर्ड, गति नियंत्रक बोर्ड लगाये गये।

जिला पाली- राष्ट्रीय राजमार्ग का दुर्घटनाओं के आंकड़ों के मध्य नजर पुलिस एवं नेशनल हाईवे आथरिटी द्वारा सर्वे कर 96 सम्भावित दुर्घटना स्थल चिन्हित किये गये। संभावित दुर्घटना स्थलों के पूर्व चेतावनी बोर्ड लगवाये। घनी आबादी क्षेत्र वाले स्थानों से पहले रम्बल स्ट्रीप बनवाये जाकर वाहनों की गति को नियंत्रित किया जाता है। जन सहयोग से 40 रिफ्लेक्टिंग जैकिट प्राप्त कर उन्हें जिले के हाईवे पर स्थित पुलिस थानों/चैकियां/ट्रैफिक एड सेन्टर पर वितरित किये गये हैं। रात्रि के समय ट्रैफिक को कन्ट्रोल करने एवं दुर्घटनाएं रोकने में मदद मिलती है।

अत्यधिक संवेदनशील दुर्घटना स्थलों पर जनसहयोग से 9x15 फीट, प्रत्येक करीब 100 किग्रा. के 31 रिफ्लेक्टिंग बैरियर तथा 25 नो ओवर टेकिंग साईन बोर्ड बनवाये जाकर उन्हें हाईवे रोड़ पर काम लिया जा रहा है। बैलगाड़ी, ऊंटठेलों, ट्रेक्टर ट्रोलियों साईकिलों के पीछे स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग ये 7000 रिफ्लेक्टर लगवाये गये हैं। लाऊड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, वाहनों के प्रेशर हार्न, टेपरिकार्ड के माध्यम से उत्पन्न कोलाहल से आमजन को निजात दिलाने हेतु धारा-5 राज. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1963 के तहत आदेश जारी करवाया गया।

जिला सिरोही- राजमार्ग संख्या-14 पर नेशनल हाईवे अथोरिटी व पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से सम्पर्क कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेरिकेटिंग, स्पीड ब्रेकर, जेबरा क्रसिंग लाइन, डिवाईडेड लाइन, चेतावनी बोर्ड व संकेतक चिन्ह लगवाये गये हैं। सड़क के दोनों ओर घने बबूल व झाडियों को कटवाया गया। राजमार्ग पर स्थित ढाबों पर खडे ट्रकों को सड़क से दूर खड़ा करने हेतु पाबन्द किया गया। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जिले में तीन ट्रेफिक एड सेन्टर, शिवगंज, पिण्डवाडा व आबूरोड खोले गये हैं, जो नेशनल हाइवे पर होने वाली दुर्घटनाओं का पता लगाकर दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

(3) जी हां। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिलेवार निम्न कार्यवाही की गई :-

जिला अजमेर- दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दुर्घटनाग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने

(गृह मंत्री)

के लिए ब्यावर में एक ट्रेफिक एड पोस्ट की स्थापना की है। जिसका जाप्ता निरन्तर गस्त एवं दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाने व ट्रेफिक को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है।

जिला पाली- नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बर, सोजत, जाडन व गुन्दोज, 4 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं। हाईवे थानों व ट्रेफिक एड पोस्ट सेन्टरों को फर्स्ट एड बाक्स वितरित किये गये हैं। दुर्घटना होने पर स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क कर एम्बुलेंस मय स्टाफ व नि:शुल्क दवाईयों हेतु मदद ली जाती है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जिला मुख्यालय पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए मदद के लिए हर सम्भव तैयार रहती है।

जिला सिरोही- राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद के लिए जिले में तीन ट्रेफिक एड सेन्टर, शिवगंज, पिण्डवाड़ा व आबूरोड में खोले हैं, जो हर समय गस्त व घायलों की राहत के लिए तैयार रहते हैं। गेल कम्पनी की मदद से घायलों की मदद हेतु राजकीय चिकित्सालय, सिरोही पर एम्बुलेंस हर समय तैयार रहती है।

पोटला तालाब, सहाड़ा (भीलवाड़ा) का अपूर्ण कार्य

306. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पोटला तालाब की आव पर सरकार द्वारा अकाल राहत एवं अन्य योजना से क्या-क्या कार्य करवाया गया? क्या उक्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त आव के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पोटला तालाब की आव पर जल संसाधन विभाग द्वारा अकाल राहत एवं अन्य योजना से आव में मिट्टी खुदाई का कार्य करवाया गया। अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य सीमित श्रमिक संख्या, अवधि व राशि होने के कारण यह कार्य अभी तक अपूर्ण हैं।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2008-09 में शेष कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

ढोली जाति की पर्याय अन्य जातियों का अनुसूचित जाति में समामेलन

307. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004 में ढोली जाति के पर्यायवाची नामों (बारेठ, खेड, जागा, राणा, राव व नगारची) को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने हेतु जिला कलक्टरों से टिप्पणी मांगी गई?

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टरों से इस सन्दर्भ में टिप्पणी प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो जिला कलक्टरों द्वारा की गई टिप्पणी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला कलक्टरों से टिप्पणी प्राप्त कर ढोली जाति के पर्यायवाची नामों को अनुसूचित जाति की सूची में इन्द्राज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला कलक्टर, जालौर, नागौर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, पाली, अलवर, उदयपुर एवं हनुमानगढ़ से प्राप्त टिप्पणी परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के मध्यनजर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

(टिप्पणी विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अश्वगन्धा की खेती के प्रोत्साहन हेतु कार्य-योजना

308. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में अश्वगन्धा की खेती किन-किन जिलों में कब से होती आ रही है तथा इसकी खेती का कुल रकबा प्रदेश में कितना है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा झालावाड़ जिले की झालरापाटन मण्डी को अश्वगन्धा के लिए विशेष मण्डी घोषित की गई है? यदि हां, तो यह घोषणा कितने वर्ष पूर्व की गई व उसके बाद से अब तक उक्त मण्डी में कुल कितनी अश्वगन्धा बिकी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(3) अश्वगन्धा की विशेष मण्डी घोषित किए जाने के बाद इसकी खेती को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई?

(4) प्रदेश में अश्वगन्धा पर वेट व मण्डी शुल्क कितना लिया जाता है व क्या यह शुल्क मध्य प्रदेश में लिए जाने वाले करों (टैक्स) से कम है? यदि हां, तो कितना?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान में अश्वगन्धा पर वेट व मण्डी शुल्क सीमावर्ती जिले मध्य प्रदेश से कहीं अधिक होने के कारण झालावाड़ जिले से अश्वगन्धा मध्य प्रदेश के नीमच व मन्दसौर जिले में बेचने हेतु किसान ले जाते हैं?

उत्तर

(1) प्रदेश में अश्वगन्धा की खेती लगभग 15-16 वर्षों से होती आ रही है। वर्ष 2006-07 में प्रदेश में 2801 हैक्टेयर में अश्वगन्धा की खेती की गयी जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	जिला	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	कोटा	2239
2.	झालावाड़	527
3.	चित्तौड़	14
4.	अजमेर	13
5.	बारां	5
6.	बीकानेर	2
7.	जयपुर	1
	योग	**2801**

(2) जी हां। झालरापाटन मण्डी को दिनांक 4.2.2006 को अश्वगन्धा की विशिष्ट मण्डी घोषित किया गया है। झालरापाटन मण्डी में अब तक अश्वगन्धा का विक्रय नहीं हुआ है।

(3) अश्वगन्धा पर पूर्व में 12.5 प्रतिशत वेट लागू था जिसे घटाकर 4

(आयुर्वेद मंत्री)

प्रतिशत किया गया है। अश्वगन्धा की विशेष मण्डी घोषित किए जाने के बाद इसकी खेती को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में राज्य योजनान्तर्गत व वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत चयनित जिलों में फसल प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत सहायता निम्न प्रकार है :-

1. योजना (वर्ष 2006-07)

योजना	फसल	प्रदर्शन क्षेत्र हैक्ट. में	सहायता
राज्य योजना	अश्वगन्धा	0.5	प्रदर्शन लागत का 50 प्रतिशत या राशि रु. 1000/- जो भी कम हो

2. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (वर्ष 2007-08)

फसल	सहायता
अश्वगन्धा	प्रदर्शन लागत का 75 प्रतिशत अथवा राशि रुपये 11250/- जो भी कम हो प्रति हैक्टेयर की दर से देय है। सहायता अधिकतम 4 हैक्टेयर तक।

(4) प्रदेश में अश्वगन्धा पर 4 प्रतिशत वेट एवं 1.60 प्रतिशत मण्डी शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क मध्य प्रदेश के करों से 0.40 रुपये कम है।

(5) जी नहीं। अश्वगन्धा पर 4 प्रतिशत वेट एवं 1.60 प्रतिशत मण्डी शुल्क (कुल 5.60 प्रतिशत) है जब कि मध्य प्रदेश में वेट 4 प्रतिशत एवं मण्डी शुल्क 2 प्रतिशत (कुल 6.00 प्रतिशत) है।

तमिलनाडु में सुनामी पीड़ितों हेतु करवाये गये निर्माण कार्य

309. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तमिलनाडु के सुनामी पीड़ित व्यक्तियों की सहायतार्थ सहायता कोष में अब तक कुल कितनी राशि जमा हुई और इस राशि में से कुल कितनी राशि अब तक व्यय की गई और कितनी राशि शेष है?

(2) तमिलनाडु सरकार द्वारा राजस्थान के मुख्य सचिव के पत्र संख्या 6360 दिनांक 5 मार्च, 2005 के अनुसरण में कांचीपुरम, विल्लूपुरम और कुडलौर जिले में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य आरम्भ करने हेतु अपना प्रोजेक्ट राज्य सरकार को क्रियान्विति हेतु प्रस्तुत किया?

(3) राज्य सरकार द्वारा कांचीपुरम, बिल्लूपुरम और कुडलौर जिलों में अब

(श्री हरिमोहन शर्मा)

तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के पूर्ण किये और कौन-कौन से अधूरे हैं तथा किन-किन कार्यों पर अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तमिलनाडु में सुनामी पीड़ित व्यक्तियों की सहायतार्थ मुख्य मंत्री सहायता कोष में 31 दिसम्बर, 2007 तक कुल राशि 2005.01 लाख रुपये जमा हुए तथा इस राशि में से 1742.42 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी है एवं 262.59 लाख रुपये की राशि शेष है।

(2) तमिलनाडु सरकार द्वारा कांचीपुरम, विल्लूपुरम व कुडलौर में सार्वजनिक उपयोग के भवनों के निर्माण कार्यों का प्रोजेक्ट राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसका विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(3) राजस्थान सरकार द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में 596.84 लाख रुपये की लागत के 15 में से 15 कार्य, कुडलोर जिले में 703.05 लाख रुपये की लागत के 22 में से 22 कार्य एवं बिल्लूपुरम जिले में 442.53 लाख रुपये की लागत के 16 में से 15 कार्य पूर्ण कर सुपूर्द किये जा चुके हैं। बिल्लूपुरम में 1 कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। सुनामी प्राप्त राशि से कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण

310. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत दो वर्षों में जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामले वापस लिये गये हैं? यदि हां, तो कितने वर्षों के मामले किन-किन अपराधों से सम्बन्धित थे और इन्हें वापस लेने का क्या औचित्य है?

(2) क्या यह सही है कि जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 एवं 341 के तहत 2 साल से अधिक पुराने प्रकरण जिनमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, न्यायालयों से वापस लिये गये हैं? यदि हां, तो ये अपराध किस प्रकार के हैं तथा ऐसे कितने प्रकरण वापस लिये गये और इन्हें वापस लिये जाने का क्या औचित्य है?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसे आपराधिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया जो दिनांक 4.5.2006 तक न्यायालय में लम्बित थे :-

(अ) 20 बोतल देशी शराब या उससे कम मात्रा रखने के आपराधिक प्रकरण।

(ब) भारतीय दण्ड संहिता या अन्य किसी विधि या अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें दो वर्ष या उससे कम कारावास या जुर्माना की सजा का प्रावधान है।

उक्त प्रकरण जनजाति क्षेत्र के आदिवासियों की परिस्थितियों के मद्देनजर वापिस लिये जाने का निर्णय लिया।

(2) उक्त परिपत्र के जारी होने के दिनांक 4.5.2006 तक लम्बित प्रकरण जो जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 323 व 341 भारतीय दण्ड संहिता व अन्य अधिनियम के ऐसे प्रकरण, जिनमें दो वर्ष या उससे कम कारावास या जुर्माना की सजा का प्रावधान है, वापस लिये गये।

ये अपराध साधारण प्रकृति के हैं, कुल 7471 प्रकरण वापस लिये गये।

उक्त प्रकरण जनजाति क्षेत्र के आदिवासियों की परिस्थितियों के मद्देनजर वापिस लिये जाने का निर्णय लिया।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु प्रस्तावित नवीन स्रोत

311. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में कितने एनिकट व तालाब कहां-कहां स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान व आगामी वर्ष में कहां-कहां नये तालाब व एनिकट बनाये जाने प्रस्तावित हैं तथा इन पर कितनी राशि व्यय कर इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के दृष्टिकोण से नया बांध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची प्रपत्र- "अ" पर संलग्न है।

(2) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में 5 एनीकट मानसून पूर्व बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी नहीं, स्वतंत्र जलग्रहण क्षेत्र एवं उपयुक्त बांध स्थल के अभाव में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नया बांध बनाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रपत्र-अ

क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में स्थित बांधों एवं एनीकटों की सूची

क्र. सं.	बांध का नाम	भराव क्षमता (मि. क्यू. फिट)	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति
बांध					
1.	कालाख सागर बांध	730.00	कालख	कालख	सांभर
2.	छोटी डूंगरी बांध	115.62	छोटी डूंगरी	डूंगरी कलां	सांभर

एनीकट

क्र. सं.	एनीकट का नाम	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति
1.	खण्डेल नाले पर शमशान के पास एनीकट	खण्डेल	खण्डेल	सांभर
2.	कीरों की ढाणी के पास एनीकट	कीरों की ढाणी	कालख	सांभर
3.	मेंढा नदी पर एनीकट	प्रतापपुरा	प्रतापपुरा नागरा	सांभर
4.	जैतपुरा खरड़ में एनीकट	जैतपुरा	जयसिंहपुरा	सांभर
5.	चौसाला नाले पर अपूर्ण एनीकट को पूर्ण करने का कार्य	खटावडीकला	खटावडीकला सिनोदिया	सांभर
6.	जयपुर नावा रोड के उत्तर की ओर एनीकट	मुन्डोली	मुन्डोली	सांभर
7.	मैडासर नदी पर एनीकट (लालासर)	लालपुरा	लालपुरा गयाया की ढाणी	सांभर
8.	ढाणी बोराज के एनीकटों का निर्माण	ढाणी बौराज	ढाणी बौराज	सांभर

नावां विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम द्वारा स्वीकृत ऋण की वसूली

312. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम द्वारा किस-किस व्यवसाय के लिए किस पात्रता वाले व्यक्ति को अनुदान और ऋण उपलब्ध कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र नावां में गत दो वर्षों में किस-किस काम के लिए किन-किन को ऋण व अनुदान दिया गया? उक्त में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक ऋण वापस नहीं चुकाया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षों में निगम को कितने आवेदन किस व्यवसाय के लिए ऋण व अनुदान प्राप्त करने के लिए विधान सभा क्षेत्र नावां के लोगों से प्राप्त हुए? उनमें कितने लोगों को ऋण व अनुदान उपलब्ध करा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखा जावे।

(4) क्या विधान सभा क्षेत्र नावां में जिन लोगों ने उक्त निगम से ऋण व अनुदान जिस कार्य के लिए प्राप्त किया उन्होंने वह व्यवसाय वहां पर प्रारम्भ किया था? यदि हां, तो कब व वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है?

(5) निगम से ऋण प्राप्त करने वाले लोगों को ऋण जमा कराने में डिफाल्टर होने पर उनसे राशि किस विधि से वसूल की जाती है?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा विभिन्न व्यवसायों यथा ट्रेक्टर मय ट्रोली, जीप टैक्सी, टैण्ट हाउस, किराणा दुकान, रेडीमेड गारमेंट, घरेलू बिजली मरम्मत, साईकिल मरम्मत, स्माल डेयरी, स्टील फेब्रीकेशन, आटो रिक्शा, लघु साख ऋण, महिला सशक्तिकरण, ऊंट मय गाड़ी आदि के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

निगमवार ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्रता का विवरण परिशिष्ट "1" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र नावां में गत दो वर्षों में 12 व्यक्तियों को ऋण अनुदान दिया गया, व्यक्तिवार व व्यवसाय वार सूची परिशिष्ट "2" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

उक्त व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों ने ऋण वापस नहीं चुकाया है। सूची परिशिष्ट "3" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) गत दो वर्षों में ऋण व अनुदान प्राप्त करने के लिए 92 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका व्यवसायवार विवरण परिशिष्ट "4" सदन की मेज पर रख दिया गया है। निगम को प्राप्त इन आवेदन पत्रों में से 12 लोगों को ऋण अनुदान उपलब्ध करवा दिया गया। विवरण परिशिष्ट "2" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। लाभार्थियों द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने का माह/वर्ष तथा वर्तमान स्थिति परिशिष्ट "5" पर संलग्न है।

(5) अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम से ऋण प्राप्त करने वाले लोगों को ऋण जमा में डिफाल्टर होने पर उनसे राशि वसूली की निम्न विधि अपनाई जाती है :-

1. सर्वप्रथम ऋणी को डिफाल्टर होने पर नोटिस दिया जाता है।
2. तत्पश्चात् उसके जमानती को नोटिस दिया जाता है।
3. ऋणी द्वारा दिये गये चैक को बैंक में ऋण वसूली हेतु संग्रहण के लिए लगाया जाकर एवं इसकी सूचना ऋणी को दी जाती है।
4. चैक अनादरित होने पर अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाता है।
5. अधिवक्ता के नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर ऋणी को धारा 138 निगोशिएबल इन्ड्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के तहत सिविल वाद न्यायालय में दायर कराया जाता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गंगरार विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

313. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कहां-कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र व उपकेन्द्र संचालित हैं तथा इनमें

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कितने-कितने पद स्वीकृत तथा कितने पद रिक्त हैं? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राश्मी व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगरार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साडास, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्देरिया में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगरार एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्देरिया में वर्तमान में चिकित्सकों के पद रिक्त नहीं हैं।

कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ब्रज भूमि (भरतपुर) क्षेत्र में क्रेशर हेतु जारी खनन पट्टे

314. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में स्थित ब्रज भूमि में खनन कार्य कर पुरातत्व स्थलों को नष्ट किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों के बचाव हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थलों की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय मंत्री श्री लालूप्रसाद यादव तथा श्रीमती अम्बिका सोनी द्वारा राज्य सरकार से पत्राचार किया गया? यदि हां, तो उक्त पत्राचार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2004 से अब तक भरतपुर जिले की कामां तहसील व आस-पास के क्षेत्र में सरकार द्वारा खनन कर क्रेशर चलाने हेतु लाइसेंस प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन को कितनी अवधि हेतु कब-कब लाइसेंस जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। उक्त पत्राचार की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) खनन कर क्रेशर हेतु किसी प्रकार का लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाता है। क्रेशर स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का रूपान्तरण किया जाता है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस थाना चन्दवाजी (जयपुर) में ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा के रिकार्ड सम्बन्धी दर्ज प्रकरण की जांच

315. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति जमवारामगढ़ (जयपुर) की ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा का समस्त रिकार्ड जलाये जाने सम्बन्धी मुकदमा पुलिस थाना चन्दवाजी में कब दर्ज हुआ और जांच कब पूरी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत रिकार्ड जलाये जाने सम्बन्धी पुलिस जांच में किन-किन लोगों को संदेह के घेरे में लिया गया और जांच का निर्णय क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पुलिस द्वारा बिना किसी को दोषी पाये ही अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी गई? यदि हां, तो जांच में अपराधी नहीं पकड़े जाने के क्या कारण रहे? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत, जयचन्दपुरा का समस्त रिकार्ड जलाने सम्बन्धी मुकदमा ग्राम पंचायत सचिव श्री देवकीनन्द शर्मा द्वारा दिनांक 15.2.2007 को थाना, चन्दवाजी में दर्ज कराया गया, जिसका मुदकमा नं.-36/07 धारा 457, 436 भादसं. है। जिसमें बाद जांच व अनुसंधान दिनांक 24.4.2007 को अंतिम रिपोर्ट एफ.आर. (अदमपता) दी गई।

(2) पंचायत रिकार्ड जलाये जाने के संदेह में 1-अर्जुनलाल पुत्र मुरलीधर जाट, निवासी-जयचन्दपुरा, 2-हीरालाल पुत्र हरलाराम जाति जाट, निवासी जयचन्दपुरा, 3-जगदीश पुत्र बिरदूराम जाति बाबरिया, निवासी-जयचन्दपुरा व 4-हीरालाल पुत्र भैरूराम जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी-जयचन्दपुरा को संदेह के घेरे में लिया जाकर पूछताछ की गई, मगर इनका जुर्म में शरीक होना नहीं पाया गया। प्रकरण में बाद तफ्तीश अदमपता मुल्जिमान में दिनांक 24.4.2007 को अंतिम रिपोर्ट दी गई।

(3) अनुसंधान में इस अपराध में सम्मिलित अभियुक्तों का पता नहीं चला।

जनता जल योजनाओं के संधारण हेतु देय राशि में वृद्धि

316. श्री बाबू सिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पेयजल आपूर्ति हेतु जनता जल योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो इस योजना के क्या-क्या नियम हैं व योजना संधारण हेतु कितना वेतन व कितनी मरम्मत राशि देय है?

(2) क्या सरकार जनता जल योजना संधारण करने वाले व्यक्ति का मानदेय, वेतन व योजना के रखरखाव हेतु मरम्मत राशि बढ़ाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य में कुल कितनी जनता जल योजनाएं संचालित की जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं के रखरखाव की राशि व वेतन समय पर दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जनता जल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के सन्दर्भ में समय-समय पर जारी किये गये परिपत्र संलग्न परिशिष्ट- "अ" (कुल-7) पर उपलब्ध है।

योजना संचालन एवं संधारण के सन्दर्भ में निम्नानुसार अनुदान राशि दी जा रही है :-

जल स्त्रोत पर विद्युत व्यय	वास्तविक विद्युत व्यय का पूर्ण भुगतान
पम्प संचालन के संदर्भ में	रुपये 500/- प्रति स्त्रोत प्रति माह
सबमर्सिबल पपिंग सैट के संधारण हेतु	रुपये 400/- प्रति अश्व शक्ति प्रति स्त्रोत प्रति वर्ष
मोनो-ब्लाक पपिंग सैट के संधारण हेतु	रुपये 1000/- प्रति वर्ष प्रति स्त्रोत

(2) पुर्नविचार किया जाना प्रस्तावित है।

(3) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट- "ब" पर उपलब्ध है।

(4) जनता जल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के संदर्भ में सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय समिति द्वारा विभाग को बीजक प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान करने का प्रावधान है एवं तदनुसार भुगतान किया जाता है। उक्त योजनाओं के सन्दर्भ में भुगतान हेतु आवश्यक/पर्याप्त बजट वर्तमान में उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालय की स्थापना

317. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में एक भी राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालय की स्थापना अभी तक नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राज्य में राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालयों की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि राज्य में, वर्तमान में, निजी क्षेत्र में छह होम्योपैथिक महाविद्यालय संचालित हैं। जो राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से सम्बद्ध हैं। एक होम्योपैथिक महाविद्यालय राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर डीम्ड यूनिवर्सिटी में संचालित है।

(2) जी नहीं। क्योंकि राज्य में पर्याप्त संख्या में निजी क्षेत्र में होम्योपैथिक महाविद्यालय संचालित है।

निवाई विधान सभा क्षेत्र के ओलावृष्टि प्रभावित कृषकों को सहायता

318. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई में फरवरी, 2007 में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराया गया था? यदि हां, तो प्राप्त सर्वे के अनुसार उक्त क्षेत्र के कितने ग्रामों में कितने नुकसान का आंकलन किया गया? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों में प्रभावित किन-किन काश्तकारों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामवार नुकसान के आंकलन की सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) उक्त ग्रामों में प्रभावित काश्तकारों को 38,56,230 रु. की आर्थिक सहायता दी गयी। काश्तकारवार दी गयी सहायता का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

(सूचना/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका क्षेत्र, रानी (पाली) में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

587. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पाली जिले के नगरपालिका क्षेत्र, रानी में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। पाली जिले के नगरपालिका क्षेत्र रानी में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय सम्बन्धित क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता के आंकलन के उपरान्त ही किया जाता है। रानी के समीप रीको द्वारा एक औद्योगिक क्षेत्र फालना में विकसित किया जा चुका है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र रानी से करीब 16 किमी. की दूरी पर स्थित है तथा इस औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 82 औद्योगिक भूखण्ड आबंटन हेतु उपलब्ध हैं।

हथकरघा कलस्टर दरीबा के विकास हेतु मानसी मरु संस्थान सुजानगढ़ का चयन

588. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मानसी मरु संस्थान, सुजानगढ़ को हथकरघा कलस्टर दरीबा के विकास हेतु चयन किया गया है? यदि हां, तो यह संस्था कब पंजीकृत हुई व हथकरघा कलस्टर दरीबा का विकास हेतु चयन कब व किन शर्तों पर किया गया तथा चयन के लिये क्या निगम हैं? नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्था का चयन उद्योग विभाग द्वारा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चूरू तथा जिला कलक्टर, चूरू की सिफारिश के आधार पर किया गया है? यदि हां, तो सिफारिशी पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) मरु मानसी संस्थान, सुजानगढ़ स्वयंसेवी संस्था के रूप में कब से कार्यरत है तथा इसका पंजीयन कब हुआ? पंजीकरण से पूर्व इस संस्था द्वारा क्या-क्या कार्य कहां-कहां करवाये गये तथा उनका किस संस्था से आडिट करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संस्था दिनांक 13.7.2004 को पंजीकृत हुई है। हाथकरघा

(उद्योग मंत्री)

कलस्टर, दरीबा के विकास हेतु संस्था का चयन दिनांक 31.3.2006 को किया गया। संस्था के चयन की तिथि तक संस्थाओं के चयन के नियम जारी नहीं किये गये थे। संस्थाओं के चयन के कोई पृथक से नियम नहीं थे।

(2) जी हां। सिफारिश पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट– 'ए' एवं 'बी' पर संलग्न है।

(3) मानसी मरू संस्थान, सुजानगढ़ दिनांक 13.7.2004 से कार्यरत है, तथा इसका पंजीयन दिनांक 13.7.2004 को हुआ है। पंजीकरण से पूर्व संस्था द्वारा किये गये कार्य एवं संस्था द्वारा कराये गये आडिट का विवरण विभाग में रखा जाना अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट- "ए"

जिला उद्योग केन्द्र, चूरू (राजस्थान)

क्रमांक : 10194 दिनांक 7.3.2006

आयुक्त

उद्योग विभाग उद्योग भवन,

जयपुर

विषय :-हाथ करघा कलस्टर (दड़ीबा) हेतु मानसी मरू संस्थान, सुजानगढ़ बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मानसी मरू संस्थान, सुजानगढ़ ने दड़ीबा (सुजानगढ़) में हाथ करघा कलस्टर विकसित किये जाने बाबत आवेदन किया है। संस्था द्वारा संस्था के उद्देश्य विधान प्रगति रिपोर्ट व 2001-02 से 2004-05 तक की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन सभी प्रपत्रों की प्रति संलग्न आपके यहां पर संस्था द्वारा पूर्व में ही प्रस्तुत की जा चुकी है। संस्था 29/चूरू दिनांक 13.4.2004 द्वारा रजिस्ट्रार संस्थाएं चूरू द्वारा पंजीकृत है। संस्था द्वारा अब तक महिलाओं को प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा शिविर, खेल प्रतियोगिता, शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां व विकलांगो को ट्राई साइकिल वितरण, गरीब छात्राओं हेतु ब्रिज कोर्स आदि कार्य किये गये।

संस्था द्वारा दड़ीबा (सुजानगढ़) में बुनकरों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें ज्यादातर बुनकर संस्था के साथ कार्य करने के इच्छुक हैं। रिपोर्ट प्रेषित है। उक्त संस्था मुनाफे में चल रही है, तथा कार्य करने हेतु सक्षम है।

ह./-

महाप्रबन्धक

जिला उद्योग केन्द्र

चूरू

परिशिष्ट- "बी"

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू

क्रमांक : एफ/हाथकरघा कलस्टर/दड़िबा/05-06/14307   दिनांक 9.3.2006

आयुक्त उद्योग विभाग,

उद्योग भवन,

जयपुर

विषय :-हाथ करघा कलस्टर दड़िबा जिला चूरू के कलस्टर विकास बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र दिनांक 6.3.2006 द्वारा हाथ करघा कलस्टर दड़िबा जिला चूरू के विकास हेतु महिला जाग्रति समिति, सुजानगढ़ को क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में सिद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किया गया है।

सचिव, मानसी मरू संस्थान, सुजानगढ़ ने दिनांक 7.3.2006 को लिखित में मुझे निवेदन किया है कि महिला जाग्रति समिति, सुजानगढ़ के स्थान पर मानसी मरू संस्थान, सुजानगढ़ के नाम से कलस्टर दड़िबा का विकास कार्य करना चाहते हैं जिसके सम्बन्ध में श्रीमती सविता राठी ने यह भी निवेदन किया है कि महिला जाग्रति समिति, सुजानगढ़ में सिर्फ महिलाएं ही सदस्य रह सकती हैं तथा महिला जाग्रति समिति, सुजानगढ़ एवं मानसी मरू संस्थान, सुजानगढ़ दोनों में मैं सदस्य हूं, और ये दोनों संस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चूरू ने मानसी मरू संस्थान, सुजानगढ़ के बारे में विस्तृत टिप्पणी निम्नानुसार की है :-

1. उक्त संस्था 29/चूरू दिनांक 13.4.2004 द्वारा रजिस्ट्रार संस्थाएं, चूरू द्वारा पंजीकृत है।
2. संस्था द्वारा अब तक महिलाओं को प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा शिविर, खेल प्रतियोगिता, शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां, विकलांगों को ट्राइसाइकिल का वितरण एवं ग्रामीण छात्राओं हेतु ब्रिज कोर्स आदि कार्य किए हैं।
3. संस्था द्वारा दड़िबा, सुजानगढ़ में बुनकरों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ज्यादातर बुनकर संस्था के साथ कार्य करने के इच्छुक हैं।

मानसी मरू संस्थान, सुजानगढ़ ने संस्था के उद्देश्य, विधान, प्रगति रिपोर्ट एवं वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक की आडिट रिपोर्ट भी आपके यहां पर प्रस्तुत कर दी है।

कृपया हाथ करघा कलस्टर, दड़िबा, सुजानगढ़ के विकास हेतु महिला जाग्रति समिति, सुजानगढ़ के स्थान पर मानसी मरू संस्थान, सुजानगढ़ का अनुमोदन कराने का श्रम करावें।

भवदीय

ह./-

जिला कलस्टर, चूरू

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को स्वीकृत ऋण

589. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण स्वीकृति के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत 3 वर्षों में पंचायत समिति सांभर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु कितनी-कितनी राशि के ऋण उपलब्ध करवाये गये? नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत स्वीकृत ऋण में सम्बिन्धित बैंकों द्वारा कायर्वाही करने में देरी की जाती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण स्वीकृति के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत 3 वर्षों में पंचायत समिति सांभर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 234 शिक्षित बेरोजगारों को रुपये 1,27,52,500 के ऋण उपलब्ध कराये गये। नाम, पते सहित सूची परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय बैकिंग समिति तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में लक्ष्यों के अनुरूप योजना में भागीदार बैंकों की नवीनतम प्रगति की न केवल समीक्षा की जाती है अपितु निर्धारित समय में ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु आवश्यक निर्देश जारी कराते हुये योजना के सफल क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण करवाया जाता है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

खारची विधान सभा क्षेत्र के नाकारा हैण्डपम्प

590. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची जिला पाली में वर्ष 2004 से अब तक कितने हैण्डपम्प कहां-कहां पर स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प चालू हैं व कितने नाकारा हैं? इन्हें कब तक चालू कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्ष 2004 (1 जनवरी, 2004) से माह फरवरी, 2008 तक विभिन्न मदों में कुल 508 हैण्डपम्पों की स्थानवार स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट- "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृति के विरूद्ध 484 हैण्डपम्पों का वेधन कार्य पूर्ण कर स्थापित किये गये 473 हैण्डपम्पों में से वर्तमान में 446 हैण्डपम्प क्रियाशील एवं 27 हैण्डपम्प सूखे/नाकारा हैं।

सूखे/नाकारा हैण्डपम्प मरम्मत योग्य नहीं होने के कारण इन्हें चालू नहीं किया जा सकता है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में निहित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (जयपुर) हेतु पेयजल योजना

591. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ जिसकी आबादी लगभग 25000 है, में पेयजल आपूर्ति हेतु योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र, चौमूं की ग्राम पंचायत, गोविन्दगढ़ (वर्ष 2001 की जनसंख्या-7325 एवं वर्तमान जनसंख्या-8790) पाइप्ड योजना से लाभान्वित है।

आंशिक वितरण पाइप लाइन एवं कम दबाव वाले क्षेत्रों में पर्याप्त जल दबाव से जलापूर्ति हेतु पुनर्गठित पेयजल योजना के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन है।

रानीवाड़ा (जालौर) में नर्मदा योजना से पेयजल आपूर्ति

592. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पेयजल हेतु नर्मदा से पानी दिया जाना हैं? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि इस कार्य हेतु बजट में प्रावधान था? यदि हां, तो कितना व अभी तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार यह कार्य कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के 147 गांव नर्मदा परियोजना में सम्मिलित हैं। प्रस्तावित लाभान्वयन संबंधी विवरण निम्न प्रकार है :-

(अ) माह अप्रैल, 2007 में स्वीकृत योजना (डी.आर.) आर.डी. 16 सांचौर रानीवाड़ा कलां-जसवन्तपुरा राशि रुपये 129.63 करोड़ के अन्तर्गत रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के 96 गांवों को माह अगस्त, 2009 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(ब) शेष 51 गांवों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पी.डी. कोर संस्था द्वारा नर्मदा नहर आधारित पेयजल योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु प्रस्ताव अन्तिम चरण में है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर क्रियान्वयन सम्भव होगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में नर्मदा परियोजना हेतु विभिन्न मदों में बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रु. लाखों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	आबंटन	व्यय
2006-07	1150.00	1150.00	1148.95
2007-08	3360.00	663.00	895.56

रानीवाड़ा क्षेत्र हेतु स्वीकृत रु. 129.63 करोड़ की योजना के कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) उपरोक्तानुसार।

जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र के भू-जल स्तर में वृद्धि हेतु कार्य-योजना

593. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में भूगर्भीय जल स्तर पिछले तीन वर्षों में कितना बढ़ा है?

(2) क्या सरकार द्वारा बढ़ते भूजल के फलस्वरूप प्राचीन शहर में होने वाले गम्भीर हानि के निवारण की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में वर्ष 2005 से वर्ष 2008 की अवधि में भू-जल स्तर में 1.55 मीटर (औसतन 0.51 मीटर प्रतिवर्ष) की वृद्धि हुई है।

(2) जी हां। जोधपुर शहर में बढ़ते भू-जल स्तर की समस्या के समाधान हेतु नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना के प्राथमिक चरण में चांदपोल के बाहर की बावड़ी से खरबूजा बावड़ी में डिवाटरिंग कर राइजिंग मेन द्वारा पानी मंडोर में डालने हेतु योजना की स्वीकृति माह अक्टूबर, 2007 में राशि रुपये 226.00 लाख की जारी की गई है।

उक्त योजना माह जून, 2008 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को खनिज लीज आबंटन में प्राथमिकता

594. श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि समथा बनाम आन्ध्रा के मामले को लेक पिछली सरकार द्वारा नये खान आबंटन एवं स्थानान्तरण पर रोक लगाई गई थी? यदि हां, तो क्या वर्तमान में रोक हटा दी गई है? यदि हां, तो कब से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्तमान में कितनी खानें चल रही हैं व कितनी बन्द हैं? रोक हटाने के बाद नये खान आवंटन के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये? क्या सरकार स्थानीय जन जातियों को खान आबंटन में आरक्षण कर प्राथमिकता से खान आबंटित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि उच्चतम न्यायालय के समथा बनाम आन्ध्रा के निर्णय के क्रम में आदेश दिनांक 5.9.2000, 14.9.2000 एवं 18.12.2000 के द्वारा नये खनन पट्टे आबंटन एवं हस्तांतरण पर रोक लगाई गई थी, आदेश दिनांक 5.2.2008 से लगाई रोक हटाई गई। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में प्रधान खनिज के कुल 10 खनन पट्टे प्रभावशील हैं, जिसमें से 3 खनन पट्टे एनवायरमेंट क्लीयरेंस के अभाव में बन्द है। शेष 7 खनन पट्टे चालू हैं। अप्रधान खनिज के कुल 29 खनन पट्टे प्रभावशील हैं। सभी खनन पट्टे चालू हैं। रोक हटाने की तिथि 5.2.2008 को छोड़कर 30 दिन बाद आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं।

अप्रधान खनिज के लिए एम.एम.सी.आर. 1986 के नियमों में, खनिज ग्रेनाइट पालिसी, 2002 में तथा मारबल हेतु मारबल पालिसी, 2002 में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को खान आबंटन में प्राथमिकता/आरक्षण का प्रावधान है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.14(10) खान/ग्रुप-2/99 जयपुर, दिनांक : 5 फरवरी, 2006

आदेश

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.2.1981 में विनिर्दि राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रधान व अप्रधान खनिजों के नवीन खनन पट्टों एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों का अनुदान खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत नियम, 1960 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को किये जाने के सम्बन्ध में विभाग के पत्रांक प. 14(10)खान/ग्रुप-2/99 दिनांक 5.9.2000, 14.9.2000 एवं 18.12.2000 जिसके द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए चेजा पत्थर जैसे गौण खनिजों के नवीन खनन पट्टा, अल्पावधि अनुमति पत्र आदि इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.9.1999 के अनुसार आबंटित करने के अतिरिक्त अन्य को प्रधान व अप्रधान खनिजों के नवीन खनन पट्टों एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों के आबंटन पर प्रतिबन्धित किया गया था, को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है।

उक्त आदेश जारी होने की तिथि को छोड़कर 30 दिवस पश्चात प्रधान व अप्रधान खनिजों के पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र एवं खनन पट्टा अनुदान हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

ह./-

(डा. अशोक सिंघवी)

शासन सचिव

तहसील खींवसर (नागौर) में अवैध खनन

595. डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर की तहसील खींवसर में खनिज लाइम स्टोन के क्षेत्र स्टील ग्रेड व सीमेन्ट ग्रेड हेतु आरक्षित किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं कहां-कहां?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त आरक्षित क्षेत्रों में लाइम स्टोन का अवैध खनन हो रहा है, जिसके कारण न तो सीमेन्ट फैक्ट्रियों के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हो रही है और न ही खनन पट्टे आबंटित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) आरक्षित क्षेत्र में अवैध खनन उपरोक्त तहसील में किन-किन खसरा नम्बरों में हो रहा है?

(4) अवैध खनन करने वालों एवं इसमें लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिन खातेदारों के खेत में अवैध खनन कार्य हो रहा है उनमें कितने खातेदारों के पंचनामें बनाये गये व कितनी खातेदारी निरस्त कराने की कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना प. 4(184)खान/ग्रुप-2/85 दिनांक 9.2.1987 के द्वारा सम्पूर्ण नागौर जिले को एस.एम.एस. ग्रेड चूना पत्थर के भण्डारों का पूर्वेक्षण एवं दोहन राज्य सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा करने हेतु आरक्षित

(खनिज मंत्री)

किया गया था। तत्पश्चात् अधिसूचना दिनांक 25.9.1996 के अनुसार नागौर जिले के चार ब्लाक्स क्रमश: 1, 2, 3, 4 को एस.एम.एस. ग्रेड लाइमस्टोन के पूर्वेक्षण एवं दोहन हेतु यथावत आरक्षित रखा जाकर शेष सम्पूर्ण नागौर जिला मुक्त घोषित किया गया। उक्त चार ब्लाक्स में से ब्लाक संख्या 1 एवं ब्लाक संख्या-4 तहसील खींवसर में आते हैं। अधिसूचना दिनांक 30.11.2000 द्वारा ब्लाक सं. 1 का सम्पूर्ण भाग एवं ब्लाक सं. 4 के आंशिक भाग ब्लाक 4 अ एवं 4 ब सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन की उपलब्धता के आधार पर मुक्त घोषित किये गये। अधिसूचना दिनांक 31.3.2003 से ब्लाक सं. 4 में से ब्लाक 4-एफ एवं 4-डी क्रमश: केमिकल ग्रेड एवं सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन हेतु मुक्त घोषित किये गये। तत्पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 4(184) खान/ग्रुप-2/85 दिनांक 1.2.2007 से ब्लाक सं. 4-जी केमिकल ग्रेड के लिए एवं ब्लाक सं. 4 के शेष बचे सम्पूर्ण भाग को सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन के खनन पट्टे आबंटित करने हेतु रिक्त घोषित किया गया। उक्त अधिसूचना से यह स्पष्ट हो गया कि तहसील खींवसर में एस.एम.एस. ग्रेड लाइमस्टोन की उपलब्धता नहीं है। तत्पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 7.3.2007 से अधिसूचना दिनांक 1.2.2007 को विड्रा किया जाकर अधिसूचना दिनांक 8.6.2007 से ब्लाक सं. 4 में से ब्लाक सं. 4-जी-I एवं 4-जी-II सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु मुक्त घोषित किये गये।

(2) यह सही है कि आरक्षित क्षेत्रों में लाइमस्टोन की उपलब्धता सतह पर होने से स्थानीय लोगों द्वारा यदाकदा खनिज लाइमस्टोन का अवैध खनन किया जाता है। किन्तु यह सही नहीं है कि अवैध खनन के कारण सीमेन्ट फैक्ट्रियों के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं हो रही है एवं खनन पट्टे आबंटित नहीं हो रहे हैं। जब तक आरक्षित क्षेत्रों को पुन: अनुदान हेतु मुक्त घोषित नहीं किया जाता खनन पट्टे स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

(3) आरक्षित क्षेत्र में अवैध खनन उपरोक्त तहसील के खसरा नं. 108, 205, 202, 155, 1186/157, 157/1, 1197/658, 50, 109, 57, 88, 58, 104, 652, 157, 105, 650, 205/1225, 1218/205, 1198/200, 395, 583, 668, 112, 51, 654, 658, 607, 58/1, 110, 49, 1225/205, 1430 व 1380 में अवैध खनन होना पाया गया था।

(4) अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम न्यायालय में इस्तगासे दायर करवाये गये हैं। सम्बन्धित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। अवैध खननकर्ताओं से पेनल्टी राशि वसूली गई है। इसके अलावा समय-समय पर राजस्व विभाग के साथ संयुक्त बैकिंग की कार्यवाही की गई एवं कार्यालय खनि. अभियन्ता, नागौर के तकनीकी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा पुलिस विभाग के साथ अवैध खनन की चैकिंग की गई है एवं अवैध खनन की

(खनिज मंत्री)

रोकथाम हेतु अप्रैल, 2006 से अगस्त 2006, सितम्बर, 2006 से नवम्बर 06 एवं 20.5.2007 से 26.5.2007 तक की अवधि में विशेष अभियान भी चलाये गये हैं। इसके अलावा निदेशालय उदयपुर के खनि अभियन्ता (सतर्कता) द्वारा खींवसर तहसील में अवैध खनन की जांच हेतु दिनांक 20.12.2006 एवं 21.12.2006 को तकनीकी स्टाफ के साथ निरीक्षण किया है। इस सम्बन्ध में पिछले पांच वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	अवैध खनन/ निर्गमन के मामले	शास्ती वसूली रु.	औजार जब्त	एफ.आई. आर.	कोर्ट इस्तगासे
2002-03	94	244010	29	3	9
2003-04	50	79600	35	—	5
2004-05	42	97480	49	—	7
2005-06	21	134790	15	—	1
2006-07	23	93200	27	3	—
2007-08	41	194700	14	—	13

इसके अलावा तहसील खींवसर में स्थित तीन खनन पट्टेधारियों के विरूद्ध अवैध खनन एवं निर्गमन के प्रकरण पाये जाने पर तीनों ही खनन पट्टों को नियमानुसार खण्डित करने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जा रही है। अवैध खनन करने वाले खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त किए जाने बाबत तहसीलदार खींवसर एवं जिला कलक्टर नागौर को समय-समय पर पत्र भिजवाये गये हैं एवं सक्षम न्यायालय में अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध इस्तगासे दायर करवाये गये हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है। चूंकि अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। इसलिए कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) जिन खातेदारों के खेत में अवैध खनन कार्य होना पाया गया है उनमें से 45 मामलों में पंचनामें बनाये जाकर 34 खातेदारों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में इस्तगासे दायर करवाये हैं। इसके अलावा 11 प्रकरणों में खातेदारों को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये हैं। अवैध खनन करने वाले खातेदारों के खातेदारी अधिकार काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177(ए) 63(IV) के तहत समाप्त करने हेतु तहसीलदार खींवसर एवं जिला कलेस्टर, नागौर को समय-समय पर लिखा गया है। प्रकरण सहायक कलक्टर, नागौर के यहां विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा थर्मल पावर प्लांट में हुई चोरी प्रकरण की जांच

596. श्री भरतसिंह (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में निजी सुरक्षा की कितनी एजेन्सियां कार्यरत हैं तथा कितनी एजेन्सियों के पास अनुज्ञापत्र हैं व कितनी बिना अनुज्ञापत्र के कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि निजी सुरक्षा एजेन्सियों में सुरक्षा गार्ड की भर्ती व उनके कामकाज के बारे में नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या-क्या नियम हैं व वास्तव में क्या इन नियमों की पालना की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि बिना लाइसैंस सुरक्षा एजेन्सी चलाना कानून अपराध है? यदि हां, तो अब तक कितनी एजेन्सियों के विरूद्ध बिना लाइसैंस कार्य करने पर कानूनी कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि कोटा थर्मल पावर प्लान्ट में कार्यरत निजी सुरक्षा एजेन्सी के कर्मचारियों की मिलीभगत से चोरी का प्रकरण हाल ही में उजागर हुआ है? यदि हां, तो क्या वे निजी सुरक्षा एजेन्सियां पंजीकृत थी? यदि नहीं, तो उनके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) कोटा शहर पुलिस जिले में कुल 12 निजी सुरक्षा एजेन्सियां हैं इनमें से 11 के पास अनुज्ञापत्र हैं तथा एक एजेन्सी का अनुज्ञापत्र हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है। कोटा ग्रामीण पुलिस जिले में 4 निजी सुरक्षा एजेन्सियां कार्यरत हैं। कोटा जिले में बिना अनुज्ञापत्र कोई भी एजेन्सी कार्यरत नहीं है।

(2) जी हां। राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सियों (विनियमन) नियम-2006 के सुसंगत नियमों की प्रति संलग्न है। नियमों की अवहेलना का कोई प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान में नहीं आया है।

(3) जी हां। अब तक किसी एजेन्सी के विरूद्ध बिना लाइसैंस कार्य करने पर कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी है।

(4) कोटा पावर थर्मल प्लान्ट में कोई निजी सुरक्षा एजेन्सी कार्यरत नहीं है न ही सम्बन्धित थाने पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फलासिया विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड कोटड़ा में पुलिस निरीक्षक पद का सृजन

597. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र, फलासिया के उपखण्ड कोटड़ा में पुलिस निरीक्षक का पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। उपखण्ड कोटड़ा में वृताधिकारी का कार्यालय स्थापित है एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कोटडा थाना प्रभारी का पद पुलिस निरीक्षक स्तर का किया जाना समीचीन नहीं पाया गया है।

थाना आंधी, (जयपुर) में दर्ज प्रकरण संख्या 7/08 की जांच

598. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि थाना आंधी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर अन्तर्गत ग्राम राम्यावाला में दिनांक 11 जून, 2007 को आपसी विवाद के कारण टोपीदार बंदूक से एक बालक घायल हो गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घायल बालक को जख्मी हालत में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था तथा उक्त बालक की सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मृत्यु हो गई थी? यदि हां, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बालक की मृत्यु के पश्चात् भी पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि कोर्ट में इस्तगासा पेश होने के बाद थाना आंधी द्वारा मुकदमा नम्बर 7/08 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 201 के अन्तर्गत दर्ज किया गया था और पुलिस द्वारा मात्र खानापूर्ति करके उक्त घटना को दुर्घटना बताते हुए एफ.आर. लगा दी गयी? यदि हां, तो क्यों? क्या इस्तगासे में प्रस्तुत सभी गवाहों के बयान लिये गये? यदि नहीं, तो क्यों? गवाह देने वाले व्यक्तियों के बयानों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की सी.आई.डी., सी.बी. से पुन: निष्पक्ष जांच करवाकर मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस घटना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विस्फोटक पदार्थ के विस्फोट से बालक घायल हुआ था।

(गृह मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) दिनांक 12.6.2007 को थाना आंधी पर मर्ग एफ.आई.आर. संख्या-2/2007 धारा 174 जा.फौ. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया था।

(4) कोर्ट से इस्तगासा अन्तर्गत धारा 156(3) जा.फौ. प्राप्त होने पर थाना आंधी में मु.नं. 7/2008 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 201 भा.द.सं. में दर्ज किया गया एवं प्रकरण में अनुसंधान के बाद मामला एफ.आर. अदम वकू अकस्मात दुर्घटना में नतीजा दिया जाकर दिनांक 6.2.2008 को न्यायालय ए.सी.जे.(जे.डी.) जे.एम. नं. 1 जयपुर जिला जयपुर में पेश किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण का पुन: अनुसंधान सी.आई.डी. (सी.बी.) द्वारा कराया जा रहा है।

(5) प्रकरण का सी.आई.डी. (सी.बी.) से पुन: अनुसंधान कराया जा रहा है।

(रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भीलवाड़ा जिले में गुर्जर आन्दोलन के दौरान कायम अस्थाई जेलों का लम्बित भुगतान

599. श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गुर्जर आंदोलन के दौरान भीलवाड़ा जिले में बनाई गई अस्थाई जेलों में हुये खर्चो का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कितना भुगतान किस-किस मद में बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त बकाया भुगतान किस मद से व कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(2) खण्ड एक की स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

रावतसर (हनुमानगढ़) में उप-पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना

600. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला हनुमानगढ़ के कस्बा रावतसर मुख्यालय पर नवीन

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के कस्बा थालडका में पुलिस चौकी स्वीकृत करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान।

(2) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर वर्तमान में कस्बा थालड़का में पुलिस चौकी स्थापित करना विचाराधीन नहीं है।

पेशी पर ले जाते समय कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्य-योजना

601. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2007-2008 में पुलिस द्वारा अदालत में पेशी पर ले जाते समय कैदियों/ अपराधियों के भागने की कितनी घटनाएं घटित हुई? क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्य-योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2007 एवं दिनांक 26.2.2008 तक पुलिस द्वारा अदालत में पेशी पर ले जाते समय कैदियों, अपराधियों के भागने की कुल 54 घटनायें घटित हुई हैं।

जी हां। योजना का प्रस्ताव तैयार करवाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा राज सेवकों की संधारित इतिवृत्त पंजिका

602. श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) किसी राज्य सेवक की इतिवृत्ति पंजिका खोलने (हिस्ट्री शीट) के क्या मानदण्ड हैं व क्या इस प्रकार से इतिवृत्ति खोलने से पूर्व राज सेवक के नियोक्ता अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा दिये गए आदेश को पुनरावलोकन हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा भिजवाया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? क्या पुलिस महानिरीक्षक अपने ही आदेश का पुनरावलोकन कर सकते हैं? यदि हां, तो किस आधार पर?

(श्री लालचन्द मेघवाल)

(3) पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर ने दिनांक 1 जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2008 तक पुलिस अधीक्षक बीकानेर को कितने राज सेवकों की इतिवृत्ति पंजिका खोलने के आदेश प्रदान किये व कितनों की अनुपालना की गई व कितनों की अनुपालना नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय के पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा एवं सतर्कता) के पत्रांक 54 दिनांक 2 मार्च, 2006 व यू.ओ. नोट क्रमांक 37114 दिनांक 27 जुलाई, 2006 पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) इतिवृत्ति पंजिका खोलने (हिस्ट्रीशीट) के सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 4 में प्रावधान निहित है। राज सेवक की इतिवृत्ति पंजिका खोलने (हिस्ट्रीशीट) के अलग से कोई मापदण्ड नहीं है। इतिवृत्ति पंजिका खोलने (हिस्ट्रीशीट) से पूर्व राज सेवक के नियोक्ताधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने का कोई प्रावधान उक्त नियमों में नहीं है।

(2) इतिवृत्ति पंजिका खोलना एक प्रशासनिक कार्यवाही है। महानिरीक्षक पुलिस को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के समस्त विधिक अधिकार प्राप्त हैं तथा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अपने आदेश का पुनरावलोकन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है।

(3) पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर ने दिनांक 1.1.2008 से 31.1.2008 तक एक राज सेवक की इतिवृत्ति पंजिका खोलने के आदेश पुलिस अधीक्षक, जिला चूरू को प्रदान किये जिस पर पुलिस अधीक्षक, जिला चूरू ने इतिवृत्ति पंजिका (हिस्ट्रीशीट) पत्रावली खोलने बाबत पुनर्विचार हेतु निवेदन किया। जिस पर तत्कालीन महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर द्वारा इस मामले पर पुनर्विचार कर मामले को दाखिल दफ्तर करने के आदेश प्रदान किए।

(4) कार्यवाही विचाराधीन है।

उपखण्ड भादरा में उप-पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना

603. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के मानदण्ड क्या हैं?

(2) क्या सरकार जिला हनुमानगढ़ के उपखण्ड भादरा पर उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(2) वित्तीय संसाधनों एवं गुणावगुण के आधार पर वर्ष 2008-09 के दौरान भादरा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलना सम्भव नहीं हो सकेगा।

सहायक लोक अभियोजक ग्रेड द्वितीय का पदस्थापन

604. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-2 के कितने पद स्वीकृत तथा कितने रिक्त हैं?

(2) अभी हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कितने सहायक लोक अभियोजकों का चयन किया गया?

(3) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता सूची में से सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-2 का पदस्थापन शेष है? यदि हां, तो इनका चयन/पदस्थापन कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विभाग में वर्तमान में सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के 325 पद स्वीकृत हैं तथा 101 पद रिक्त हैं।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में 96 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी की चयन की सूची विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

(3) जी हां। नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु जारी आदेशों की पालना

605. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनुकम्पा नियुक्ति देने के क्या नियम निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शासन उप सचिव, गृह विभाग, जयपुर द्वारा माह दिसम्बर, 2007 में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कोई आदेश प्रसारित किये गये थे? यदि हां, तो किन-किन के? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों की पालना महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा कर दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(श्री बनवारी लाल)

(4) सरकार अब उक्त आदेशों की पालना में अनुकम्पा नियुक्ति कब तक जारी करवा देगी?

(5) उक्त प्रकरण में विलम्ब के क्या कारण रहे तथा इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी रहे? क्या सरकार उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 प्रचलित है, जिसकी प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) माह दिसम्बर, 2007 में उप शासन सचिव गृह (ग्रुप-1) विभाग द्वारा कार्मिक विभाग की सहमति से 10 प्रकरणों में नियमों में शिथिलीकरण देते हुये अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने हेतु महानिदेशक पुलिस को आदेश प्रेषित किये गये थे। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(3) महानिदेशक पुलिस, राजस्थान अनुकम्पात्मक नियुक्ति के 10 प्रकरणों में से 7 मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने बाबत कार्यवाही की गयी है। शेष 3 प्रकरणों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमशः सर्वश्री गिरिराज सिंह को कनिष्ठ लिपिक पद पर वरियता क्रम से नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही जारी है। कुमारी दीप्ती का प्रकरण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अन्य विभाग में नियुक्ति दिये जाने हेतु कार्मिक विभाग का भेजा जा रहा है तथा श्री नरेन्द्र कुमार की जन्म तिथि 15.4.1991 है, को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमानुसार निर्धारित आयु प्राप्त होने पर नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी।

(4) नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होते ही नियुक्ति आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(5) नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लग रहा है जिसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़े गये बांग्लादेशियों के विरुद्ध कार्यवाही

606. श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अशोक नागपाल)

(1) राजस्थान की सीमा पर पिछले दो वर्षों में कितने बांग्लादेशी पकड़े गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उनमें से कितनों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) सरकार द्वारा उक्त को थानों में रखने की क्या व्यवस्था की गई?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों (2006 व 2007) में राजस्थान की सीमा पर कुल 112 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गये हैं। जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) गत दो वर्षों में राजस्थान की सीमा पर पकड़े गये 112 बांग्लादेशी नागरिकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) सीमा पर अवैध रूप से पाये गये बांग्लादेशियों को थानों में रखने के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है।

परिशिष्ट "क"

पिछले दो वर्षों में राज्य के सीमावर्ती जिलों में पकड़े गये एवं निष्कासित किये गये बांग्लादेशियों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	पकड़े गये बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या	निष्कासित किये गये बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या	विशेष विवरण
1.	जैसलमेर	13	12	गत दो वर्षों में राजस्थान की सीमा पर पकड़े गये कुल 112 में से 92 को भारत से निष्कासित किया जा चुका है। 18 बांग्लादेशी नागरिकों को दिनांक 1.3.2008 को पुशबैक हेतु पुलिस गार्ड के साथ कोलकाता भिजवाया हुआ है। 01 बांग्लादेशी नागरिक की पुराबैक की कार्यवाही जारी है। 01 बांग्लादेशी नागरिक नूर नबी उर्फ नवी उर्फ अब्दुल्ला पुत्र स्व. हबीब उल्ला को श्रीगंगानगर में अवैध रूप से निवास करने, फर्जी राशन कार्ड बनवाने तथा पासपोर्ट बनवाने का प्रयास करने पर मुकदमा नम्बर-25 दिनांक 25.1.2007 धारा 420, 197 भा.द.स. 3/6 आई.पी.पी.आर. 13/14 विदेशी अधिनियम तथा 3/7 ई.सी. एक्ट में दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के दौरान उक्त बांग्लादेशी नागरिक द्वारा कारागार में दिनांक 18.9.2007 को आत्महत्या कर ली गई।
2.	बाड़मेर	25	25	
3.	जोधपुर (ग्रामीण)	01	01	
4.	श्रीगंगानगर	73	54	
	कुल	**112**	**92**	

बारां जिले में चम्बल की दाईं मुख्य नहर से सिंचित क्षेत्र

607. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले की अंता एवं मांगरोल तहसील में चम्बल की दाईं मुख्य नहर से किस-किस ग्राम में कौन-कौन से चक सिंचित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चक्रों में कितनी-कितनी भूमियां कितने-कितने काश्तकारों की हैं? चकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त किस-किस चक को किस-किस ब्रांच, सब-ब्रांच, वितरिका, माइनर या आउटलेट्स से सिंचित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कौन-कौनसा चक टेल क्षेत्र में स्थित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चम्बल की दाईं मुख्य नहर से बारां जिले की अंता तहसील में सिंचित गांवों एवं चकों का विवरण परिशिष्ट- "अ" में पृष्ठ संख्या 1 से 21 तथा मांगरोल तहसील के सिंचित गांवों व चक्रों का विवरण परिशिष्ट- "ब" पृष्ठ संख्या 1 से 20 में वर्णित है।

(2) अंता एवं मांगरोल तहसीलों के चकवार काश्तकारों का विवरण परिशिष्ट "अ" "ब" में वर्णित है।

(3) चम्बल की दाईं मुख्य नहर से बारां जिले की अंता एवं मांगरोल तहसील में ब्रांच, सब-ब्रांच, वितरिका, माइनर एवं आउटलेट्स से सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण आउटलेट सहित परिशिष्ट- "अ" तथा "ब" में वर्णित है।

(4) बारां जिले की अंता एवं मांगरोल तहसील के टेल चक का विवरण परिशिष्ट- "स" में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सिद्धमुख नोहर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण हेतु स्वीकृति

608. चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिद्धमुख नोहर सिंचाई क्षेत्र में निर्माणाधीन पक्के खालों की लागत प्रति हैक्टेयर 10000 रुपये से 13000 रुपये के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार यह स्वीकृति कब तक जारी करने का विचार रखती है?

(चौधरी विनोद कुमार)

(2) स्वीकृति के अभाव में परियोजना क्षेत्र में कितने हैक्टेयर में विकास कार्य अवरुद्ध है एवं कितनी फर्मों की कितनी राशि का भुगतान बकाया है?

(3) सिद्धमुख नोहर परियोजना क्षेत्र में वर्ष 2007-08 का कितना भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है एवं दिनांक 15 फरवरी, 2008 तक कितना भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में केवल 123.67 लाख का भुगतान बकाया है।

(3) सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में वर्ष 2007-08 में 20000 हैक्टेयर का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध माह फरवरी 2008 तक 5208 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण करवाया जा चुका है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार हेतु कार्य-योजना

609. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उसके प्रभावी संचालन के लिये सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? दिशा-निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाने के बाद भी सही आबंटन नहीं किया जा रहा है तथा दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं गलत वितरण आदि को रोकने के लिये प्रभावी ढंग से समयबद्ध तरीके से जांच कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अतिरिक्त राशि की भी वसूली की जाकर एक कोष का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो किस आदेश से तथा विगत 3 वर्षों में इस प्रकार से कितनी राशि एकत्रित की गई तथा उसका किस प्रकार से क्या-क्या उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार निर्धारित प्रक्रिया में सुधार करने के लिये प्रयासरत है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी संचालन के लिए जारी निर्देश परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं, जिसके तहत उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु आबंटन सलाहकार समिति गठित की हुई है। जिला कलक्टर के माध्यम से रिक्त उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमन्त्रित किये जाते है। आवेदकों से प्राप्त आवेदनों पर गठित कमेटी द्वारा साक्षात्कार लिया जाकर बहुमत के आधार पर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाता है। जिला कलक्टर के अनुमोदन पश्चात् चयनित व्यक्ति को प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। इस आदेश/निर्देश की सभी जिलों में पालना सुनिश्चित की जा रही है। इस सम्बन्ध में जारी निर्देश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार अनियमितता एवं गलत वितरण आदि को रोकने के लिए जिला स्तर, तहसील स्तर एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर सतर्कता समिति गठित की गई है। समिति द्वारा प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर विभिन्न स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए आवंटित नियंत्रित वस्तुओं की वितरण व्यवस्था दुकान संचालन पर निगरानी रखती है। जिलों में पद स्थापित प्रवर्तन स्टाफ द्वारा समय-समय पर उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया जाता है, उचित मूल्य दुकान डीलर के द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाये जाने पर दोषी डीलर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाकर उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित/निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त की जाती है। जारी निर्देश की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) जी हां। उपभोक्ता कल्याण कोष के गठन, उद्देश्य एवं जारी आदेश परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(5) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकान आवंटन सम्बन्धी जारी परिपत्र दिनांक 25.1.2006 को संशोधित कर उचित आबंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति/संस्था की पात्रता के बारे में मतभेद होने पर बहुमत द्वारा की गई अभिशंषा के मामलों में निर्णय अब जिला कलक्टर द्वारा स्वयं के स्तर पर लिए जाएंगे इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला रसद अधिकारी, टोंक के विरुद्ध कार्यवाही

610. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरालाल)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 में टोंक के तत्कालीन जिला रसद अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र गर्ग के विरुद्ध राशन डीलरों के अनाधिकृत फायदा पहुंचाने, भ्रष्टाचार व अनियमितताएं करने के आरोप की जांच कराई गई थी? यदि हां, तो किस अधिकारी से?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिला रसद अधिकारी को आरोप पत्र दिया गया है? यदि हां, तो आरोप पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अधिकारी के विरूद्ध जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो जांच में क्या आरोप साबित हुए तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि जांच पूर्ण नहीं हुई तो अब जांच कब तक पूर्ण कर ली जाएगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2007 में टोंक जिले के तत्कालीन जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच नहीं कराई गई।

(2) जी नहीं। तत्कालीन जिला रसद अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र गर्ग को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया।

(3) उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं होने के कारण जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं थी।

जिला रसद कार्यालयों में आरक्षित वर्गों का बैकलाग

611. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत चार वर्षों में विभिन्न संवर्गों में कुल कितने-कितने पद भरे गये एवं इनमें आरक्षित पदों की स्थिति क्या है?

(2) क्या सरकार रिक्त आरक्षित पदों के बैकलाग को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग के अधीन राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं सहायक कर्मचारी वर्ग सम्बन्धी विस्तृत सूचना परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग की अधीनस्थ सेवा में पदौन्नति कोटे में बैकलाग है जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठता सूची पर लगायी गई रोक के हटने पर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित कर बैकलाग पूरा कर दिया जावेगा। प्रवर्तन निरीक्षकों के 25 आरक्षित पदों के बैकलाग को भरने बाबत कार्मिक विभाग के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग को रिक्तियों की सूचना भिजवायी जा चुकी है। मंत्रालयिक वर्ग के पदों को भरने हेतु विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक बुलाये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(सूचना प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भीम विधान सभा क्षेत्र को आबंटित कैरोसिन कोटे में वृद्धि

612. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला राजसमन्द के भीम विधान सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्डधारी हैं?

(2) राशन कार्ड अनुसार कितना केरोसिन आबंटित किया जाता है?

(3) क्या सरकार द्वारा निर्धारित कोटे अनुसार उपभोक्ताओं को केरोसिन आबंटित किया जा रहा है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार वर्तमान कोटे को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द के भीम विधान सभा क्षेत्र में 72758 राशनकार्ड हैं।

(2) केरोसीन का आबंटन डी.बी.सी. गैस सिलेण्डर धारक उपभोक्ता को शून्य, सिंगल गैस सिलेण्डर धारक उपभोक्ता को 2 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड एवं शेष राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक मात्रा में वितरित किया जाता है।

(3) जिला राजसमन्द को प्रतिमाह 696 के.एल. केरोसीन तेल आबंटन किया जा रहा है। जिसमें से भीम विधान सभा क्षेत्र के उपभोक्ता के लिए 174 के.एल. केरोसीन आबंटन किया जा रहा है। केरोसीन का आबंटन डी.बी.सी. गैस सिलेण्डर धारक उपभोक्ता को शून्य, सिंगल गैस सिलेण्डर धारक उपभोक्ता को 2 लीटर प्रति माह प्रति राशनकार्ड एवं शेष राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक मात्रा में वितरित किया जाता है।

(4) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने वाले केरोसीन का कोटा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य को वर्तमान में, भारत सरकार द्वारा 42717 के.एल. केरोसीन तेल प्रतिमाह आवंटित किया जा रहा है,

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

जो राज्य की आवश्यकता से कम है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को 7743 के.एल. अतिरिक्त आबंटन हेतु निरन्तर निवेदन किया जाता रहा है, (परिशिष्ट-1 व 2) किन्तु भारत सरकार द्वारा केरोसीन आबंटन में वृद्धि नहीं की जा रही है (परिशिष्ट-3)

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या-613

(स्थगित)

बारां जिले में कार्यरत राशन डीलर

614. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में कहां-कहां पर राशन की दुकानें संचालित हैं व कहां-कहां पर दुकानों की जगह रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले में रिक्त दुकानों का व्यवस्था कार्य किन-किन डीलर्स को दिया गया है? सूची एवं तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के शहरी क्षेत्र में 74 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 421 कुल 495 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। जिले में कुल 16 उचित मूल्य की दुकानें रिक्त हैं। रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(2) जिले में रिक्त दुकानों की व्यवस्तार्थ कार्य जिन डीलरों को दिया गया है उनकी सूची परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(विववण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा का उन्नयन

615. श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पूर्व स्वीकृत शैयाएं बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। माननीया मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा बजट भाषण 2008-09 में राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा को 325 से 400 शैयाओं में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है।

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

616. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के मानदण्ड क्या हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्तमान में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दो हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार तथा जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्तमान में 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :-

क्र. सं.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
1.	नारेडा
2.	राजनोता
3.	रघुनाथपुरा
4.	गोनेडा
5.	देवता
6.	बनेठी
7.	कल्याणपुरा
8.	शुक्लावास
9.	दातिल
10.	भोनावास
11.	प्रागपुरा
12.	पाछूडाला
13.	बडनगर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार तथा जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली जिले में जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभान्वित महिलाएं

617. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में जननी सुरक्षा के तहत वर्ष 2007-08 में कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी?

उत्तर

(1) पाली जिले में जननी सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2007-08 में दिनांक 29 फरवरी, 2008 तक 19754 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई है अत: इस सम्बन्ध में निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रोत्साहन हेतु व्यय

618. श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक की अवधि में कितने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी औषधालय खोले गये? क्या सरकार और औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितने?

(2) सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सालयों में वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक कितनी औषधियों की आपूर्ति की गई तथा कितनी राशि के उपकरण व यंत्र उपलब्ध करवाये गये?

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक नवीन खोले गये औषधालयों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

<u>वर्ष</u>	<u>औषधालयों की संख्या</u>	
2004-05	आयुर्वेद-	35
	यूनानी-	10
2005-06	आयुर्वेद-	30
	होम्योपैथिक-	35
	यूनानी-	04
2007-08	आयुर्वेद-	30
	होम्योपैथिक-	30
	यूनानी-	10

आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 में 40 नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलना प्रस्तावित हैं।

(2) वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक विभागीय आयुर्वेद औषधालयों को आपूर्ति की गयी औषधियों एवं यंत्र-उपकरण आदि की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	**औषधियां (लाख रु. में)**	**उपकरण यन्त्र (लाख रु. में)**
2004-05	402.30	—
2005-06	595.98	139.39
2006-07	735.86	158.56

शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र के भवन रहित स्वास्थ्य केन्द्र

619. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा कौन से केन्द्रों के भवन नहीं हैं?

(2) क्या सरकार इनके भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं जिसमें से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगरिया एवं कोठिया के भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के अनुरूप निर्मित नहीं हैं।

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगरिया एवं कोठिया के भवन निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रमान्तर्गत नियुक्त नेत्र सहायकों का नियमितीकरण

620. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्र प्रवर्तित योजना) के अन्तर्गत वर्ष 2006 में कितने नेत्र सहायकों को किन नियमों के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई?

(2) क्या यह सही है कि नवें प्लान में राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत टेक्नीकल स्टाफ (नेत्र शल्य चिकित्सक, नेत्र सहायक एवं स्टेट आपथेल्मिक सेल) के सेलेरी सपोर्ट को दसवें प्लान में (मार्च, 2007 तक) लगातार जारी कर दिया गया? यदि हां, तो क्या इन टेक्नीकल पदों का सेलेरी सपोर्ट 11वीं योजना में भी जारी रहेगा?

(3) क्या यह सही है कि 10वीं योजना में नेत्र सहायकों, जिला मोबाइल यूनिट एवं स्टेट आपथेल्मिक सेल के सहायक कर्मचारी जैसे कम्प्यूटर प्रोग्रामर, डाटा एण्ट्री आपरेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेन्ट एवं ड्राइवर का सेलेरी सपोर्ट 10वें प्लान (मार्च, 2007 तक) के लिये ही था?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2006 में नियुक्त केवल नेत्र सहायकों की सेवायें मार्च, 2007 में समाप्त कर दी गई, जब कि स्टेट आपथेल्मिक सेल में कार्यरत सहायक कर्मचारियों को नहीं हटाया गया और न ही जिला मोबाइल यूनिट को बन्द किया गया?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2006 में इन नेत्र सहायकों को प्रोबेशन पीरियड के नियमानुसार 31 मार्च, 2007 तक के लिये नियुक्ति प्रदान की थी? यदि हां, तो मार्च, 2007 के पश्चात् योजना के संचालित रहने की स्थिति में इन नेत्र

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सहायकों की सेवायें क्यों समाप्त कर दी गई? यदि योजना समाप्त करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने कोई निर्देश जारी किये हैं, तो आदेश/निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि सरकार ने संविदा पर रखे चिकित्साकर्मियों को नियमित करने की घोषणा की है? यदि हां, तो क्या सरकार नेत्र सहायकों को भी नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम (केन्द्र परिवर्तित योजना) के अन्तर्गत वर्ष 2006 में 47 नेत्र सहायकों को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 में उल्लेखित भर्ती प्रक्रिया के तहत विज्ञप्ति प्रकाशित कर चयन कमेटी के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की गई।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। स्टेट आप्थेल्मिक सैल में कार्यरत सहायक कर्मचारियों को इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि वे प्रशासनिक सैल में नियुक्त हैं जिन्हें अवसायन (Wind up) की स्थिति में भी काम करना होता है।

मोबाईल यूनिट में पदस्थापित स्टाफ स्थाई एवं नियमित वेतन श्रृंखला का है जब कि नेत्र सहायक को भारत सरकार की सहायता पेटर्न के अनुसार फंक्शनल पोस्ट का वेतन देय है जो मार्च, 2007 तक ही स्वीकृत था।

(5) जी नहीं। नेत्र सहायकों की नियुक्ति दिनांक 31 मार्च, 2007 तक के लिए दी गई थी। यदि इनकी सेवायें 31 मार्च, 2007 के पश्चात् नियमित रहती तो प्रोबेशनल पीरियड का नियम लागू होता।

केन्द्र सरकार के आदेशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(6) राज्य पोषित बजट में कार्यरत संविदा चिकित्सा कर्मियों में से जो उपयुक्त एवं पात्र होंगे, उनकी नियुक्ति सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत होगी।

प्रश्नगत नेत्र सहायक शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम में कार्यरत हैं इसलिए राष्ट्रीय अन्धता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा नेत्र सहायकों को नियमित किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या-621

(स्थगित)

उप स्वास्थ्य केन्द्र जीणवास (दांतारामगढ़) में ए.एन.एम. का पदस्थापन

622. श्री महीपाल यादव (बानसूर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम जीणवास, तहसील दांतारामगढ़ में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत है? यदि हां, तो कब से? क्या यह भी सही है कि इस उपकेन्द्र की स्वीकृति के बाद अब तक ए.एन.एम. को पदस्थापित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार फीमेल नर्स ए.एन.एम. को नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सोनी चिकित्सालय, जयपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

623. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री कार्यालय के निर्देश पर निदेशक, चिकित्सा विभाग द्वारा अक्टूबर, 2006 में सोनी अस्पताल एम.डी. रोड, जयपुर में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण बालिका की मृत्यु की जांच की गई है? यदि हां, तो निदेशक द्वारा प्रस्तुत जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारी को शीघ्र जांच प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया था? यदि हां, तो जांच अधिकारी द्वारा जांच कब प्रस्तुत की गई? मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा जांच अधिकारी को दिये गये आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच अधिकारी द्वारा किस-किस बिन्दु पर जांच की गई? क्या जांच अधिकारी द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के मध्यनजर जांच की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या परिवादी द्वारा पूर्व में की गई जांच से असंतुष्ट होने एवं जांच अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए पुन: जांच हेतु निवेदन किये जाने पर जांच रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों एवं अब जांच अधिकारी द्वारा कब तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जावेगी?

(श्री फतेह सिंह)

(4) क्या यह भी सही है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा संयुक्त निदेशक, चिकित्सा जयपुर जोन, जयपुर को भी उक्त प्रकरण की जांच सौंपी गई थी? यदि हां, तो संयुक्त निदेशक द्वारा क्या परिवादी की शिकायत के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो अब कब तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जांच की प्रति परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) जांच अधिकारी ने दिनांक 10.8.2007 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बालिका मृत्यु की जांच हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। परिवादी की पुन: जांच की मांग के क्रम में विभाग द्वारा 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर शीघ्र जांच के आदेश दिए जा चुके है।

(4) जी हां। जांच रिपोर्ट दिनांक 11.6.2007 को प्रस्तुत की गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

उडेन लघु सिंचाई परियोजना (हिण्डौली) का सर्वे

624. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अन्तर्गत दरा का नया गांव, ग्राम पंचायत डाबेटा की उडेन नदी पर लघु सिंचाई परियोजना का प्रारम्भिक सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे के आधार पर विस्तृत परियोजना सर्वे रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने का निर्देश दिया गया है? यदि हां, तो क्या ये सर्वे रिपोर्ट तैयार हो चुकी है? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त परियोजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों की लगभग कितनी-कितनी भूमि सिंचित होने का अनुमान है और इस लघु सिंचाई परियोजना की प्रस्तावित लागत कितनी होगी?

(3) क्या सरकार इस परियोजना की सत्र 2008-09 में स्वीकृति जारी कर कार्य आरम्भ कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार इस परियोजना से नयागांव डाबेटा, सांभर

(सिंचाई मंत्री)

बाडी, कालपुरिया, विषधारी, कालानाला एवं फलासफनी ग्राम की भूमि सिंचित होगी। गांवों के सिंचित क्षेत्र एवं लागत का अनुमान डी.पी.आर. तैयार होने एवं विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् किया जाना सम्भव होगा।

(3) तकनीकी मापदण्डों के परीक्षण उपरान्त ही परियोजना स्वीकृत किया जाना सम्भव होगा।

वर्षा जल के संरक्षण हेतु कार्य योजना

625. श्री अमराराम (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान की नदियों से वर्षा का कितना घन मीटर पानी प्रतिवर्ष बहकर राज्य के बाहर समुद्र में चला जाता है? ऐसे पानी से कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है एवं कितनी फसल का उत्पादन किया जा सकता है?

(2) क्या सरकार ने वर्षा जल को संग्रहित कर इसके समुचित उपयोग की योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में 50 प्रतिशत विश्वनीयता पर आंके गये कुल जल 21.71 बिलियन क्यूबिक मीटर में से 16.05 बिलियन क्यूबिक मीटर आर्थिक दृष्टि से उपयोग योग्य है, इसमें से 11.23 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपयोग वर्तमान में हो रहा है। शेष रहे 4.82 बिलियन क्यूबिक मीटर जल राज्य की सीमा से बाहर बहकर जा रहा है। यदि इस जल का उपयोग किया जा सके तो राजस्थान में 6.70 लाख हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी और लगभग 13.40 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन सम्भव है।

(2) राज्य में वर्षा जल के उपयोग हेतु विभिन्न जिलों में बांध, एनीकट आदि बनाकर वर्षा जल संग्रहित करने के उपाय किये जा रहे हैं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर वर्षा जल संग्रहण हेतु प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसमें जल के परम्परागत जल संग्रहण के तरीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा सतही जल का उपयोग करने हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित हैं :-

वृहद परियोजनाएं-कालीसिंध, परवन, धौलपुर लिफ्ट, इन्दिरा लिफ्ट, ईसरदा योजनाऐं विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं। मध्यम स्तर की तकली, गागरीन, पीपलाद परियोजनाएं निर्माण के प्रारम्भिक स्तर पर हैं तथा बांडी सेन्दड़ा, सूकली सेलवाडा व गरडदा परियोजनाओं पर निर्माण कार्य पूर्णता पर हैं। मनोहर थाना,

(सिंचाई मंत्री)
राजगढ़ अंधेरी, हथियादेह, ल्हासी सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 100 लघु सिंचाई परियोजनाएं राज्य के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन/ प्रस्तावित हैं जिससे व्यर्थ बहकर जा रहे जल का उपयोग हो सकेगा।

अनुसूचित जाति उत्थान हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

626. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु राशि व्यय करने बाबत पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से अब तक उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध कितनी राशि के विरुद्ध कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध राशि आंशिक रूप से तथा विलम्ब से व्यय की गई? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार शेष राशि को शीघ्र व्यय कर पात्रों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट "1" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से प्राप्त ऋण राशि, अवितरित राशि एवं शुद्ध अग्रिम वितरित की गई राशि का वर्षवार मदवार विवरण परिशिष्ट "2" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त राशि	अवितरित लौटाई गई राशि	वितरित ऋण राशि
1.	2004-05	816.44	169.22	647.22
2.	2005-06	622.70	114.91	507.79
3.	2006-07	274.72	65.43	209.29
4.	2007-08 (जून, 2008 तक)	484.03	07.68	476.35
	योग	**2197.89**	**357.24**	**1840.65**

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

विशेष केन्द्रीय सहायता में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं व्यय राशि निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	गत वर्ष का शेष	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	वर्ष के अन्त में शेष
1.	2004-05	1486.47	2295.68	3782.15	3313.89	468.26
2.	2005-06	468.26	2091.94	2560.20	3675.35	-1115.15
3.	2006-07	-1115.15	4847.05	3731.90	3278.46	453.44
4.	2007-08 (जून, 2008 तक)	453.44	4075.44	4528.88	1961.44	2567.44
	योग		**13310.11**	**14603.13**	**12229.14**	**2373.99**

(3) जी हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ऋण योजनान्तर्गत जिला कार्यालय से ऋणियों की मांग प्राप्त होने पर विभिन्न परियोजनाओं में राष्ट्रीय निगम, नई दिल्ली से राशि की मांग की जाती है। राष्ट्रीय निगम से राशि प्राप्त होते ही शीघ्र ही राशि जिलों को अग्रिम हेतु प्रेषित कर दी जाती है। जिला स्तर पर ऋण की औपचारिकताएं ऋणियों द्वारा पूर्ण करते ही ऋण वितरण कर दिया जाता है। ऋणी द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण नहीं कर पाने या राष्ट्रीय निगम द्वारा ही राशि विलम्ब से प्रेषित करने पर ही ऋण वितरण में विलम्ब होता है।

विशेष केन्द्रीय सहायता मद के अन्तर्गत प्राप्त राशि आगामी वित्तीय वर्ष में भी उपयोग ली जाती है। किसी वर्ष विशेष में केन्द्र से राशि कम प्राप्त होती है जब कि व्यय योजना के अनुसार अधिक हो जाता है। इसका मुख्य कारण केन्द्र सरकार द्वारा मार्च माह के अन्तिम दिनों में स्वीकृति जारी करना रहता है। पिछले वर्ष का अवशेष आगामी वर्ष में उपयोग कर लिया जाता है।

(4) राष्ट्रीय निगम योजनाओं में जिला स्तर पर चयनित समस्त लाभार्थियों की ऋण की सूची राष्ट्रीय निगम को प्रेषित कर दी जाती है। राष्ट्रीय निगम से लाभार्थियों हेतु ऋण प्राप्त होते ही जिला कार्यालयों को सम्बन्धित लाभार्थियों को ऋण वितरण हेतु राशि प्रेषित कर दी जाती है। अत: जिला स्तर पर चयनित समस्त लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा रहा है। अवशेष राशि निर्धारित अवधि में ही उपयोग/लौटाये जाने के प्रावधानों के कारण निगम स्तर पर कोई राशि अवशेष नहीं है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

विशेष केन्द्रीय सहायता मद की शेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष में योजनानुसार व्यय कर दी जाती है। वर्तमान में गत वर्ष की कोई शेष या अनुपयोजित राशि नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका देवगढ़ (राजसमन्द) के अपूर्ण छात्रावास भवन

627. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका देवगढ़ में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावास कब से संचालित हैं?

(2) उक्त छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु कब-कब कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई?

(3) उक्त भवनों का किस एजेन्सी द्वारा निर्माण किया जा रहा है एवं निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?

(4) क्या सरकार समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका देवगढ़ में राजकीय अनुसूचित जाति (स्वच्छकार) बालक छात्रावास वर्ष 1982-83 से तथा अनुसूचित जाति (स्वच्छकार) कन्या छात्रावास वर्ष 2004-05 से संचालित किये जा रहे हैं।

(2) उक्त छात्रावासों में से राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास देवगढ़ के भवन निर्माण हेतु दिनांक 21.12.2004 को 35.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(3) राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, देवगढ़ का भवन निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा भवन का निर्माण कार्य दिनांक 20.2.2008 को पूर्ण हो चुका है।

(4) कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं किये जाने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध संविदा की शर्तों के अनुसार कार्यवाही कर विलम्ब के लिए अंतरिम क्षतिपूर्ति रुपये 1,65,000 काटे गये हैं।

महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं हेतु छात्रावास भवन

628. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं की सुविधा हेतु छात्रावासों की व्यवस्था है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कितनी छात्राऐं इससे लाभान्वित हो रही हैं?

(2) छात्रावासों के सरकारी भवन कितने हैं व निजी भवन कितने हैं?

(3) क्या सरकार सभी छात्रावासों के लिये सरकारी भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं की सुविधा हेतु छात्रावासों की व्यवस्था की जा रही है जिनमें अजमेर छात्रावास में 37, बीकानेर छात्रावास 13, भरतपुर छात्रावास में 16 तथा जोधपुर छात्रावास में 1 छात्रा लाभान्वित हो रही है। जयपुर, उदयपुर, कोटा में छात्रावास स्वीकृत हैं, जिनके छात्रावास भवन निर्माणाधीन होने के कारण इस शैक्षणिक सत्र में छात्रावास प्रारम्भ नहीं हो पाये हैं। जिन्हें अगले सत्र में प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) अजमेर तथा बीकानेर छात्रावास विभाग द्वारा निर्मित राजकीय भवन में संचालित हैं।

जोधपुर छात्रावास अल्पावास गृह के राजकीय भवन में तथा भरतपुर छात्रावास राजकीय कन्या छात्रावास के राजकीय भवन में संचालित है।

उदयपुर, कोटा के छात्रावास भवन फिनिशिंग स्तर पर हैं तथा जयपुर के भवन का मरम्मत कार्य चल रहा है।

वर्तमान में जोधपुर एवं भरतपुर के भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत किये हुए हैं जिनका निर्माण कार्य प्रारम्भ होना है।

(3) जी हां। वर्तमान में अजमेर, बीकानेर सरकारी भवनों में 2 छात्रावास एवं जोधपुर अल्पावास गृह में, भरतपुर राजकीय कन्या छात्रावास के भवन में संचालित हैं तथा 3 जयपुर, उदयपुर, कोटा छात्रावासों के भवन निर्माणाधीन हैं। जिनके कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

भीलवाड़ा जिले में शीत लहर से प्रभावित किसानों को मुआवजा

629. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में शीतलहर की वजह से किन-किन गांवों में किन-किन फसलों में, कितना-कितना नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नुकसान को देखते हुए काश्तकारों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फसल नुकसान का आंकलन रबी की गिरदावरी के माध्यम से जारी है।

(2) जी हां। गिरदावरी कार्य पूर्ण होने पर यदि व्यक्तिगत किसानों का वास्तविक खराबा 50 प्रतिशत या इससे अधिक पाया जाता है तो सहायता राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.2.2008 को घोषित पैकेज के अनुसार किया जावेगा। पैकेज की प्रति संलग्न है।

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक एफ.1(2)(2)आ.प्र. एवं सआ/ओ.वृ./08/1784-1816   जयपुर दिनांक 15.2.2008

समस्त जिला कलक्टर

राजस्थान।

विषय :- शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए सहायता पैकेज।

माह जनवरी व फरवरी, 2008 में राज्य में हुई शीतलहर एवं पाले से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने निम्नानुसार सहायता पैकेज घोषित किया है :-

01. जिन काश्तकारों की बोई गई फसलों का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उनमें सीमान्त कृषकों को अधिकतम एक हैक्टेयर तक तथा लघु एवं वृहत् कृषकों को अधिकतम दो हैक्टेयर तक, कृषि आदान अनुदान निम्न प्रकार देय होगा :-
   असिंचित फसल पर-3000/- रुपये प्रति हैक्टेयर
   सिंचित फसल पर-डीजल इंजन से सिंचित-6000/- रुपये प्रति हैक्टेयर
   बिजली के कुओं व नहर से सिंचित-4000/- रुपये प्रति हैक्टेयर
02. बोई गई फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 4 माह का बिजली का बिल माफ किया जायेगा।

03. जिन गांवों में 50 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान होगा उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर भू-राजस्व स्थगित किया जायेगा तथा अल्पकालीन सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित कर दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा।

04. प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।

05. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए घोषित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार आदान-अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

06. राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जायेगी जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है पर जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान बोई गई भूमि के खातेदार से 5/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार व पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि रबी फसल में पाला एवं शीतलहर से हुए नुकसान की वास्तविक गिरदावरी माह मार्च के प्रथम सप्ताह तक कराकर पैकेज के अनुसार कृषकों को उपरोक्तानुसार सहायता वितरित की जाये। तथा 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा की रिपोर्ट सूखा प्रबन्धन संहिता के प्रपत्र 7 (डी) के अनुसार तैयार करवाकर एवं फसल खराबे की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को पृथक्-पृथक् उपलब्ध कराई जाये, ताकि राज्य सरकार द्वारा इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जा सके। अगर जिले में किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा नहीं हुआ हो तो भी यह सूचना अवश्य भिजवायें कि जिले में किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत व इससे अधिक नुकसान नहीं हुआ है।

ह./-
प्रमुश शासन सचिव
आ.प्र. एवं सहायता

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि प्रभावितों को मुआवजा

630. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्ष 2006-07 में कितनी बार ओलावृष्टि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ओलावृष्टि में कितना खराबा हुआ एवं कितने व्यक्तियों की जान हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त खराबा एवं जान माल की हानि पर सहयोग राशि का भुगतान किया गया? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पीड़ितों को सहायता राशि भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्ष 2006-07 में दिनांक 10.2.2007 को ग्राम धुवालिया, देवगांव, लसाड़िया एवं जूनिया में ओलावृष्टि हुई थी।

(2) उक्त ओलावृष्टि में विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में 328.87 हैक्टयेर भूमि पर फसल खराबा हुआ एवं दो व्यक्तियों की जान गयी।

(3) दिनांक 10.2.2007 को हुई ओलावृष्टि से 328.87 हैक्टयेर का फसल खराबा, व 92 व्यक्तियों के कच्चे व पक्के मकानों की क्षति एवं दो व्यक्तियों की जान जाने पर राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिवार दी गई सहायता राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नदबई विधान सभा क्षेत्र में शीतलहर से प्रभावितों को मुआवजा

631. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नदबई (भरतपुर) क्षेत्र में पाला पड़ने से किसानों की नष्ट हुई फसल का सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो किस क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें। किसानों को नष्ट हुई फसल का मुआवजा कब तक वितरित कर दिया जावेगा?

उत्तर

जी हां। प्राथमिक आंकलन के अनुसार नदबई तहसील में 25 प्रतिशत से कम

(सहायता मंत्री)

नुकसान हुआ है। नियमानुसार रबी फसल की गिरदावरी करवाई गई है। गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज दिनांक 15.2.2008 के अनुसार राहत वितरण की कार्यवाही की जा सकेगी। राहत पैकेज की प्रति संलग्न है।

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक एफ.1(2)(2)आ.प्र. एवं सआ/ओ.वृ./08/1784-1816 जयपुर दिनांक 15.2.2008

समस्त जिला कलक्टर

राजस्थान।

विषय :- शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए सहायता पैकेज।

माह जनवरी व फरवरी, 2008 में राज्य में हुई शीतलहर एवं पाले से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने निम्नानुसार सहायता पैकेज घोषित किया है :-

01. जिन काश्तकारों की बोई गई फसलों का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उनमें सीमान्त कृषकों को अधिकतम एक हैक्टेयर तक तथा लघु एवं वृहत् कृषकों को अधिकतम दो हैक्टेयर तक, कृषि आदान अनुदान निम्न प्रकार देय होगा :-
    असिंचित फसल पर-3000/- रुपये प्रति हैक्टेयर
    सिंचित फसल पर-डीजल इंजन से सिंचित-6000/- रुपये प्रति हैक्टेयर
    बिजली के कुओं व नहर से सिंचित-4000/- रुपये प्रति हैक्टेयर
02. बोई गई फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 4 माह का बिजली का बिल माफ किया जायेगा।
03. जिन गांवों में 50 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान होगा उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर भू-राजस्व स्थगित किया जायेगा तथा अल्पकालीन सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित कर दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा।
04. प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।
05. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए घोषित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार आदान-अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

(सहायता मंत्री)

06. राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जायेगी जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है पर जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान बोई गई भूमि के खातेदार से 5/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार व पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि रबी फसल में पाला एवं शीतलहर से हुए नुकसान की वास्तविक गिरदावरी माह मार्च के प्रथम सप्ताह तक कराकर पैकेज के अनुसार कृषकों को उपरोक्तानुसार सहायता वितरित की जाये। तथा 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा की रिपोर्ट सूखा प्रबन्धन संहिता के प्रपत्र 7 (डी) के अनुसार तैयार करवाकर एवं फसल खराबे की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को पृथक्-पृथक् उपलब्ध कराई जाये, ताकि राज्य सरकार द्वारा इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जा सके। अगर जिले में किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा नहीं हुआ हो तो भी यह सूचना अवश्य भिजवायें कि जिले में किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत व इससे अधिक नुकसान नहीं हुआ है।

ह./-
प्रमुश शासन सचिव
आ.प्र. एवं सहायता

राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र, बापूनगर, जयपुर को आबंटित भूमि

632. प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने बापू नगर, जयपुर में संचालित है? यदि हां, तो कब से और यहां क्या-क्या कार्यक्रम संचालित होते हैं?

(2) क्या उक्त केन्द्र का प्रशासनिक विभाग आयुर्वेद विभाग है? यदि हां, तो इसमें कार्यरत चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? उक्त अनुसंधान

(प्रो. बीरू सिंह राठौड़)

केन्द्र की भूमि किस नाम से दर्ज है? सरकार द्वारा उक्त केन्द्र को भूमि कब, कितनी एवं किस नाम से आबंटित की गई?

उत्तर

(1) राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र, बापूनगर, जयपुर में दिनांक 8.8.1961 से संचालित है। पूर्व में यह केन्द्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन था। दिनांक 1.4.2005 से यह आयुर्वेद विभाग के अधीन है। इस केन्द्र में वर्तमान में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं :-

1. प्रातः 5.00 बजे से 7.30 बजे तक आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि का यौगिक अभ्यास।
2. बहिरंग व अन्तरंग विभाग के माध्यम से यौगिक चिकित्सा।
3. मधुमेह, दमा, उदर-वायुविकार, कब्ज, नजला, मोटापा, उच्च रक्तचाप, कमरदर्द, गठिया आदि विशेष बीमारियों की यौगिक पद्धति से चिकित्सा।

(2) वर्तमान में इस केन्द्र का प्रशासनिक विभाग, आयुर्वेद विभाग है। इस केन्द्र में कार्यरत चिकित्साधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

राज्य सरकार की ओर से प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर, जयपुर को व विनोबा ज्ञान मन्दिर को तीन एकड़ भूमि मुफ्त उपलब्ध करायी गयी थी एवं इस परिसर के आधे हिस्से में राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र दिनांक 8.8.1961 से खोला गया था तथा राज्य सरकार द्वारा इस भवन का निर्माण कराया गया था।

परिशिष्ट-क

राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र, बापूनगर-जयपुर में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	कार्यरत कार्मिक का नाम	अवधि जब से कार्यरत है
1.	योग चिकित्सा अधिकारी	श्रीमती पुष्पा गर्ग	20.6.1981
2.	सहायक योग चिकित्सक	श्री अशोक कुमार उदयवाल	21.1.1986
3.	वरिष्ठ लिपिक	श्री हरिओम पारीक	31.10.2005
4.	नर्स/कम्पाउण्डर	श्री रामअवतार शर्मा श्रीमती उर्मिला देवी	14.7.2005 09.2.2007
5.	परिचारक	श्री कृष्ण कुमार मीणा श्री मोहम्मद नईम श्री प्रहलाद गुर्जर श्रीमती सुशीला देवी	31.10.2005 12.11.2005 31.10.2005 31.10.2005

नोट :-

1. पैथोलोजिस्ट व लेब टेक्नीशियन के एक-एक पद वर्तमान में रिक्त हैं।
2. यौगिक केन्द्र में नर्स/कम्पाउण्डर का एक पद स्वीकृत है किन्तु यहां दोहरा पदस्थापन होने से वर्तमान में दो कार्मिक कार्यरत हैं।
3. परिचारक का एक पद रिक्त है। इस रिक्त पद के विरूद्ध श्रीमती अंजूदेवी को कार्य व्यवस्था की दृष्टि से लगाया हुआ है तथा वे दिनांक 15.9.2007 से कार्यरत हैं।
4. वरिष्ठ लिपिक श्री हरिओम पारीक को कार्य व्यवस्था की दृष्टि से कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग जयपुर में लगाया हुआ है तथा इनके स्थान पर श्रीमती रेणु भार्गव कार्य व्यवस्था से कार्य कर रही हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर का निरीक्षण

633. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पिछले 2 वर्षों से विभिन्न चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अलग-अलग चिकित्सालयों का दौरा किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि इस दौरे में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर का भी दौरा किया गया? यदि हां, तो कब?

(3) उक्त दौरों में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में क्या-क्या अव्यवस्थाएं पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रशासनिक सुधार विभाग का निरीक्षण दल सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति के आकस्मिक निरीक्षण हेतु दिनांक 8.6.2007 एवं 29.11.2007 को वहां गया।

(3) दिनांक 8.6.2007 को अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के अनुरोध पर एवं दिनांक 29.11.2007 को अतिरिक्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर के अनुरोध पर मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया का निरीक्षण होने के कारण प्रशासनिक सुधार विभाग का निरीक्षण स्थगित किया गया।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-299 की सूची)

प्रपत्र-अ

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

क्र. सं.	वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन प्राप्त	बैंकों को भेजे	ऋण प्राप्त कर उद्योग स्थापित कर चुके कामगारों की संख्या
1.	2004-05	98	96	48
2.	2005-06	99	97	72
3.	2006-07	105	102	63
4.	2007-08 (31 जनवरी, 08 तक)	94	92	46 (31 जनवरी, 08 तक)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-301 की प्रति)

प्रपत्र-अ

Government of Rajasthan
Irrigation Department

E3(12)ASI/Cell/96/411-414 Dated: 19/11/2001

The Addl. Secretary com
Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur

The Addl. Chief Engineer,
Irrigation zone,
Jaipur/Udaipur/Kota/Jodhpur

Sub: Estimates for the construction of Minor Irrigation Projects.

Sir,

I am directed to convey Administrative & financial sanction of the Governor to take up construction of Minor Irrigation Projects with estimated cost and B.C. ratio as per enclosed list at Annexure-1 (67 No. projects).

The expenditure will be chargeable to:

4702 - Capital outlay on Minor Irrigation
(Demand No. 46)
101 - Surface water, II - Minor Irrigation Works.
(ii) Work execution.

This bears concurrence & approval of Standing State Level Empowered Committee in its meeting held on 29.9.2001.

Encl: Estimate as per list

Yours faithfully,
Sd/-
Dy. Secretary & TA
To Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur

Annexure-I

List of Schemes sanctioned under Minor Irrigation Works

S. No.	Name of Scheme	Tehsil	District	Estt. Cost in Lac Rs.	B.C. ratio	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Btoli	Mundawar	Alwar	40.07	2.84:1	
2.	Amaka	Thanagaji	Alwar	111.41	2.72:1	
3.	Dhak Wasan	Mundawar	Alwar	35.47	1.59:1	
4.	Nimbaheri	Tijara	Alwar	86.28	1.65:1	
5.	Binorisagar Daxin sagar	Lalsot	Dausa	244.42	1.69:1	
6.	Neezer	Shahpura	Jaipur	77.64	1.567:1	
7.	Gullar	Jaipur	Jaipur	86.11	5.04:1	
8.	Selote	Khetri	Jhunjhunu	34.44	1.89:1	
9.	Bhulanwala	Sawaimadhopur	Sawaimadhopur	47.70	1.73:1	
10.	Mora Sagar	Bamanwas	Sawaimadhopur	78.22	2.36:1	
11.	Raising bund Mansarovar	Khader	Sawaimadhopur	161.00	1.89:1	
12.	Fatehpura	Neemka Thana	Sikar	115.79	1.51:1	
13.	Chiplata	Neemka Thana	Sikar	66.53	1.824:1	

1	2	3	4	5	6	7
14.	Karoi	Srimadhopur	Sikar	37.60	1.53:1	
15.	Karoi	Srimadhopur	Sikar	278.00	1.54:1	
16.	Sawaipura Minor	Danta Ramgarh	Sikar	41.55	1.82:1	
17.	Naya Gaon	Deoli	Tonk	111.00	1.776:1	
18.	Raising of Mandol	Bijojiyan	Bhilwara	107.11	2.18:1	
19.	Shyam Sagar	Mandalgarh	Bhilwara	21.17	1.92:1	
20.	Dhebi Gatta	Mandalgarh	Bhilwara	37.57	1.57:1	
21.	Hanumansagar Debelia	Jahazpur	Bhilwara	88.13	1.51:1	
22.	Gander	Jahazpur	Bhilwara	60.23	1.67:1	
23.	Jastna tank Feeder-1	Kapasan	Chittorgarh	57.83	1.60:1	
24.	Sarsika Naka	Nimbahera	Chittorgarh	279.40	1.54:1	
25.	Guner	Chittorgarh	Chittorgarh	129.98	1.516:1	
26.	Bhawila	Nimbahera	Chittorgarh	288.30	1.50:1	
27.	Bhanwar Pipla	Begun	Chittorgarh	219.42	1.51:1	
28.	Khokhi	Rawatbhata	Chittorgarh	271.78	1.51:1	
29.	Meda Deha	Amet	Rajsamand	79.75	1.5:1	
30.	Mosamsagar	Deogarh	Rajsamand	22.34	1.53:1	

1	2	3	4	5	6	7
31.	Phaliya	Chhipa Barod	Baran	146.45	1.507:1	
32.	Kishanganj Micro Irrigation	Kishanganj	Baran	224.91	1.797:1	
33.	Shahbad	Shahbad	Baran	179.74	2.33:1	
34.	Bedra	Shahbad	Baran	45.00	1.78:1	
35.	Ahmedi	Kishanganj	Baran	279.00	1.56:1	Subject to forest clearance
36.	Naveli	Shahbad	Baran	199.20	2.54:1	Subject to forest clearance
37.	Talwara	Manoharthana	Jhalawar	73.66	1.52:1	
38.	Kanwati Kheri	Manoharthana	Jhalawar	51.40	1.57:1	
39.	Ramgarh	Khanpur	Jhalawar	121.00	1.51:1	
40.	Thikria	Pachpahar	Jhalawar	154.39	1.51:1	
41.	Taj ka Kheda	Pachpahar	Jhalawar	134.00	1.61:1	
42.	Akawad	Khanpur	Jhalawar	70.27	1.69:1	
43.	Gulendi	Aklera	Jhalawar	1346.33	1.54:1	
44.	Kalikhar	Manohar Thana	Jhalawar	1409.00	1.868:1	
45.	Semli Chaohan	Pirawa	Jhalawar	123.54	1.532:1	
46.	Anwa	Sangod	Kota	110.05	2.15:1	
47.	Kishorpura minor irrigation project	Sangod	Kota	100.48	1.86:1	
48.	Sadpura	Sangod	Kota	111.10	2.02:1	

1	2	3	4	5	6	7
49.	Danta	Sangod	Kota	98.88	4.15:1	
50.	Gudanal-II	Siwana	Barmer	27.43	1.54:1	
51.	Danlwara	Raniwara	Jalore	26.50	2.05:1	
52.	Karwara	Raniwara	Jalore	26.67	1.62:1	
53.	Rajpura	Bhinmal	Jalore	32.55	1.88:1	
54.	Meda Uparla	Jalore	Jalore	39.87	2.39:1	
55.	Bhetala	Jalore	Jalore	34.28	1.61:1	
56.	Kollar	Jalore	Jalore	43.36	2.20:1	
57.	Raji ka Bas	Bhinmal	Jalore	83.60	2.1:1	
58.	Santru	Raniwara	Jalore	20.32	2.81:1	
59.	Dhumara Mata	Ahore	Jalore	39.25	1.54:1	
60.	Uchmat	Bhinmal	Jalore	19.85	2.40:1	
61.	Palari	Nawa	Nagaur	76.85	1.54:1	
62.	Mataji ka Bala II	Degana	Nagaur	19.83	2.069:1	
63.	Gangajali	Pindwara	Sirohi	179.66	2.11:1	
64.	Panch Deval	Reoda	Sirohi	216.48	1.52:1	
65.	Varal	Sirohi	Sirohi	180.30	1.52:1	
66.	Fatkeshwar	Pindwara	Sirohi	29.43	3.21:1	
67.	Moras	Pindwara	Sirohi	130.72	2.00:1	

प्रपत्र-ब

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, सवाईमाधोपुर

क्रमांक :-अके./स.मा. 2500 दिनांक :- 8.7.2002

मै. कृष्णा एन्टरप्राइजेज,

257, मालवीया अपार्टमेन्ट, सरदार पटेल मार्ग,

सी-स्कीम, जयपुर-302 001

विषय :- टेण्डर फार दी वर्क आफ रैजिंग ब्रांच, मानसरोवर तह. खण्डार जिला-सवाईमाधोपुर।

प्रसंग :- आपकी निविदा दिनांक 24.5.2002 एवं संधि चर्चा पर दिनांक 5.7.2002।

महोदय,

आप द्वारा उपरोक्त कार्य की प्रस्तुत न्यूनतम संधि वार्ता दर 19.51 प्रतिशत अधिक "जी" अनुसूची राशि 1,43,00,780/- कुल राशि रु. 1,70,90,862/- (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख नब्बे हजार आठ सौ बासठ मात्र) मुख्य अभियन्ता सिंचाई राज. जयपुर के पत्र क्रमांक मुअसिं/लेखा./एफ.225/2002-03/3103 दिनांक 6.7.2002 द्वारा बिना किसी शर्त के स्वीकार कर ली गई है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त विषयांकित कार्य सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड सवाईमाधोपुर के निर्देशन में प्रारम्भ करें और निर्धारित समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुए 10 (दस) माह में पूर्ण करें। कृपया ध्यान रखें कि "जी" अनुसूची में वर्णित कार्यों की मात्रा से अधिक एवं "जी" अनुसूची के अतिरिक्त कार्य बिना निम्न हस्ताक्षरकर्ता की एवं सक्षम स्वीकृति के सम्पादित नहीं करें। इस कार्य हेतु आपको अनुबन्ध संख्या 21/2002-03 आबंटित किया जाता है। इस कार्य से सम्बन्धित भविष्य में पत्राचार के लिए अनुबन्ध संख्या का सन्दर्भ अंकित करें।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना भिजवायें।

1. कार्य प्रारम्भ करने की निर्धारित दिनांक 18.7.2002
2. कार्य पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 17.5.2003
3. अनुबन्ध सं. 21 वर्ष 2002-03

ह./-
अधिशाषी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड सवाई माधोपुर
राजस्थान राज्य के राज्यपाल की ओर से

Stipulated date of commencement 8-6-2002
Stipulated date of completion 7-8-2002
Agreement no. 08/2002-03

Yourst faithfully,
Executive Engineer,
Irrigation Division,
Sawai Madhopur
on behalf of the Governor
of the State of Rajasthan.

Regd. A.D.

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER IRRIGATION DIVISION SAWAI MADHOPUR

No. Ad. SWM 1455 Dated :- 27.5.2002

To,

Sh. Jalaluddin Contractor

Sub :- Tender for the work of Repair of Slwice fund Mansarowar.

Ref :- Your tender dated 13.5.2002 and negotiation dated 17.5.2002.

Dear sir,

Your above tendered rate @19.51% above. 'G' schedule amounting to Rs. 3,65,469=00 (Rs. Three Lacs Sixty Five thousand Four hundred Sixty nine) only without conditions for the aforementioned work has been accepted by the undersigned on behalf of the Governor of the State of Rajasthan. Please start the work under the instructions of the Asstt. Engineer, Irrigation Sub Division Sawai Madhopur and complete the same within a period of 2 (two) months. The stipulated date of commencement of the work shall be recekoned from the 10th day after the date of order.

This letter of acceptance together with contract documents constitutes an agreement. Agreement No. 08/2002-03 is assigned for this work. In future all correspondence relating to this work may be made quoting the Agreement No. & year.

Please note that no excess/over work be executed without prior permission of the undersigned. Please acknowledge receipt of this letter.

Stipulated date of commencement 8.6.2002
Stipulated date of completion 7.8.2002
Agreement No. 08/2002-03

Your Faithfully,
Sd./-
Executive Engineer,
Irrigation Division,
Sawai Madhopur.
On behalf of the Governor of the State of Rajasthan

1. Superinten Engineer, Irrigation Circle, Jaipur.

2. Asstt. Engineer, Irrigation sub Division Sawai Madhopur alongwith photocopy of "G" schedule with the instructions that no excess/over work be got executed without prior permission of the undersigned.

3. J. En.____________________alongwith photocopy of "G" schedule.

4. Executive Engineer, Quality Control Division, Opp. M.R.E.C. J.L.N., Marg, Jaipur alongwith photocopy of "G" Schedule.

Encl. Photocopy of "G" Schedule

Executive Engineer,
Irrigation Division,
Sawai Madhopur.

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-302 की सूचना)

परिशिष्ट-"अ"

नारी निकेतन में स्वीकृत रिक्त पदों का विवरण

नाम पद	स्वीकृत संख्या	रिक्त पद	भरे हुए पद	पदस्थापित कर्मचारी
अधीक्षक	01	01	—	—
सहायक अधीक्षक	01	01	—	—
केयर-टेकर	02	01	01	श्रीमती पार्वती देवी, केयर टेकर

एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त किया गया है।

अपचारी बालिका गृह में स्वीकृत तथा रिक्त पदों का विवरण

नाम पद	स्वीकृत संख्या	रिक्त पद	भरे हुए पद	पदस्थापित कर्मचारी
1	2	3	4	5
अधीक्षक	01	01	—	—
सहायक अधीक्षक/ परियोजना अधिकारी	01	01	—	—
कनिष्ठ लिपिक	02	02	—	—
नर्स/ए.एन.एम.	01	01	—	श्रीमती इन्दुबाला ए.एन.एम. नारी निकेतन बीकानेर का वेतन आहरित किया जा रहा है।
केयर टेकर	01	—	01	गुलाब देवी, केयर-टेकर

1	2	3	4	5
क्राफ्ट टीचर	01	—	01	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	06	06	—	01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/रसोइया संविदा पर एजेन्सी के माध्यम से नियुक्ति किया गया है।
रसोईया	01	01	—	—
चौकीदार	01	01	—	—
विजिटिंग चिकित्सक	01 प्रतिविजिट के आधार पर	—	—	—
विजिटिंग साईक्लोजिस्ट	01 प्रतिविजिट के आधार पर	—	—	—

परिशिष्ट-"ब"

नारी निकेतन बीकानेर में कार्यरत नियमित/प्रतिनियुक्ति/संविदा कर्मचारियों को भुगतान किये गये वेतन का पदवार/माहवार/वर्षवार विवरण

नियमित/प्रतिनियुक्ति कर्मचारी वर्ष 2006-07

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	माह	वेतन राशि रुपयों में
1	2	3	4
1.	श्री राजकुमार भोजक, क. लिपिक, नियमित	मई 2006	7311
		जून 2006	7311
		जुलाई 2006	7311
		अगस्त 2006	7311
2.	पार्वती देवी, केयर-टेकर नियमित	नवम्बर 2006	2372
		दिसम्बर 2006	5228
		जनवरी 2007	5228
		फरवरी 2007	5228
		मार्च 2007	6614
3.	नर्बदा देवी, केयर टेकर नियमित	नवम्बर 2006	1965
		दिसम्बर 2006	6234
		जनवरी 2007	6234
		फरवरी 2007	6234
		मार्च 2007	6977
4.	गुलाब देवी शर्मा, केयर-टेकर नियमित	फरवरी 2007	5514
		मार्च 2007	6545
5.	श्री उमाशंकर प्रजापत, क. लिपिक नियमित	जनवरी 2007	7475
		फरवरी 2007	8444
		मार्च 2007	8977

1	2	3	4
6.	श्रीमती इन्दुबाला महात्मा, ए.एन.एम., नियमित (प्रतिनियुक्ति पर)	फरवरी 2007	11201
		मार्च 2007	11201
वर्ष 2007-08			
7.	पार्वती देवी, केयर-टेकर नियमित	अप्रैल 2007	6614
		मई 2007	6614
		जून 2007	6614
		जुलाई 2007	6614
		अगस्त 2007	6887
		सितम्बर 2007	7265
		अक्टूबर 2007	7265
		नवम्बर 2007	7265
		दिसम्बर 2007	6545
8.	नर्बदा देवी, केयर-टेकर नियमित	अप्रैल 2007	6977
		मई 2007	6977
		जून 2007	6977
		जुलाई 2007	6977
9.	गुलाब देवी शर्मा, केयर-टेकर नियमित	अप्रैल 2007	6545
		मई 2007	6545
		जून 2007	6545
		जुलाई 2007	6545
		अगस्त 2007	6545
		सितम्बर 2007	6545
		अक्टूबर 2007	6545

1	2	3	4
		नवम्बर 2007	6545
		दिसम्बर 2007	6545
10.	श्रीमती इन्दुबाला महात्मा, ए.एन.एम., नियमित (प्रतिनियुक्ति पर)	अप्रैल 2007	11201
		मई 2007	11201
		जून 2007	11201
		जुलाई 2007	11201
		अगस्त 2007	11662
		सितम्बर 2007	10986
		अक्टूबर 2007	11034
		नवम्बर 2007	11034
		दिसम्बर 2007	11034
		कुल योग	**389965**

संविदा पर कार्यरत कर्मचारी

वर्ष 2004-05

1.	जयनारायण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	जनवरी 2005 से फरवरी 2005	12240
2.	जयपाल सिंह संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
वर्ष 2005-06			
3.	जयनारायण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	मार्च 2005 से अगस्त 2005	42427
4.	जयपाल सिंह संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		

5.	जयनारायण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	सितम्बर 2005	8413
6.	जयपाल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
7.	जयपाल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	अक्टूबर 2005 से नवम्बर 2005	16768
8.	कल्याण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
9.	जयपाल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	दिसम्बर 2005 से जनवरी 2006	16548
10.	कल्याण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
वर्ष 2006-07			
11.	जयपाल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	फरवरी 2006 से मई 2006	33316
12.	कल्याण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
13.	जयपाल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	जून 2006 से जुलाई 2006	16548
14.	कल्याण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
15.	जयपाल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	अगस्त 2006	7516
16.	कल्याण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
17.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		

18.	कल्याण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	सितम्बर 2006	7516
19.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
20.	कल्याण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	अक्टूबर 2006 से नवम्बर 2006	15032
21.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
22.	कल्याण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	दिसम्बर 2006	7736
23.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
24.	कल्याण सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	जनवरी 2007 से फरवरी 2007	15318
25.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
26.	रघुवीर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
वर्ष 2007-08			
27.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	मार्च 2007 से मई 2007	23489
28.	रघुवीर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
29.	तौल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		

30.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	जून 2007 से अगस्त 2007	23219
31.	तौल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
32.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	सितम्बर 2007	7910
33.	तौल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
34.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	अक्टूबर 2007	7654
35.	तौल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
36.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	नवम्बर 2007	7654
37.	तौल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
38.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	दिसम्बर 2007	7910
39.	तौल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
40.	गिरवर सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड	जनवरी 2008	7910
41.	तौल सिंह, संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड		
		कुल योग	**285124**

परिशिष्ट "स"

नारी निकेतन हेतु आबंटित तथा व्यय बजट की सूचना

क्र. सं.	मद	वर्ष							
		2004-05		**2005-06**		**2006-07**		**2007-08 31.1.2008 तक**	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1.	संवेतन	1.30	—	12.00	—	5.36	0.67	1.50	1.50
2.	यात्रा व्यय	0.006	—	0.15	—	0.30	—	0.02	0.00
3.	चिकित्सा व्यय	0.004	—	0.20	—	0.40	0.03	0.01	0.00
4.	कार्यालय व्यय	0.09	0.089	1.20	0.55	1.00	0.87	1.40	0.49
5.	भोजन वस्त्रादि	1.30	—	3.50	—	3.05	—	0.20	0.00
6.	विविध व्यय	2.50	1.82	—	—	0.64	0.41	0.20	0.00
7.	संविदा व्यय	—	—	1.00	0.84	—	—	8.00	0.93
	कुल योग	**5.20**	**1.909**	**18.05**	**1.39**	**10.75**	**1.98**	**11.33**	**2.92**

अपचारी बालिका गृह हेतु आबंटित तथा व्यय बजट की सूचना

क्र. सं.	मद	वर्ष							
		2004-05		**2005-06**		**2006-07**		**2007-08 31.1.2008 तक**	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1.	संवेतन	0.60	—	8.00	—	0.50	0.29	5.40	2.10
2.	यात्रा व्यय	0.006	—	0.10	—	0.07	—	0.20	-
3.	चिकित्सा व्यय	0.004	—	0.15	—	0.15	0.07	0.15	0.94
4.	कार्यालय व्यय	0.09	0.089	1.10	0.22	0.05	0.05	1.33	0.18
5.	भोजन वस्त्रादि	0.70	—	1.50	—	-	-	1.00	-
6.	विविध व्यय	2.00	1.14	—	—	-	-	-	-
7.	संविदा व्यय	—	—	1.00	-	-	—	1.60	2.21
	कुल योग	**3.40**	**1.229**	**11.75**	**0.22**	**0.75**	**0.474**	**9.68**	

परिशिष्ट "द"

नारी निकेतन बीकानेर में पानी-बिजली पर हुए व्यय का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	मद	भुगतान की गई राशि	माह
1.	2004-05	पानी बिजली	—	
2.	2005-06	पानी बिजली	—	
3.	2006-07	पानी	1446 डिमाण्ड नोट 2200 मीटर क्रय	फरवरी 07 फरवरी 07
		बिजली	15500 डिमाण्ड नोट 12896 बिल माह दिसम्बर 06 व जनवरी 07	दिसम्बर 06 फरवरी 07
4.	2007-08	पानी	1545 पानी का बिल माह नवम्बर 07 व दिसम्बर 07	जनवरी 08
		बिजली	46148 बिजली बिल फरवरी 07 से दिसम्बर 07	जनवरी 08
			4457 बिजली बिल जनवरी 08	फरवरी 08
		कुल योग	**84212**	

परिशिष्ट-4

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

रायपुर की ढाणियों को राजस्व गांव बनाने के सम्बन्ध में

मान्यवर,

उपयुक्त विषयान्तर्गत पाली जिले में रायपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में बंटे हुए हैं और दूरदराज मगरा क्षेत्र में बड़ी-बड़ी ढाणियों में बसे हुए है। पिछले 8 वर्ष से इन ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने के लिए प्रयत्नशील रहा हूं। पहले परिसीमन प्रक्रिया के कारण इस पर रोक थी। परन्तु परिसीमन का कार्य पूरा हो जाने के बाद भी इन बड़ी ढाणियों को राजस्व गांव में नहीं बदला जा रहा हैं तहसीलदार रायपुर ने 18/8/2005 को पंचायत समिति रायपुर को पंचायतों के प्रस्ताव भेजने के प्रस्ताव भेजे। परन्तु पौने तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तहसील रायपुर में गांव कोटकिराना में भैठकासिका, राका बाडिया, समेल, धुकलपुरा तथा बगड़ी पंचायत में बिन्दिया ढाणी पंचाणपुरा में तालाब का बाडिया तथा सोइणा बाडिया ग्राम बूटीवास में आणेरी बाडिया, ग्राम सिताड में छापरिया बाडिया, ग्राम रायपुर में कपूरडी बाडिया, लक्की तालाब व मादेलाव की ढाणी तथा अन्य बड़ी ढाणियों को राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव लम्बे अर्से से विचाराधीन हैं किन्तु प्रशासन के उदासीनता के कारण ये क्षेत्र राजस्व गांव नहीं बन रहे हैं और उस क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं।

पंचायत समिति रायपुर पाली में सर्वसम्मत प्रस्ताव करके प्रशासन को रायपुर तहसील क्षेत्र में बड़े ग्रामों में से इन ढाणियों की आबादी को अलग कर नये राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव जिला कलक्टर पाली को भेज दिए गये हैं। जब पंचायत समिति का सर्वसम्मत प्रस्ताव है तब ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है क्योंकि हर सरपंच समिति का सदस्य है इसलिए रायपुर विधान सभा क्षेत्र के जिन-जिन ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया विचाराधीन हैं उन्हें तुरन्त राजस्व ग्राम घोषित किए जाये।

सी.डी. देवल

(रायपुर)

डाबला (सीकर) से सिघाना (झुन्झुनूं) मेगा हाइवे निर्माण बाबत

महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि डाबला (सीकर) जो कि हरियाणा बार्डर पर स्थित राजस्थान की सीमा का अन्तिम छोर का

ग्राम है यहां से पहले खेतडी कापर काम्पलेक्स द्वारा रेल लाइन का निर्माण सिघाना तक किया गया था। अब उक्त रेल पटरी को उखाड़ दिया गया है तथा रेल पटरी की ट्रेक बनी हुई हैं उपाध्यक्ष महोदय मैंने गत बजट सत्र में भी सरकार का ध्यान आकर्षण किया था कि उक्त ट्रेक पर यदि मेगा हाइवे रोड़ बना दिया जाये तो खेतड़ी सिघाना झुन्झुनूं सीधा नेशनल हाइवे नं. 8 से वाया पाटन जुड़ जाता है और अब वर्तमान में जयपुर दिल्ली रोड का सम्पर्क नागंल चौधरी नीजामपुर रोड होता हुआ है। जिसमें हर यात्री को हरियाणा सीमा से होकर खेतड़ी-सिघाना झुन्झुनूं जाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, उक्त सड़क अब चूंकि पाटन से जबला थ्रोरूट में 5.50 मी. चौड़ाई की स्वीकृति हो चुकी है। सिर्फ डाबला से रेलवे ट्रेक पर मेगा हाइवे बनाने से जयपुर से सिघाना खेतडी हाइवे नं. 8 रोड का कम दूरी का रास्ता बन सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त रोड का सर्वे भी हो चुका है इसमें से सिघाना की दूरी 20 किमी. कम हो जायेगी और मेरे क्षेत्र को भी 10 ग्राम पंचायतों को मेगा हाइवे से लाभ मिलेगा तथा हरियाणा सीमा से बिना प्रवेश जयपुर का सफर तय हो सकेगा।

अत: निवेदन है कि शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा करें।

दाताराम गुर्जर

सादर! (खेतड़ी)

सीकर जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग कर रहा हूं कि राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्थान तय किया जाना है एवं राज्य सरकार इसके लिए कई शहरों में जमीन की तलाश में जुटी हुई है तो मेरा निवेदन यह है कि नेशनल हाइवे नम्बर 11 पर स्थित सीकर जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। सीकर एवं शेखावाटी क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता एवं छात्र-छात्राएं सीकर मुख्यालय पर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु काफी समय से मांग भी कर रहे हैं एवं इसको लेकर जनआंदोलन खड़ा होने की स्थिति बन रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में परची के माध्यम से मेरे द्वारा यह विषय उठाये जाने पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना पर

कार्यवाही की जायेगी। मेरा आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह है कि राज्य में स्थापित किया जाने वाला नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय सीकर जिला मुख्यालय पर ही स्थापित किया जाय, इस हेतु सीकर-झुन्झुनूं मार्ग पर कटराथल के जोहड़े में पर्याप्त एवं समुचित भूमि उपलब्ध है, तथा सीकर मुख्यालय पर सालासर रोड पर नेहरू पार्क के आगे लगभग एक हजार बीघा सरकारी भूमि उपलब्ध है जो जयपुर-बीकानेर बाइपास के नजदीक है एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के मानदण्डों पर खरी उतरने वाली उपलब्ध है। साथ ही सीकर जिला मुख्यालय राजधानी जयपुर से मात्र 110 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है एवं शेखावाटी क्षेत्र की ह्रदयस्थली है एवं दिल्ली से भी सीधे जुड़ा हुआ है। अतएव मैं पुन: आपके माध्यम से राज्य सरकार से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि चूंकि जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय है, जोधपुर में तकनीकी शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय भी है, कोटा में आईआईटी स्थापित की जा रही है तथा तकनीकी विश्वविद्यालय है, अजमेर में भी महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय कार्यरत है, इस प्रकार आजादी के साठ सालों तक भी पूर्ववर्ती कांग्रेसशासित सरकारों ने शेखावाटी क्षेत्र के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, परन्तु मैं पूर्णत: आशान्वित हूं कि यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शेखावाटी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय सीकर जिला मुख्यालय पर स्थापित करने का निर्णय लेकर शेखावाटी क्षेत्र की जनता को अपना मुरीद बनायेगी एवं क्षेत्रीय संतुलन कायम करेगी।

धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

केसरदेव बाबर

(लक्ष्मणगढ़)

प्रशिक्षण प्राप्त सिंचाई पटवारियों को प्राथमिकता के आधार पर पटवारी के पद पर नियुक्ति दिलाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सिंचाई विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त पटवारियों की नियुक्ति का प्रकरण विचाराधीन है किन्तु अधिकारियों द्वारा अब तक टालमटोली की जाकर उनकी नियुक्ति नहीं दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने पर न्यायालय ने 53 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्णय दिनांक 1.11.2004 को दिया किन्तु आज दिन तक उक्त अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है जो कि उनके साथ अन्यायपूर्ण है।

अत: मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से माननीय मंत्री राजस्व जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अविलम्ब कार्यवाही की जाकर पीड़ितों को अविलम्ब न्याय दिलाया जाना चाहिए।

रणधीरसिंह भीण्डर

(वल्लभनगर)

जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन पूर्व से बसी कालोनियों को लीज डीड जारी करने बाबत

महोदय,

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व तत्कालीन अतिरिक्त कलक्टर (कृभुरु) जयपुर द्वारा विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवासीय कालोनियों को वैध/अवैध रूप से बसाये जाने पर नियमानुसार लीज डीड जारी की है। किन्तु जविप्रा के गठन पश्चात् तत्कालीन सरकार द्वारा (कृभुरू) के अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये जाने के बाद से अभी तक जविप्रा द्वारा नियमित आवासीय कालोनी में शेष रहे आवासीयों को पट्टा विलेख जारी करने बाबत कोई कैम्प नहीं लगाया गया है जब कि इस तरह लगभग 3022 पत्रावलियां हैं जिसमें लगभग 50000 आवासीयों को पट्टा विलेख जारी किया जाना है। उल्लेखनीया है कि उक्त आवासीय कालोनी का समस्त रिकार्ड जिला कलक्टर जयपुर द्वारा जविप्रा को प्रेषित भी किया जा चुका है।

अत: मैं सदन से मांग करता हूं कि उपरोक्त निर्णित पत्रालियों में सम्बन्धित आवासीय योजना में शेष रहे आबंटियों को लीज डीड जारी करने बाबत आवश्यक कैम्प लगाया जावे ताकि नियमन सम्बन्धी राहत मिल सके तथा राजस्व आय में वृद्धि हो सके।

प्रो. बीरू सिंह राठौड़

(बनीपार्क)

पाली जिले के कुछ बांधों की भराव क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में

महोदय,

विगत कुछ वर्षों में पाली जिले के अनेक बांध लबालब भर गए तथा ओवर फ्लो होकर पानी व्यर्थ बहा था। आज उन बांधों में पानी की पर्याप्त आवक को देखते

हुए इन बांधों की भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। हेमावास बांध की कुल भराव क्षमता 28 फीट आंकी जाती है, लेकिन उसमें प्रारम्भ के 12 फीट मिट्टी भर गई है। जिससे बांध की भराव क्षमता घट गई है। जल संसाधन विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा है कि केवल 20 करोड़ रुपये खर्च करने पर इस बांध की भराव क्षमता दो फीट बढ़ाई जा सकती है। जिससे 20 लाख हैक्टर में अतिरिक्त सिंचाई का लाभ मिल सकता है तथा 2 लाख जनसंख्या को पेयजल सुलभ कराया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार एन्दला बांध पूरा भरने पर भी पानी व्यर्थ बहकर जाता है।

अत: जनता की मांग पर इसे 2 फीट ऊंचा उठाने के लिए विभाग ने 1 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा है। जिसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे न केवल सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ेगा अपितु क्षेत्रीय जनता को पेयजल भी सुलभ होगा।

मान्यवर एक बांध, बाला की ढाणी बांध के नाम से आया हुआ है, उसे भी 2 फीट ऊंचा उठाया जाना चाहिए। विभाग के तकमीना के अनुसार इस पर मात्र 1 करोड़ 50 लाख की राशि खर्च आने की सम्भावना दर्शाई है, लेकिन इससे 2000 हैक्टर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। अत: इसे भी स्वीकृत किये जाने का निवेदन है।

ठीक इसी प्रकार बाणियावास बांध व बोमादड़ा फीडर को भी अपग्रेड किया जाना चाहिए। बाणियावास बांध के सुदृढ़ीकरण हेतु विभाग ने 1.43 करोड़ व बोमादड़ा फीडर के रेस्टोरेशन हेतु 80 लाख का तकमीना भेजा है, जिसे स्वीकार करने का निर्देश देकर मुझे व क्षेत्रीय जनता को कृतार्थ करावें।

धन्यवाद।

मदन राठौड़
(सुमेरपुर)

स्टेट मिडिल बोर्ड का मुख्यालय भीलवाड़ा में स्थापित करने बाबत

भाजपा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान के विकास के नये आयाम कायम किये जा रहे हैं। प्रदेश में गुणवत्ती शिक्षा हेतु सरकार ने आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा हेतु पूर्व की भांति मिडिल बोर्ड के गठन का निर्णय लेकर क्रान्तिकारी कदम उठाया इसके लिये बधाई।

स्टेट मिडिल बोर्ड स्थापना के लिये सरकार सभी बातों को जिसमें भौगोलिक, ऐतिहासिक, यातायात, व्यवसाय, औद्योगिक शांति, सुरक्षा, राजस्व प्राप्ति, जनमत शिक्षा प्रचार-प्रसार, शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या तथा मुख्य रूप से आर्थिक भार आदि सम्मिलित है, को ध्यान में रखकर निर्णय लेगी।

जयपुर में शासन सचिवालय, बीकानेर में शिक्षा निदेशालय, अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा उदयपुर में एस.आई.ई.आर.टी. का मुख्यालय स्थित है।

भीलवाड़ा में शिक्षा के कई संस्थान स्थित हैं। भौगोलिक दृष्टि से राज्य के मध्य में स्थित भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग व रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। भीलवाड़ा सभी सुविधाओं से युक्त होकर राज्य का प्रमुख शांत व सुरक्षित औद्योगिक नगर है। नगर विकास न्यास भवन व अन्य आधारभूत सुविधाएं देने को तैयार है। अत: निवेदन है कि स्टेट मिडिल बोर्ड का मुख्यालय भीलवाड़ा में स्थापित कराने का कष्ट करावें।

सुभाषचन्द्र बहेड़िया

(भीलवाड़ा)

ठीकरदा ग्राम पंचायत की 203 बीघा भूमि चरागाह से हटाकर सिवायचक दर्ज करने बाबत

मान्यवर,

यह कि ग्राम बोरखण्डी, ग्रा. पं. ठीकरदा स्थित भूमि खसरा नं. 634/2 (पुराना) जिसके नये नम्बर 811/1024 हो गये हैं। यह भूमि लगभग 203 बीघा है। इस भूमि के पूर्व में खातेदार स्व. बहादुर सिंहजी हाडा, पूर्व महाराजा बूंदी दर्ज था। बरदीलाल, रामा आ. रामचन्द्र माली, रामदेव आ. बिशना माली, गोपाल आ. रामरतन माली, भीमा आ. धन्नाजी माली, भंवरलाल आ. रामरतन माली, घासीलाल आ. खाना माली, छोटा आ. गेन्दीलाल माली, कमल आ मथरा माली, शान्तिबाई पत्नि लक्ष्मणजी माली, किशनगोपाल आ. रामरतन माली, लालू, छोटा, दुर्गालाल आ. मंगला को लगभग 100 बीघा जमीन जर्ये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 17.5.1972 को बेचान कर दिया। यह व्यक्ति लगातार इस भूमि पर विक्रय करने के पश्चात् से ही काबिज है और काश्त करते चले आ रहे हैं। इस घटनाक्रम के पश्चात् स्वर्गीय महाराजा ने जिनके विरुद्ध सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही थी, उन्होंने इस विक्रयशुदा भूमि को भारहीन बताकर समर्पण कर दिया। नियमों के अनुसार भारहीन नहीं होने के कारण यह भूमि समर्पण किये जाने योग्य नहीं थी और इस समर्पण को स्वीकार करना भी अवैध था। इन लोगों ने इस भूमि पर कुएं खुदवा रखे हैं तथा मकान भी बना रखे हैं।

इसके पश्चात् लगातार ये किसान आज तक उस सिवायचक भूमि पर काबिज हैं और काश्त करते चले आ रहे हैं और उनके खिलाफ धारा 91 की कार्यवाहियां हर वर्ष की जाती हैं। यह भूमि पूर्व हिजायनेस के द्वारा समर्पित करने के पश्चात् राज्य सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया और अधिग्रहित करने के पश्चात् इसे

सिवायचक दर्ज कर ली। इस सिवायचक भूमि पर ये किसान सन् 1972 से आज तक काबिज हैं। ये भूमि गरीबों, भूमिहीन काश्तगारों को आबंटन होना था।

लेकिन न जाने किन कारणों से उक्त कृषि भूमि इन्तकाल संख्या 315 से दिनांक 6.10.1998 को चरागाह दर्ज कर दी गई। जिला कलस्टर, बूंदी से भी बार-बार अनुरोध किया। दिनांक 10.1.2007 को पुन: ज्ञापन दिया था जिसके साथ ग्राम पंचायत, ठीकरदा का प्रस्ताव भी संलग्न था। चरागाह दर्ज होने के कारण इस भूमि को इन गरीब किसानों व अन्य गरीब किसानों को आबंटन करने में बाधा उत्पन्न हो गई और इस कारण किसानों को भूमि खरीद का विक्रय मूल्य देने के पश्चात् भी तथा किस्म चरागाह होने के कारण सजायें और पैनल्टी भुगतना पड़ रहा है जो अनुचित व अवैधानिक है व इनके साथ अन्याय है।

इन सारी समस्याओं को देखने के पश्चात् ग्राम पंचायत, ठीकरदा ने दिनांक 20.12.2006 को ग्राम सभा में खसरा नम्बर 811/1024 बीघा भूमि चरागाह में से निकालकर सिवायचक दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया और इसे जिला कलक्टर बूंदी को भिजवा दिया।

अफसोस इस बात का है कि सन् 1972 से आज तक सिलिंग व जब्तशुदा भूमि का इन गरीब व्यक्तियों को आबंटन नहीं हो पाया और इन पर जुर्माना व सजायें विभाग द्वारा दी जा रही हैं जो अनुचित हैं। अत: सरकार से अनुरोध है कि 811/1024 खसरा नं. की सम्पूर्ण 203 बीघा भूमि को ही चरागाह में से हटाकर सिवायचक दर्ज कर इन गरीब किसानों को आबंटित करने का निर्देश प्रदान करें।

हरिमोहन शर्मा

(हिण्डौली)

जगदीशपुरा ग्राम (महुआ) में 33/11 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना करने बाबत

विधान सभा क्षेत्र महवा के ग्राम जगदीशपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली में एक 33/11 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित किये जाने की चली आ रही पुरानी मांग को लेकर माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से अनुरोध किया है लेकिन आज तक स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि 33/11 के.वी. जी.एस.एस. की मांग क्षेत्र की एक बहुत ही ज्वलनशील समस्या है इस क्षेत्र में लगभग 40 कि.मी. की विद्युत लाइन नांगल के जी.एस.एस. से दी जा रही है जब कभी भी कोई फाल्ट हो जाता है तो उस फाल्ट को निकालने में तीन-तीन दिन लग जाते हैं

जिससे किसानों की फसल एवं बच्चों की पढ़ाई और आम जन/पशुओं को पीने के पानी की भारी समस्या हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं पुन: माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान इस सदन के माध्यम से आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि इस लोक महत्व के 33/11 के.वी. जी.एस.एस. को स्थापित करने स्वीकृति जनहित में जारी करने का कष्ट करें।

हरज्ञानसिंह गुर्जर

(महुआ)

नवलगढ़ में होली की गेर के समय पुलिस एवं प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था बाबत

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के प्रमुख शहर नवलगढ़ में धुलण्डी के दिन काफी बड़ा परम्परागत जुलूस प्रमुख रास्तों से होता हुआ गुजरता है। जिसमें हजारों की संख्या में हिन्दू डफ बजाते हुए, नाचते गाते हुए रंग गुलाल उड़ाते हुए होली खेलते हुए जाते हैं। जिसे स्थानीय भाषा में गेर कहते हैं, इस गेर के प्रमुख रास्ते में मुस्लिम समाज की बड़ी मस्जिद भी है।

कुछ साम्प्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्तियों के द्वारा ज्यो ही गेर का जुलूस मस्जिद के पास से गुजरता है तो जानबूझ कर मस्जिद के ऊपर रंग गुलाल या गन्दगी फेंकने से साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो जाता है ऐसी घटनाएं पिछले वर्षों में कई बार हो चुकी हैं।

पिछले वर्ष होली से पूर्व हिन्दु-मुस्लिम दोनों समुदायों के प्रबुद्ध नागरिकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। जिसमें यह तय हुआ था कि कोई भी व्यक्ति यदि गेर के समय मस्जिद पर रंग गुलाल या गन्दगी फेंकता है तो प्रशासन उस व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करेगा।

पिछले वर्ष ज्यों ही गेर का जुलूस मस्जिद के पास से गुजरा तो एक व्यक्ति ने जानबूझकर रंग की थैली मस्जिद के ऊपर फेंकी थी। प्रशासन एवं दोनों समुदायों के नागरिकों को इसकी पूरी जानकारी होने पर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण दिनांक 15.3.2008 को होली की गेर की व्यवस्था बाबत नवलगढ़ के उपखण्ड अधिकारी द्वारा दोनों समुदायों की बैठक आयोजित करने पर मुस्लिम समुदाय का कोई भी प्रतिनिधि उसमें उपस्थित नहीं हुआ एवं मुस्लिम समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण कभी भी साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि नवलगढ़ शहर में होली की गेर के समय

पुलिस एवं प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था की जावे ताकि साम्प्रदायिक सद्भाव बना रह सके।

श्रीमती प्रतिभा सिंह

(नवलगढ़)

उपखण्ड भादरा (हनुमानगढ़) में नया सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय सृजित करने बाबत

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भादरा उपखण्ड के मुख्यालय भादरा में दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों की सुनवाई हेतु सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश के न्यायालय कार्यरत हैं तथा जिनकी नियमित एवं सुचारू सुनवाई जारी है।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि भादरा उपखण्ड तीन तरफ से हरियाणा राज्य की सीमाओं से लगा हुआ सघन आबादी वाला क्षेत्र है। यहां पर दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे गत दस वर्षों से अधिक तेजी से दर्ज हो रहे हैं। अत: न्यायिक मजिस्ट्रेट की एकमात्र कोर्ट होने से मुकदमों की सुनवाई में अधिक समय लगता है। भादरा उपखण्ड में 110 गांव व करीब 50 ढाणियां हैं तथा आबादी 2 लाख 25 हजार के करीब है। उल्लेखनीय है कि नये परिसीमन आदेश के लागू हो जाने के फलस्वरूप नोहर विधान सभा क्षेत्र की 7 पंचायतें एवं इनके गांव भी अब भादरा विधान सभा क्षेत्र में शामिल किये गये हैं अत: यहां एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अत्यन्त आवश्यकता है। न्यायालय परिसर में ही न्यायालय का कार्य संचालन हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थान आदि भी उपलब्ध है।

वर्तमान में यहां सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में लम्बित मुकदमों की संख्या इस प्रकार है :-

1-नम्बरी फौजदारी प्रकरण-	1945	2-विविध फौजदारी प्रकरण-	228
3-एफ.आर. प्रकरण-	126	4-फौजदारी इस्तगासे प्रकरण-	45
5-नम्बरी दीवानी प्रकरण-	234	6-विविध दीवारी प्रकरण-	64
7-इजराय दीवानी प्रकरण-	148	8-डी.आर.ए.-	110
9-चुनाव याचिका	01		

कुल-2901 प्रकरण

अत: मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि उपरोक्त बातों पर गौर फरमाकर उपरोक्त आबादी व मुकदमों के अनुपात को देखते हुये यदि एक न्यायालय और स्वीकृत कर दिया जाता है तो आम जन को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ हो सकेगा।

डा. सुरेश चौधरी

(भादरा)

कोटड़ाघट्टा की विधवा को आबंटित भूमि की खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही करने बाबत

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न जिलों में भूमिहीन कृषकों तथा गरीब व्यक्तियों को आबंटित भूमि वर्षों बाद भी आबंटियों के कब्जे एवं खातेदारी में नहीं आने के अनेक उदाहरण है। उदाहरणार्थ एक अत्यन्त निर्धनतम परिवार की महिला श्रीमती अल्लादी बेवा शमसुद्दीन निवासी उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास, बकानी, जिला झालावाड़ को उसके पति की बस नहर में गिरने से हुए हादसे में हुई मृत्यु के बाद दिनांक 10.7.1987 ई. को भूमि खसरा सं. 61 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा में से 3 बीघा 8 बिस्वा, ग्राम कोटड़ाघट्टा, तहसील झालरापाटन की आबंटित की जाकर रेकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया था। आबंटित भूमि को अल्लादी बाई काश्त करती चली आ रही है। बाद में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किए गए सेटलमेण्ट के बाद जमीन के खसरा नम्बर बदले जाते समय इस भूमि के खसरा नं. 177 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा बनाये गये तथा खसरा संख्या 61 की शेष भूमि के दूसरे खसरा नम्बर बनाये गये। श्रीमती अल्लादी बाई पूर्णत: निरक्षर होने से सेटलमेण्ट विभाग द्वारा इस विधवा महिला के अधिकार को ध्यान में नहीं रखकर भूमि को खातेदारी में इन्द्राज नहीं किया। श्रीमती अल्लादी बाई ने अपनी भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए दिनांक 4.7.1967 को पट्टा फीस की राशि 5 रुपये पटवारी हल्का को जमा करा दिए थे। दिनांक 3.8.1978 को रसीद क्रमांक 21 पुस्तक संख्या 43790 से सम्वत् 2030 से 2038 तक का लगान 9 रुपये 35 पैसा जमा करवा दिया गया है। किन्तु दुर्भाग्य से यह जमीन इस समय आबंटी के खाते में अंकित नहीं है। श्रीमती अल्लादी के पास कानूनी कार्यवाही का पैसा नहीं है। प्रकरण पूरी तरह से राजस्व विभाग से सम्बन्धित होने से राजस्व विभाग द्वारा जांच करके निर्णित किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकरण की वास्तविक स्थिति की जानकारी करवायी जाने का दायित्व राज्य सरकार का है। श्रीमती अल्लादी बाई को आबंटित भूमि से जुड़े सारे तथ्यों की पड़ताल करवाकर राजस्व विभाग आबंटित भूमि श्रीमती अल्लादी बाई के खातेदारी में दर्ज कर उसे न्याय प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट करें।

श्रीमती अल्लादी ने जिला कलक्टर (सतर्कता) झालावाड़ को भी इस सम्बन्ध में प्रार्थना -पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना-पत्र पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा पत्र क्रमांक 972-73/प.8/सतर्कता/96 दिनांक 17.4.1996 से कार्यवाही प्रारम्भ करने के बावजूद पीड़िता के पक्ष में सही निर्णय नहीं हो पाया है। राज्य की माननीय मुख्यमंत्री महोदया के जिले तथा उनके सुपुत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दीन-हीन गरीब विधवा के हितों से सम्बन्धित प्रकरण में त्वरित गति से कार्यवाही करवाई जाने का उत्तरदायित्व सरकारी अधिकारियों का है। कानूनन भी विधवा की भूमि पर किसी अन्य का कोई अधिकार नहीं बनता है।

इन परिस्थितियों में विनम्र अनुरोध है कि विधवा महिला श्रीमती अल्लादी बाई को आबंटित भूमि खातेदारी में दर्ज की जाने की कार्यवाही की जाकर कानूनी प्रक्रिया में उलझे हुए प्रकरण में एक वृद्ध, अशक्त, दु:खी, निर्धनतम, अल्पसंख्यक, विधवा महिला को न्याय प्रदान करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रामनारायण मीणा

(नैनवां)